" स्वतन्त्रता आन्दोलन में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान "

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी की पी- एच० डी०
उपाधि हेतु प्रस्तुत

शोध–प्रबन्ध

शोध–पर्यवेक्षक–
प्रो० बी. एन. रॉय
से. नि. अध्यक्ष, इतिहास विभाग

प्रस्तुतकर्ता–
बरकत उल्ला
शोधार्थी

पं० जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, बाँदा, (उ.प्र.)

प्रो० बी. एन. रॉय
से. नि. अध्यक्ष, इतिहास विभाग
पं. जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय,
बाँदा (उ.प्र.)

दिनाँक 8/10/2000

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

१. बरकत उल्ला ने मेरे निर्देशन में ''स्वतन्त्रता आन्दोलन में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान'' विषय पर शोध कार्य किया है।

२. इन्होंने मेरे यहाँ निर्धारित अवधि तक उपस्थिति दी है।

३. इनका शोध कार्य मौलिक है।

यह शोध-प्रबन्ध अब इस स्थिति में है कि इसे पी-एच.डी. उपाधि हेतु मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है।

(बी.एन.रॉय)

शोध-पर्यवेक्षक

आमुख

इतिहास लेखन में निष्पक्षता अनिवार्य है। इतिहासकार द्वारा तटस्थता के सिद्धात को छोड़ देने पर इतिहास लेखन में त्रुटियां इतिहास के महत्व को कम करने लगती हैं। अभिलेखों, गवाहों तथा सबूत आदि के आधार पर जिस प्रकार जज निष्पक्ष होकर निर्णय करता है, उसी तरह इतिहासकार को भी होना चाहिए। स्पष्टतः इस प्रकार का इतिहास लेखन वैज्ञानिक दृष्किोण से परिपूर्ण होगा।

वस्तुतः ज्ञात स्त्रोत एवं इतिहास सामग्री को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करना उनके सभी पक्षों पर विचार कर विवेचनात्मक व्याख्या करना इतिहास लेखन का महत्वपूर्ण पहलू होता है। इसी प्रकार से प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में नवीनता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा निष्पक्षता प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अनेक सन्देहजनक तथ्यों को स्पष्ट कर प्रमाणों एवं तर्कों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध 'स्वतन्त्रता आन्दोलन में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान' शनैः-शनैः उत्सुकता का विषय बनता चला गया, जैसे-जैसे, शोध सामग्री प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री लेखकों की दृष्टि में उपेक्षित से रहे। उपेक्षित भाव यहाँ तक देखने को मिलता है जब कांग्रेस पर लिखे गये अनेक ग्रंथों में शास्त्री का नाम कांग्रेसी सदस्यता सूची में नहीं मिलता, जबकि लाल बहादुर शास्त्री सन् 1935 ई. से 1938 ई. तक इसके प्रान्तीय महासचिव बने रहे।

लाल बहादुर शास्त्री के जीवन से सम्बन्धित जो सामग्री मिलती भी है, वह बहुत ही संक्षिप्त है। जो भी ग्रंथ शास्त्री जी पर लिखे गये, वे भी उनके मंत्री एवं प्रधानमंत्री काल को ध्यान में रखकर। इसी में ही विस्तारीकरण अधिक देखने को मिलता है, ऐसे में शास्त्री के जीवन और आन्दोलन पर शोध करना रुचिकर तो रहा ही, साथ ही एक विचार यह उठता है कि चारत्रिक

दृष्टि से उत्तम एवं सिद्धान्त के पक्के व्यक्ति के प्रारम्भिक एवं संघर्षशील जीवन पर किसी ने महत्वपूर्ण ढंग से कार्य नहीं किया। किसी लेखक ने शास्त्री पर कलम चलायी तो कुछ ही पृष्ठों में समेटकर रख दिया। यदि लिखा भी तो चमकदार पहलू एवं मंत्री–प्रधानमंत्री काल की घटनाओं पर ही मात्र।

शास्त्री पर लिखे ग्रंथों की कमी तब और समस्या पैदा कर देती है, जब विभिन्न पुस्तकालयों में शोधार्थी द्वारा शोध–सामग्री ढूँढ़ने का प्रयास किया गया तो सरदार पटेल, नेहरु, गाँधी इत्यादि पर तो अपार भण्डार ग्रंथों का मिला, साथ ही निवर्तमान में बने प्रधानमंत्रियों के जीवन पर ग्रंथ मिले, लेकिन शास्त्री पर शोध–सामग्री प्राप्त करना कठिन रहा। प्रकाशन विभाग ने भी उपरोक्त व्यक्तियों पर संग्रहित ग्रंथ कई खण्डों में प्रकाशित किये हैं, किन्तु लाल बहादुर शास्त्री पर एक मात्र ग्रंथ मिलता है।

शास्त्री ने सिद्धान्तवादी विचारधारा वाले व संयुक्त परिवार में जन्म लिया था। लाल बहादुर शास्त्री स्वयं अन्त तक इन्हीं पद चिन्हों पर चलते रहे। इसके अतिरिक्त जनवरी 1966 ई. में शास्त्री की अकाल मत्यु हो जाने के पश्चात भी उनके पुत्र एवं परिवारीजन सदाचार को महत्व देते आ रहे हैं। शोधार्थी जब शोध सामग्री प्राप्त करने की दृष्टि से दिल्ली 1, मोतीलाल नेहरु प्लेस पर दिनांक 6.12.1999 को पहुँचा तो शास्त्री जी के पुत्र अनिल शास्त्री व परिवार से भेंट होने पर ज्ञात हुआ कि वहाँ संयुक्त परिवार प्रथा अभी भी कायम है।

शास्त्री के सम्पूर्ण जीवन के दो भाग हैं। एक जन्म से लेकर भारत के स्वतन्त्रता समय तक तथा दूसरा स्वतन्त्रता के बाद से प्रधानमंत्री काल तक, अधिकांश लोगों की दृष्टि लाल बहादुर शास्त्री के जीवन के द्वितीय भाग पर अधिक रही। वह भी अरियालूर रेल दुर्घटना के बाद रेल–मंत्री पद से त्याग पत्र दे देने व उनकी ईमानदारी, नैतिक दायित्व, कर्मठता से प्रभावित होने के कारण। किन्तु उनके आधार व पृष्ठभूमि वाले कार्यों को तलाशने का प्रयास नहीं

किया गया कि कैसे लाल बहादुर शास्त्री इस सोपान तक चढ़ आये, जबकि यह सारी विशेषताऐं लाल बहादुर शास्त्री में पहले से ही विद्यमान थी। इमारत के कंगूरे पर दृष्टि तो सबकी रही, परन्तु नींव के पत्थर पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस भौतिकवादी समाज ने यही परम्परा दी है। अतः शास्त्री का पृष्ठभूमि में चला जाना तथा उनके प्रारम्भिक जीवन की कठिनाईयों व आन्दोलन पर ध्यान नहीं देना स्वाभाविक है। इसी कारण लाल बहादुर शास्त्री का आन्दोलनकारी जीवन एकान्तवासी हो गया।

'स्वत्रन्ता आन्दोलन में लाल बहादुर शास्त्री का योगदान' विषय पर शोध करने हेतु शोध-प्रबन्ध को आठ अध्यायों में विभक्त किया गया है। प्रथम अध्याय 'विषय प्रवेश' में लाल बहादुर शास्त्री का जीवन, प्रारम्भिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं समस्याऐं का उल्लेख है। द्वितीय अध्याय में 'शास्त्री का गृहस्थ जीवन' के अर्न्तगत विवाह, विवाहोपरान्त समस्याऐं, बच्चों का लालन-पालन एवं शिक्षा-दीक्षा, आन्दोलन का परिवारिक जीवन पर प्रभाव का वर्णन किया गया है। तृतीय अध्याय 'लाल बहादुर शास्त्री का राजनीति में प्रवेश' के अन्तर्गत इलाहाबाद नगरपालिका की सदस्यता एवं कार्य, इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी में शास्त्री द्वारा किये गये कार्यो का विवरण मिलता है। चतुर्थ अध्याय 'आन्दोलनकर्ता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री' में असहयोग आन्दोलन में भाग लेना, कारावास व सामाजिक संस्था से जुड़ने का उल्लेख किया गया है। पंचम अध्याय 'सन् 1930 ई. का आन्दोलन और शास्त्री' में सविनय अवज्ञा आन्दोलन और शास्त्री से सम्बन्धित घटनाओं व पत्नी ललिता देवी द्वारा आन्दोलन में भाग लेने का उल्लेख किया गया है। षष्ठम अध्याय 'शास्त्री का कारावासीय जीवन' में जेल जीवन की यातनाऐं, अध्ययन व लेखन का वर्णन किया गया है। सप्तम अध्याय 'कांग्रेसी सेवाऐं एवं आन्दोलनकर्ता के रूप में शास्त्री' में उ.प्र. कांग्रेस सचिव, संसदीय बोर्ड के सचिव के रूप में शास्त्री के कार्य व 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन में शास्त्री का योगदान का वर्णन किया गया है। अन्तिम

एवं अष्टम अध्याय 'उपसंहार' में शास्त्री के प्रारम्भिक जीवन से लेकर स्वतन्त्रता के समय तक का मूल्यांकन किया है। आखिर में 'परिशिष्ट' में महत्वपूर्ण विचार, तिथियां एवं वंश वृक्षावली है। इस प्रकार शोध-प्रबन्ध को आठ अध्याओं में विभक्त कर लाल बहादुर शास्त्री के सभी पहलुओं को सामने रखने का प्रयास किया गया है।

इस शोध-प्रबन्ध को अन्तिम चरण तक पहुँचाने दिशा एवं निर्देशन देने तथा पाण्डुलिपि को आद्योपान्त पढ़कर संशोधन करने हेतु प्रो. बी. एन. रॉय ने अपना अमूल्य समय देते हुए जो सुझाव दिये, इसके लिए आभार शब्दों में प्रकट कर पाना सम्भव नहीं है। कृतज्ञता ज्ञापन कला भी शब्दों की सीमा से परे है। प्रो. आई.एस. सक्सेना, डॉ. लवकुश प्रसाद द्विवेदी तथा डॉ. के.पी. सिंह द्वारा सलाह देना व प्रोत्साहित किया जाना शोधार्थी के लिए मार्गदर्शन से कम नहीं रहा। प्रो.(श्रीमती) रजनी भार्गव व प्रो. वीरपाल सिंह ने शोध-सामग्री प्रदान कर महत्वपूर्ण सहयोग किया है।

शोध-सामग्री प्राप्त करने हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रधान पुस्तकालयाध्यक्ष श्री रिजवी द्वारा व्यक्तिगत रूप से रूचि लेना, शोध सामग्री प्राप्त कराने हेतु स्वंय प्रयास करना, शोधार्थी को सहयोग प्रदान करना उनके बड़प्पन का द्योतक है। परिवार में माता श्रीमती शफीकन बेगम, पिता श्री शफकत उल्ला का स्नेह, आशीष एवं प्रोत्साहन, अग्रज श्री रहमत उल्ला एवं अनुज नियामत उल्ला द्वारा शोध-प्रबन्ध को लिखने के लिए वातावरण प्रदान करने तथा अनेक कार्यों से मुक्त रखकर जो सहयोग प्रदान किया वह अद्वितीय है। श्रीमती कमलेश रॉय, श्रीमती विभा शास्त्री, अनिल शास्त्री, श्री सुनील शास्त्री, आलोक कुमार तथा सन्तोष तिवारी की प्रेरणाऐं भी शोध-प्रबन्ध पूरा करने में सहायक रही हैं।

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जखौरा (ललितपुर) के प्रधानाचार्य श्री रघुवीर सिंह, श्री विनोद कुमार खरे, श्री राम सहाय तथा

राजकीय इण्टर कालेज, श्रीनगर (महोबा) के प्रधानाचार्य श्री रमेश चन्द्र सोनी के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी ओर से शोध कार्य के लिए अवकाश प्रदान करने में सहयोग किया। अन्त में, मैं उन सभी अध्यापकों एवं शुभ चिन्तकों का आभारी हूँ। जिनकी प्रेरणाऐं सदैव शोध प्रबन्ध पूरा करने में सहयोग व बल प्रदान करती रहीं।

इस शोध प्रबन्ध के स्वच्छ एवं आकर्षक कम्प्यूटर टाइप के लिए मैं आशीष गुप्ता **ए टू जेड ग्राफिक्स**, स्टेशन रोड, बाँदा को कोटिश; धन्यवाद देता हूँ। जिनके अथक प्रयास से शोध प्रबन्ध प्रस्तुत रूप ले सका।

दिनाँक.04..08..2000 ई.

शोधार्थी–

बरकत उल्ला।

बरकत उल्ला

अनुक्रमणिका

क्र.	अध्याय	पेज संख्या
1.	विषय प्रवेश	1 - 37
2.	शास्त्री का गृहस्थ जीवन	38 - 75
3.	लाल बहादुर का राजनीति में प्रवेश	76 - 96
4.	आन्दोलनकर्ता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री	97 - 116
5.	सन् 1930 ई. का आन्दोलन और शास्त्री	117 - 137
6.	शास्त्री के कारावास अवधि के कार्य	138 - 165
7.	कांग्रेसी सेवाऐं एवं आन्दोलनकर्ता के रूप में शास्त्री	166 - 192
8.	उपसंहार	193 - 234
9.	परिशिष्ट	235 - 241
10.	संदर्भ ग्रंथ-सूची	242 - 251

प्रथम अध्याय

विषय-प्रवेश

अ- जीवन परिचय

ब- प्रारम्भिक शिक्षा

स- उच्च शिक्षा एवं समस्याऐं

मुगलों का जब पतन हो रहा था तब भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था, लेकिन अंग्रेजों की उस समय स्थिति बेहद कमज़ोर थी। उनका आरंभिक उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था। उनके लिए भारत व्यापार हेतु एक अच्छा स्थान था लेकिन यहाँ की राजनैतिक स्थिति प्रतिकूल एवं आपस में टकराव की सी थी। अत: अंग्रेज व्यापारियों को इनका लाभ मिलना स्वाभाविक था। जब दो व्यक्ति, समूह, वर्ग या समुदाय आपस में टकराते है, तो तीसरे को लाभ ही होता है। यही स्थिति अंग्रजों को भारत में पैर जमाने के लिए कारगार साबित हुई। अत: अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं के एक पक्ष को समर्थन देकर शनै: शनै: राजनैतिक हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इस राजनैतिक हस्तक्षेप का लाभ यह हुआ कि कम्पनी का राज्य विस्तार होने लगा। ''1669 ई. से सर जार्ज औकसेन्डेन के उत्तराधिकारी के रुप में जेराल्ड ओंगियार सूरत का प्रेसिडेंट और बम्बई का गर्वनर था। उसने संचालक समिति (कोर्ट ऑव ड़ाइरेक्टर्स) को लिखा कि 'अब समय का तकाजा है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर अपने सामान्य व्यापार का प्रबन्ध करें'। कुछ ही वर्षो में डाइरेक्टरों ने कम्पनी की नीति में इस परिवर्तन को स्वीकार कर लिया तथा दिसम्बर 1687 ई. में मद्रास के प्रधान को लिखा कि आप ''असैनिक शक्ति का ऐसा शासन कायम कीजिए तथा दोनों की प्राप्ति के लिए इतनी विशाल आय निकालिए और बनाये रखिये- जो सदैव भारत में एक विशाल, सुगाठित, सुरक्षित अंग्रेजी राज्य की नींव बन सके।''[1] इससे स्पष्ट हो जाता है कि अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में स्थायी शासन करने का हो गया था। इसका लाभ भी उन्हें शाही फौज, मराठों एवं अन्य राजाओं के लगातार युद्ध करने के कारण प्राप्त हुआ।

अंग्रेजों ने भारतीयों की आपसी फूट का लाभ उठाया और भारत पर अधिकार कर लिया। भारत पर कब्जा करने का कार्यक्रम अंगेजों का धीरे-धीरे हुआ था। जिसकी परिणित अन्तिम रूप से 1858 ई. को रानी विक्टोरिया के

घोषणा से हुई थी। संयोग की बात यह है कि अंग्रेजों के भारत पर अधिकार करने के कारण भारतीयों को यह अनुमान हो गया था कि यह हमारे शासक हो चुके है। अतः इनसे छुटकारा पाना आवश्यक है, अतः अंग्रेजों के अधिकार करने के साथ भारतीयों ने स्वतन्त्रा के लिए 1857 ई. से ही बिगुल बजा दिया था। इस स्वतन्त्रता संग्राम में भारतीयों को सफलता अवश्य नहीं मिली, लेकिन भारतीयों में जाग्रति का सन्देश निश्चित रूप से पहुंचा। भारत के अनेक विद्वान इसे भारत का प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम मानते है, तो कुछ इसे अंग्रेजों के विरूद्ध 'राष्ट्रीय विद्रोह' की संज्ञा देते हैं।

इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों की नीतियों में परिवर्तन हुआ। उनका दृष्टिकोण भारतीयों के साथ सन्देहास्पद, दमनात्मक तथा आपस में फूट डालने वाला हो गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नहीं रखा जाता था। उनकी स्थिति छोटे कर्मचारी अथवा भाड़े के सिपाहियों जैसी हो गयी थी। भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। ब्रिटेन की व्यंग पत्रिका 'पंच' में भारतीयों को गोरिल्ला तथा हब्शी के रूप में प्रदर्शित किया है। इस प्रकार अंग्रेजों ने यह सिद्धान्त बना लिया था कि यूरोपीय लोग उच्च जाति के एवं भारतीय निकृष्ट लोगों में से हैं। इसके साथ भारतीय किसानों, श्रमिकों, उद्योगपतियों का शोषण भी किया जा रहा था। अतः 1860 ई. में किसानों का विद्रोह हुआ और इसमें कुछ अन्तराल के पश्चात विद्रोह होते रहे, किसी प्रकार का ठहराव नहीं आया।

अंग्रेजों द्वारा भारत की जनता के साथ दुर्व्यवहार एवं दोहरेपन की नीति जारी रहने के कारण भारतीयों में राजनैतिक जाग्राति पैदा होने लगी अतः अनेक संस्थाऐ स्थापित होने लगी। सन् 1830 ई. के बाद बनने वाले संगठन लैण्ड होल्डर्स सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इण्डिया सोसाइटी, इण्डियन लीग, ब्रिटिस इण्डियन ऐसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा तथा लन्दन में बनी ईस्ट इण्डिया ऐसोसिएशन थे। इन संस्थाओं एवं संगठनों में भारतीयों ने रहकर जनता को सभी नियमों एवं कार्यों से अवगत कराने एवं सरकार से अनेक मांग माने जाने हेतु

कार्य किया।

सन् 1885 ई. में इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना ए.ओ.हयूम द्वारा शासक और शासित वर्ग के बीच पैदा हुई खाई को पाटने के उद्देश्य से की गई, जबकि भारत में राजनैतिक जागरण पैदा हो चुका था और एक मंच पर एकत्रित होने की आवश्यकता प्रतीत हो रही थी। इस संस्था के माध्यम से जनता की आवश्यकताओं एवं मांगो को ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत किया जाता रहा। लेकिन भारतीय नेताओं की उदारवादी दृष्टिकोण का सरकार पर बहुत कम प्रभाव पड़ता था। ऐसे लोग दादा भाई नौरोजी, डब्लू.सी.बनर्जी, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी, फिरोजशाह मेहता आदि थे।

कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी संस्कृति से प्रभावित तो थे ही, साथ ही वह अंग्रेजी शासन को भारत के हित में तथा ईश्वर की अनन्य कृपा मानते थे। यही दोषारोपण उदारवादी कांग्रेसी नेताओं के विरोध में जाता है। लेकिन ये सभी प्रगतिवादी तत्व एवं सच्चे देश भक्त थे।

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में नये वर्ग का उदय हुआ, जो उग्र विचारधारा के थे। यह नया वर्ग पुराने नेताओं की विचारधारा का आलोचक था और कांग्रेस का उद्देश्य स्वराज्य कराने की विचारों का समर्थक था। इसके लिए उग्रपन्थी लोग आन्दोलन करना तथा सरकार से सीधे संघर्ष करने पर विश्वास करते थे। अतः देश में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ती गयी, अनेक आन्दोलन हुए तो ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी। साहित्य लेखन ने भी देश को स्वतन्त्र कराने के लिए नौजावानों को प्रेरित करने हेतु अद्वितीय सहयोग प्रदान किया। देश को स्वतन्त्र कराने हेतु आन्दोलन अरविन्द घोष, पं0 महामना मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपतराय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले आदि महत्वपूर्ण नेताओं के हाथ से आगे बढ़ता हुआ महात्मा गाँधी ने आन्दोलन प्रारम्भ करने से पहले राजनीतिक अवलोकन एक वर्ष तक करना उचित समझा।

एक वर्ष बाद भारत में विभिन्न स्थानों का दौरा महात्मा गांधी ने किया तथा जगह- जगह अपने भाषणों द्वारा लोगों में चेतना प्रदान करने का प्रयास किया, जिससे भारत की जनता एक जुट होकर ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए आन्दोलन में भाग ले और देश को स्वतन्त्र कराया जा सके। 1920 ई. में महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया साथ ही भारत भ्रमण कर भाषणों के द्वारा जनता को अंग्रेजों की वास्तविकता से परिचय कराया। महात्मा गाँधी ने वाराणसी में भी भाषण दिया। इस भाषण से वाराणसी के नगरवासी अधिक प्रभावित होने वाले लोगों में एक युवा छात्र भी था, जिसका नाम लाल बहादुर था। जिसमें भावी प्रधानमंत्री बनने के गुण छिपे हुए थे। लेकिन इस समय तक वह परिवार, समाज और देश के लिए एक मात्र साधारण बालक था।

अ- जीवन परिचय

प्राचीन काल से भारत में परम्परा रही है कि बच्चे के जन्म लेने के साथ उसके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि अमुक बच्चा बड़ा होकर यह बनेगा, वह बनेगा। धनाढय, सामन्ती एवं राजघराना परिवार के लोग इस सम्बन्ध में ज्योतिष्यों से सलाह भी लेते हैं कि उनका पुत्र भविष्य में क्या बनेगा। यह परम्परा अभी भी चली आ रही है कि प्रत्येक बच्चे की जन्मपत्री तैयार कर ली जाती है, जो उसके सम्पूर्ण जीवन का विश्लेषण करती है।

कपिलवस्तु के राजा शुद्धोदन के पुत्र सिद्धार्थ के जन्म लेने के समय भी ये भविष्य वाणी की गई थी कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर बहुत बड़ा महात्मा। गुलाम वंश के शासक शामसुद्दीन अल्तमश ने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान के लिए स्वयं भविष्यवाणी की थी कि यह मेरी उत्तराधिकारी एवं योग्य महिला शासक होगी। मुगल काल में अकबर के जन्म का समाचार हुमायुँ को मिलने पर भविष्यवाणी की गई कि यह मुझसे से भी ज्यादा योग्य एवं कुशल बादशाह होगा ''जिस तरह कस्तूरी के टुकड़ों से खुशबू फैल रही

है उससे भी कहीं अधिक सम्पूर्ण विश्व में अकबर की प्रसिद्धि फैलेगी।" जानवरों को चराते समय हैदरअली के बांये पैर में काला चिन्ह ज्योतिषी द्वारा देख लेने पर भविष्यवाणी की गयी कि यह राजा होगा। समाज में ऐसा वर्ग भी पाया जाता है जो ज्योतिषी के भविष्यवाणी पर विश्वास न कर कर्म पर विश्वास करते हैं। इसी प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भी ज्योतिषी एवं भविष्यवाणी पर यकीन नहीं करते थे। यहाँ तक कि एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने प्रेस साक्षात्कार में कहा था कि "वह भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते और न ही उनका परिवार ज्योतिषी के भविष्यवाणी के लिए आर्थिक रूप से वहन कर सकता था। लेखक से बताते हुए शास्त्री कहते है कि मैं ज्योतिषी से बार-बार सलाह लेने का विराधी हूँ। विशेष रूप से राजनीतिक मामलों में, क्योंकि वह व्यक्ति आत्मविश्वास खो देता है।"[2]

लाल बहादुर का जन्म 2 अक्टूबर 1904 ई. को वाराणसी से 7 मील दूर मुगलसराय के कूढ़कलां नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद था। यह पहले कायस्थ पाठशाला, इलाहाबाद में अध्यापक थे। बाद में राजस्व विभाग इलाहाबाद में लिपिक हो गये। "यद्यपि यह विभाग उस समय भ्रष्टाचार के लिए बहुत बदनाम था और बिना रिश्वत के कोई कार्य नहीं होता था। लेकिन शारदा प्रसाद ने साधारण जीवन, ईमानदारी एवं कर्मठता पर विश्वास किया।"[3] इसी के परिणाम स्वरूप लाल बहादुर के पिता के सेवाकाल में किसी प्रकार का दाग नहीं लगा। इनकी माता का नाम रामदुलारी देवी था। रामदुलारी का जन्म सन् 1883 ई. में हुआ था। शारदा प्रसाद का मकान रामनगर में स्थित था। मकान में आगे का बरामदा, दो स्तम्भों पर खड़ा हुआ, बरामदा के अन्दर बांये तरफ दरवाजा एवं खिड़की, ऊपर छत एवं कई कमरे बने हुए हैं।

14 जनवरी 1905 ई. को मकर संक्रान्ति का पर्व था। इस पर्व में लाखों लोग स्नान करने गंगा नदी में प्रयाग में दूर-दूर से अर्से से लोग आते

रहे हैं। इस मेले में भीड़ अधिक होती है, लोग गिरते पड़ते, संभलते, धक्के खाते स्नान करते है। इस मकर संक्रान्ति के पर्व में एक युवा दम्पत्ति शारदा प्रसाद और उनकी पत्नी रामदुलारी देवी थे। रामदुलारी देवी की गोद में एक छोटा शिशु लाल बहादुर उर्फ नन्हें भी था। शारदा प्रसाद इलाहाबाद में ही कार्यरत थे, अतः पत्नी के साथ इस पर्व में स्नान करना तथा मेला घूमने हेतु अच्छा अवसर था। यह दम्पत्ति जब गंगा नदी के तट पर थी तब सहसा एक जोरदार भीड़ का रेला आया और रामदुलारी देवी धक्का खाकर गिर पड़ी, गोद में लिया हुआ बच्चा छूट गया। तुरन्त संभलने के बाद बच्चे को भीड़ में ढूंढने लगी। आस-पास बच्चा कहीं दिखाई नहीं देता था। रामदुलारी देवी के हाथ-पाँव फूलने लगे। मन में तरह-तरह के विचार जन्म लेने लगे। क्या नन्हें को कोई उठा ले गया? इतने जल्दी कैसे गायब हो गया? कहीं! भीड़ में किसी ने पैर तले रौंद तो नहीं दिया। बच्चे के रोने की आवाज भी आस-पास से नहीं सुनायी दे रही थी। बच्चे के न मिलने पर वह निराश होकर चीख पड़ी और पास खड़े अपने पति शारदा प्रसाद के पास पहुँची। रोते हुए नन्हें के खो जाने की घटना बताई। शारदा प्रसाद ने बच्चे को ढूँढ़ना शुरु कर दिया। दूसरी ओर रामदुलारी देवी गंगा नदी के किनारे बैठकर रोने लगी। उन्हे आशा थी कि बच्चा कहीं नहीं गया, किसी के हाथ पड़ गया, उन्हें अवश्य मिलेगा।

नदी किनारे बहुत सी नावों का बेड़ा लंगर डाले खड़ा था, जो सवारियों का नदी पार पहुंचाने की प्रतीक्षा में था। इन यात्रियों में एक ग्वाला दूध एवं टोकरी लिये हुए था। नाव के चलने की देरी के कारण वह मेले और भीड़ को बैठा देख रहा था। अचानक उसके पास कपड़े में लिपटी हुई कुछ भारी सी आकर गिरी। उसने तुरन्त उसे देखा तो उसे एक नवजात शिशु दिखायी दिया। अब उस नवजात शिशु ने रोना शुरू कर दिया था।

जाड़ा अधिक था। स्नान करने वाले तक काँप रहे थे। ग्वाले ने बच्चे को ठंड से बचाने के लिए अपनी पहनी हुई सूती बंडी उतारी, और बच्चे को

ओढ़ा दिया। इसके बाद उसने दूध निकाला और कपड़ा दूध में भिगोकर उस बच्चे को बूँद-बूँद दूध पिलाने का प्रयास किया। बच्चे ने उस कपड़े को चूसते हुए दूध पिया और चिल्लाना बंद कर दिया। इसी समय वह नाव अपने स्थान से यात्रियों की तलाश में आगे बढ़ गई।

निश्चित ही शारदा प्रसाद को बच्चा ढूंढ़ने में कठिनाई आने लगी। लगभग एक घंटा बीत गया, बच्चे का पता नहीं लग पाया। कुछ और यात्रियों ने सहयोग कर बच्चे को ढूँढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफलता हाथ लगी। शारदा प्रसाद ने पुलिस को बच्चे के गुम हो जाने की रिपोर्ट की । और एक बार फिर चक्कर लगाया कि घाट पर कहीं उनका बालक मिल जाय। अचानक शारदा प्रसाद की निगाह एक टोकरी में रखे बच्चे पर पड़ी। पास जाने पर पता चल गया कि यह उनका बालक नन्हें है। शारदा प्रसाद बच्चे के पास नाव में पहुंचे किन्तु ग्वाले ने बच्चे को सीने से लगाकर देने से इन्कार कर दिया। स्पष्ट है कि जब एक बच्चे के दो दावेदार आमने सामने खड़े हो गये तो विवाद होना स्वाभाविक है। अतः ग्वाला और शारदा प्रसाद में बहस हो गई। ग्वाला उस बच्चे को ईश्वरीय देन समझकर अपना बच्चा मान रहा था। आस-पास भीड़ जमा हो गयी। मामला तूल पकड़ने लगा। इतने में पुलिस वहाँ आ पहुँची। पुलिस ने हस्तक्षेप किया और बच्चे को पहचानने के लिए रामदुलारी देवी को बुलाया। बालक नन्हें को देखकर रामदुलारी देवी ने आगे बढ़कर ले लिया और गोद में चिपटा लिया। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं कि "पुलिस की मदद से उन्हें अपना 'नन्हा' मिल सका। उस समय कौन जानता था कि यही 'नन्हा' एक दिन भारत का प्रधानमंत्री बनेगा।"[4] नवदम्पत्ति को जब बच्चा प्राप्त हो गया तो उन्होंने ईश्वर हो ह्रदय से धन्यवाद दिया।

दूसरी ओर ग्वाले को अपराधी मानकर भीड़ उस पर टूट पड़ी, लेकिन शारदा प्रसाद ने इस घटना को समाप्त करने को कहा। अब ग्वाला शारदा प्रसाद से प्रार्थना करने लगा कि तुम्हारे बच्चे की सुरक्षा के कारण मेरा कपड़ा खराब

हो गया। शारदा प्रसाद उदार ह्रदयी थे। उन्होंने प्रसन्न होकर अपना पहना हुआ ऊनी शाल उतार कर ग्वाले को दे दिया। डी.आर. मानकेकर लिखते हैं कि "शारदा प्रसाद ने ग्वाले से कहा, यह लो, मैं एहसान मानता हूँ कि तुमने मेरे बच्चे को अच्छी तरह रखा।"[5] शारदा प्रसाद ने उस ग्वाले को पाँच रूपया भी दिया जिसने बच्चे को सुरक्षित रखकर दूध भी पिलाया था। बालक 'नन्हें' के मिल जाने के समय माँ रामदुलारी देवी ने यह मानता रखी कि जब उनका लड़का बड़ा होगा तब विवाह के पश्चात, बहू और बेटे को साथ लेकर पियरी चढ़ाने अवश्य लायेंगी। जिसकी पुष्टि 'धरती का लाल' ग्रंथ का अध्ययन करने से भी हो जाती है।

लाल बहादुर मुश्किल से डेढ़ वर्ष के ही रहे होंगे कि अचानक 1906 ई. में उनके पिता शारदा प्रसाद का देहान्त हो गया। लाल बहादुर की माँ राम दुलारी देवी की उम्र लगभग 23 वर्ष की रही होगी कि उनके सामने एक बड़ी विपत्ति आ पड़ी। पति के देहावसान के बाद बच्चों के लालन-पालन की समस्या उनके मस्तिष्क में कौंधने लगी। तीन बच्चों में दो पुत्री सुन्दरी देवी व कैलाशपति एवं पुत्र लाल बहादुर थे। पिता हजारीलाल को भी अपनी पुत्री रामदुलारी देवी के कम उम्र में विधवा हो जाने पर आघात लगा। हजारीलाल एक स्कूल में अध्यापक थे। यह उनकी बड़ी एवं लाडली संतान थी। शारदा प्रसाद के अन्तिम संस्कार एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न होने के बाद हजारीलाल अपनी पुत्री रामदुलारी एवं उनके बच्चों को अपने साथ घर ले आये। यहीं पर लालन-पालन बच्चों का होने लगा। डी. आर. मनकेकर लिखते है कि "जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे तब उनसे साक्षात्कार के दौरान वह अपने पिता एवं माता की याद करते हुए बताते हैं कि जब मेरे पिता का देहान्त हुआ तो मेरे नाना शीघ्र ही मेरी माँ को अपने घर ले गये और कभी भी ससुराल नहीं भेजा क्योंकि वे अपनी पुत्री के कम उम्र में विधवा हो जाने से बहुत दुखी थे।"[6]

इस संयुक्त परिवार में नाना हजारी लाल मुखिया के रूप में थे। हजारी लाल के भाई, पत्नी, चाचा, चाची, भतीजी, भतीजे, पोतों एवं नातियों से यह परिवार भरा था। आर्थिक दृष्टि से यह परिवार मजबूत एवं सम्पन्न तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपसी भाईचारा व प्रेम सम्बन्ध था। भारत में अधिकांशतः संयुक्त परिवार की प्रथा रही है। आज भी देश में ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह का संयुक्त परिवार पाया जाता है और उनमें अपनत्व की भावना दिखायी देती है। इसी प्रकार लालबहादुर ने भी संयुक्त परिवार का वातावरण पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात इस संयुक्त परिवार में यह रही कि मुखिया के रूप में हजारीलाल ने बहुत अधिक प्यार-मुहब्बत इस परिवार के सभी बच्चों को दिया था। लेकिन नाना हजारीलाल सबसे अधिक लाल बहादुर उर्फ नन्हें को प्यार करते थे। लाल बहादुर के पिता का देहावसान हो जाने के बाद हजारी लाल पिता की कमी का अहसास नन्हें को नहीं होने देना चाहते थे। बच्चे को दुलारते, गोद में खिलाते, उससे खेलते, उसके बोलने पर हंसते। यह सब देख नन्हें की माँ भी अधिक खुश रहती। लालबहादुर की नानी का नाम यशोदा देवी था और यह संयुक्त परिवार मुगलसराय में रहता था। रामदुलारी अभी अपना दु:ख भूली ही थी कि उनके सामने फिर विपदा आन पड़ी। लगभग दो वर्ष के अन्तराल में पिता हजारीलाल की मृत्यु भी 1908 ई. में हो गयी। एक बार फिर परिवार संकट में आ गया। अत: इस संयुक्त परिवार के मुखिया का भार हजारीलाल के भाई ने संभाला। हजारी लाल की मृत्यु से पहले शारदा प्रसाद के भाई एक बार रामदुलारी देवी एवं उनके बच्चों को लेने आये थे, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को ससुराल जाने से यह कहकर मना कर दिया कि वह यहां सुखी रहेगी। हजारी लाल अच्छी तरह समझते थे कि वहाँ जाने पर उनकी पुत्री पति की याद आने पर दुख में रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री ने एक बार कहा था "नाना ने मुझे जो लाड़ दिया, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। सच पूछा जाए तो मुझे शक है कि मेरे अपने पिताजी जीवित होते तो मेरी इतनी

देखभाल करते या नाना के समान मुझे प्यार करते।"[7] रामदुलारी देवी अपने बच्चों के साथ मुगलसराय में रहती थीं। हजारीलाल की मृत्यु होने एवं पारिवारिक समस्याएं उत्पन्न होने के कारण एक बार पुनः शारदा प्रसाद के भाई लेने आये लेकिन रामदुलारी के भाई एवं चाचा ने विदा करने से अस्वीकार कर दिया। अतः यह निश्चित हो गया कि रामदुलारी एवं उनके बच्चों का जीवन इसी परिवार में रहकर बीतना था। लाल बहादुर शास्त्री बताते है कि उनके चाचा लालता प्रसाद एवं रामप्रसाद उन्हें गोदी में उठा लेते थे और खूब प्यार करते थे फिर भी उन्हें ननिहाल में अच्छा लगता था।

रामदुलारी जानती थी कि उनका जीवन सुखी नहीं रह सकता। फिर भी बच्चों को पालने-पोसने में समय बीतता जाता था। एक मात्र पुत्र लालबहादुर से उन्हें बहुत अपेक्षाएं थी कि वह बड़ा होकर घर की जिम्मेदारियां पूरा करने में सक्षम होगा। रामदुलारी ने स्वयं कभी अपने भाइयों एवं चाचाओं से किसी प्रकार की न तो मांग की और न ही उन्होंने अपेक्षा की। वह बहुत ही धैर्य, गम्भीर, एवं उच्च विचारों वाली महिला थीं। युवाकाल में ही उनके सामने विपत्तियाँ आने लगी थीं, और उसे उन्होंने सहजता के साथ बरदाश्त किया था।

दूसरी ओर लाल बहादुर उर्फ नन्हें का जीवन इस परिवार में हँसी-खुशी, चिन्ताओं से मुक्त होकर बीत रहा था। संयुक्त परिवार होने के कारण अनेक बच्चे थे। अतः उनके साथ खेलने कूदने में दिन गुजर जाता था। परिवार में सभी बड़े सदस्य उन्हें बहुत प्यार करते थे। सामान्य रुप से लालबहादुर से जब कोई गलती हो जाया करती थी, तो उन्हें कभी भी किसी प्रकार का दण्ड नहीं दिया जाता था। उन्हें इससे मुक्ति मिल जाती थी। नन्हें इस तरह बच जाने पर खुश हो जाते थे कि उन्हें कोई सजा नहीं दी गई। जबकि परिवार के अन्य बच्चों द्वारा गलती करने पर उन्हें सजा मिलती थी। लाल बहादुर को प्रायः इसलिए छूट मिल जाती थी कि उनके पिता की मत्यु हो चुकी थी और बच्चे से मानवीय तथा भावनात्मक लगाव भी था। लाल

बहादुर उर्फ 'नन्हें' के बारे में यह कथन बार-बार दुहराया जाता था कि छोटा बच्चा है, बिचारे के पिता नहीं है, उन्हें कोई भी परेशान न किया करें। इस कथन के बार-बार प्रयोग किये जाने से उनके मन में यह बात बैठ गई, कि उनके पिता नहीं हैं। अब कोई भी व्यक्ति उन्हें परेशान नही करेगा। अतः एक बार लाल बहादुर ने बचपन में शैतानी करते हुए यह तरीका इस्तेमाल किया, लेकिन परिणाम उल्टा हुआ और नन्हें की पिटाई हो गई।

ब-प्रारम्भिक शिक्षा

भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित था। लार्ड मैकाले की पद्धति पर शिक्षा प्रदान की जाती थी। इसमें सुधार करने के प्रयास अनेक समितियों द्वारा किये गये थे। 20 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भी यह व्यवस्था उच्च वर्ग तक सीमित थी। मध्यम एवं निम्न वर्ग इससे अछूता था। समाज में अभी संस्कृत पाठशालाओं, गुरूकुलों एवं मदरसों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारत के विभिन्न सम्प्रदायों के लोग अपनी इच्छा के शिक्षा केन्द्र में शिक्षा ग्रहण करते थे।

लाल बहादुर उर्फ नन्हें जब चार वर्ष के हो गये, तो उनकी प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्घ किया गया। सामाजिक एवं मुस्लिम परम्परा के अनुसार लाल बहादुर की बिस्मिल्ला बुद्धन मिंया से करायी गयी। इनके साथ लल्लन जी की भी बिस्मिल्ला हुई, जो इसी परिवार के बालक थे। बुद्धन मियां मुगलसराय के निकटवर्ती ग्राम 'पधरा' के रहने वाले थे। यह उर्दू एवं फारसी के अच्छे ज्ञाता थे। बुद्धन मियां हकीमी दवाखाना खोले हुए थे और बच्चों को पढ़ाते थे।

कुछ समय बाद लाल बहादुर को मुगलसराय की प्राथमिक पाठशाला में प्रवेश दिला दिया। वे प्रतिदिन पाठशाला शिक्षा ग्रहण करने जाते और अन्य सहपाठियों के साथ खेलते कूदते घर वापस आ जाते थे। कद छोटा व शरीर दुबला-पतला था। फिर भी लाल बहादुर को खेल का शौक था। पड़ोस के लड़कों को हाकी, फुटबाल खेलता देखकर उनकी खेलने की इच्छा होती, लेकिन

खेल का सामान खरीद पाना सम्भव नहीं था। विद्यालय से भी इतनी सुविधा नहीं मिल पाती थी कि खेल का सामान प्राप्त किया जा सके। अतः प्रिय खेल हाकी व फुटबाल के लिए लाल बहादुर ने एक युक्ति खोज निकाली, वे खजूर के फूलों को इकटठा कर कपड़े से सिलाई करके गेंद बना लेते थे। किसी पेड़ पर चढ़कर पतली डाल काटकर उसमें काट-छाँट कर हाकी बना लेते थे, और घर के सामने मैदान में खेलते थे। आपस में बच्चों के साथ मैच खेलते थे। यहां तक कि स्कूल में सहपाठियों के साथ कई मैच भी खेले।

विद्यालय से लौटने के पश्चात लाल बहादुर आवश्यक कार्य करते, इसके बाद अपने भाई के साथ सॉंयकाल खेलने लगते। परिवार की ओर से भी इसकी छूट मिली हुई थी।

बालकों में यह बात साधारणतः पायी जाती है कि कोई कविता या गीत, जो उन्हें रुचिकर लगती है, और अधिक प्रिय लगती है, उसे बार-बार गुनगुनाया करते हैं चाहे वे एकान्त और शान्त वातावरण में बैठे हों या फिर समूह में। यही स्थिति लाल बहादुर की भी थी। उन्हें गुरू नानक की कविता, जो सबसे अधिक प्रिय लगती थी, गुनगुनाने की आदत पड़ गयी थी। वे बहुधा इस कविता को दोहराते थे।-

नानक नन्हें होइ रहै, जैसी नन्हीं दूब।
और रूख-सूख जायेंगे, दूब खूब की खूब।।

इस कविता का उनके जीवन पर अधिक प्रभाव पड़ा। उनमें नैतिक गुणों का विकास तो हुआ ही साथ ही बचपन से ही अधिक चिन्तनशील व्यक्ति बने।

लाल बहादुर को बचपन की एक घटना ने बहुत अधिक प्रभावित किया। लगभग उनकी आयु आठ वर्ष की रही होगी। अपने मित्रों के साथ एक बाग में पहुँच गये। नन्हें बाग में खड़े हो गये, जबकि सभी साथी बाग में फल तोड़ने लगे। इसी बीच नन्हें ने बाग से एक फूल तोड़ लिया। बच्चों के शोर

को सुनकर बाग का रखवाला वहाँ आ गया। सारे मित्र बाग की दीवार से बाहर की ओर कूदकर झाड़ियों में छुप गये। लाल बहादुर वहीं खड़े रह गये, बाग के रखवाले ने नन्हें को पकड़ कर डाँटा और एक तमाचा भी मार दिया। बालक रोने लगा। उसने शिकायत करते हुए कहा तुमने मूझे क्यों मारा, तुम्हें मालुम होना चाहिए कि मेरे पिता नहीं हैं। इस पर बाग के रखवाले को तरस आया और उसने बालक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि तब तो तुम्हें और भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। लेकिन नन्हें की शिकायत उचित थी क्योंकि फल उसने नहीं बल्कि उसके मित्रों ने तोड़े थे। दूसरी ओर बाग का माली नैतिक रूप से सही था। उसका उद्देश्य यह था कि बच्चे के पिता न होने पर कोई आरोप न लगा सके कि पिताहीन होने की दशा में बालक बिगड़ रहा है। डी. आर मनकेकर का मत है कि ''नन्हें के दिल पर यह बात बैठ गयी कि तब तो तुम्हें और भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। माली की इस विवेकपूर्ण वाक्य को वह बार-बार दोहराते थे।''[8] बालक नन्हें ने यह निश्चय किया कि वह सदैव दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। लाल बहादुर के साथ इस प्रकार कई घटनाऐं हुई जिससे उन्हें अपने जीवन में प्रेरणा मिली। वास्तव में मनुष्य के जीवन में ऐसी घटनाऐं होती रहती हैं जिससे प्रकृति किसी न किसी रूप में शिक्षा प्रदान करती है। बशर्ते कि मनुष्य उसे अपने जीवन में उतारने और उसके अनुसार चलने का प्रयास करें। हरबर्ट स्पेन्सर भी इससे सहमत होते दिखते हैं। वह लिखते हैं ''जब कोई बालक गिर जाता है, अथवा मेज से सिर टकरा लेता है, उसे कष्ट अनुभव होता है जिसकी याद उसे अधिक सावधान बनाती है, और इस प्रकार के अनुभवों को दोहराने से वह अन्त में अपनी गलतियों से उपयुक्त निर्देशन का अनुशासन प्राप्त करता है।''[9]

मुगलसराय में रहते हुए लालबहादुर ने दस वर्ष की आयु में लगभग 1915 ई. में कक्षा छः (6) की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। मुगलसराय में उस समय कोई हाईस्कूल नहीं था अतः आगे की शिक्षा जारी रखने के लिए एक

बार पुनः समस्या दिखायी देने लगी। रामदुलारी देवी प्रत्येक दशा में अपने इकलौते पुत्र लालबहादुर को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थीं। इसके लिए भी रास्ता निकाल लिया गया। बनारस में हाईस्कूल था। अतः बनारस में रहकर लाल बहादुर की शिक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। बनारस में रहकर लाल बहादुर की शिक्षा व्यवस्था का प्रबन्ध किया गया। बनारस में रामदुलारी देवी के जीजा रघुनाथ प्रसाद (लाल बहादुर के मौसा) रहते थे। उन्होंनें लालबहादुर को अपने घर में रखा और हरिश्चन्द्र हाईस्कूल में प्रवेश दिलाकर पढ़ाने लगे।

रघुनाथ प्रसाद बनारस की नगरपालिका में हेडक्लर्क थे और कार्यालय में सभी लोग उन्हें आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते थे। रघुनाथ प्रसाद एक आदर्श गृहस्थ व्यक्ति थे। साथ ही कर्तव्यों के प्रति सचेत रहने वाले भी। इनका दर्शन था, जीवन में निष्काम कर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना। इस प्रकार के चरित्र वाले पुरूष का प्रभाव लाल बहादुर पर पड़ना स्वाभाविक था। "वह मानते हैं कि वह अपने मौसा रघुनाथ प्रसाद के अधिक ऋणी हैं जिनके कारण उनके जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था।"[10]

बनारस में लालबहादुर जिस परिवार में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वह परिवार संख्या की दृष्टि से अधिक बड़ा था। उनमें अन्य सगे-सम्बन्धी एवं अनके बच्चे रहते थे। किसी भी समाज में बड़े परिवार होने की दशा में समस्याओं एवं आर्थिक कठिनाईयों से दोचार होना पड़ता है, लेकिन रघुनाथ प्रसाद ने ऐसी स्थिति पैदा नहीं होने दी। परिवार में होने वाले खर्चो की पूर्ति हेतु उन्होनें भरसक प्रयत्न किया। बिट्रिश काल में सेवा निवृत्ति की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष थी। अतः रघुनाथ प्रसाद जब 60 वर्ष के हुए, तो उन्हें सेवा से अवकाश ग्रहण करना पड़ा। लेकिन उन्होंने परिवार के उत्तरदायित्वों को बखूबी अनजाम दिया और वेतन से कम प्राप्त होने वाली आय को उसी स्तर तक ले जाने के लिए एक दुकान खोल ली। इस प्रकार उनके खाली समय का सदुपयोग भी होने लगा। जबकि वृद्धावस्था में मनुष्य आराम करने की बात

सोचता है, किन्तु रघुनाथ प्रसाद ने जीवन को संघर्षमय बनाने व व्यस्त रहने वाल मार्ग चुना। इन सब बातों का व्यावहारिक अनुभव परिवार में अल्पावस्था से लालबहादुर को प्राप्त होता रहा, जो उनके जीवन के लिए लाभदायक रहा।

रघुनाथ प्रसाद ने लाल बहादुर उर्फ नन्हें को सम्भवतः अपने पास रखकर इसलिए पढ़ाना उचित समझा कि विधवा रामदुलारी देवी का एक पुत्र था तथा उनके पास अन्य कोई साधन नहीं था। साथ ही यह सब लोग समझते थे कि किसी न किसी को नन्हें को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेनी होगी, यदि सभी लोग उसी हालत में छोड़ देंगे तो वंश एवं समाज के लोग व्यंग करेंगे कि एक बच्चे की शिक्षा का भार कोई नही संभाल सका। यदि बालक बिगड़ जाता है तब तो और भी अधिक आपत्तिजनक बातों का सामना करना पड़ेगा। उस समय समाज में मानवीयता, दयालुता एवं उदार भावनाओं को विशेष महत्व दिया जाता था। आज के बदले परिवेश में इन बातों की अधिक कमी पायी जा रही है।

अतः सामाजिक दबाब के कारण खानदान के किसी न किसी व्यक्ति को रखना दयालुता के साथ-साथ मजबूरी भी रही थी। उस परिवार में लालबहादुर कई वर्षो तक रहे। लाल बहादुर को वहां अनेक काम करने पड़ते थे। परिवार के बच्चे उन पर अपना रोब जमाते थे और उन्हे परिवार का भिन्न सदस्य के रूप में देखते थे। आमतौर पर बच्चों में यह धारणा भी होती है कि किसी दूसरे परिवार का व्यक्ति किसी परिवार में जाकर रहने लगता है तो उसे भी परिवार से भिन्नता का आभास होता है भले ही वह उसी वंश का व्यक्ति क्यों न हो। बच्चों के साथ-साथ अपवाद में ऐसे आचरण की महिलाऐं भी पायी जाती है। वास्तव में बच्चा गीली-मिट्टी की तरह होता है उसे जिस सांचे में ढाला जाय, वह ढल जाता है। यदि बच्चा गलती करता है तो परिवार की कहीं न कहीं कमी अवश्य होती है।

लाल बहादुर को विद्यालय जाना होता था, विद्यालय का गृह कार्य

करना पड़ता, घर का काम करना पड़ता, उसके बाद समय मिलने पर वह खेलता था। उसके लिए वह समय निकाल ही लेते थे। लालबहादुर परिवार में कभी-कभी ग्लानि एवं मानसिक पीड़ा का अनुभव करते थे, ऐसी स्थिति में घर से बाहर चले जाते थे। यह समस्या तब उत्पन्न होती थी जब घर में त्यौहारों के समय पकवान बनते थे और उनके साथ भेद-भाव किया जाता। वह बचपन से ही भावुक थे। वह समझते थे कि उन्हें दूसरे की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। रामदुलारी देवी की बड़ी पुत्री सुन्दरी देवी भी लाल बहादुर के साथ कुछ समय के लिए रहीं थी। एक समय की घटना का वर्णन करते हुए कहतीं हैं कि "एक बार सुबह नाश्ते में परिवार के बड़े सदस्यों से पूंछे बिना मैने भैया को सिठौरा लाकर दिया। उन्होर्ने खा लिया और स्कूल चले गये। लेकिन रघुनाथ प्रसाद के परिवार के लोगों ने उन्हें बहुत बुरा-भला कहा, उनके साथ उनके भाई को भी बुरा कहा। जब भैया वापस लौट तो मैं भैया (लाल बहादुर) से बहुत रोयी और सारी घटना बता दी कि किस तरह मुझ पर तुम्हें सिठौरा देने पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। भैया ने मेरे सिर पर हाथ फैरा, और चुप रहे। इस आरोप के जवाब में उन्होने सुबह का नाश्ता करना छोड़ दिया। प्रतिदिन सुबह पानी पीकर रह जाते थे। इसी तरह भैया ने एक वर्ष तक पानी पीकर समय काट दिया।"[11] वास्तव में लाल बहादुर बाल्यकाल से ही स्वाभिमानी थे। उन्होंने यह अहसास दिला दिया कि वह खाने के लालची नहीं है। वह बिना खाये पानी पीकर भी समय काट सकते है। इस घटना से उनकी दृढ़ शक्ति का बोध होता है साथ ही यह भी कि यदि कठिनाईयां भी सामने आ खड़ी हो, तो परिस्थिति अनुसार सहनशील होना चाहिए।

लाल बहादुर को बाल्यकाल से ही अधिक संकट का सामना करना पड़ा था। कभी-कभी उनके साथ ऐसी घटना हो जाती थी कि उन्हें बहुत अधिक दुःखी होना पड़ता था। एक बार उनके साथ परिवार में रह रहे गरीब परिवार के बालक को हैजा हो गया। परिणामतः उसकी स्थिति दयनीय हो गयी

और उसने चारपाई पकड़ ली, उठने तक की शक्ति नहीं रही। उस समय हैजा जैसी बीमारी से बचना बड़ा कठिन होता था। लोग इसे छूत की बीमारी समझते थे। इसी कारण परिवार के लोग उसके पास नहीं जाते थे। नन्हें को उसके पास सेवा-सुश्रषा के लिए भेजा जाता था। रात को भी मरीज के पास लाल बहादुर को लेटना पड़ता था। एक दिन रात को उसकी हालत गम्भीर हो गयी। कुछ देर लड़का तड़पता रहा, फिर मर गया। इस घटना को लाल बहादुर ने देखा, उसके मरने पर वह रोने लगे। परिवार के लोगों ने उस बालक का अन्तिम संस्कार कर दिया। इसके पश्चात लाल बहादुर से कहा गया कि मृत लड़के के सारे कपड़े कुएं पर ले जाकर धोएं। उसके सारे गंदे कपड़े लाल बहादुर ने धोये। और खूब रोये। वह अच्छी तरह से जानते थे कि उनसे यह कार्य क्यों कराया जा रहा है। कुछ समय बाद उनकी माँ भी उस परिवार में बालक की मत्यु का समाचार सुनकर आयी थीं। अपनी मां को देखकर नन्हें उनसे लिपट गये और खूब रोये। लालबहादुर ने पूरी घटना बता दी। लेकिन रामदुलारी देवी मजबूर थी। वह समझती थी कि यदि बालक को साथ वापस ले जाते है तो मुगलसराय में शिक्षा नहीं मिल सकती थी। रामदुलारी देवी के पिता के देहान्त के बाद चाचा घर का खर्चा चला रहे थे। इतनी आमदनी भी नहीं थी कि नन्हें को छात्रावास में रखकर शिक्षा प्रदान की जाय। अतः मजबूर होकर नन्हें को वहीं पर रहना पड़ा। और ईश्वर से नन्हें की कुशलता की प्रार्थना करती रहीं। डी.आर.मनकेकर लिखते है कि "लेकिन हर मुसीबत का कुछ सुपरिणाम भी होता है। अगर लाल बहादुर को बनारस में इतने दुख झेलने पड़े, तो ऐसे अवसर भी थे जब उनका मन प्रफुल्लित हो उठता था। यहीं उन्होंने ऐसे मित्र बनाए जो जीवन भर उनका साथ देते रहे। यही शहर था जिसमें देशभक्ति पूर्ण साहस का वातावरण सब पर छाया रहता था, कर्तव्य भावना उभरती थी, मेधा चमकती थी और जीवन के प्रारम्भिक निर्माणकारी दिनों में इन्हीं सबने उनके चरित्र तथा मस्तिक को दिशा प्रदान की।"[12]

सामान्यत: देखा जाता है कि बालक पिता के अधिक लाड़-प्यार में या फिर पिता के प्यार से वंचित रह जाने पर बिगड़ जाते है लेकिन लाल बहादुर ने यह मार्ग नहीं अपनाया। वह बचपन से ही गम्भीर स्वभाव के हो चले थे। और अपनी जिम्मेदारियों को भी अच्छी तरह समझते थे। लाल बहादुर लगन एवं मेहनत से पढ़ाई करते थे। इस कारण अध्यापक को किसी प्रकार की शिकायत नहीं होने देते। इस कारण अध्यापक इनसे प्रसन्न रहा करते थे। लालबहादुर विद्यालय में भी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देते थे। अनावश्यक रूप से समय बर्बाद नहीं करते थे। अध्यापक के पूछने पर सन्तुलित उत्तर देते थे। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी कहते हैं, ''वह स्कूल में बहुत गम्भीर स्वभाव के माने जाते थे।''[13] लाल बहादुर के स्वावलम्बी, गम्भीर, साधारण होने अन्य छात्रों की तरह धूर्त नहीं होने से अध्यापकों का विशेष लगाव था। डी. आर. मनकेकर लिखते है ''जब लाल बहादुर प्रधानमंत्री बने तो मैं उनसे मिला। वे अपने स्कूल के दिनों की याद करते हुए मुझसे कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरे गुरूजन मुझे इतना अधिक क्यों प्रेम करते थे। वे बहुधा मुझे घर बुलाते थे, तथा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते थे जैसे मैं उनका बच्चा हूँ।''[14]

लाल बहादुर औसत दर्जे के विद्यार्थी थे, और उनका अंकगणित कमजोर था, लेकिन बीजगणित एवं रेखागणित में वह दक्षता रखते थे। अत: बीजगणित एवं रेखागणित के द्वारा अच्छे अंक प्राप्त कर अंकगणित में प्राप्त अंकों की कमी को पूरा कर लेते थे। लाल बहादुर की अंग्रेजी में पकड़ अच्छी थी और यह उनका प्रिय विषय था। निष्कामेश्वर मिश्रा अंग्रेजी पढ़ाते थे अत: वह लालबहादुर के उच्चारण पर विशेष ध्यान देते थे। इतिहास विषय भी उनकी पसन्द का रहा है। जब लाल बहादुर स्कूल में पढ़ते थे, तब शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर आये और वह लालबहादुर की कक्षा में पहुँच गये। उसी समय उनसे अंग्रेजी का पेराग्राफ पढ़ने को कहा। लालबहादुर ने पुस्तक के उस अंश को पढ़ा। इंस्पेक्टर उनके पास आया और पीठ थपथपायी। साथ ही अच्छी

तैयारी व होशियारी के लिए बधाई भी दी। किसी अतिथि या अधिकारी के आने पर बहुधा लालबहादुर को खड़ा कर दिया जाता था। डी0आर0 मनकेकर लिखते है " वह समय लालबहादुर के लिए गर्व का क्षण था, जब उनके अध्यापक ने लालबहादुर को कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी बताया।"[15]

विद्यालयों में आज 'रेगिंग व्यवस्था' ने भयानक स्वरुप धारण कर लिया है यहाँ तक कि छात्र की कभी-कभी रेगिंग के दौरान मृत्यु हो जाती है। अनेक सामाजिक संगठन, विद्यालय प्रशासन व सरकार इस व्यवस्था को समाप्त कराने हेतु प्रत्यनशील है, किन्तु अभी भी सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। यह रेगिंग व्यवस्था बहुत पुरानी है। लालबहादुर जब अध्ययनरत थे तब भी ऐसी स्थिति पायी जाती थी। रेगिंग के समय वरिष्ठ छात्र छोटे एवं नवीन प्रवेश वाले छात्रों का प्रत्येक दृष्टि से उत्पीड़न करते थे। उनके साथ बुरा बर्ताव करते थे। संयोग से लालबहादुर का कद छोटा था, परन्तु वे चिन्तनशील थे। लालबहादुर के साथ किसी भी प्रकार की घटना नहीं हो पायी थी। उनके साथ बड़े छात्रों ने कभी भी अमानवीय व्यवहार नहीं किया था। लालबहादुर का विद्यालय का समय अच्छा गुजरा था। वे स्कूल के दिनों की याद करते हुए कहते हैं कि "मैं भाग्यशाली था कि मेरे सहपाठी मेरे साथ बहुत अच्छा दोस्ताना सुलूक करते थे। ऐसा कोई भी समय नहीं आया कि मेरे बड़े विद्यार्थियों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया हो या मुझ पर दबंगी दिखाई हो।"[16]लालबहादुर के सम्बन्ध में दिलचस्प बात यह है कि विद्यालय में वह अध्ययन पूर्णमनोयोग, शान्त एवं गम्भीर रुप से करते थे, किसी भी विषय को बार-बार पढ़ते थे, जब तक कि वह उनको पूर्णरुपेण याद नहीं हो जाता था या फिर उसे अच्छी तरह समझ नहीं लेते थे। उसके बाद ही वह अगले अध्याय पर ध्यान देते थे। इस प्रकार उनकी अच्छी तैयारी हो जाती थी।

लाल बहादुर के लिए कई दृष्टि से यह विद्यालय लाभदायक रहा। सर्वप्रथम तो यह संस्था प्रदेश में ख्याति प्राप्त थी। इस संस्था ने अनेक छात्र

ऐसे प्रदान किये जो देशभक्त तथा राष्ट्रवादी नेता बने। इस विद्यालय के अध्यापकों ने भी छात्रों को देशभक्त बनाने का सम्पूर्ण प्रयास किया। लाल बहादुर के लिए यह सवप्रर्थम विद्यालय था, जहां उनके मन में पहली बार देशभक्ति की भावनाऐं पैदा हुई।

हरिश्चन्द्र हाईस्कूल बनारस में लाल बहादुर के गुरू निश्कामेश्वर मिश्रा थे, जो गणित एवं अंग्रेजी विद्यार्थियों को पढ़ाया करते थे। वह कक्षा अध्याापक भी थे। उनका दुबला-पतला शरीर औसत दर्जे का कद, आँखों में चमक मूंछे व बाल पीछे को मुड़े हुए थे, जो देखने में अच्छे लगते थे। मिश्रा प्राचीन हिन्दु परम्पराओं के सम्बन्ध में अच्छा ज्ञान रखते थे। इस तरह उन बालकों के लिए अध्यापक निश्कामेश्वर मिश्रा नेता, आदर्श, आचार्य, उपदेशक, मित्र, मार्गदर्शक और दर्शनशास्त्री थे। वे सदैव प्रयत्नशील रहते थें कि सभी युवाबालकों को अच्छी शिक्षा पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त समझाकर प्रदान की जाय। वह छात्रों की सभी शंकाओं का समाधान करने को तत्पर तैयार रहते थे। यहाँ तक कि विद्यालय के अन्य कक्षा के छात्र उन्हें देखकर उनके पीछे-पीछे कक्षा में आ जाते थे। निश्कामेश्वर मिश्रा देशभक्तों, भारतीय महाकाव्यों, संतो, ऋषियों और दार्शनिकों के सम्बन्ध में जानकारी देते थे। अंग्रेजों से संघर्ष कर रहे राष्ट्रवादी नेता विपिन चन्द्र पाल, बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले एवं गांधी के विचारों से अवगत कराते थे। वे तिलक के बारे में जानकारी देते, कि वे किस प्रकार अकेले बहादुरी के साथ विदेशी शासन से लड़ रहे हैं। छात्रों के मन को तिलक के इस नारे ने अधिक प्रभावित किया था।''स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।'' यह सब निश्कामेश्वर मिश्रा की प्रदत्त शिक्षा एवं कुशल योग्यता का परिचायक है।''मनकेकर लिखते है,'' इन सबसे अधिक लाल बहादुर के लिए वह पितृतुल्य मित्र, पथप्रदर्शक तथा विचार प्रेरक भी थे। जिन्होंने संवेदनशील युवा के जीवन का संचालन अपने हाथ में लेकर उसमें भावी महानता के बीज बोये।''[17]

निष्कामश्वेर मिश्रा की विशेषता यह थी, कि सामान्यतः प्रत्येक दिन वादन पूरा होने से पहले अध्याय पढ़ा लेते थे। बाकी बचे हुए समय में वह छात्रों को देशभक्ति व अन्य सामान्य जानकारी वाली घटनाओं से अवगत कराते थे। ऐसी बातों का लाल बहादुर पर अधिक प्रभाव पड़ा था। लालबहादुर ने बनारस में महात्मा गाँधी के भाषण सुने थे। इनसे भी लाल बहादुर प्रभावित हुए थे। शशि अहलूवालिया लिखती है, ''लाल बहादुर ने गाँधी जी को सन् 1916 ई. में पहली बार देखा था।''[18] इस प्रकार लाल बहादुर राष्ट्रवादी नेताओं के भाषण सुनकर देश भक्त एवं सामाजिक विचारधारा के व्यक्ति बने। निष्कामेश्वर मिश्रा भी छात्रों को स्काउटिंग, यात्राओं धार्मिक पर्वो के मेलों में ले जाते थे जिनसे छात्र अधिक प्रेरित होते थे। ''निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र वस्तुतः सच्चे अर्थों में गुरू थे। अपने छात्रों को जीवन के हर संभव क्षेत्र में मार्ग दर्शन करना वह अपना कर्तव्य मानते थे।''[19]

उस समय विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता था। विद्यालय में खेलकूद, स्काउट तथा नाटक खेले जाते थे। नाटकों में भाग लेने का शौक लाल बहादुर को भी था। वे कोई न कोई अच्छे किरदार (पात्र) की भूमिका अदा करते थे या फिर किसी नैतिक चरित्र के धनी राजा–महाराजा का नाटक खेला जाता था। महाभारत नाटक का मंचन भी खूब हुआ करता था। लाल बहादुर कृपाचार्य की भूमिका अदा करते थे। यह पात्र महाभारत काल का बड़ा राजनीतिज्ञ एवं सलाहकार था, और कौरव व पांडवों दोनों के द्वारा सम्मानित व्यक्ति था। लाल बहादुर ने एक बार धोबी का किरदार अदा किया था। सिर पर बड़ी पगड़ी बाँधे, मैले–कुचेले कपड़ों का गट्ठर लादे हुए देहाती अभिनय प्रदर्शित किया था। साथ ही पूरबी क्षेत्रीय भाषा में 'बिरहा' गीत सुनाकर सभी सुनने वाले दर्शकों का मंत्र मुग्ध कर दिया था। इसके अतिरिक्त लाल बहादुर ने 'ब्वाय स्काउट आन्दोलन' से सम्बन्ध बनाये। यह बेडेन पावेल की 'भारत सेवा समिति' से जुड़ी हुई थी। किन्तु इसे सरकारी

सहायता प्राप्त नहीं होती थी। लाल बहादुर स्काउट के कार्यक्रमों में अपने शिक्षक निष्कामेश्वर मिश्रा के साथ बाहर जाते थे। खुले मैदान में कैम्प लगाये जाते थे। विदेशियों के शासन तथा भारत को दासता से मुक्त कराने सम्बन्धी वार्तालाप छात्रों का विषय बना रहता था।

निष्कामेश्वर मिश्र अपने छात्रों को पर्यटक स्थल, मेला आदि स्थानों पर घुमाने ले जाया करते थे। एक बार बनारस में नदी पर मेला लगा हुआ था। निष्कामेश्वर मिश्रा ने छात्रों से अगले दिन मेला घूमने की घोषणा की और कहा "मेला घूमने हेतु कुछ पैसे अवश्य लाऐ।" छात्र दूसरे दिन तैयार हुए। लेकिन लाल बहादुर ने इस पर प्रसन्नता व्यक्त नहीं की। यह बात उनके गुरू को आश्चर्यजनक लगी कि बच्चों में मेला घूमने की उत्सुकता अधिक होती है फिर यह बालक चुप क्यों है। गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा को समझते देर नहीं लगी कि सम्भवतः लाल बहादुर के पास पैसे नहीं हैं दोबारा चलने को कहा तो नकारात्मक उत्तर मिला। गुरू ने समझ लिया छात्र मन से व्यथित है लेकिन स्वाभिमान उसे झूठ बोलने पर मजबूर कर रहा है। इस घटना के समय तक निष्कामेश्वर मिश्रा–लाल बहादुर की परिवारिक पृष्ठभूमि के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं जानते थे। अतः गुरू के मन में भी लाल बहादुर तथा उनकी घरेलू परिस्थितियों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। मेला से वापस आने के बाद सभी छात्र अपने घर चले गये।

निष्कामेश्वर मिश्रा ने लाल बहादुर से शनैः शनैः सब कुछ पूंछ लिया। परिवार की स्थिति का भी ज्ञान हो गया। निष्कामेश्वर मिश्रा लाल बहादुर को साथ लेकर घर पहुँचे। उनकी पत्नी ने समझा कि शायद घर के काम–काज के लिए इस बालक को लाए हैं फिर भी असमंजस की स्थिति बनी थी। रहस्य को खोलते हुए गुरू ने लाल बहादुर को अपनी पत्नी की गोद में बैठा दिया और कहा कि आज से हमारे चार बेटे हुऐ। पत्नी जिन्हें भावो कहकर पुकारते थे, उनका आशय समझ गई।

लाल बहादुर बचपन से ही शान्त, गम्भीर एवं शर्मीले स्वभाव के थे। अतः इस भोले-भाले चेहरे को देखकर भावो अधिक प्रभावित हुई। अतः लाल बहादुर के प्रति दयाभाव उमड़ आया। यह स्थिति प्रत्येक स्त्री के लिए तब बन जाती है, जब वह किसी असहाय, सरल स्वाभाव वाले बालक को देखती है। भावो ने लाल बहादुर को तब से चौथे पुत्र के रूप में ही प्यार दिया। प्रतिदिन उनके लिए कोई न कोई प्रिय खाने की चीज बनती। लाल बहादुर को अपने सामने भोजन करातीं तथा विभिन्न प्रकार की बातें करतीं, जो उन्हें अच्छी लगती थीं। निष्कामेश्वर मिश्रा के पुत्र भी लाल बहादुर के साथ बड़े भाई की तरह व्यवहार करते थे। उनकी बातों का सम्मान करते थे तथा साथ खेलते भी थे।

लाल बहादुर का कुछ समय तो सुखद रहा, किन्तु जैसे ही उस छोटी सी अवस्था में उन्हें अनुभूति हुई। उन्होंने गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा के घर जाना छोड़ दिया। वह गरीब परिवार से थे, पर स्वाभिमानी भी थे। उनके विवेक ने कभी यह स्वीकार नहीं किया कि किसी की दया व कृपा के सहारे रह कर काम चलाया जा सकता है। वह अनुचित कार्यो से दूर रहना पंसन्द करते थे। यह बात गुरु और उनकी पत्नी भावो को भी अजीब लगी, परन्तु वास्तविकता उनकी समझ में आ गई। लालबहादुर के गुरु ने अपने घर पुनः आने-जाने के लिए रास्ता निकाल लिया। लालबहादुर के गुरु उनके अभिभावक के पास घर पहुँचे और कहा कि लालबहादुर मेरे बच्चों को टयूशन पढ़ा दिया करें क्योंकि मेरे पास समय इतना नहीं है कि उनकी पढ़ाई देख सकूँ। लालबहादुर ने इसे आदेश मानते हुए गुरुजी के बच्चों को पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया। प्रतिदिन भावो भोजन खिलातीं और विशेष अवसरों पर पकवान व मिष्ठान भी खिलातीं थीं। टयूशन पढ़ाते हुए एक माह बीता तो भावो ने फीस लालबहादुर को दी उन्होनें लेने से यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि यह मेरे भाई है अतः इस कारण मेरे लिए पैसा लेना अनुचित होगा।

इस घटना की जानकारी निष्कामेश्वर मिश्रा को हुई। उन्होंने इसका

हल ढूंढ़ लिया और टयूशन फीस प्रत्येक माह की अलग रख दी जाती थी, यह काम भावो को सौंपा गया कि वह इस बात का ध्यान रखें कि महीना पूरा होने पर लालबहादुर की टयूशन फीस अलग रख दी जाय। समय बीतता गया कई वर्ष गुजर गये टयूशन फीस की रकम भी अधिक हो गयी। लालबहादुर की बहिन की शादी का समय आ गया। भावो ने उनकी मां रामदुलारी देवी को रुपया 900.00 दिया। लालबहादुर की मां ने इसे सहायता राशि समझ कर लेने से इन्कार कर दिया। गुरु निष्कामेश्वर मिश्रा की पत्नी भावो ने विश्वास दिलाया कि यह लालबहादुर की टयूशन फीस है जिसे उसने लेने से इन्कार कर दिया था। मैं स्वयं इस पैसे का प्रयोग नहीं कर सकती। अन्त में रामदुलारी देवी ने वह पैसा रख लिया जिसे अपनी लड़की के विवाह में लगाया।

लालबहादुर गुरु मिश्रा जी के परिवार के अभिन्न सदस्य हो गये थे पत्नी भावो भी लालबहादुर से अधिक प्रेम करने लगी थी, मनकेकर लिखते है "लालबहादुर के भोले चेहरे और शरमीले स्वभाव का भावो पर बहुत असर पड़ा।"[20]

लालबहादुर को तैरने का बेहद शौक था। बहुधा तालाब व नदी में तैरते थे। इस प्रकार वह कुशल तैराक हो गये थे। एक समय वह तालाब में गुरु मिश्रा जी की छोटी लड़की को पीठ पर बैठाये तैर रहे थे। उन्हें और बालिका को भी खूब आनन्द आ रहा था। लालबहादुर को तैरते समय ऐसा लगा कि वह गहरे पानी में चले गये है, उन्हें डर लगने लगा, संतुलन भी बिगड़ गया, लगा कि लड़की पानी में डूब न जाये। किन्तु सूझ-बूझ के साथ तैरते हुए किनारे आ लगे। यदि होश गुम हो जाते तो किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना घट सकती थी।

बनारस में मेला लगा हुआ था। लालबहादुर अपने मित्रों के साथ गंगा नदी पार करके मेला देखने गये। इन सभी साथियों के साथ मेला पूरे दिन देखा,

घूमा, वापस घर जाने का समय आया तो मित्रों से कह दिया तुम लोग चलो, मैं अभी मेला कुछ देर तक और देखूंगा सभी मित्र वापस आ गये। जब अंधेरा हुआ तो लालबहादुर घर की ओर चल दिये। गंगा नदी को तैर कर पार किया और घर आ गये। वास्तव में लालबहादुर ने मित्रों के साथ घर न जाने तथा और अधिक मेला घूमने का बहाना बनाया था क्योंकि नाव से गंगा पार जाने हेतु पैसे नहीं थे। वह मित्रों को इस बात का एहसास भी नही होने देना चाहते थे कि अब घर जाने के लिए नाव वालों को देने के लिए पैसे नहीं बचे है। यह घटना लालबहादुर को स्वाभिमान से जीने, किसी पर बोझ नहीं बनने तथा विवेक से काम लेने का प्रमाण प्रस्तुत करती है। लेकिन इसके सम्बन्ध में लोगों की धारणा गलत है कि लालबहादुर के पास पैसे नहीं होने के कारण वह स्कूल जाने हेतु नदी तैर कर पार करते थे। साक्षात्कार पर आधारित ग्रंथ 'लालबहादुर शास्त्री' में लेखक डी.आर. मनकेकर कहते है " यह कहानी एकदम झूठ है कि वह तैर कर नदी पार करके स्कूल जाते थे क्योंकि उनके पास उतराई देने का पैसा नहीं था। कभी-कभी पैसा न होने पर उन्होंने नदी तैर कर जरुर पार की थी किन्तु ऐसा अकसर नहीं होता था।"[21]

लालबहादुर बचपन से ही ईमानदार थे वह सदैव सत्य बोला करते थे। इससे इनके सहपाठियों में भी विश्वास पैदा हो गया था कि लालबहादुर कभी झूठ नहीं बोलते और न ही किसी को धोखा दे सकते हैं। लालबहादुर को साथियों से अपेक्षा से अधिक व्यवहार मिला। लालबहादुर के सहपाठी एवं अच्छे मित्र अलगुराय शास्त्री, त्रिभुवन नारायण सिंह, राजाराम शास्त्री, प्रहलाद प्रसाद, नारायण तिवारी, विभूति मिश्र, मन्मथनाथ गुप्त, लीलाधर शर्मा एवं सुमंगल प्रकाश थे। यह सब देश भक्ति से ओत-प्रोत थे और उस समय होने वाली घटनाओं तथा ब्रिटिश सरकार विरोधी बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार किया करते थे। यह सभी हरिश्चन्द्र हाईस्कूल बनारस में पढ़ने वाले छात्र थे जो बाद को इण्टर कालेज में परिवर्तित हो गया। इस स्कूल के प्रधानाचार्य बेनी

प्रसाद गुप्त थे।

लालबहादुर को अंग्रेजी जैसे विषय में रुचि होने के साथ-साथ शेर व शायरी का लगाव था। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा उर्दू से हुई थी। इसलिए उनकी ज़बान पर कई शेर चढ़े हुए थे। उनके मित्र अलगुराय शास्त्री बताते है कि " कई शेर ऐसे हैं कि स्कूली जीवन में लालबहादुर अधिक पढ़ा करते थे।"[22] जो निम्न है-

गुजरना जब वहाँ, दम भर ठहरना, फिर चले जाना ।
अगर बूए-बफा आये तुम्हें गोर-ए-गरीबां में ।।
तुम्हारे नाम की माला जपी जाती है देखो तो ।
मुसलसल दसहाये अश्क मेरी चश्म-गिरियों में ।।
कोई नासूर बेशक है जिगर में हो कि दिल में हो।
बराबर खून बहा जाता है मेरी चश्म गिरियों में ।।
अमन-एतबार अहले दुनिया के नहीं मुझको पसन्द ।
मैं तो मिल लेता हूँ लेकिन दिल मेरा मानता नहीं ।।

लाल बहादुर स्कूली जीवन में जिन गजलों को पसन्द करते थे, और बार-बार गुनगुनाते रहते थे। वह वास्तव में उनकी जिन्दगी का आईना बनकर सामने आती है। चूंकि वह साधारण एवं गरीब परिवार से थे, उन्होने बहुत दुखः दर्द का सामना किया था। यह शेर भी उसी का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं साथ में नैतिक सन्देश भी देते हैं। लालबहादुर अल्पायु में ही सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की बात सोचते थे। इसके साथ यह भी ज्ञात होता है कि वह एकाकीपन को महत्व अधिक देते थे। लालबहादुर यह भी समझते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सदैव एक सा नहीं रहता है। यदि वह मेहनत लगन और ईमानदारी से कार्य करता है तो उसके भी दिन बहुर सकते हैं।

लालबहादुर प्रारम्भिक अवस्था से ही भावुक एवं विवेकशील थे लेकिन इनको उत्तम दर्जे का बालक बनाने एवं संवारने में गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा का सहयोग अधिक रहा। उन्होंने जहां पर जैसे भी सम्भव हुआ, आवश्यकतानुसार लालबहादुर के गुणों को और भी बढ़ाने का कार्य किया। इसके साथ लाल बाहदुर के आचरण में उत्तरोतर वृद्धि हुई, इसमें किसी सीमा तक रघुनाथ प्रसाद का भी येागदान भी रहा था। लालबहादुर के आजीवन मित्र एवं सहपाठी कंहते है ''उस उम्र में भी लालबहादुर की ऊपरी कोमलता और सरलता के नीचे कठोर, न झुकने वाली दृढ़ता छिपी थी। लड़कों से बहस करते समय, आमतौर पर तर्क और समझाने के ढ़ंग के बल पर वह अपनी बात मनवा लेते थे। वह अपने निश्चय के पक्के थे।''[23]

स. उच्च शिक्षा एवं समस्याऐं

लालबहादुर को पुस्तकें पढ़ना प्रिय लगती थी। उन्हें जहां कहीं से कोई पुस्तक हाथ लगती, उसे आत्मसात करने का प्रयास करते। उनसे प्राप्त सदगुणों को अपने आचरण एवं व्यवहार में लाते। लाल बहादुर अभी हरिश्चन्द्र हाईस्कूल में अध्ययनरत थे कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के विरोध में असहयोग आन्दोलन की घोषणा 1920 ई. के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्राप्त अधिकार के आधार पर कर दी। महात्मा गांधी ने वस्तुओं का बहिष्कार, अदालतों, स्कूलों का बहिष्कार तथा सरकारी दफ्तरों से बहिष्कार का आग्रह किया।

लाल बहादुर के सामने शिक्षा का अवरोध होता दिखाई दिया किन्तु उन्होंने देशभक्त होते हुए महात्मा गांधी के असहयोग आन्दोलन में भाग लेना उचित समझा। ''1920 ई. में गांधी जी दोबारा बनारस आये, और सत्याग्रह, स्वराज्य तथा अहिंसा पर भाषण दिये। लालबहादुर ने उनके भाषणों को ध्यान से सुना और बहुत अधिक प्रभावित हुए। इसलिए उन्होंने उनके पद चिन्हों पर चलने का निर्णय लिया।''[24] महात्मा गांधी के आवाहन पर बनारस हिन्दु

विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। इनके आचार्य जीवतराम भगवान दास कृपलानी ने नगर में भ्रमण कर छात्रों से अपील की कि वह स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लें। अतः छः विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया। इनमें अलगू राय शास्त्री, त्रिभुवन नारायण सिंह व लाल बहादुर थे। डी. आर. मनकेकर लिखते है "इस निर्णय से लाल बहादुर के भविष्य की सारी योजनाऐं बेकार हो गयी। इनके चाचा एवं अन्य रिश्तेदारों को काफी धक्का पहुंचा, और माँ का तो दिल ही टूट गया। क्योंकि लाल बहादुर उनके एक मात्र ही पुत्र थे।"[25] रतूड़ी का विचार है " गांधी जी की ललकार से शास्त्री जी फड़क उठे। इस समय वह 16-17 वर्ष के थे। स्कूल छोड़ दिया और स्वतंत्रा आन्दोलन में कूद पड़े।"[26]

लाल बहादुर को सभा करने के आरोप में जेल भेजा गया और उन पर बिना मुकदमा चलाये रिहा कर दिया गया। लाल बहादुर को असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण शिक्षा छोड़नी पड़ी। जब कि उनके सामने घर का दायित्व, बहिनों का विवाह करना जैसी समस्याऐं भी थी। वह मन ही मन विचार करते कि क्या उन्होंने जो कुछ किया वह इन परिस्थितियों में सही था। या फिर जल्दबाजी में यह गलत कदम उठा लिया। पुनः उनके मन में विचार आया कि इस प्रकार वह जीवन में कुछ भी नहीं पा सकेंगे। फिर शान्त मन से लाल बहादुर ने पक्षपात रहित होकर विचार किया कि वास्तव में ऐसी परिस्थितियों मैं उन्हें क्या करना चाहिए था। जब पारिवारिक उत्तरदायित्व, गरीबी एवं देश को स्वतन्त्र कराने के लिए आन्दोलन में भाग लेना एवं शिक्षा को आगे जारी रखना, जैसी समस्याऐं एक साथ सामने खड़ी हों तथा प्रत्येक की अनिवार्यता व उसे हल करना भी उनका कार्य हो। इस प्रकार लाल बहादुर के मन में विचार बराबर चुभन पैदा करते थे। किन्तु लाल बहादुर ने निष्कर्ष निकाला कि अभी उन्होंने जो निर्णय लिया वह उनके अनुसार पूरी तरह से उचित एवं सही है।

लाल बहादुर के इस निर्णय को परिवार के सभी लोगों ने अनुचित माना। यहाँ तक कि उन्हें नालायक तक कह डाला, जिसने पढ़ाई का एक वर्ष गवाँ दिया, लाल बहादुर के गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा को ज्ञात हुआ तो उन्होंने भी लाल बहादुर को प्रत्येक दृष्टि से समझाने का प्रयास किया। बहनों की शादी, परिवार की जिम्मेदारी का अहसास दिलाया। गुरू की सभी बातें मानते हुए भी आन्दोलन से अलग होना स्वीकार नहीं किया। एक मात्र लाल बहादुर की माँ रामदुलारी देवी ने उनको इतना कहा कि कोई भी कदम सोच विचार कर उठाओ और फिर कदम आगे बढ़ाकर पीछे मत हटो। इससे लाल बहादुर को राहत तथा विचारों को दृढ़ता प्राप्त हुई, कि उनकी माँ ने उन पर विश्वास किया।

असहयोग आन्दोलन के समय स्कूलों का बहिष्कार तो किया गया था किन्तु युवाओं के सामने विद्यालय में प्रवेश लेने व शिक्षा ग्रहण करने की समस्याएं उत्पन्न होने लगीं। भारतीयों ने आन्दोलन के समय इस समस्या का हल निकालने का प्रयास किया था, जिससे अंग्रेजों द्वारा पोषित, सरकारी विद्यालयों को छोड़कर आये छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। अतः भारत के बड़े-बड़े नगरों में विद्यापीठ एवं शिक्षा केन्द्र स्थापित किये गये। जो छात्र आन्दोलन में भाग लेते थे, बहिष्कार कर स्कूल छोड़ देते थे। उन्हें इन सरकारी विद्यालयों में प्रवेश नहीं दिया जाता था। असहयोग आन्दोलन के समय राष्ट्रवादी अध्यापकों ने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया था अतः उनकी भी अपनी एक समस्या बन गई थी। रतूड़ी का विचार है "हेडमास्टर लोग इन नौजवानों को भरती करने में बहुत घबराते थे। उन्हें डर रहता था कि इससे कहीं अंग्रेज नाराज न हो जाएं। इसलिए वे इन नौजवानों को भरती नहीं करते थे।"[27]

बनारस में काशी विद्यापीठ के नाम से शिक्षा केन्द्र खोला गया। लाल बहादुर ने भी इस विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया। इसके अतिरिक्त उन विद्यार्थियों को भी प्रवेश मिला, जिन्होंने असहयोग आन्दोलन के समय बहिष्कार किया था। काशी विद्यापीठ में अध्यापन हेतु देश के महान बुद्धिजीवी, शिक्षाविद एवं

देशभक्त थे। इस संस्था के प्रथम प्रधानाचार्य, प्रख्यात विद्वान और दार्शनिक डा. भगवानदास थे। काशी विद्यापीठ में आचार्य नरेन्द्र देव, जीवतराम भगवानदास कृपलानी, श्री प्रकाश, तथा डा० सम्पूर्णानन्द थे। काशी विद्यापीठ में प्रारम्भ में लगभग 80 छात्र होंगे। छात्र की संख्या कम होने के कारण सभी लोगों में आत्मीयता थी। शिक्षक भी छात्रों से निकटता के सम्बन्ध बनाये हुए थे। शिक्षा पूरी करने के पश्चात विद्यापीठ से निकले छात्र कांग्रेस में जगह पाते थे और उच्च पद प्राप्त करते थे।

काशी विद्यापीठ में शिक्षा का स्तर आधुनिक था किन्तु शिक्षा गुरूकुल पद्धति के अनुसार होती थी। राष्ट्रभक्त छात्र वाद-विवाद में भाग लेते। देश को स्वतन्त्र कराने के लिए कौन सा रास्ता उचित है, हिंसा या अहिंसा। भारत में बड़े उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिए या कुटीर उद्योग की। किन उद्योगों से अच्छा उत्पादन एवं लोगों को अधिक से अधिक रोजगार प्राप्त हो सकेगा। इस सम्बन्ध में उत्सुकता पूर्वक लाल बहादुर बहस में भाग लेते थे, और वह अपने तर्क बड़े उद्योगों को स्थापित करने के पक्ष में रखते थे। उनका विचार था कि आर्थिक योजनाऐं एवं कार्यक्रम इस प्रकार की हो,जोएक-दो वर्ष के भीतर फलीभूत हो। विद्यापीठ के छात्र टॉलस्टाय, लेनिन, विवेकानन्द तथा रामकृष्ण परमहंस से सम्बन्धित ग्रंथों का अध्ययन करते थे। डी. आर मनकेकर लिखते है " लाल बहादुर ने विद्यापीठ में चार वर्ष बिताए और इस बीच जितना ज्ञान तथा मानवीय सम्बन्धों की जितनी अधिक जानकारी हासिल की जा सकती थी, उन्होंने की। वह पाठ्य पुस्तकें चाट गए, बाहरी किताबें जितनी मिली पढ़ गये और पाठयक्रमेतर कार्यक्रमों में पूरी तरह शामिल हुए।"[28]

लालबहादुर को काशी विद्यापीठ जाने के लिए लगभग 10 (दस) किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, और वह भी सदैव घर से विद्यापीठ तक पैदल जाया करते थे। इतने सक्षम भी नहीं थे कि एक साईकिल खरीद सकें ताकि विद्यापीठ पैदल न जाना पड़े। फिर भी लाल बहादुर ने शिक्षा अनेक

कष्टों को झेलते हुए प्राप्त की।

लाल बहादुर को बौद्धिक एवं दार्शनिक रूप से डा. भगवानदास ने प्रभावित किया था, जो काशी विद्यापीठ के प्रधानाचार्य एवं दर्शनशास्त्र आचार्य थे। इस सम्बन्ध में हरिराम मित्तल लिखते हैं " शास्त्री जी की रूचि तो दर्शन में थी ही, जब डा. भगवानदास का सहयोग मिला तो सोने में सुहागा हो गया। चार वर्ष तक शास्त्री जी ने दर्शन और संस्कृत का गम्भीर अध्ययन किया।"[29] लाल बहादुर उनकी प्रशंसा एवं महान विद्वता के बारे में बताते हैं, डॉ. भगवानदास अद्वितीय व्यक्तित्व वाले, शारीरिक रूप से सौन्दर्य, साधारण रहन-सहन एवं उच्च आदर्श वाले व्यक्ति थे। डा. भगवानदास 'समन्वयवाद' के द्वारा जीवन में निकटता लाने का विचार रखते थे। जो दार्शनिक विचार द्वारा विरोधी विचारों का मेल कराता है, दोनों पक्षों को ध्यान पूर्वक समझता है। और मतैक्य के बिन्दुओं को अपनाता है। लाल बहादुर ने स्वयं 'समन्वयवाद' के द्वारा मस्तिष्क में उठने वाले अन्तर्द्वन्दों का समाधान किया है वे स्वयं इस बात को स्वीकार करते है।

लाल बहादुर ने दर्शनशास्त्र के अनेक नियमों को अपने जीवन में अधिक उपयोगी बनाने का प्रयास किया। उन्होंने सदैव अपने व्यक्तिगत जीवन तथा राजनैतिक जीवन में नियमों का पालन करने, तटस्थ रहने व अपने को गुटबन्दी से बचाये रखा और उनकी चालबाजी से दूर रहे। उन्होंने अपने आपको इस प्रकार व्यवस्थित रखा कि गन्दी राजनीति में भी उन पर कहीं से किसी प्रकार का कोई धब्बा न लग सके, यहाँ तक कि दूषित राजनीति में भी कुशलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया। पुखराज जैन का विचार है "लाल बहादुर के व्यक्तित्व पर किसी प्रकार का आरोप आना बहुत ही दुष्कर एवं कठिन कार्य है।"[30]

काशी विद्यापीठ में छात्रावास की व्यवस्था थी। बहुत से छात्र उस छात्रावास में रहा करते थे। जो छात्र सक्षम नहीं थे कि वे छात्रावास की फीस

देकर रह सके। वह दोपहर का भोजन स्वयं बनाते थे और शाम को वापस घर चले जाते थे। छात्रों ने इसके लिए एक समिति बनायी थी। यह समिति प्रत्येक दिन अपना-अपना खाना पकाने सम्बन्धी कार्य करती थी। अधिकांशतः खाने में दाल बनने के कारण इसे 'दाल फेडरेशन' नाम दे दिया गया। लाल बहादुर इसके सदस्य थे। वह दाल-रोटी बनाते तथा सभी छात्रों के साथ बैठकर भोजन करते। दिनभर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर वापस चले जाते। लाल बहादुर कक्षा की पढाई के बाद गर्मियों में पेड़ के नीचे तथा जाड़ों में धूप में बैठकर अध्ययन करते थे। लाल बहादुर में पढ़ने की रूचि प्रारम्भ से जो बनी, वह अन्त तक बनी रही। उनको दर्शन शास्त्र की जो भी पुस्तक हाथ लगती, उसे पढ़े बिना नहीं छोड़ते थे।

लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में लगभग चार वर्षों तक अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी की उपाधि प्राप्त की। वह और (प्रसिद्ध समाज शास्त्री प्रोफेसर राजाराम शास्त्री) दो विद्यार्थी थे, जिन्होंने सम्मानजनक शास्त्री की उपाधि काशी विद्यापीठ से 1926 ई. में प्राप्त की। इसी के बाद लाल बहादुर के नाम के साथ 'शास्त्री' शब्द जुड़ गया। बहुधा लोग उनके शास्त्री उपनाम के साथ जुड़ा होने पर ब्राहम्ण समझ बैठते थे, जिससे उनकी जाति के बारे में भ्रम की स्थिति बन जाती थी। जबकि वे कायस्थ परिवार से आते हैं।

लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पढ़ाई बड़ी कठिनाईयों में पूरी की, अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा किन्तु शिक्षा प्राप्त करने में हिम्मत नहीं हारी। रतूड़ी का विचार है कि ''वे कठोर परिश्रमी थे, उस समय शास्त्री जी को केवल 2.5 रुपये महीने पर गुजर चलानी पड़ती थी।''[31] विषम परिस्थितियों में बहुधा ऐसा होता है कि सुविधाऐं उपलब्ध नहीं होने की दशा में विद्यार्थी शिक्षा पूरी नहीं कर पाता अथवा वह मजबूरी में शिक्षा छोड़ देता है, परन्तु लाल बहादुर ने शिक्षा में दिलचस्पी बनाये रखी तथा उत्तम शिक्षा ग्रहण की।

विद्यापीठ से जब लाल बहादुर निकले तो अधिकतम ज्ञान का भंडार लेकर।

लाल बहादुर का प्रारम्भिक जीवन अनेक कठिनाईयों में बीता। जब वह डेढ़ वर्ष के बालक थे, तब उनके पिता का देहावसान हो गया था। ऐसी परिस्थितियों में अधिकांश बालक बिगड़ जाते है, उनका जीवन उद्देश्यहीन हो जाता है, वह समाजोपयोगी, देशसेवक नहीं बन पाते, किन्तु लाल बहादुर में कोई भी बुरे लक्षण नहीं पाये गये। उन्हें माता एवं परिवार के अन्य वृद्ध लोगों के नैतिक निर्देश प्राप्त होते रहे। तीन वर्ष की अवस्था में लाल बहादुर के साथ गंगा में खो जाने की घटना हुई थी, जो अपने आप में रहस्यपूर्ण व आश्चर्यजनक है। यह घटना सिद्ध करती है कि लाल बहादुर में एक महान पुरूष बनने के लक्षण छिपे हुए थे। प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त मौसा के घर रहकर हाईस्कूल की शिक्षा ग्रहण करना व अनेक कठिनाईयों का सामना करना उनके दृढ़ व्यक्तिव को प्रदर्शित करता है। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं "इस प्रकार शिक्षा में अपनी लगन बनाए रखते हुए उस लड़के ने, जिसे रिश्तेदारों ने नासमझ, नालायक, स्वार्थी और अनुन्तरदायी आदि कहा था, पारिवारिक जिम्मेदारियों की उपेक्षा नहीं की। उसने शीघ्र ही शहर में खादी की एक दुकान पर काम करना शुरू कर दिया। वहां वह रोज कालेज की पढ़ाई के बाद, रविवार और छुट्टियों के दिनों में काम करके पैसा कमाता। इसमें से अपने अल्प व्यय के लिए कुछ निकाल कर शेष वह मां को भेज देता था।"[32] निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि इस छोटी अवस्था में ईमानदारी, कर्मठता, अध्ययन के प्रति रूचि, तटस्थ व गुटबन्दी से अलग रहना, समझौतावादी दृष्टिकोण होना, पारिवारिक दायित्व का बोध होना जैसे गुण लाल बहादुर के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में सरलता से देखने को नहीं मिलते।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1.	दत्त कानिकिंकर,	–	भारत का वृहत इतिहास, भाग–3,
	राय चौधरी, हेमचन्द्र,	–	मेक्मिलन इंण्डिया लि., मद्रास, तृतीय
	मजूमदार, रमेशचन्द्र		~~मजूमदार, रमेशचन्द~~ पृष्ठ– 8,9 ।
			संस्करण, 1990,
2.	मनकेकर, डी.आर.,	–	लाल बहादुर–ए पोलिटिकल बायोग्राफी' बाम्बे पापुलर प्रकाशन मुम्बई, 1964, पृष्ठ–57 ।
3.	अहलूवालिया, शशि,	–	न्यू फाउन्डर आफ इण्डिया ।
4.	रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन,	–	लाल बहादुर शास्त्री, किरण प्रकाशन, 37 दरियागंज, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1964, पृष्ठ–6 ।
5.	मनकेकर, डी.आर.,	–	लाल बहादुर शास्त्री, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1996, पृष्ठ–3 ।
6.	मनकेकर, डी.आर.,	–	पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–58 ।
7.	मनकेकर, डी.आर.,	–	पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–5 ।
8.	मनकेकर, डी.आर.,	–	पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–6 ।
9.	शर्मा, रामनाथ,	–	भारतीय शिक्षा दर्शन, साहित्य पब्लिकेशन, हास्पीटल रोड आगरा, द्वितीय संस्करण, 1985, पृष्ठ–155 ।
10.	मनकेकर, डी.आर.,	–	पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–59 ।
11.	सुन्दरी देवी,	–	धरती का लाल सं. जैन यशपाल श्री

लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, फतेहपुर शाखा, 1 मोतीलाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण, पृष्ठ–270 ।

12. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–9 ।
13. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–7 ।
14. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–61 ।
15. वही, – पृष्ठ–61 ।
16. वही, – पृष्ठ–61 ।
17. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–10 ।
18. अहलूवालिया, शशि, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–416 ।
19. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–11 ।
20. वही, – पृष्ठ–12 ।
21. वही, – पृष्ठ–15 ।
22. शास्त्री, अलगूराय, – 'धरती का लाल' पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–232 ।
23. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–16 ।
24. अहलूवालिया, शशि, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–416 ।
25. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–66 ।
26. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–7 ।
27. वही, – पृष्ठ– 8 ।
28. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–23 ।
29. मित्तल, हरिराम, – 'लाल बहादुर शास्त्री व्यक्ति और विचार' सं. एस.के. पाठक व जी.पी. श्रीवास्तव, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., राम नगर नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ– 6 ।
30. जैन, पुखराज, – भारतीय प्रधानमंत्री, साहित्य पब्लिकेशन,

हास्पीटल रोड, आगरा, 1991, पृष्ठ–142

31. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–9 ।

32. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–24 ।

द्वितीय अध्याय

शास्त्री का गृहस्थ जीवन

अ. विवाह

ब. विवाहोपरान्त की समस्यायें

स. बच्चों का लालन-पालन एवं शिक्षा-दीक्षा

द. शास्त्री की राजनीति तथा आन्दोलन का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव

लाल बहादुर परिवार में एक मात्र पुत्र थे। इनकी दो बहिने सुन्दरी देवी एवं कैलाशपति थीं। अतः रामदुलारी देवी अपने इकलौते पुत्र को सर्वाधिक प्रेम करती थीं। पिता शारदा प्रसाद भी अपने बालक को खूब प्यार करते थे। रामदुलारी देवी अपने पुत्र को 'नन्हें' के नाम से पुकारती थीं। कभी-कभी प्रेम में लाल बहादुर को 'बचवा' कहकर बुलाती थीं। यह पूर्वी भाषा का व्यवहार प्रयुक्त शब्द था।

जब लाल बहादुर डेढ़ वर्ष के बालक थे, उनके पिता शारदा प्रसाद का देहान्त हो गया। पिता की मृत्यु के बाद से ही 'नन्हें' का जीवन कष्टमय एवं संघर्षशील होना निश्चित था। पिता के देहावसान के बाद लाल बहादुर अपनी माँ के साथ ननिहाल चले गये और वहीं रहने लगे। नाना हजारी लाल एवं परिवार के अन्य लोग 'नन्हें' को बहुत चाहते एवं उनकी बातों पर मुस्कराते थे। कुछ समय अच्छी तरह से बीता ही था कि रामदुलारी देवी के पिता का देहावसान हो गया। घर का दायित्व अन्य सदस्यों ने संभाला, किन्तु परिस्थितियां कष्टमय रही। एक बार लालबहादुर के चाचा भी लेने के लिए आये परन्तु रामदुलारी देवी के भाइयों ने अपनी बहिन को ससुराल भेजने से मना कर दिया। 'नन्हें' को पाठशाला भी भेजा जाने लगा। नन्हें जब कोई गलती करते तो उन्हें क्षमा-प्रदान कर दी जाती थी ताकि पितृहीन होने पर उसे किसी प्रकार कष्ट न हो।

लाल बहादुर को बचपन से खेलने का शौक था। वह हाकी और फुटबाल बहुत अच्छा खेला करते थे। पैसा नहीं होने के कारण वह पेड़ की डाल तोड़ लेते थे, जो टेढ़ी हो बहुधा खजूर के पेड़ की लकड़ी प्रयोग कर उसे हाकी का रूप दे देते थे। फूलों को एकत्र कर कपड़े में लपेटकर गोल रूप देकर उसे सिल देते थे। इस प्रकार हॉकी और गेंद स्वयं बनाकर खेला करते थे। अधिकांश बालक उस समय इसी तरह हॉकी गेंद बनाकर खेला करते थे। बड़े होकर लालबहादुर बेडमिन्टन बहुत अच्छा खेलते थे। प्रायः जेल में मैच

भी जेलर एवं अन्य कैदियों के साथ खेलते थे।

लाल बहादुर बचपन से ही एक कुशल तैराक हो गये थे। कई बार उन्होंने पैसे न होने पर नदी तैर कर पार की थी। वह तालाब में भी गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा के बच्चों को पीठ पर बैठाकर तैरते रहते थे। किन्तु यह बात पूर्णता असत्य है कि लाल बहादुर विद्यालय नदी तैरकर पार करके पढ़ने जाया करते थे, क्योंकि उनके पास नदी पार कराई नाव वाले को देने के लिए पैसे नहीं होते थे। लाल बहादुर इसका विरोध करते हैं। वह कहते है कि यह बात सही है कि मैं गरीब परिवार से आता हूँ लेकिन मेरे साथ यह घटना जोड़ने से मुझे कष्ट पहुँचता है।

लाल बहादुर बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। स्वाभिमानी बालक थे। अनेक घटनाऐं जो उनके साथ हुई वह सिद्ध करती है। एक बार लाल बहादुर सायं काल अपने मामा लल्लन के साथ घूमने जा रहे थे। आम बेचने वाला वहां मिल गया। आम खाने की इच्छा में आमों का मोल-तोल होने लगा। आम बेचने वाले ने एक रूपया में सौ आम देना तय किया। जब आम गिनकर देने लगा तब लाल बहादुर ने पचास आम लेकर उसको, जाने को कह दिया। लाल बहादुर के मामा ने रास्ते में विरोध जताया कि तुमने ऐसा क्यों किया। सौ आम की जगह पचास आम एक रूपया में क्यों लिया जबकि वह सौ आम दे रहा था। स्पष्ट करते हुए लाल बहादुर ने कहा कि सायंकाल हो रहा है इसीलिए वह सस्ते बेच रहा था कि उसके आम सड़ जायेंगे, और फिर हम लोग इतने अधिक खा भी नहीं सकते। इस प्रकार लाल बहादुर ने अपनी कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया। लाल बहादुर स्वाभिमानी पुरूष थे। उनकी बहिन पर सिठौरा भाई को खिलाने और चोरी का झूठा आरोप लगने पर उन्होंने एक वर्ष तक सुबह पानी पीकर काम चलाया था। गुरू के घर प्रतिदिन जाने से मना कर दिया था इस प्रकार लाल बहादुर ने सदैव स्वाभिमान होने का अनुभव कराया।

प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद लाल बहादुर को बनारस जाना पड़ा। वहां हरिश्चन्द्र हाईस्कूल में प्रवेश ले लिया। मौसा रघुनाथ प्रसाद ने लालबहादुर को अपने परिवार के साथ रखना स्वीकार कर लिया। रामदुलारी देवी का एक मात्र पुत्र था अतः वह किसी भी दशा में अपने बालक को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहती थी। प्रारम्भ में इस परिवार व बालकों का व्यवहार लाल बहादुर के साथ उचित नहीं रहा। उन्हें दूसरे परिवार का बालक समझकर खान-पान एवं खेल-कूद से दूर रखने व भेद-भाव बरतने का प्रयास किया। किन्तु धीरे-धीरे यह स्थिति समाप्त प्राय सी होने लगी थी, जैसे-जैसे लाल बहादुर का परिवार में रहते हुए समय बीतता गया। इस परिवार में प्रारम्भ में लाल बहादुर के साथ एक घटना दूसरे बालक की हैजा के कारण मृत्यु हो जाने से हुई थी। उस समय ऐसा भी हो सकता था कि लाल बहादुर की शिक्षा अधूरी रह जाती, और घर वापस आना पड़ता, किन्तु रामदुलारी देवी ने विवेक से काम लेते हुए लाल बहादुर को वहीं रहने दिया।

लाल बहादुर के सामने उस समय परिस्थितियां प्रतिकूल थीं, किन्तु हरिश्चन्द्र हाईस्कूल में अध्ययनरत रहते हुए उन्हें निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जैसा गुरू मिला। जिसने लाल बहादुर के जीवन को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। लाल बहादुर के व्यक्तिव की पहचान करते हुए विशेष शिक्षा, नैतिक सन्देश दिये। घर पर भी आना-जाना हो गया। लाल बहादुर भी गुरू जी के परिवार के अभिन्न सदस्य बन गये। इस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते समय अनेक घनिष्ठ मित्र बनाये। जो आजीवन साथी रहे। त्रिभुवन नारायण सिंह, राजाराम, अलगुराय आदि विशेष कृपापात्र रहे।

देश को अंग्रेजों से स्वतन्त्र कराने का संघर्ष चल रहा था। आन्दोलन की भूमिका तैयार हो रही थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा के लगभग छः शिष्यों ने शिक्षा का बहिष्कार किया तथा आन्दोलन में भाग भी लिया। पुलिस ने लाल बहादुर

को गिरफ्तार किया। किन्तु बिना किसी सजा के रिहा कर दिया गया। परिवार के लोगों ने लाल बहादुर को नालायक, साल बरबाद करने वाला लड़का करार दिया।

असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के पश्चात लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया। वहाँ भी राष्ट्रवादी देशभक्त आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य लाल बहादुर को प्राप्त हुआ। सन् 1926 ई. में लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि प्रथम स्थान के साथ प्राप्त की। लाल बहादुर ने दर्शन शास्त्र में दक्षता हासिल की। यह विषय उनका बहुत प्रिय रहा। इस विषय के अनेक सिद्धातों को लाल बहादुर शास्त्री ने अपने जीवन में अपनाया।

लाल बहादुर शास्त्री स्कूली जीवन से ही अल्पकालिक कार्य करके अपने आवश्यक खर्चों की पूर्ति कर लेते थे। शिक्षा प्राप्ति के बाद जीवन की व्यवहारिकता को समझने का अवसर मिला। लालालाजपत राय की 'सर्वेष्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी' में लाल बहादुर ने सेवा प्रारम्भ की। मुजफ्फरनगर का क्षेत्र भी प्रदान कर दिया गया। इस संस्था में प्रवेश पाने हेतु सादा जीवन व्यतीत करना होता था। 10 वर्षों तक राजनीतिक कार्यों में भाग लेना वर्जित था। मासिक खर्च 60 रूपया मिलता था। संस्था के सदस्य को अपनी सम्पत्ति का विवरण देना होता था। लाल बहादुर शास्त्री समाज सेवा कर रहे थे कि उनका कार्य क्षेत्र बदलकर मेरठ कर दिया गया।

लाल बहादुर शास्त्री की आयु लगभग 24 वर्ष हो रही थी। उनकी माँ की इच्छा थी कि अपने पुत्र का विवाह शीघ्र कर दें। क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की बहिन का विवाह भी हो चुका था। परन्तु लाल बहादुर शास्त्री का विचार था कि जब तक उनके पास कमाई का अच्छा साधन नहीं प्राप्त हो जाता अथवा पारिवारिक कठिनाईयाँ समाप्त नहीं हो जाती तब तक उन्हें विवाह नहीं करना चाहिए, किन्तु परिवार के बड़े लोगों एवं माँ की बात मानने के लिए लाल बहादुर को तैयार होना पड़ा।

अ. विवाह

जो व्यक्ति आज कष्टों का सामना कर लेता है तो कल उसके सामने कष्ट आने से घबराता है। लाल बहादुर शास्त्री के सामने अनेक कठिनाइयां आई लेकिन उन्होंने सदैव उसे हल्केपन से लिया। क्योंकि बड़ी घटनाओं के सामने छोटे संकट गौण लगते थे। 'सर्वेष्टस आफ दि पीपुल सोसाईटी' में आ जाने से कष्टमयी जीवन भी समाप्त-प्राय सा हो गया। दूसरी ओर शास्त्री की माँ रामदुलारी देवी ने अपने एक मात्र पुत्र के विवाह का सम्बन्ध मिर्जापुर में तय कर दिया। शास्त्री के माँ की दृष्टि में पुत्र की विवाह की उम्र हो गयी थी। दूसरा विचार यह था कि विवाह हो जाने पर शास्त्री वैवाहिक जीवन में उलझ जायेंगे। वह कभी-कभी परेशाान हो जाती थीं कि जब लाल बहादुर शास्त्री के असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण जेल जाना पड़ा था। जबकि उन्हें तुरन्त छोड़ दिया गया था किन्तु किसी समय ऐसा भी हो सकता है कि अधिक समय तक आन्दोलन में भाग लेने से जेल में रहना पड़ सकता था। अतः दोनों दृष्टि से लाल बहादुर शास्त्री का विवाह का समय भी निश्चित कर दिया जबकि शास्त्री को इसकी जानकारी नहीं थी। क्योंकि वह मेरठ में हरिजन एवं समाज सेवा में लगे हुए थे।

रामदुलारी देवी ने अपने पुत्र लाल बहादुर का तिलक 9 मई 1928 ई. को तय कर दिया। लाल बहादुर के पास तार द्वारा घर पहुंचने की सूचना मिली, जिसमें विवाह के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था। घर पर पहुंचकर उन्हें मालुम हुआ कि उनका विवाह मिर्जापुर में तय कर दिया गया है। शास्त्री यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गये। इस सम्बन्ध में उन्होंने अपनी माँ से बात की और कहा विवाह तय करने, लड़की के बारे में फैसला लेने से पहले मुझसे वार्तालाप करना जरूरी था, किन्तु जो निर्णय ले लिया है उसी को मैं भी मान्य ठहराता हूं। फिर भी तिलक होने के बाद मैं अपना विवाह 25 वर्ष हो जाने पर ही करूंगा। परिवार वालों ने लाल बहादुर शास्त्री के विवाह की तिथि भी

निश्चित कर दी। विवाह एक सप्ताह बाद 16 मई 1928 ई. को होना था। एक बार पुनः शास्त्री ने विरोध किया, परन्तु उनकी माँ ने समझाकर तैयार कर लिया कि लड़की वाले चाहते है कि लड़की सयानी है, जितनी शीघ्रता हो सके लड़की के हाथ पीले कर दिये जायें। अन्ततः लाल बहादुर शास्त्री को अपना विरोध वापस लेना पड़ा।

लाल बहादुर शास्त्री का विवाह मिर्जापुर (उ.प्र.) के चेतगंज मुहल्ले में गणेश प्रसाद की पुत्री लालमणि के साथ तय हुआ था। जो बाद को ललिता देवी शास्त्री के नाम से जानी गयी। चेतगंज, मिर्जापुर निवासी गणेश प्रसाद के परिवार में चार पुत्र व तीन पुत्रियां थी। लालमणि परिवार में सबसे छोटी थी। लालमणि की माता का नाम कौशल्या देवी था। लालमणि के पिता गणेश प्रसाद चुनार के किले में काम करते थे। उनका स्थानानतरण गोरखपुर तथा बनारस भी हुआ था लेकिन परिवार को साथ नहीं रखा। परिवार हमेशा मिर्जापुर में ही रहता था। लालमणि का जन्म सन् 1911 ई. में हुआ था।

लालमणि को पाँच वर्ष की अवस्था में स्कूल भेजा गया। लगभग दो वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की ही थी कि उनके पिता गणेश प्रसाद का देहावसान हो गया। अतः उनको पढ़ाई छोड़कार घर बैठ जाना पड़ा। उन की माँ कौशल्या देवी का विचार था कि लड़कियों को पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान न देकर घरेलू कार्यों एवं सीना-पिरोना सीखना चाहिए। लालमणि की माँ पुरातन विचारधारा की थी। अतः लालमणि रीति-रिवाजों को जानना और उनके अनुसार चलना सीख रही थी। लालमणि लम्बी इकहरा शरीर वाल युवती थी। पिता के देहावसान के बाद घर का दायित्व भाईयों ने संभाल लिया था, सभी कमाते थे, अतः आर्थिक रूप से परिवार में कोई कष्ट नहीं था।

लालमणि के पिता सामाजिक सेवा करने को तत्पर तैयार रहते थे। उनकी अच्छी आमदनी थी पड़ोसियों को आवश्यकता होने पर उसको वस्तु दिलवा देते थे। पर्वों में भी उनके घर जाकर हाल चाल पूंछते थे। उस समय लालमणि बहुत छोटी थीं

फिर भी इस प्रकार के कार्यों को देख वह प्रसन्न होती। पिता के दयालुपूर्वक कार्यों में रूचि रखती। ऐसे कार्यों को करते देख कौशल्या देवी अपने पति से क्रोधित होतीं कि यह सब फिजूल खर्चा है। लालमणि पिता की बात को उचित ठहराती थीं।

लालमणि जब दस वर्ष की थी तब उनका पड़ौसी नाई बीमारी से मर गया। कुछ समय बाद घर आर्थिक विपदा से घिरने लगा। कभी-कभी उपवास की स्थिति उत्पन्न हो जाती। लालमणि घर की दीवार से खाद्य वस्तुऐं चुपके से उसके घर फेंक देतीं। लालमणि की माँ ने एक बार पकड़ लिया, अतः उन्हें डांटा-फटकारा गया। लालमणि अपनी हठ कर रोने लगी। अन्ततः कौशल्या देवी को अपनी पुत्री की बात माननी पड़ी।

लाल बहादुर शास्त्री की माँ रामनगर में रहती थी, तथा उनकी रिश्तेदारी मिर्जापुर में थी। अतः वहां भी आना-जाना होता रहता था। मिर्जापुर में उनके सम्बन्धी के यहाँ एक बार किसी का देहावसान हो गया था उसके अन्तिम संस्कार के समय रामदुलारी देवी एवं लाल बहादुर भी वहाँ उपस्थित थे। लाल बहादुर उस समय छोटे बालक थे। रामदुलारी देवी के अच्छे आचरण से वहां उनका अच्छा प्रभाव था। परिवार में सभी लोग रो रहे थे किन्तु लालबहादुर शान्त खड़े थे। डी.आर. मनकेकर लिखते है "लालमणि ने उसे देखा और बगल में खड़ी अपनी बहन से फुसफुसाकर कहा, अरे देख तो, मेरे ख्याल में वह दुल्लर बहन का बेटा है। सब रो-धो रहे हैं, बस वो एक चुप खड़ा है, कितना शांत, कितना भला लग रहा है।"[1]

लाल बहादुर को इस अवसर पर लालमणि ने पहली बार देखा था। कौशल्या देवी के घर रामदुलारी देवी का आना-जाना था। लोग उन्हें प्यार से दुल्लर बहन के नाम से सम्बोधित करते थे। समाज में किसी परिवार के पुत्रों एवं किसी दूसरे परिवार के पुत्रियों की चर्चा चलती है, तो उनके बीच विवाह करने की बात साधारण रूप से होने लगती है। कौशल्या देवी ने एक बार

बातों-बातों में रामदुलारी देवी से कहा कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि मेरी लड़की का विवाह तुम्हारे बेटे के साथ हो। रामदुलारी देवी ने वर योग्य की बात कह कर समाप्त कर दी। इस साधारण घटना को दोनों लोग भूल भी गये। लालबहादुर शिक्षा ग्रहण करने लगे। आन्दोलन में भाग लिया, पुनः शास्त्री की शिक्षा ग्रहण की। तत्पश्चात समाज सेवा में जुड़ गये। दूसरी ओर लालमणि भी वयस्क होने लगी। अतः परिवार के लोगों और भाइयों को अपनी बहन लालमणि का विवाह करने तथा वर ढूँढ़ने की चिन्ता भी होने लगी।

कौशल्या देवी ने लालमणि से बड़ी बहन का रिश्ता लाल बहादुर के साथ तय करने की बात रामदुलारी देवी से की थी परन्तु रामदुलारी देवी ने इतनी जल्दी अपने पुत्र का विवाह करने से अस्वीकार कर दिया। अब लालमणि के विवाह का समय आ चला। अतः एक बार पुनः लाल बहादुर को दामाद के स्वरूप में बात करने का विचार किया। भाई ने किसी दूसरे स्थान पर वर देखने की बात माँ से कह दी। लालमणि की इच्छा थी कि उनका विवाह लाल बहादुर के साथ हो किन्तु लड़की को परिवार की बात माननी होती थी, अतः उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा।

लालमणि ने एक बार स्वपन में लाल बहादुर को देखा कि वह मन्दिर से सीढ़ियों से उतर कर आ रहे हैं, उनके हाथ में फूल है। लालमणि अपने हाथ में माला लिये हुए हैं। कुछ फूल लाल बहादुर ने लालमणि को दे दिये, बदले में हाथ में लिये माला लालमणि ने लालबहादुर के गले में डाल दी। अचानक उनकी आँख खुल गयी। स्वपन पर विचार किया, निष्कर्ष में लालमणि ने लाल बहादुर को अपने पति के रूप में वरण करना चाहा। परिवार में जब भाई वर ढूंढ़ने के लिए निकलते तो लालमणि शिव की पूजा कर प्रार्थना करतीं कि उन्हें पति के रूप में लाल बहादुर ही मिलें। भाइयों ने कई जगह बहन के सम्बन्ध की बात की, किन्तु अच्छा परिणाम नहीं निकला। एक बार कौशल्या देवी से उनके पुत्र ने लालमणि का रिश्ता पक्का करने की बात कह दी। स्पष्ट

बता दिया कि लड़का बनारस में व्यापार करता है। अच्छी आमदनी है, बड़ा मकान है। उसी से सम्बन्ध तय कर तिलक का समय निश्चित कर दूंगा। यह सुनकर लालमणि ने शिव की पूजा की और वर के रूप में लाल बहादुर को ही मांगा। लालमणि के भाई बनारस से निराश होकर लौटे और उन्होंने अपनी माँ से कहा कि लालमणि का रिश्ता दुल्लर बहन के पुत्र लाल बहादुर के साथ तय कर दिया जाय। लालमणि ने जब यह बात सुनी तो वह फूली न समाई। उन्होंने हृदय से ईश्वर को धन्यवाद दिया। लालमणि का सम्बन्ध लाल बहादुर के साथ पक्का हो गया। इसमें किसी प्रकार का व्यवधान भी नहीं आया। तिलक एवं विवाह का समय भी निश्चित हो गया। ऐसा माना जाता है कि कुँवारी लड़कियाँ अच्छा वर प्राप्त करने के लिए शंकर-पार्वती की पूजा करती है। जिससे उन्हें उदार एवं प्रेमी पति मिले। लालमणि ने भी अपनी सफल एवं सही जोड़ी तथा इच्छानुसार वर प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की थी।

रामदुलारी देवी ने अपने पुत्र लालबहादुर का रिश्ता लालमणि के साथ पक्का करते समय अच्छा व्यवहार किया। मात्र एक रुपया और एक कपड़ा के अतिरिक्त कुछ नहीं लिया। जबकि लालमणि के कई भाई बहुत कुछ सामान ले गये थे, जो वापस आ गया। विवाह की तिथि 16 मई 1928 ई. निश्चित कर दी गयी। उसी तिथि को बारात मिर्जापुर के चेतगंज मुहल्ले पहुँच गयी। बारात के जलपान-भोजन करने के पश्चात आवश्यक रस्में पूरी की गयी। लाल बहादुर दूल्हे के रुप में सजे मण्डप में ले जाये गये। वधू लालमणि भी पुराने रीति-रिवाज के अनुसार दुल्हन के कपड़े पहने, घूँघट डाले मण्डप में परिवार के स्त्रियों के साथ पहुँची। पुरोहित ने भी वैवाहिक संस्कार एवं मंत्रोच्चारण के लिए आसन ग्रहण कर लिया। लालबहादुर ने मंत्र पढ़ने एवं प्रतिज्ञा करने पर विवाद खड़ा कर दिया। वह चाहते थे कि वधू का सिर हिलाकर हाँ कह देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि वर और वधू दोनों आवाज के साथ मंत्रोच्चारण एवं प्रतिज्ञा करें। वधू के सम्बन्धियों ने इस पर आपत्ति प्रकट की कि यह

उनका अपमान होगा तथा कन्या बड़ों के सामने कैसे बोल सकती है। लालबहादुर की दलील पर कि जीवन का निर्वाह दोनों को करना है, सभी लोग शान्त हो गये। बड़े लोग वहाँ से हट गये ताकि कन्या को वैवाहिक संस्कार को पूरा करने में किसी प्रकार का कष्ट न हो। मई की तेज गर्मी एवं पहने हुए भारी कपड़े के कारण लालमणि पसीने-पसीने हो रहीं थी। दूसरी ओर नया तरीका मंत्रोच्चारण करने के कारण ओंठ भी सूखने लगे थे। इस प्रकार लालमणि की स्थिति वैवाहिक संस्कार पूरा करते समय दयनीय रही। विवाह सम्पन्न हो गया तथा लालमणि को विदा कराने का समय भी आ गया। किन्तु पुनः लाल बहादुर ने समस्या उत्पन्न कर दी। दहेज़ के रूप में लाल बहादुर ने कुछ भी लेने से मना कर दिया। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं "लालबहादुर ने साफ कह दिया कि यदि दहेज मैं मुझे और कुछ दिया गया तो मैं ऐसे ही लौट जाऊँगा।"[12] अतः ससुराल पक्ष को शान्त रहना पड़ा। लाल बहादुर के ससुराल के लाग आर्थिक रूप से मजबूत थे। वह अपनी लड़की को बहुत-कुछ देने को तैयार थे। विवाह के सभी रीति-रिवाज सर्म्पूण होने के पश्चात वधू लालमणि की विदा कर दी गयी। बारात दूल्हा-दुल्हन के साथ वापस रामनगर आ गयी। यहाँ पर भी आवश्यक वैवाहिक परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों को पूरा किया गया।

भारत में पुरातनपंथी विचारों को माानने वाले बहुत हैं। यह बातें गाँवों में अभी भी पायी जाती है कि नवविहिता स्त्री को संयम, अनुशासन, एवं घूँघट में रहनें को कहा जाता है। यही स्थिति लाल बहादुर की पत्नी की थी, जिन्हें ससुराल में आने के बाद लालमणि के स्थान पर ललिता देवी नाम दे दिया गया था। पुरूषों को भी सामान्य शिष्टाचार का व्यवहार निभाना होता था। यदि बहू कमरे से निकलती तो पुरूषों को अलग हो जाना पड़ता था कि आने-जाने में बहू को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। लाल बहादुर ने समझा दिया था कि उन्हें हर सम्भव अपनी सास की सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। क्योंकि

उनकी माँ ने कठिनाइयों में जीवन व्यतीत किया था। युवावस्था में ही विधवा हो गयी थीं। दो पुत्रियों एवं एक पुत्र का भार था। ललिता देवी ने पति द्वारा दिये गये इस सन्देश को वायदे के अनुसार पूरा करने का सफल प्रयास किया। उन्होंने कभी अपनी ओर से कष्ट देने का प्रयास नहीं किया। ललिता देवी बाल्यावस्था से अपने पिता के आचरणों से प्रभावित थीं। वह संस्कार ललिता देवी में भरे हुऐ थे।

ब-विवाहोपरान्त की समस्या

लाल बहादुर शास्त्री 'दि सर्वेण्टस आफ दि पीपुल सोसाईटी' के लिए मेरठ में रहकर काम कर रह थे। लाल लाजपतराय की मृत्यु के पश्चात पुरूषोत्तमदास टण्डन इस समिति के अध्यक्ष बने, अतः प्रधान कार्यालय इलाहाबाद बना दिया गया। टण्डन ने लाल बहादुर शास्त्री की कर्मठता एवं कार्य शैली को पहले भी देखा था, अतः उन्होंने शास्त्री को मेरठ से इलाहाबाद बुला लिया। लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद आकर पुरूषोत्तमदास टण्डन के अधीन रहकर कार्य करने लगे। यहाँ शास्त्री को जीवन के प्रेरणास्रोत अनुभव प्राप्त हुए।

शास्त्री अपनी पत्नी ललिता देवी, माँ रामदुलारी देवी के साथ आकर इलाहाबाद में रहने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जानते थे कि उन्हें बहुधा समिति के आवश्यक कार्यों से बाहर जाना पड़ता है, इसलिए घर की देखभाल एवं सुरक्षा की दृष्टि से किसी मित्र या साथी की आवश्यकता पड़ी जो एक मकान में दो किरायेदारों की हैसियत से रहना पसन्द करता हो। संयोग से गणेशगंज में एक मकान के ऊपरी मंजिल में एक कांग्रेसी कार्यकर्ता रहते थे, वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री ऊपरी मंजिल में किराये से रहने लगे। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं ''प्रयाग आकर शास्त्री जी तन मन से देश की सेवा में लग गये। कहा जाता है कि प्रयाग आते ही उन्होंने अपना जीवन देश को अर्पित कर दिया।''[13]

लाल बहादुर शास्त्री सोसाईटी के कार्य में व्यस्त रहते। पुरूषोत्तम

दास टण्डन के बताये हुए कार्यों को पूरा करते। परिवार की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते। शास्त्री के निवास में नल नहीं था। नीचे से पानी भरकर ऊपर ले जाना पड़ता था। यह काम ललिता देवी स्वयं करतीं। सास एवं पति से पानी भरवाना उचित नहीं समझती थीं। लाल बहादुर असमंजस की स्थिति में थे कि किस प्रकार इस कष्ट से छुटकारा पाया जाय। उन्होंने स्वयं पानी भरे घड़ों एवं कलसों से सीढ़ियों के ऊपर तक पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया। छत के ऊपर से स्नानागार तक पत्नी ललिता देवी स्वंय ले जाती। ललिता देवी के दैनिक कार्य अधिक थे। उन्हें दिनभर फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबह व शाम का खाना तैयार करना, बर्तन मांजकर रखना, कपड़े धोना, झाडू लगाना, इसके पश्चात सास के पास बैठकर रामायण सुनाना आदि कार्य करने पड़ते थे। परिवार के सदस्यों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। मेहमानों का आना-जाना रामनगर और मिर्जापुर से होता रहता था। इस प्रकार कई वर्ष बीत गये। लाल बहादुर शास्त्री की छोटी बहन कैलाशपति विधवा हो गई थी। वह भी अपने बच्चों के साथ आकर भाई लाल बहादुर के पास इलाहाबाद में रहने लगी। कार्य एवं खर्चों का बोझ बढ़ने लगा। दुखीः बहिन से कुछ कहना भी उचित नहीं लगता था। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं ''पत्नि को इतना कठिन परिश्रम करते देखकर लालबहादुर दुखीः होते। वह बूढ़ी मां से इस काम में हाथ बँटाने को नहीं कह सकते थे। मेहमान के रूप में आई अपनी विधवा बहन को भी वह घर की टहल नहीं सौंप सकते थे।''[14]लाल बहादुर शास्त्री को अपने आवश्यक कार्यों से जब फुरसत मिलती वह पत्नी के कार्यों में सहयोग कर देते थे। अपनी माँ से नजर बचाकर कपड़े धो देते थे।

लाल बहादुर शास्त्री साधारण जीवन व्यतीत करते हुए सीमित आय में गुजारा कर रहे थे। विवाह के पश्चात आय में वृद्धि भी हो गई। सोसाइटी के नियम के अनुसार विवाहित लोगों को प्रति बच्चे का भत्ता अलग से जुड़ा मिलता था। लाल बहादुर को लगभग सौ रूपया वेतन प्राप्त होता था। जो

परिवार के लिए ठीक था किन्तु मेहमानों, मित्रों के आने तथा दल के कार्यकर्ता के शहर आने व लाल बहादुर के यहाँ ठहर जाने से कठिनाई से काम चल पाता था। यदि उन्हें किसी वस्तु की आवश्कता होती तो खरीद पाना मुश्किल होता था, क्योंकि सारा खर्च दैनिक जीवन की वस्तुओं में चला जाता था।

लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद में पुरूषोत्तम दास टण्डन के साथ आनन्द भवन आया करते थे, वहाँ बहुधा जवाहर लाल नेहरू व मोती लाल नेहरू से भी भेंट होती थी। कुछ समय पश्चात लाल बहादुर को सन् 1930 ई. में इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव बना दिया गया। अत: शास्त्री दूसरे मकान में चले आये। यहाँ कई कमरे ऊपर छत, आंगन आदि थे। बाहर वाले कमरे में जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय का दफ्तर खोल लिया। लोग उनसे मिलने आते थे। जो व्यक्ति शहर से बाहर के शास्त्री से भेंट करने आते थे। यदि उन्हें रात्रि विश्राम करना होता था, तब उनको उसी दफ्तर वाले कमरे में ठहरा दिया जाता था। भोजन की भी व्यवस्था शास्त्री के घर से होती थी। दफ्तर में चटाई बिछी थी, उस पर चादर डाल दी जाती थी। लिखने-पढ़ने के लिए एक डेस्क रखी हुई थी।

सभी लोग लाल बहादुर शास्त्री को अच्छा स्वभाव वाला व्यक्ति समझते थे। इसी कारण बिना किसी संकोच के आगन्तुक उनके यहाँ ठहर जाते। सगे सम्बन्धी रामनगर व मिर्जापुर से आते तो शास्त्री के घर पर ही ठहरते। ऐसी परिस्थितियों में ललिता देवी को भी रसोई का अतिरिक्त कार्य करना पड़ता था। कई बार ऐसा भी हुआ कि आधापेट भोजन करके अथवा खाली पेट बिना भोजन किये शास्त्री को रात को सोना पड़ता था। मेहमानों, दफ्तर के काम से आये अतिथि को खाना खिलाने के बाद भोजन नहीं बच पाता था। शास्त्री की विशेषता थी कि वह तब तक खाना नहीं खाते थे, जब तक अतिथि एवं घर के लोग खाना नहीं खा लेते थे। बचने पर सबसे बाद में भोजन करते थे। पत्नी ललिता देवी भी आपत्ति प्रकट करतीं तो शास्त्री शिष्टाचार की बात

कर समस्या का निराकरण कर देते थे। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं "वह समझाते, मेहमान लम्बे सफर के बाद थका हुआ आया है और उसे उचित विश्राम की आवश्यकता है। वह कभी-कभी तो हमारे घर आते हैं, अतः उनका स्वागत करना तथा उन्हें आराम देना हमारा धर्म है।"[5]

ललिता देवी ने कभी भी अपने पति शास्त्री से अपनी विशेष आवश्यकताओं की बात नहीं की जब कि युवा दम्पत्ति थी। युवा दम्पत्ति की अनेक इच्छाऐं भी होती हैं। उन्होंने कभी भी फैशन एवं नये-नये कपड़ों की मांग नहीं की। वह स्वयं प्रारम्भ से संयम से रहने वाली स्त्री थीं। उसी आचरण के लाल बहादुर शास्त्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री को भी अनुभूति थी की पत्नी की इच्छाऐं हो सकती हैं किन्तु निश्चित आय एवं बचत नहीं हो पाने के कारण वह चुप रह जाते थे। वह अपनी पत्नी ललिता देवी की भावनाओं का सम्मान करते थे। महमानों व अतिथियों के आने पर शास्त्री ईश्वरीय अनुकम्पा समझते थे।

इलाहाबाद शहर में बहुधा मेला लगा करता था। संगम पर तो मैले जैसी भीड़ रहती थी। मकर-संक्रान्ति के पर्व पर तो बहुत अधिक भी हो जाती है। किन्तु कभी भी मेला आदि घूमने की इच्छा व्यक्त नहीं की। घर के काम-काज में ही सारा दिन बीत जाता था। एक बार इलाहाबाद में मेला लगा हुआ था। पड़ौस की औरतें मेला घूमने गयी थीं। उन्होंने ललिता देवी, को मेला में जो देखा, वह सब बताया। अतः ललिता देवी की मेला घूमने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने पति शास्त्री से मेला घूमने की बात की। शास्त्री सहर्ष तैयार हो गये और अगले दिन चलने का वादा किया। किन्तु वास्तविक स्थिति से वह अनभिज्ञ नहीं थे। इसी कारण कई दिन वह घर शाम को देर से लौटे। पत्नी ने इस पर विरोध प्रकट किया। अन्ततः शास्त्री एक दिन पत्नी को मेला घुमाने ले गये।

मेला घूमने जाने हेतु पैसों की आवश्यकता थी अतः ललिता देवी

ने अपने पति से, कोई वस्तु मेला में पसन्द आने पर खरीदने हेतु पैसे मांगे। शास्त्री आने वाली परिस्थितियों को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने दो रूपया जेब से निकालकर दे दिया। इसके अतिरिक्त उनके पास पैसा नहीं था वस्तुतः इतने से काम नहीं चल सकता था। अतः ललिता देवी को अपनी ननद कैलाशपति से पाँच रूपये लेने पड़े। युवा दम्पत्ति ने मेला घूमा, किन्तु कोई वस्तु नहीं खरीदी। ललिता देवी कोई अच्छी वस्तु खरीदने की बात करतीं तब सरलता से शास्त्री उनको समझा देते कि अगली दुकान पर अच्छी और सस्ती मिलेगी। युवा दम्पत्ति जब मेला घूमकर घर आ गये। तब शास्त्री ने पत्नी ललिता देवी से कहा कि तुम्हें मायूस नहीं होना चाहिए कि तुम मेला से कोई वस्तु नहीं खरीद सकीं। तुम्हें, ननद से मांगे हुए पैसे भी वापस कर देना चाहिए। उधार लेकर कोई वस्तु खरीदना अच्छा नहीं है। सम्भवतः तुम मेरी बात से सहमत हो। पत्नी ने पाँच रूपया भी अपनी ननद को वापस कर दिये। लाल बहादुर शास्त्री की छोटी पुत्री सुमन लिखती हैं ''बाबू जी अपना पैर उतना ही फैलाना पसन्द करते थे, जितनी बड़ी चादर हो।''[6]

ललिता देवी ने सादगी भरा जीवन व्यतीत किया। उनके पास सीमित कपड़े पहनने को होते थे। कुल तीन सूती साड़ियां थी। जो रोज पहनने के काम आती। एक साड़ी नहाने, दूसरी बदलकर पहनने तथा तीसरी दिन भर में सूख न पाने के कारण पहनने के काम आती थी। शास्त्री के फटे कुर्ते के मजबूत टुकड़ों को निकालकर चोली बना लेती थीं। ललिता देवी के पास सन् 1946 ई. तक दो ऊनी ब्लाउज जाड़ों के लिए थे। जिसमें एक उनकी माँ एवं दूसरा ससुराल पक्ष के एक रिश्तेदार ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री भी सूती एवं खादी वस्त्र पहना करते थे। वे एक कुर्ता–पाजामा से अधिक समय तक काम चलाते। कुर्ता फट जाने पर जाड़े के दिनों में कोट के अन्दर पहन कर काम चला लेते थे। शास्त्री को कभी भी फैशन वाले कपड़े पहनने की इच्छा नहीं हुई। वह महात्मा गाँधी के आदर्शों पर चलना पसन्द करते थे। डी.आर.

मनकेकर लिखते हैं ''बस एक ही चीज के वह बहुत शौकीन थे-टोपी। वह अच्छी तरह धुली और ठीक इस्त्री की हुई जरूर होनी चाहिए। खास मौकों के लिए वह दो तीन टोपियां अलग रखते थे। और मुसीबत उसकी जो इन टोपियों को गलत जगह पर रख दे।''[7]

लाल बहादुर शास्त्री गम्भीर एवं सच्चे देशभक्त थे। 4 मई 1930 ई. को वायसराय के आदेश पर महात्मा गाँधी को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणाम स्वरूप देश के बड़े नगरों व औद्योगिक शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए। 7 मई 1930 ई. को शोलापुर के सूती मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। नगर की स्थिति अनियन्त्रित होने पर 16 मई 1930 ई0 को मार्शल लॉ लगाना पड़ा। देश सेवक अंग्रेजों का विरोध करने हेतु शोलापुर जाने लगे।शोलापुर जाने वालों में लाल बहादुर शास्त्री ने भी नाम लिखा दिया। पुरूषोत्तम दास टण्डन को पता चलने पर उन्होंने शास्त्री की पत्नी को सूचना इस आशय के साथ भेजी कि वह किसी तरह शास्त्री को शोलापुर के कार्यक्रम में जाने से मना कर दें। शास्त्री की माँ भी इस दिशा में कुछ न कर सकीं। अतः ललिता देवी ने ही ऐसी समस्या उत्पन्न कर दी कि शास्त्री ने शोलापुर जाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया किन्तु उसी समय लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी से यह वादा भी करवा लिया कि भविष्य में कभी भी उनकी पत्नी शास्त्री के र्कतव्य पालन देश सेवा के सम्बन्ध में बाधक नहीं बनेगी। ललिता देवी ने भी इस वचन को सदैव निभाया।

स- बच्चों का लालन पालन एवं दीक्षा

लाल बहादुर शास्त्री ने विवाह के बाद सबसे पहले परिवार की स्थिति भलीभाँति ललिता देवी को समझा दी थी। उसी अनुसार शास्त्री की पत्नी ने घर का कार्यभार संभाला। अपनी ओर से किंचित मात्र अपनी सास को कष्ट नहीं दिया। रामदुलारी देवी भी अपनी इकलौती बहू के संस्कारों से प्रभावित थीं घर का चौका बर्तन करतीं सभी कार्य स्वंय करतीं तथा सांय को थोड़ा समय

सास के पास रामायण सुनाकर बितातीं। ललिवा देवी बहुत सवेरे उठ जाती थीं। वह शिव की पूजा करती थीं। विवाह के पूर्व भी ललिता देवी शिव की पूजा को महत्व देती थीं तथा अन्तिम समय तक भी वह ऐसा करती रहीं। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं "वह हर रोज रात को दो बजे उठ जाती हैं, नहाती हैं और छः बजे सुबह तक पूजा करती हैं। इसके बाद घर के अन्य कामों मे लग जाती हैं।"[3]

शास्त्री का विवाह सन् 1928 ई0 को हुआ था किन्तु उनका अधिकांश समय समिति एवं कांग्रेस के कार्यो में व्यतीत हो जाता था। पत्नी के पास बैठकर सुखद वातावरण में वार्तालाप करने का समय कम मिल पाता था। शायद देश सेवा को प्राथमिकता शास्त्री अधिक देते थे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन का समय था, जिस दिन रात को लालबहादुर शास्त्री गिरफ्तार हुए उसी दिन ललिता देवी का स्वास्थ्य बिगड़ा था। पड़ोसी मोहन लाल गौतम की पत्नी ने शाम का भोजन भी बना दिया था। ललिता देवी को आराम करने को कहा गया। वह पहली सन्तान को जन्म देने वाली थी। उसी शाम को ललिता देवी ने गिरफ्तारी की हालत में पति शास्त्री को देखा जो पुलिस की गाड़ी मे ले जाये जा रहे थे। शास्त्री को इलाहाबाद के पास मलाका जेल मे रखा गया। अनुमति प्राप्त कर रामदुलारी देवी अपनी दोनों पुत्रियों कैलाश पति एवं सुन्दरी देवी तथा बहु ललिता देवी के साथ जेल भेंट करने गई। शास्त्री ने सभी को सान्त्वना प्रदान की।साथ ही सब को रामनगर जाने की सलाह दी। शास्त्री ने अपनी बड़ी बहन सुन्दरी देवी से कहा कि बच्चे के जन्म लेने तक ललिता देवी के पास रामनगर में ही रूकें। इसके बाद वह अपनी ससुराल जाएं। ललिता देवी ने रामनगर में पहली सन्तान को जन्म दिया यह लड़की थी, परिवार के लोगों ने इसका नाम कुसुम रखा। पुत्री के जन्म लेने पर समाज में निराशा का वातावरण बन जाता है समाज इसे पराया धन समझ कर खर्चा का स्वरूप मान लेता है। समाज में रूढ़िवादिता एवं अंधविश्वास वाला वर्ग इसे अधिक

समस्यात्मक पहलू मानता है किन्तु शास्त्री एवं उनके परिवार के लोगों ने इसे साधारण एवं ईश्वरीय मानकर अपनाया। शास्त्री जेल से छूटे और परिवार को इलाहाबाद लेकर आ गये। पुनः 'सर्वेण्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी' तथा कांग्रेस के कार्यों में व्यस्त हो गए।

कुसुम का जन्म सन् 1932 ई0 में हुआ था। हरी एवं सुमन का जन्म हो चुका था। हरि कृष्ण का जन्म 21 फरवरी 1938 को हुआ था। शास्त्री के तीनों बच्चें भी बड़े हो गये थे। समस्यायें अभी भी पूर्व की भांति थीं। बच्चे पड़ोस के लोगों को उनके बच्चे को अच्छे कपड़े पहने देखते; बच्चों को खिलौने पाने की इच्छा होती और वह अपनी माँ से इसकी प्राप्ति के लिए जिद करते। ललिता देवी की भी हार्दिक इच्छा होती कि उनके बच्चों को भी अच्छी अच्छी वस्तुऐं प्राप्त हों। परिवार में आर्थिक कठिनाईयों के उपरान्त किसी न किसी साधन के द्वारा माँ बाप अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। शास्त्री एवं ललिता देवी अपने बच्चों को बहुत प्रेम करती थीं। वह अपने बच्चों की प्रत्येक माँग की पूर्ति नहीं कर पाती थीं। इसका क्लेश उन्हें बहुत होता था। जब बच्चे बार बार अपनी विलासता एवं अच्छी लगने वाली वस्तुओं की माँग करते । कभी कभी यह स्थिति भी बन जाती थी कि बच्चों द्वारा हठ करने पर उन्हें पीटना भी पड़ता था। इससे उन्हें बहुत पीड़ा होती थी।

उस समय फेरी वाले अधिकांशतः दरवाजे दरवाजे जाकर मौसम के अनुसार वस्तुओं को बेचा करते थे। इनमें खान-पान की भी चीजें होती थीं। विक्रेताओं में यह विशेषता साधारण रूप से पायी जाती है कि वे क्रेताओं की रूचि लगाव एवं परिस्थितियों को भलीभाँति जानते है; उसी अनुसार वह वस्तुओं को बेचने एवं अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करते है।

कुसुम जब छोटी बालिका थी, एक दिन कुल्फी वाला कुल्फी बेचरहा था। मुहल्ले पड़ौस के बच्चे कुल्फी खरीद रहे थे। मकान के ऊपरी हिस्से छत

से कुसुम ने कुल्फी वाले को देखा तो कुसुम की भी कुल्फी खरीदने की लालसा हुई। ज्यों ललिता देवी ने कुल्फी बेचने वाले को देखा तो उन्होंने संकेत से कुल्फी विक्रेता को चले जाने को कहा किन्तु विक्रेता वहाँ से नहीं हटा। विक्रेता बच्ची की माँग के अनुसार कुल्फी बेचने का अवसर लाभ उठा रहा था। कुसुम की माँ ने बच्ची को जिद करने पर पीटना चाहा। अन्दर से लाल बहादुर आ गये; जो यह सब देख रहे थे। शास्त्री खिड़की पर आये और उन्होंने कुल्फी देने को कहा। कुल्फी वाले से यह भी कह दिया कि वह बच्ची को प्रतिदिन कुल्फी दे दिया करें शास्त्री अपने बच्चों को बेहद प्यार करते थे। वह यह भी जानते थे कि अपने बच्चों को अन्य लोगों की अपेक्षा कुछ भी खर्च नहीं कर पाते किन्तु जैसे भी सम्भव होता है अपने बच्चों को सुख समृद्धि की वस्तुऐं प्रदान करने का प्रयास करते। इसके लिए शास्त्री ने कभी भी गलत कदम उठाने का प्रयास नहीं किया। शास्त्री के बच्चों में कुसुम का मन छत की खिड़की पर खड़े होने एवं सड़क पर आने जाने वालों को देखने का अधिक होता था। बच्चों को भीड़-मेला तथा आकर्षित करने वाली चीजों पर ध्यान अधिक जाता है। उसी प्रकार कुसुम की भी आदत थी। ललिता देवी इससे बचने का अधिक प्रयास करतीं; क्योंकि वह घर की आर्थिक स्थिति को समझती थीं। डी0 आर0मनकेकर लिखते है ''ललिता देवी आम तौर पर इशारे से फेरी वाले को चले जाने को कहतीं और कुसुम का ध्यान किसी और तरफ लगा देतीं।''[9]

इसी प्रकार की अन्य घटनाऐं हुई थीं जिससे उन्हें कष्ट का अनुभव हुआ था। फेरीवाला विक्रेता खिलौना बेचने आया था। पड़ौस के बच्चों ने उन खिलौनों को खरीदा तो कुसुम ने भी खिलौने खरीदने की जिद की। माँ ने बच्चे को पीटा, तो बच्ची जोर से रोने लगी, अतः समाज की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए ललिता देवी को खरीदकर खिलौना बच्ची को देना पड़ा। परिवार में बड़ा बच्चा लाड़-प्यार में अधिक पलता है इसी प्रकार बच्चा हठी एवं

छोटी-छोटी बातों पर रूठना प्रारम्भ कर देता है, वही स्थिति इस परिवार में उत्पन्न हो गई। जबकि शास्त्री सभी बच्चों को प्रेम करते थे। इलाहाबाद में आन्दोलनरत रहते हुए शास्त्री के परिवार में तीन बच्चों का जन्म हो चुका था। जिनमें कुसुम सुमन एवं हरि थे। हरि का जन्म 21.2.1938 को इलाहाबाद में हुआ था। इनका पूरा नाम हरिकृष्ण शास्त्री था। पुत्रों में सबसे बड़ा होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री हरि को बेहद प्यार करते थे। सन् 1943 ई. में हरिकृष्ण शास्त्री का प्रवेश इलाहाबाद के साउथ मलाका स्थित पाठशाला में करा दिया। लगभग दो वर्ष तक इलाहाबाद में शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शास्त्री परिवार सहित सन् 1943 ई. में लखनऊ आकर रहने लगे। अतः हरिकृष्ण शास्त्री को नरही स्थित अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश दिला दिया। यहाँ पर हरिकृष्ण सन् 1952 तक शिक्षा ग्रहण करते रहे। जवाहर लाल नेहरू द्वारा दिल्ली बुलाये जाने पर शास्त्री का परिवार सन् 1952 ई. में दिल्ली आ गया। नई दिल्ली के मन्दिर मार्ग में स्थित हरकोर्ट बटलर स्कूल में हरिकृरूण को प्रवेश लेना पड़ा। यहाँ से हरिकृष्ण ने सन् 1954 ई. में हायर सेकेन्ड्री की परीक्षा उत्तीर्ण की। हायर सेकेन्डरी की शिक्षा प्राप्त करने के उपरान्त उच्चशिक्षा प्राप्त करने हेतु जुलाई 1954 ई. में दिल्ली में हिन्दु कालेज में प्रवेश लिया परन्तु माह अक्टूबर 1954 ई. में हरिकृष्ण को ग्लास्गो (स्काटलैण्ड) स्थित मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में प्रवेश लेना पड़ा। अतः भारत में पढ़ाई छोड़कर ग्लासगो शिक्षा प्राप्त करने चले गये। हरिकृष्ण शास्त्री ग्लास्गो में 1960 ई. तक रहकर शिक्षा ग्रहण करते रहे। 1960 ई. में उन्होंने मेकेनिकल इन्जीनियरिंग में स्नातक डिग्री प्राप्त की। वहाँ से लौटने के पश्चात चार जुलाई 1961 ई. को हरिकृष्ण शास्त्री का विवाह विभा के साथ हो गया।

हरिकृष्ण जब ग्लास्गो में अध्ययन करने जाने को तैयार हुए तो लाल बहादुर शास्त्री ने नैतिक सन्देश व निर्देश में कोई भी अनुचित व आपत्तिजनक कार्य करने से मना किया। "पिता के स्नेह और अनुशासन की छत्रछाया, माँ

की ममता और स्वयं अभाव में भी दूसरों के लिये उदार स्वभाव से प्रेरणा ले, ग्लास्गो में मेकेनिकल इन्जीनियरिंग की पढ़ाई करने जब जाने लगे तो पिता ने मात्र एक बात कही ऐसा कोई कार्य न करना कि कोई अंगुली उठाए। मेरे नाम पर आँच न आए और देश पर कोई आँच आए।''[10] हरिकृष्ण शास्त्री ने पिता के आचरणों को अपने आप में ढालने का प्रयास किया। शास्त्री को दिल का दौरा पड़ने पर हरिकृष्ण ने अपनी माँ से पत्र लिखकर पैसा भेजने से मना किया तथा स्वयं काम करके पढ़ाई की व्यवस्था की। जिससे पिता पर आर्थिक बोझ कम हो तथा वे राहत का अनुभव करें। हरिकृष्ण को भारत में अशोक लीलेण्ड कम्पनी में 1500 रूपया मासिक वेतन पर नौकरी, साथ में मकान व गाड़ी की सुविधा मिली तो लाल बहादुर शास्त्री ने विरोध कर प्रबन्धक से 500 रूपया वेतन तथा नियुक्ति दिल्ली से बाहर करने को कहा। हरिकृष्ण की नियुक्ति मद्रास तथा बाद में भोपाल हो गई। धरती का लाल ग्रंथ के अनुसार शास्त्री कहते है '' कि मैं चाहता हूँ हरि जीवन में संघर्षशील व्यक्ति बने।''[11]इसकी पुष्टि श्रद्धा सुमन पत्रिका से भी होती है।

हरिकृष्ण शास्त्री बाल्यकाल में खेलने में रुचि रखते थे। कभी- कभी छात्र की वेश-भूषा को इधर-उधर डाल देते, तब पिता शास्त्री उनके कपड़ों को सहेजकर रखते थे। हरि द्वारा कंचे खेलने, पतंग उड़ाने तथा डोर के साथ पतंग छोड़ देने पर पिता शास्त्री की डाँट पड़ती थी। लाल बहादुर शास्त्री द्वारा आन्दोलन में भाग लेने पर बहुधा जेल में रहना पड़ता था। अतः जेल से ही हरि को सम्बोधित कर पत्र शास्त्री लिखते थे। जो घर की अनेक परिस्थितियों का संकेत करती है। हरि के बीमार होने तथा पुत्री पुष्पा की मृत्यु पर पत्र लिखने तथा उन पत्रों का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि उन्हें कष्ट एवं पीड़ा अधिक थी। शास्त्री परिवार और देशभक्ति का भार साथ-साथ उठाने से अधिक कमजोर भी होने लगे थे। फिर भी वह अपने बच्चों को प्रसन्न रखने का भरसक प्रयास करते थे। पत्रिका श्रद्धा सुमन के अनुसार '' शास्त्री जी के

पत्रों में उनकी पढ़ाई के साथ-साथ खेल कूद के बारे में भी चिंता हुआ करती थी कि " स्टिक मिली या नहीं" और उसी का परिणाम रहा कि वे हॉकी, क्रिकेट और बैडमिन्टन खेलते थे।"[12]

लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पुत्री कुसुम का विवाह लखनऊ में ही किया था। यहीं पर शास्त्री के अन्य बच्चों का जन्म हुआ था। अनिल शास्त्री का जन्म सन् 1948 ई. में लखनऊ में हुआ था। लगभग चार वर्ष की उम्र में अनिल शास्त्री पिता के साथ दिल्ली आ गये। अनिल शास्त्री की शिक्षा प्रारम्भ से ही दिल्ली में हुई। इन्होंने सेंट कोलम्बिया स्कूल में प्रवेश लिया तथा सन् 1964 ई. में इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट की परीक्षा पास की। इसके उपरान्त सेण्ट स्टीफेन्स कालेज दिल्ली में स्नातक उपाधि प्राप्त करने हेतु प्रवेश लिया। यह महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली से सम्बद्ध है। इसी समय अध ययनरत रहते हुए पिता के 10-11 जनवरी 1966 ई. को देहावसान के कारण व्यवधान बनने लगा। किन्तु अग्रज हरिकृष्ण शास्त्री द्वारा परिवार का उत्तरदायित्व ग्रहण करने के उपरान्त अनिल शास्त्री ने सन् 1969 ई. में बी.ए. अर्थशास्त्र आनर्स के साथ उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात शिक्षा ग्रहण करने इंग्लैण्ड चले गये। वहाँ ऐसिरिज मेनेजमेण्ट कालेज इग्लैण्ड से एडवान्स्ड मेनेजमेण्ट प्रोग्राम की शिक्षा प्राप्त की। फिर जनरल मेनेजमेण्ट प्रोग्राम की शिक्षा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कालेज हैदराबाद से प्राप्त की। बिजनेस मेनेजमेण्ट प्रोग्राम की शिक्षा अनिल शास्त्री ने पुणे स्थिति टाटा मेनेजमेण्ट ट्रेनिंग सेन्टर से ली। तश्पश्चात अनिल शास्त्री ने सेल्स अधिकारी से रेसीडेन्ट मैनेजर के पद पर कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए यथोचित प्रयास किया। साथ ही उनके पुत्रों ने भी अपने परिश्रम एवं खर्च पर शिक्षा ग्रहण की थी।

द. शास्त्री की राजनीति तथा आन्दोलन का पारिवारिक जीवन पर प्रभाव

लाल बहादुर शास्त्री ने 1920 ई. से ही आन्दोलन में भाग लेना

प्रारम्भ कर दिया था। जब महात्मा गाँधी ने असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया था। शास्त्री देश भावना से ओतप्रोत थे। इसी आन्दोलन में ही शास्त्री ने शिक्षा त्याग दी थी। शिक्षा छोड़ने वालों में उनके साथ छः साथी थे। इस निर्णय पर परिवार के बड़े लोगों ने शास्त्री की कड़ी आलोचना की थी किन्तु शास्त्री अपने विचार के प्रति अडिग रहे। माँ रामदुलारी देवी को भी बहुत दुःख हुआ कि एक मात्र पुत्र है जिससे उन्हें बहुत आशाऐं बँधी थी। लेकिन शास्त्री देशभक्त एवं राष्ट्र को अंग्रेजों से स्वतन्त्र कराने हेतु संकल्प ले चुके थे। इसके पीछे शास्त्री को निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जैसा गुरू मिला था। गुरू मिश्रा ने लाल बहादुर के लिए ऐसा वातावरण तथा शिक्षा प्रदान की कि वह भारत के स्वतन्त्रता प्रेमी बने। जबकि शास्त्री के गुरू अपने प्रिय छात्र के परिवार की स्थिति से अनभिज्ञ न थे। यहीं कारण था, शास्त्री छात्र जीवन से ही गुरू की निकटता का सानिध्य प्राप्त कर सके। शास्त्री बहुत साधारण छात्र थे किन्तु गुरू मिश्रा ने अपने साँचे में ढालने का प्रयास किया और गुरू को सफलता मिली। यहाँ वाटसन का कथन सत्य प्रतीत होता है, जो कहता है ''मुझे कुछ बालक दो, जो वकील, डॉक्टर, इन्जीनियर तथा चोर-डकैत के पुत्र हों। मैं डाक्टर के बालक को डकैत तथा डकैत के बालक को डॉक्टर बना सकता हूँ। मैं उनके लिए ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दूंगा कि बालक वही स्वरूप धारण करेगा।''[13] यही स्थिति छात्र लाल बहादुर के साथ रही कि गुरू मिश्रा ने देशभक्ति का वातावरण शास्त्री में उत्पन्न किया था।

शास्त्री के आन्दोलन में भाग लेने से परिवार एवं माता को कष्ट नहीं दिया। शास्त्री ने आन्दोलन के पश्चात काशी विद्यापीठ में प्रवेश लिया तथा चार वर्ष में दर्शनशास्त्र में प्रथम श्रेणी के साथ अपाधि प्राप्त की। इसके उपरान्त वे 'सर्वेष्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी' में सम्मिलित हो गये। यहाँ उन्हें हरिजन (दलित) सेवा, एवं देश सेवा का कार्य सौंपा गया। शास्त्री ने मुजफ्फर नगर एवं मेरठ में कार्य किया। मेरठ में कार्य करते हुए शास्त्री का विवाह हो गया।

शास्त्री के विवाह के बाद ही उनका जीवन संघर्षशील हो गया था। आय सीमित एवं खर्च अधिक था। सगे-सम्बन्धी भी शास्त्री के घर आते जाते रहते थे। शास्त्री मेरठ से इलाहाबाद 1929 ई. में आ गये। अब लाल बहादुर शास्त्री आन्दोलनों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। ललिता देवी नवविवाहिता थीं फिर भी शास्त्री उनको समय अधिक नहीं दे पाते थे। ललिता देवी को स्वंय अपना कार्य करना पड़ता था। पानी भरने की समस्या उत्पन्न होती थी मकान ऊपरी हिस्से में था। पानी नीचे से ऊपर ले जाना पड़ता था। शास्त्री जब घर पर होते तो सहयोग करते थे। पत्नी को अधिक परिश्रम करने पर शास्त्री मदद् करते थे, किन्तु अधिकांश कार्य पत्नी स्वयं करती थीं। बच्चों के लिए सोसाईटी अलग से भत्ता देती थी किन्तु इलाहाबाद नगर होने के कारण मेहमानों का आना, रात ठहरना, उनकी खाने की व्यवस्था करने से परिवार पर प्रभाव पड़ता था। यहाँ तक कि ललिता देवी मेला या घूमने के स्थल पर नहीं जा पाती यदि मेला घूमने गई भी तो बिना कुछ खरीदे खाली हाथ वापस लौटना पड़ता था। दोनों पति-पत्नी को साधारण जीवन में ही दिन काटने पड़ते थे। असहयोग आन्दोलन को छोड़ दिया जाय तो सभी आन्दोलनों में शास्त्री ने इलाहाबाद में आन्दोलन में सक्रिय योगदान दिया। इस क्षेत्र में जनता भी इनके कार्यो से प्रभावित हुई। क्योंकि लोगों में यह सन्देश पहुँच चुका था कि शास्त्री समझौतावादी दृष्टिकोण के नेता है, जवाहर लाल नेहरू एवं पुरूषोत्तम दास टण्डन में मतभेद होने पर ही शास्त्री सुलह करते थे।

ललिता देवी का विवाह हुए अभी दो वर्ष बीता था कि उन्हें लगा कि यह परिवार के लिए बड़ा संकट है। कारण, शास्त्री द्वारा शोलापुर के कार्यक्रम में वहीं जाकर भाग लेना था। इसमें ब्रिटिश सरकार की पुलिस आन्दोलनकर्ताओं से सख्ती से निपट रही थी। जान का जोखिम भी था। शास्त्री को जाने से मनाकरने पर नाम वापस नहीं लेने के कारण टण्डन ने घर ललिता देवी के पास सूचना भेज दी कि वे स्वयं अपने पति शास्त्री को शोलापुर

कार्यक्रम में भाग लेने जाने से रोक लें। यह बात सुनकर शास्त्री की माँ भी घबरायी किन्तु उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया। अत: पत्नी ललिता देवी को ही इस सम्बन्ध में बात करनी पड़ी। फिर भी शास्त्री अपने फैसले पर अडिग रहे। अन्त में किसी प्रकार का तरीका कारगर साबित नहीं हुआ तो ललिता देवी ने कह दिया कि शोलापुर मैं भी आप के साथ चलूँगीं। निष्कर्षत: शास्त्री ने कार्यक्रम स्थगित किया किन्तु पत्नी से शास्त्री के कार्यों में व्यवधान पैदा नहीं करने पर वचन भी ले लिया। डी. आर.मनकेकर लिखते है "ऐसे अवसर आए जब परिवार को बड़ी-बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ी, जब उन्होंने अनुभव किया कि बच्चों के जीवन यापन की आवश्यकताऐं भी पूरी नहीं हो रही है।"

शोलापुर की घटना ने ललिता देवी के मस्तिष्क पर पड़ा पर्दा उठा दिया कि अब शास्त्री का अधिकांश समय परिवार में देने के बजाय आन्दोलनों में बीतेगा। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय लाल बहादुर शास्त्री गिरफ्तार हुए उसी समय ललिता देवी पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं। शास्त्री के जेल जाने के बाद पारिवारिक आर्थिक कठिनाईयां उठना स्वाभाविक थी, किन्तु ललिता देवी ने यह सब सहन किया। गर्भावस्था के समय माता को उचित व्यवहार एवं खान-पान की आवश्ययकता होती है। परन्तु ललिता देवी के भाग्य में यह नहीं था। साधारण स्त्री की भाँति उनका समय व्यतीत हुआ। कुछ समय बाद शास्त्री जेल से वापस आये, परिवार इलाहाबाद आ गया। लेकिन पुन: आन्दोलन करने पर उन्हें जेल जाना पड़ा। इस प्रकार बार-बार जेल जाने पर घर की आर्थिक स्थिति दयनीय होने लगी। यहाँ तक कि जेल जाने पर घर पर इतना पैसा नहीं होता था कि परिवार पैसा खर्च करके रामनगर या मिर्जापुर जा सके। कहीं से व्यवस्था करके परिवार घर जा पाता था क्योंकि कमाने वाला व्यक्ति जेल में होने से उतना समय सगे-सम्बधियों के यहाँ रहकर व्यतीत हो सकता था। कभी-कभी ललिता देवी बच्चों एवं सास के साथ किसी के

घर नहीं जाती थी और मजबूरी में मुसीबत के दिन काटती थीं। और अपने व बच्चों के लिए भौंरी पकाकर (गेंहू को उबालना) काम चलाती थी।

परिवार वालों को जेल में अपने व्यक्ति से भेंट करने के लिए एक माह में एक बार मौका मिलता था। शास्त्री बहुधा फैजाबाद, उन्नाव व नैनी जेल में जाते थे। नैनी जेल तो इलाहाबाद के निकट पड़ता था। शास्त्री से भेंट करने के लिए ललिता देवी को पैसा एकत्र करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। घर में साधारण भोजन बनता था। अधिक दिनों की छोटी-छोटी बचत के उपरान्त पैसा एकत्र कर ललिता देवी पति से जेल में भेंट कर पाती थीं। इस प्रकार की बराबर होती घटनाओं से शास्त्री के बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ताथा। उनको सन्तुलित भोजन नहीं मिल पाता था। पढ़ाई में व्यवधान बनता रहता था। पिता के प्यार से वंचित रहना पड़ता था, किन्तु इस समस्या को शास्त्री समझते थे, अतः वह बच्चों को पत्र जेल से लिखते रहते थे।

बीसवीं शताब्दी के प्रथमार्द्ध में रोगों में टायफाइड ने विकाराल रूप ले लिया था। सावधानी पूर्वक इलाज नहीं हो पाने पर मरीज़ कभी-कभी मर भी जाता था। जेल में भी अनेक कैदी बीमार हुए और शास्त्री को उनकी सेवा करनी पड़ी। एक कैदी सुमंगल प्रकाश की स्थिति दयनीय हो गयी थी, शास्त्री के विशेष लगाव एवं सेवा से ही उनका स्वास्थ्य ठीक हो सका। सुमंगल प्रकाश विद्यालय समय से शास्त्री के मित्र थे।

लाल बहादुर शास्त्री नैनी जेल में थे। तब उनकी पुत्री पुष्पा को टायफाइड हो गया था। शास्त्री भी शारीरिक रूप से कमजोर हो गये थे, अतः इस अवसर पर आन्दोलनकारी कैदियों ने शास्त्री को सलाह दी कि उन्हें अपनी देख भाल करने तथा पुत्री पुष्पा का इलाज कराने हेतु पेरोल पर चला जाना चाहिए। पेरोल पर बिना शर्त जेलर छोड़ने को तैयार नहीं था। वह चाहता था कि शास्त्री लिखित अनुबन्ध करें कि वह जेल के बाहर पेरोल की अवधि में कांग्रेस एवं आन्दोलन हेतु कोई कार्य नहीं करेगें शास्त्री जेलर की इस बात से

सहमत नहीं हुए तथा शास्त्री ने लिखकर देने से अस्वीकार कर दिया। परिणामतः जेलर ने बिना लिखित अनुबन्ध के 15 दिन के पेरोल पर छोड़ दिया, जिससे वह अपनी पुत्री पुष्पा का टायफाड का इलाज करा सके। डी. आर. मानकेकर लिखते है "जेलर समझ गया कि लाल बहादुर सिद्धान्त के पक्के हैं।"[14] पैरोल पर छूटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री घर पहुँचे परन्तु तब तक उनकी पुत्री पुष्पा का देहान्त सन् 1941 ई0 में हो गया। वह उसे जीवित नहीं देख पाये। यहं शास्त्री का दुर्भाग्य रहा कि आन्दोलन एवं जेल में रहने के कारण वे अपनी पुत्री की देख भाल नहीं कर सके। गरीबी की हालत व जेल में रहने से पुत्री पुष्पा का इलाज नहीं हो सका। लाल बहादुर ने दुखी मन से अपनी पुत्री का दाह संस्कार किया और जेल वापस आ गये। जबकि परिवार के लोगों ने पैरोल की अवधि पूरी होने तक घर पर ठहरने को कहा। किन्तु सिद्धान्त के पक्के होने के कारण शास्त्री ने कहा कि जिस कार्य के लिए मुझे छोड़ा गया है। वह कार्य खत्म हो चुका है। अतः अब यहाँ मेरा रूके रहना अनुचित है। वास्तव में ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी पुत्री की बीमारी व मृत्यु पर भी दुःखी नहीं होगा, फिर भी देश प्रेम व सिद्धान्त के कारण शास्त्री इस कड़वे जहर को भी पी गये। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते है "देश सेवा में वह पुत्री का मोह तक भूल गये।"[15] जिस समय पुत्री का देहान्त हुआ था, शास्त्री सातवीं बार जेल गये थे। जेल में रहते हुए शास्त्री को बड़ी पीड़ा होती थी लेकिन ईश्वर के निर्णय के आगे मजबूर थे। वह भली भाँति जानते थे कि पत्नी ललिता देवी की स्थिति दयनीय होगी अतः उनके कष्टों को कम करने की दृष्टि से पत्र लिख देते थे। शास्त्री ने सिक्योरिटी प्रिजनर, सेन्ट्रल जेल, नैनी(इलाहाबाद) से दिनांक 2-12-41 को पुत्र हरि को सम्बोधित कर पत्र लिखा था। पत्र मे पत्नी ललिता शास्त्री को लिखा कि "उन्हें पुत्री की मृत्यु की याद सताती है। तुम्हें चाहिए कि रामायण-महाभारत पढ़ लिया करो। इससे मन का बोझ हल्का होगा तथा जाड़े से बचने के लिए कोई ऊनी स्वेटर की व्यवस्था

कर लेना।''[16] वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं ''ललिता देवी जी आज भी उन दिनों की याद करके रो पड़ती हैं।''[17] इस परिवार को उस समय दुःख मिल रहे थे। किसी भी प्रकार से सुखमय जीवन की किरण भी नहीं दिखायी देती थी फिर भी शास्त्री एवं उनकी पत्नी ने धैर्य एवं साहस नहीं खोया। उन्हें आशा थी कि एक समय उनका सुखी वातावरण का अवश्य होगा। श्रीमती दमयन्ती लिखती हैं ''यह शास्त्री जी के चरित्र का वह उज्जवल पहलू है, जिसका एक उदाहरण क्रान्तिकारियों को छोड़कर और कहीं नही मिलता यह शास्त्री जी की नैतिकता, सिद्धान्त और दृढ़ता की कानून पर विजय थी।''[18]

एक वर्ष का समय बीतने के बाद लाल बहादुर शास्त्री का बड़ा पुत्र हरिकृष्ण सन् 1942 ई. में टायफाइड (मियादी बुखार) का शिकार हो गया। शास्त्री इस समय जेल में थे। हरि का बुखार 104-105 डिग्री रहता था। शास्त्री ने पैरोल पर छूटने का प्रार्थना पत्र दिया। जेल के अधिकारी शास्त्री के आचरण एवं सिद्धान्तों से परिचित हो चुके थे। अतः शास्त्री से लिखित अनुबन्ध नहीं लिया गया और उन्हें एक सप्ताह के पैरोल पर छोड़ दिया गया। पैरोल का समय भी समाप्त हो गया। शास्त्री की स्थिति दयनीय हो गई थी। वह अपने पुत्र को बड़ी उत्सुकता एवं एकाग्रता के साथ आँखे गड़ाये देख रहे थे। जिस तरह पेड़ की जड़ जमीन को जकड़ लेती है।जेल के अधिकारी लिखित अनुबन्ध ा के बिना पैराल की अवधि नहीं बढ़ाना चाहते थे। शास्त्री भी अपनी बात पर अडिग रहे। अतः जेल वापस जाने का समय आ गया। टायफाइड (मियादी बुखार) की दशा में बच्चे ने धीरे से कहा 'बाबू जी मत जाइये'। शास्त्री की आँखो मे आँसू आ गये। शास्त्री ने सबको नमस्ते की, और वापस मुड़कर घार से निकलकर जेल आ गये। शास्त्री के आचरण एवं व्यवहार से परिवार के सभी लोग अनभिज्ञ नहीं थे। अतः उन लोगों ने भी चुप रहना उचित समझा। श्रीमती दमयन्ती लिखती हैं ''उस समय शास्त्री जी के मन पर क्या बीत रही थी-इसे किसी पिता का हृदय ही अनुभव कर सकता है।''[19]

शास्त्री का स्वास्थ्य अधिक गिर चुका था। उन्हें अधिक समय तक जेल में रहना पड़ता था। जेल में पौष्टिक भोजन मिल नहीं सकता था। जेल से बाहर रहने पर भी पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करने व आय कम होने के कारण पौष्टिक भोजन मिलना कठिन था। कमजोरी उनकी इतनी अधिक बढ़ गयी कि कांग्रेस के कार्य से बनारस जाते समय नदी किनारे बेहोश हो गये। अतः स्वास्थ लाभ हेतु बनारस में कमलापति त्रिपाठी के घर पहुँचाया। ललिता देवी भी बच्चों को लेकर बनारस पहुँची। ललिता देवी स्वयं बच्चों के साथ शास्त्री के चाचा के घर पर ठहरीं। वे सुबह शास्त्री के पास पहुँच जाती। दिन भर उनकी सेवा करती तथा शाम को शास्त्री को कमलापति त्रिपाठी के निवास पर छोड़ कर, स्वयं वापस आ जाती। डाक्टर ने उनको ठण्डे स्थान पर रहकर आराम करने की सलाह दी। बड़ी कठिनाई के साथ धन की व्यवस्था कर परिवार रानीखेत पहुँच गया। ललिता देवी पोष्टिक भोजन शास्त्री को देती थीं। स्वयं व अपने बच्चों को मोटा दलिया या इमली नमक मिर्च से साधारण भोजन तैयार कर देती थीं। इमली पास के ही पेड़ से बटोर लाती थी। एक माह में शास्त्री का स्वास्थ अच्छा हो गया परिवार इलाहाबाद आ गया किन्तु इस प्रकार अन्य कई घटनाओं से बच्चों को भी कष्ट उठाना पड़ता था।

भारत छोड़ो आन्दोलन के समय लाल बहादुर शास्त्री को भूमिगत होकर कार्य करना पड़ रहा था। परिवार को यह ज्ञात नहीं था कि उनके मुख्यिा कहाँ पर मौजूद हैं। अतः परिवार के लोगों को शंकाऐ घेरने लगीं। घरेलू समस्याऐं भी बढ़ गई थी। इसी बीच ललिता देवी का स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ था। शास्त्री से मुलाकात होने पर डाक्टर को दिखाने का विचार आया। शास्त्री ने अपनी पत्नी से बच्चों के साथ मिर्जापुर जाने को कहा था किन्तु वहाँ तक का किराया नहीं था, अतः 25 रु0 का प्रबन्ध किया गया। शास्त्री स्वयं गिरफ्तार होकर जेल चले गये।

शास्त्री के जेल जाने के बाद ललिता देवी बच्चों के साथ मिर्जापुर

चलीं गयी। वहाँ शास्त्री द्वारा दिये गये पर्चे को सम्बन्धित व्यक्ति तक पहुँचाया। शास्त्री की माँ रामदुलारी देवी अपने भाईयों के पास रामनगर चली गई। शास्त्री का परिवार बेघर हो गया था। परिवार के लोगों को शास्त्री के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं था कि उन्हें किस जेल में रखा गया है। शास्त्री की आय इतनी कम थी कि उससे बचत नहीं हो पाती थी अतः संकट के समय बहुत कष्ट उठाना पड़ता था। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय कांग्रेस एवं अन्य संगठन की व्यवस्था अस्त-व्यस्त रहती थी। अतः इन स्थानों से शास्त्री को गुजारे की रकम भी मिलना बन्द हो गई। समस्याऐं विकराल रुप धारण करने लगी। डी. आर. मनकेकर लिखते है कि " यह समय ललिता देवी के लिए असहृय, कठिनाई और अनिश्चितता का था। किसी भी साधन अथवा दयालु मित्र के बिना वह एक दम बेसहरा होकर आंतकित थी।"[20] शास्त्री पहले भी कई बार जेल गयें थे किन्तु परिवार को इतना कष्ट नही भोगना पड़ा था, जितना कि अब ललिता देवी तथा उनके बच्चों को दुःखों का सामना करना पड़ रहा था। वैसे भी ललिता देवी समस्याओं का सामना करने की अभ्यस्त हो चुकी थीं। वह परिवार का भरण-पोषण तंगी की हालत में भी करने में सफल रही है, किन्तु अब सारा दायित्व स्वयं पर आ चुका था। इस मुसीबत को पार पाने में उन्हें एक-एक दिन भारी होता था।

शास्त्री के बच्चों की शिक्षा भी रूक गई थी। क्योंकि वे इलाहाबाद से मिर्जापुर चले गये थे। इन्हीं दिनों हरी को मियादी बुखार आ गया। बड़ी कठिनाईयों में इलाज हो पाया। सारी समस्याऐं एक साथ ललिता देवी को घेरे हुई थी। ऐसी स्थिथिति में उन्हें मानसिक आघात लगा। शरीर दुर्बल होने लगा। चिन्ता सताने लगी। अतः ललिता देवी का स्वास्थय भी खराब हुआ। उन्हें बुखार और खांसी आने लगी। इसी अवधि में ललिता देवी को शास्त्री का पत्र मिला कि वह नैनी जेल में हैं। इधर ललिता देवी ने बच्चों के स्वस्थ तथा स्वंय को कुशलता के समाचार से अपने पति को अवगत कराते हुए पत्र लिख

भेजा। जबकि दोनों-शास्त्री व ललिता देवी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था और शारीरिक रूप से कमजोर थे।

नैनी जेल में लाल बहादुर शास्त्री बन्द थे। इसी जगह शास्त्री के मित्र एवं पड़ौसी रह चुके सरजू प्रसाद भी कैदी थे। उनको रिहाकर दिया गया। सरजू प्रसाद ने राजनीतिक कार्यों व आन्दोलनों में पुनः भाग लेना आरम्भ कर दिया। अतः सरजू प्रसाद को दोबारा गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया गया। जिस समय सरजू प्रसाद रिहा किये गये थे वह किसी कार्य से मिर्जापुर गये थे। वहाँ शास्त्री के परिवार से कुशलता का समाचार प्राप्त करने भी गये थे। उन्होंने शास्त्री की पत्नी को देखा तो आश्चर्यचकित हो गये। ललिता देवी शारीरिक रूप से बहुत कमजोर हो चुकी थी। सरजू प्रसाद ने जेल आने पर यह सूचना शास्त्री को दी। शास्त्री ने कड़ा पत्र लिखा कि उनसे अपने स्वास्थ्य को क्यों छिपाये रखा गया। ललिता देवी ने पत्रोत्तर में कहा कि सरजू प्रसाद के आने पर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वह बीमार थीं। किन्तु अब वह पूर्ण स्वस्थ हैं। एक बार फिर ललिता देवी ने अपनी बीमारी की बात छिपा ली। वह नहीं चाहती थीं कि उनके स्वास्थ का ठीक-ठीक ज्ञान शास्त्री को हो क्यों कि इससे उनके पति शास्त्री और अधिक चिन्तित होंगे, मानसिक तनाव बनेगा जबकि वह स्वयं जेल में रहकर कष्ट भोग रहे हैं।

शास्त्री को जेल की ओर पत्र लिखने की छूट मिली तो वे प्रति सप्ताह एक पत्र अपने सम्बन्धियों को लिखने लगे। ललिता देवी ने एक बार पत्र लिखा तब डाक भेजते समय ललिता देवी के भाई की पत्नी ने कुसम से पत्र के ऊपर बीमारी का वर्णन करा दिया। शास्त्री को जब ऐसा समाचार मिला तो कड़े शब्दों में पत्र लिखा और तुरन्त इलाहाबाद जाकर इलाज कराने का आदेश दिया। जिसका प्रबन्ध शास्त्री ने इलाहाबाद पत्र भेजकर किया था। इलाहाबाद में अरूणा आसफ अली की बहिन पूर्णिमा बनर्जी शास्त्री की राजनीतिक सहयोगी थीं। उन्होंने एक आदमी मिर्जापुर भेजा जो ललिता देवी को

इलाहाबाद लेकर आ गया। पूर्णिमा डाक्टर के पास लेकर गयीं, डाक्टर ने स्पष्ट कह दिया कि ललिता देवी को क्षय रोग है। डाक्टर ने इलाज प्रारम्भ कर दिया। पूर्णिमा ने ललिता देवी की बीमारी के दौरान देख भाल की। दवाओं की पूरी व्यावस्था की। कई महीने के इलाज के बाद ललिता देवी का स्वास्थ्य ठीक हुआ, किन्तु अभी भी उनका वजन, पौष्टिक भोजन लेने के बाद बढ़ नहीं रहा था। शास्त्री को लगातार पत्नी के इलाज का समाचार मिल रहा था। इससे अब उन्हें व्याकुलता घेरने लगी। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं ''उनके पत्रों से उनकी चिन्ता प्रकट होती और जेल में बंद होने की वजह से वह अजीब विवशता अनुभव कर रहे थे।'' [21] लगभग एक वर्ष तक इलाज होने के पश्चात ललिता देवी का स्वास्थ्य ठीक हुआ। उनके स्वास्थ्य में आशाप्रद सुधार हुआ। ललिता देवी के इलाज एवं सेवा-सुश्रुषा पूर्णिमा ने प्रत्येक दृष्टि से की तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचना भी बराबर लाल बहादुर शास्त्री तक नैनी जेल पहुंचायी।''पूर्णिमा ने जिस तरह उनकी देख भाल की उसके लिए ललिता देवी उन्हें अब कृतज्ञतापूर्वक याद करती हैं।''[22]

ललिता देवी का स्वास्थ्य ठीक हुआ किन्तु उनके सामने परिवार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता बनी रहती थी। इसका भी प्रबन्ध हो गया था। समस्याओं व कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शास्त्री के गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा पैसा भेज देते थे। ललिता देवी की इच्छा होती थी कि जैसे भी सम्भव हो जेल में पति से मुलाकात होती रहे क्योंकि जेल इलाहाबाद से निकट हैं। कहीं ऐसा न हो कि शास्त्री को अन्तरित कर दूसरे जेल भेज दिया जाय तो भेंटकर पाना कठिन हो सकता है। अत: भेंट करने के लिए आने-जाने के लिए पैसे की कमी परेशान करने लगी। उन्होंने पुन: पुराना रास्ता अपनाया। वह भोजन साधारण किस्म का बनाने लगी और उससे होने वाली बचत का पैसा एकत्र करने लगी जिससे पति से जेल में भेंट की जा सके। भोजन में बच्चों को भौंरी पकाकर दी जाती थी। बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक

था। बच्चे इस बात को भली भाँति समझते थे कि उनके पिता जेल में है, अतः खाने में जो कुछ मिल जाता था उसी में सन्तोष कर लेते थे। हरी और कुसुम का उठना-बैठना, खेलना, कूदना पड़ौस के परिवारों के साथ भी था। पड़ौस में एक मुस्लिम परिवार रहता था। इनके बच्चे भी ललिता देवी के घर खेलने आ जाते थे। इस समय ललिता देवी मुट्ठीगंज में निवास करती थीं। बार-बार भोजन मे भौंरी पकते देख उन बच्चों ने यह बात अपनी माँ से कह दी। दूसरे दिन किराने वाला खान-पान भोजन का सामान तथा ईधन का सामान ललिता देवी के घर आ गया। स्वाभिमान से जीने वाले शास्त्री की पत्नी ललिता देवी ने यह सब सामान लेने से मना किया किन्तु पड़ौसियों के दबाव में आकर उन्हें सभी वस्तुऐं रखनी पड़ी। पड़ौसियों ने स्पष्ट कहा कि यदि लाल बहादुर देश को स्वतन्त्र कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो हम लोगों को भी उनकी सहायता करना चाहिए। इसके पश्चात पड़ौसियों द्वारा उन पर निगाह रखी जाने लगी ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनको सुविधा प्रदान की जा सके।

वेवेल योजना पर विचार विमर्श हेतु 29 जून 1945 को शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। वातावरण को अनुकूल बनाने हेतु कांग्रेस के सभी नेता एवं कार्यकताओं को जेल से रिहाकर दिया गया। सम्मेलन 14 जुलाई 1945 तकचला किन्तु असफ ल रहा। फिर भी कांग्रेसी जेल से मुक्त हो चुके थे। इन सब लोगों के मुक्त होने के साथ ही साथ नैनी जेल से लाल बहादुर शास्त्री को भी छोड़ दिया गया। शास्त्री का जेल में रहते हुए स्वास्थ्य बिगड़ चुका था। इसका प्रभाव उनके दांतों पर पड़ा था। जब कि सन् 1945 ई. तक शास्त्री ने चाय भी नहीं पी थी।

प्रान्तों में चुनाव कराये जाने निश्चित हो गये थे। अतः कांग्रेस को सफलता प्राप्त करने हेतु कर्मठ, ईमानदार कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। गोबिन्द बल्लभ पन्त ने लाल बहादुर शास्त्री को लखनऊ बुलाया। शास्त्री ने यह सूचना ललिता देवी को दी तो वह असमंजस में पड़ गयीं। क्योंकि यहाँ

गुजारा हो नहीं पा रहा है, लखनऊ में रहकर आर्थिक कठिनाईयों का सामना कर पाना बड़ा कष्टकारी होगा। लेकिन जब शास्त्री ने बताया कि उन्हें लखनऊ में निवास व वेतन मिलेगा तो ललिता देवी ने सहमति प्रकट कर दी। लेकिन शास्त्री ने पत्नी से प्रश्न कर दिया कि तुम्हारी दृष्टि में रुपया महत्वपूर्ण क्यों हो गया। डी.आर. मनकेकर लिखते है कि "ललिता देवी ने कहा आप जानते है कि अपने लिए कुछ नहीं चाहती, लेकिन आप देख रहे हैं कि हम बच्चों की साधारण आवश्यकता भी पूरी नहीं कर पाते। यदि सम्भव हो तो मैं उनकी जिन्दगी और कष्टकर नहीं बनाना चाहती। मेरे लिए धन का महत्व नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि हम कैसे रहते हैं और कहाँ रहते हैं।"[23]

शास्त्री परिवार सहित लखनऊ आकर रहने लगे। यहाँ पर हरि कृष्ण की प्रारम्भिक शिक्षा शुरु हो गयी। ऐसा प्रतीत होता था कि परिवार का कष्टकारी समय समाप्त हो गया था। शास्त्री के राजनैतिक का दूसरा दौर प्रारम्भ हो गया वह विधायक और मंत्री बन गये। शास्त्री का जीवन कठिनाइयों भरा रहा है। आन्दोलन में संलग्न रहने के कारण परिवारिक खर्चों ने घर की स्थिति को कमजोर बना दिया था। किसी प्रकार गुजारा हो पाता था इसका एहसास सदैव लाल बहादुर शास्त्री को रहा है। एक बार अगस्त 1964 ई. में भारत सरकार के सचिवों को सम्बोधित करते हुए कहा कि " वह जानते हैं कि गरीबी क्या होती है, अपने दिनों की याद करते हुए कहते हैं कि उन्होंने 2. 5 रुपये महीने पर गुजारा किया था।"[24]

शास्त्री एवं उनके परिवार को आन्दोलन की अवधि में बहुत कष्ट उठाने पड़े। विवाह के बाद से ही जीवन दोनों पति-पत्नी का संर्घषमयी हो गया था। शनैः शनैः समय बीता बच्चे भी हुए, उन्हें भी इस कष्ट का भागीदार बनना पड़ा यहाँ तक कि बच्चों की शिक्षा में व्यवधान बना। उन्हें पौष्टिक आहार प्राप्त नहीं हो पाता था। किन्तु शास्त्री अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ रहे । आन्दोलन में

सक्रिय रूप से कार्य किया। गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा ने विद्यालयी जीवन में ही पक्का देश-प्रेमी बना दिया था। शास्त्री के कार्यों से प्रभावित होने पर गुरू मिश्रा उनके परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहते थे। निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा ने शास्त्री जैसे साधारण बालक को ऐसे वातावरण में ढाला तथा उनके व्यक्तितत्व का विकास किया कि वह देश की सेवा मे जुट गया। लॉक जैसे विद्वान भी इस विचार से सहमत है। वह कहते है "बालक के व्यक्तितत्व के विकास में मानवीय प्रयासों का विशेष महत्व है। अध्यापक तथा अभिभावक उचित वातावरण द्वारा बालक का मन चाहा विकास कर सकते हैं।"[25] शास्त्री के व्यक्तितत्व के विकास में भी उनके गुरू का एवं माता का विशेष योगदान रहा है। यही कारण था कि शास्त्री ने स्वाभिमानपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए आन्दोलन में भाग लिया। जबकि उनका गृहस्थ जीवन अव्यवस्थित रहा। शास्त्री ने कष्टों भरा जीवन बिताया तो ऐसी भी स्थिति आयी कि उन्होंनें सम्मान जनक पद प्राप्त किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मनकेकर, डी. आर., – 'लाल बहादुर शास्त्री', प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1996 पृष्ठ–29
2. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – 'लाल बहादुर शास्त्री', किरण प्रकाशन, 37 दरियागंज दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1996 पृष्ठ–10
3. वही, – पृष्ठ–12
4. मनकेकर, डी. आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–38
5. वही, – पृष्ठ–40
6. सुमन, – धरती का लाल, सं0–जैन, यशपाल श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, फतेहपुर शाखा, 1 मोती लाल नहेरू प्लेस द्वितीय संस्करण, 1988, पृष्ठ–274
7. मनकेकर, डी. आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–42
8. रतूड़ी, वी.एम., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–11
9. मनकेकर, डी. आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–11
10. पत्रिका, – 'श्रद्धा सुमन' हरि कृष्ण शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट 1,मोती लाल नेहरू प्लेस नई दिल्ली पृष्ठ–3
11. सुमन, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–274
12. पत्रिका, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–4
13. वाटसन, – द्वारा उद्धत भरद्वाज, डी. सी., नवीन शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा 15 वां संस्करण 1976, पृष्ठ–74

14. मनकेकर, डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-52

15. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-38

16. शास्त्री, लालबहादुर, - दिनांक 2.12.41 को लिखा पत्र, द्वारा उद्धत धरती का लाल, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-चित्रावली

17. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-15

18. श्रीमती दमयन्ती, - 'लाल बहादुर शास्त्री- व्यक्ति और विचार' एस. चन्द एण्ड कं. रामनगर, नई दिल्ली 1976, पृष्ठ-37

19. वही, - पृष्ठ-38

20. मनकेकर डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-94

21. वही, - पृष्ठ-97

22. वही, - पृष्ठ-97

23. मनकेकर डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-101

24. मनकेकर डी. आर., - 'लाल बहादुर- ए पोलिटिकल बयोग्राफी' बाम्बे पापुलर प्रकाशन 1964, पृष्ठ-72

25. लॉक, - द्वारा उद्धत, भारद्वाज, दिनेश चन्द्र, नवीन शिक्षा मनोविज्ञान, विनोद पुस्तक मन्दिर आगरा, पन्द्रवाँ संस्करण 1976, पृष्ठ-54

तृतीय अध्याय

लाल बहादुर का राजनीति में प्रवेश

अ- इलाहाबाद नगर पालिका सदस्य के रूप में शास्त्री

ब- नगरपालिका के विकास में योगदान

स- इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं कार्य

लाल बहादुर शास्त्री का राजनीति में भाग लेने का उद्देश्य पूर्व निर्धारित नहीं था और न ही जीवन का आधार। वह प्रारम्भ से ही देशभक्त, राष्ट्रवादी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लिया था, उसके बाद बिहार में कांग्रेस के गया अधिवेशन में साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से भाग लिया था। भारत में स्वतन्त्रता के लिये होने वाले आन्दोलन कांग्रेस के नेतृत्व में होते थे, अतः इसी भावना से प्रेरित होकर लालबहादुर गया कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे थे। जबकि इसके उपरान्त वह विद्यापीठ में प्रवेश लेकर शिक्षा ग्रहण करने लगे थे। परिवार की स्थिति भी आर्थिक रूप से सुदृढ नहीं थी। जिससे यह विचार पैदा हो सके कि कुछ कार्य करना आवश्यक नहीं है। जैसा कि कुछ नेता घर से आर्थिक रूप से सुदृढ थे और उन्हें आर्थिक संसाधन जुटाने या रोजगार की दिशा में दौड़ने की आवश्यकता नहीं थी। घर के लोग भी इस बात पर विशेष ध्यान देते थे कि लाल बहादुर कोई न कोई काम अवश्य करेगा, जिससे परिवार की स्थिति सुधरेगी। उनकी मां रामदुलारी देवी को भी इस बात की आशा थी कि वह बड़ा होकर घर के बोझ को हल्का करेगा। स्वयं लाल बहादुर को भी इस बात का बोध था, ऐसे में राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने का विचार पैदा नहीं होता।

लाल बहादुर ने जब हरिश्चन्द्र हाईस्कूल बनारस में प्रवेश लिया था तब तक वह निश्चित नहीं कर पाये थे कि शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भविष्य में क्या बनना है न ही परिवार में यह तय किया जा सका था कि लाल बहादुर शास्त्री को भविष्य में क्या बनना है। यदि लाल बहादुर को निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जैसा अध्यापक नहीं मिला होता तो वह भविष्य में क्या बनते? कुछ भी कहना कठिन है। निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा अपनी कक्षाओं में देशप्रेम, राष्ट्रभक्त के पाठ पढ़ाते थे। असहयोग आन्दोलन के समय जब इससे प्रेरित होकर लाल बहादुर ने शिक्षा का बहिष्कार किया तब यही अध्यापक निष्कामेश्वर मिश्रा ने लाल बहादुर को समझाया था कि तुम्हारे द्वारा उठाया गया

कदम गलत है परिवार और मां को तुमसे बहुत आशायें हैं। किन्तु लाल बहादुर अपने विचारों पर अडिग रहे थे। लाल बहादुर देशभक्ति से अधिक प्रेरित थे यह उनको हरिश्चन्द्र हाईस्कूल की देन थी। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं "हरिश्चन्द्र हाईस्कूल ही वह पीठ था जहां लाल बहादुर के मन में पहले पहल देशभक्ति की ज्योति जगी और जब गांधी जी ने जन-जन को ब्रिटिश शासन से संघर्ष करने का आहवान किया तो मिश्र जी के 30 में से कम से कम 6 विद्यार्थियों ने पढ़ना छोड़ दिया। इसमें लाल बहादुर, त्रिभुवन नारायण सिंह और अलगूराय शास्त्री थे।"[1] गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा ने लाल बहादुर का प्रत्येक दृष्टि से विकास करने का प्रयास किया। वह जानते थे कि इस बालक में स्वाभिमान के गुण विद्यमान हैं अतः यह अनेक सफलतायें अर्जित कर सकता है। पाठय सहगामी क्रियाओं, नाटकों स्काउट द्वारा समाज सेवा की भावनायें लाल बहादुर में विकसित की। मनकेकर लाल बहादुर के गुरू के सम्बन्ध में प्रशंसा भरे शब्द लिखते हैं "वह इसका भरसक प्रयत्न करते थे कि उनके छात्र न केवल पढ़ने लिखने में ही उन्नति करें बल्कि चरित्रवान भी बने और उनमें देशभक्ति और उत्कृष्ट कर्तव्यनिष्ठा के भाव विकसित हों।"[2]

लाल बहादुर में अच्छे विचार गुरू मिश्रा जी ने कूट-कूट भर दिये थे। जब भी अवसर पाते, उन्हें नैतिक सन्देश देते, घर में गुरू के आने-जाने से भी लालबहादुर के अन्दर आत्मविश्वास भी जागा। यही विचार अपने हृदय में समेटे काशी विद्यापीठ में अध्ययन करते रहे। 1926 ई. में शास्त्री की उपाधि पायी तो जीवन में अनिश्चितता का लक्ष्य मात्र देश को स्वतन्त्र कराने व समाज सेवा का सपना था। आवश्यक मांगों की पूर्ति हेतु अवकाश के समय तथा दिन के अल्पावधि में कार्य कर लेते थे। जो भी पैसा मिलता अपने खर्चे को निकालकर मां को दे देते थे लेकिन जीवन के प्रति स्थायित्व नहीं था। फिर भी अभी तक राजनीतिक जीवन अपनाने का विचार मन में उत्पन्न नहीं हुआ।

देश के विभिन्न भागों में सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी की

शाखायें स्थापित की जा रही थी। इसकी स्थापना लाला लाजपतराय ने सन् 1921 ई. में पंजाब में की थी। इसका उद्देश्य भारतीय समाज के पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा एवं राष्ट्रीय दृष्टि से जागरूकता पैदा करना था। इस संस्था को लोक सेवक मंडल के नाम से भी जाना जाता था। इसमें ऐसे नवयुवकों को भर्ती किया जाता था जो साधारण जीवन यापन करने वाले हों। खर्च के लिये प्रत्येक माह का नियत वेतन मिलता था, जो मात्र गुजारे भर के लिये होता था। लाल बहादुर ने पंजाब केसरी लाला लाजपतराय को प्रभावित कर इस संस्था में प्रवेश किया।

लाल बहादुर ने शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सामाजिक सेवा करने का कार्य अपना लिया। इसके लिये उन्हें सहारनपुर मेरठ जैसी जगहों पर हरिजनों के विकास के लिये कार्य करना पड़ा। जिससे समाज के निम्न वर्ग की कमजोरियों एवं उनकी आवश्यकताओं को बहुत नजदीक से देखा। इसी समय लाल बहादुर का रिश्ता ललिता देवी के साथ तय कर दिया गया। एक सप्ताह के अन्दर विवाह कर दिया गया। अतः लाल बहादुर शास्त्री को स्थानांन्तरित होकर इलाहाबाद आना पड़ा।

शास्त्री इस समय इलाहाबाद में पुरुषोत्तम दास टण्डन के अधीन रहकर 'सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी' का कार्य देखने लगे। लाल बहादुर देशभक्त थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेते रहते थे, लेकिन राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने का विचार अभी भी नहीं आया था। लाल बहादुर ने लाहौर अधिवेशन में भाग लिया। वहां से वापस आने पर गांधी जी के आहवान पर सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सक्रिय भूमिका अदा की। गांव-गांव जाकर महात्मा गांधी के विचारों को फैलाया। यहां तक कि जेल भी जाना पड़ा। शास्त्री सीधे राजनीति से तो नहीं जुड़े थे। परोक्ष रूप से उनके कदम राजनीति में भागीदारी के लिये बढ़ रहे थे।

पुरुषोत्तम दास के अधीन समाज सेवा करने से उनके साथ आनन्द

भवन आना-जाना होने लगा। बहुधा टण्डन आनन्द भवन नेहरू से मिलने जाते तो लाल बहादुर शास्त्री को साथ ले जाते थे। अतः जवाहर लाल नेहरु से निकटता भी शास्त्री की हो गयी। कुछ समय बाद उन्हें इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया तो शास्त्री को राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेना पड़ा। किन्तु परिस्थितियों पर विचार किया जाय तो लाल बहादुर ने स्वयं इच्छा प्रकट नहीं की बल्कि नेहरू व टण्डन की योजना के तहत कांग्रेस में आ गये और यहीं से उनकी दिशा राजनीति की ओर हो गयी।

अ. इलाहाबाद नगरपालिका सदस्य के रुप में शास्त्री-

भारत में प्राचीन काल से ही नगर संस्थायें स्थापित थीं जो अपने आप में स्वायत्ततापूर्वक कार्य करती थीं। मौर्य काल में नगर समितियां स्वतन्त्रता पूर्वक अलग-अलग कार्य करती थीं। दक्षिण भारत चोल वंशीय शासन में ग्रामीण स्वायत्तता चरम सीमा पर रही। मुगल काल में भी इस प्रकार की संस्थायें कार्य करती रही। किन्तु ब्रिटिश काल में इन संस्थाओं का लोप होता दिखायी दिया। यदि किसी जगह ग्रामीण शासन पाई गई तो इसे जीवित रखने का प्रयास किया गया। रमेशचन्द्र मजूमदार लिखते हैं ''सरकार के सामने विस्तृत ग्रामीण क्षेत्र और नगर दोनों के लिये स्थानीय सरकार की एक निश्चित प्रणाली का विकास करने का काम पड़ा था।''[3]

1816 और 1819 ई0 में नगर विकास से सम्बन्धित कानून भी बनाये गये,जिसमें सड़को, पुलों एवं नालियों का निर्माण एवं मरम्मत कराने एवं इसके लिये कर वसूलने का अधिकार मिला। अधिक समय तक उसी के अनुसार नगर संस्थायें कार्य करती रहीं और उन्हें सफलता भी मिली। ''1864 ई. में लार्ड लारेन्स ने इस सत्य को स्वीकार किया कि भारत के लोगों में अपने स्थानीय मामलों को चलाने की क्षमता है।''[4] समय-समय पर ब्रिटिश भारत सरकार ने स्थानीय स्वायत्त शासन हेतु सुधार एवं नियम पारित किये। सन 1870 ई. एवं 1871 ई. में भी नये नियम पारित किये गये। फिर भी इन सुधारों में अनेक

कमजोरियां पाई गई। इस प्रकार के कानून पारित किये गये थे कि सरकार की प्रधानता बनी रहे। रमेशचन्द्र मजूमदार लिखते हैं "इसमें बहुत सी गम्भीर त्रुटियां थीं। समितियो में सरकारी तत्व की पूरी प्रधानता थी। वहां जनता की इच्छाओं और भावनाओं की कोई गुंजाइश न थी।"[5] लेकिन लार्ड रिपन ने इन कमियों को समाप्त करने का प्रयास किया और मई 1882 ई. में एक सरकारी प्रस्ताव रखा। नगरपालिका सम्बन्धी स्थानीय स्वायत शासन का प्रारम्भ लार्ड रिपन के काल से ही होता है। नगर पालिका का अध्यक्ष डिसट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता था इसे सरकार द्वारा नामजद किया जाता था लेकिन मई 1882 ई. के प्रस्ताव में कहा गया कि नगर पालिका का अध्यक्ष गैर-सरकारी व्यक्ति होगा। नगर पालिका का वास्तविक शासन जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुपर्द कर दिया जाय तथा नगर पालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, रोशनी, सड़कें आदि की व्यवस्था स्वयं करें। इसके पश्चात सन 1909 ई. में स्थानीय शासन सम्बन्धी कदम उठाये गये। रायल कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय शासन के प्रशासनिक हस्तांतरण के रूप में की गई थी।

इस प्रकार शनैः-शनैः ब्रिट्रिश भारत सरकार द्वारा स्थानीय स्वायन्त शासन के लिये नियम एवं कानून पारित किये जाते रहे जो राजनैतिक शिक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। कालान्तर में देखने को मिलता है कि देश के वरिष्ठ राजनैतिक इन पदों पर कार्य कर चुके थे। 1923-24 ई. की अवधि में नगर पालिका के चुनाव में सी.आर. दास कलकत्ता, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद, राजेन्द्र प्रसाद पटना तथा जवाहर लाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध यक्ष निर्वाचित हुये थे।

सन् 1926 ई. तक लाल बहादुर शास्त्री ने राजनीति में भाग नहीं लिया था लेकिन कालान्तर में सामाजिक संस्था से जुड़ने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री राजनीति के मैदान में उतरे। उन्होंने इलाहाबाद की नगरपालिका की सदस्यता ग्रहण की। सुनीति व्यास लिखते है कि "सन 1936 ई. में वह

इलाहाबाद म्युनिसपिल बोर्ड के सदस्य चुने गये।"[6] लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद नगर पालिका परिषद की सदस्यता ग्रहण करने के बाद इलाहाबाद के विकास के लिये बहुत अधिक कार्य किये और वह भी कर्मठता, ईमानदारी निष्ठा के साथ। उनका कहीं भी व्यक्तिगत लाभ का कार्य करने का उद्देश्य नहीं रहा। " शास्त्री जी 7 वर्ष तक प्रयाग नगर पालिका के सदस्य रहे, और 4 वर्ष तक इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के।"[7] इसकी पुष्टि डी.आर. मनकेकर भी करते हैं। कि 'लाल बहादुर का कर्तव्य क्षेत्र विस्तृत हो गया था वह इलाहाबाद म्यूनिस्पल कमेटी के सदस्य चुन लिये गये जिसकी एक सदस्या विजय लक्ष्मी पंडित भी थीं। बाद में वह नगर विकास परिषद के भी सदस्य नामजद किये गये। 7 वर्ष तक वह म्यूनिस्पल्टी के सदस्य और 4 वर्ष नगर विकास परिषद के सदस्य रहे।"[8]

लालबहादुर इलाहाबाद नगरपालिका के सदस्य 1924 ई0 तक रहे। 27 जनवरी 1936 ई0 से 26 जनवरी 1942 ई0 तक नगर विकास मंडल के सदस्य रहकर इलाहाबाद के विकास हेतु अपना भरपूर सहयोग दिया। लालबहादुर शास्त्री ने सन् 1936-37 ई0 का बजट भाषण दिया, जिसकी सभी सदस्यों ने सराहना की। उस समय सभी सदस्यों में देशभक्ति एवं राष्ट्र के विकास की भावनाऐं कूट-कूट कर भरी हुई थी। हिन्दी के विकास की भी बात आयी, अतः 23-24 फरवरी 1937 ई0 को हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना का प्रस्ताव पास किया। प्रथम बार रुपया 2500 का अनुदान स्वीकृत हुआ। इसके अतिरिक्त अन्य विकास सम्बन्धी कार्य हुए। निम्न जातियों की दशा सुधारने पर ध्यान दिया गया। 'धरती का लाल' ग्रंथ का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि जब तेज बहादुर सप्रू ने भंगियों के लिए 'आदर्श मकान' बनाने का प्रस्ताव रखा गया, तब लाल बहादुर शास्त्री ने इसका जोर दार समर्थन किया था। वह इससे प्रसन्न हुऐ थे कि निम्न वर्ग के लोगों की दशा को सुधारने का एक अच्छा कदम उठाया जा रहा है क्योंकि 'सर्वेण्टस आफ दि पीपुल सोसायटी' के समय समाज

सेवा में शास्त्री ने निम्न वर्ग की दशा सुधारने का कार्य किया था।

नगर पलिका के द्वारा नगर पालिका के नगर सम्बन्धी कार्य जल की व्यवस्था करना, सार्वजनिक गलियों का निर्माण, बिजली की व्यवस्था करना, खराब वस्तुओं की बिक्री पर रोक, प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं उनकी देखभाल सुचारू रूप से करना, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण, गलियों का नामकरण आदि कार्यों में लाल बहादुर शास्त्री ने एक सदस्य की हैसियत से अपना भरपूर सहयोग दिया और नगर पालिका की सदस्यता के नाते वे कभी भी किसी कार्य को करने में पीछे नहीं हटे। यही कारण था कि वे और अधिक लोकप्रिय हो गये और कर्मठता एवं ईमानदारी से प्रभावित बड़े नेता भी हो गये थे।

ब. नगर पालिका के विकास में योगदान-

लाल बहादुर शास्त्री विकास परिषद के सदस्य के रूप मे 4 वर्ष तक कार्य करते रहे। नगर पालिका सामान्यत: चुंगीकर पशु व वाहनकर मनोरंजन कर आदि द्वारा नगर विकास हेतु सम्पत्ति अर्जित करती है। लेकिन नगर विकास हेतु धन अर्जन के लिये वह अन्य कोई साधनों का प्रयोग कर सकती है जो नियम के अन्तर्गत हो। नगर पालिका की विकास परिषद की बैठक में यह निश्चित किया गया कि इलाहाबाद के विकास हेतु एवं इलाहाबाद के व्यक्तियों के लिये नये आवास बनाने हेतु कुछ जमीन नीलाम कर दी जाये। यह घटना लाल बहादुर शास्त्री की ईमानदारी पर अडिग रहने की याद दिलाती है साथ ही यह भी नैतिक संदेश देती है कि वे पद पर रहने के उपरान्त लोभ का वरण नहीं करते थे। इलाहाबाद के टैगोर टाउन में विकास परिषद ने नई विकास योजना के तहत कई एकड़ के प्लाट तैयार कर लिये। इन्हें नीलामी द्वारा लोगों को बेंचा जाना था। जो व्यक्ति अपने हिसाब से उचित समझता, बोली बोलकर खरीद सकता था। प्लाट की नीलामी उसी व्यक्ति के नाम चढ़ती थी जो सबसे अधिक बोली लगाता था। नगर पालिका के नियम में यह भी था कि यदि परिषद के सदस्यों को प्लाट नीलामी द्वारा खरीदना है तो उसे कमिश्नर से

अनुमति लेना अनिवार्य था।

संयोग से प्लाट की नीलामी वाले दिन लाल बहादुर शास्त्री नगर में नहीं थे। बाहर गये हुये थे। शास्त्री जी के एक मित्र एवं विकास परिषद के सदस्य स्वयं अपने व लाल बहादुर शास्त्री के लिये प्लाट नीलामी द्वारा खरीदना चाहते थे। अतः उन्होंने कमिश्नर से इसकी अनुमति प्राप्त कर ली और दो प्लाट नीलामी द्वारा ले लिये। लाल बहादुर शास्त्री जब बाहर से नगर वापस आये तो उन्हें प्लाट खरीदने की जानकारी मिली। इस पर उन्हें थोड़ा क्रोध तो आया लेकिन दुखी अधिक हुये। लाल बहादुर ने तुरन्त अपने नाम किये गये प्लाट की बिक्री रद्द करा दी। साथ ही विकास परिषद के सदस्य एवं मित्र जिन्होंने प्लाट खरीदा था पर दबाव डाला कि वह भी प्लाट की बिक्री रद्द करा दें।

लाल बहादुर शास्त्री कभी भी यह सुनना पसन्द नहीं करते थे कि कोई भी व्यक्ति यह आरोप लगाये कि उन्होंने पद पर रहते हुये कोई अनैतिक या अनुचित कार्य किया है। इसके पश्चात उन्होंने विकास परिषद की मीटिंग को भी अवगत करा दिया कि उन्होंने अपना प्लाट वापस कर दिया है। यह उनकी भावना से मेल नहीं खाता था। इस सम्बन्ध में सुनीति व्यास लिखते हैं "शास्त्री जी ने ट्रस्ट की मींटिंग में स्पष्टीकरण देते हुये कहा सार्वजनिक कार्यकर्ता की हैसियत से हमें अपने निहित स्वार्थ को नहीं देखना चाहिये। सामान्य कार्यकर्ता जायदाद खड़ी करें। यह उसकी मिशनरी भावना के साथ मेल नहीं खाता। शास्त्री जी ने मींटिंग को यह भी सूचित किया कि उन्होंने अपरिग्रह भावना स्वीकार कर गांधी जी को वचन दिया है कि वह गृह और सम्पत्ति अर्जित नहीं करेंगे।"[7] वास्तव में प्रारम्भ से ही लाल बहादुर शास्त्री ने ईमानदारी पर चलने एवं लोभ न करने का सफल प्रयास किया और इस तरह अन्य व्यक्तियों के सामने आदर्श प्रस्तुत कर अनूठा उदाहरण देते रहे। शास्त्री ने विकास परिषद में एवं नगर पालिका के सदस्य के रूप में अनेक ऐसे कार्य किये जो सदैव नैतिक उदाहरण प्रस्तुत करते रहेंगे। अधिकार सीमित होने के

पश्चात शास्त्री ने नगर का विकास एवं जीवन स्तर ऊंचा करने का अधिक प्रयास किया।

स. इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं कार्य-

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसम्बर 1885 ई. में सेवा निवृत्त आई.सी.एस. ए.ओ. हयूम द्वारा हुयी। इसका पहला अधिवेशन मुम्बई में हुआ था जिसमें मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। विचार किया जाता है कि इस दल की स्थापना का उद्देश्य जनता की मांगों का सरकार को ध्यानाकर्षण कराना था। जिससे ब्रिट्रिश भारत सरकार भारतीयों के मन में उठने वाले आक्रोश को समझ सके और समय पर उन्हें दबा सके। इस प्रकार यह दल सरकार के लिये 'सुरक्षा कवच' (सेफ्टी वाल्व) का कार्य कर रही थी। लेकिन शनैः शनैः इसमें परिवर्तन आता गया और भारतीयों की प्रमुख पार्टी बन गयी। सदस्य संख्या में भी बढ़ोत्तरी होने लगी। दूसरे अधिवेशन में ही संख्या सदस्यों की 436 हो गयी।

आरम्भ में इस दल द्वारा भारतीयों को विदेशी शासन से मुक्ति संघर्ष करने के लिये प्रशिक्षित करना था। इस तरह प्रारम्भिक दौर में यह दल उदारवादियों के हाथ में था जो अहिंसा एवं उदारवादी दृष्टिकोंण से अपनी मांगो को शासन के सामने प्रस्तुत करता था। लेकिन सन 1907 ई. में कांग्रेस में फूट पड़ जाने के कारण यह दो विचारधारा, उदारवादी एवं उग्रपंथी, में परिवर्तित हो गयी। लेकिन दोनों विचारधारा वाले व्यक्तियों का उद्देश्य एक ही था भारत की स्वतन्त्रता।

यह सब होते हुये भी कांग्रेस की अर्थ प्रणाली पूर्ववत बनी रही। भारतीय जनता को राजनैतिक रूप से प्रशिक्षित करना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उचित ढंग से जनता से पूर्ण समर्थन आन्दोलन हेतु प्राप्त करना। प्रान्तीय स्तर पर कांग्रेस के पदाधिकारियों का गठन किया गया। साथ ही जिला स्तर पर भी कांग्रेस को संगठित किया गया और इसके लिये पदाधिकारी नियुक्त

किये गये।

लाल बहादुर शास्त्री अभी 'सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी' के सदस्य थे और समाज सेवा कर रहे थे। पुरुषोत्तम दास टण्डन जिला कांग्रेस और सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी के अध्यक्ष थे। अतः लाल बहादुर शास्त्री इस तरह टण्डन से जुड़े हुये थे और बहुधा उनके साथ आनन्द भवन आया जाया करते थे। जहां जवाहर लाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू से भेंट हो जाती थी। शास्त्री मोती लाल नेहरू के अधिक कृपापात्र हो गये थे। अतः जवाहर लाल नेहरू से सहज रूप में निकट सम्बन्ध होना स्वाभाविक बात थी। अतः सन 1930 ई. में लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव नियुक्त हुये, बाद को जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बना दिये गये। इससे ज्ञात होता है कि लाल बहादुर शास्त्री कार्य के प्रति लगनशील एवं कर्मठ थे। कांग्रेस का पदभार ग्रहण करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री, जवाहर लाल नेहरू के कार्यों मे सहयोग करते थे। नेहरू भी उन्हें विभिन्न प्रकार के पार्टी के कार्य करने को कह देते। शास्त्री द्वारा अधिक विश्वसनीयता प्राप्त करने के पश्चात तो नेहरू ने यहां तक कह दिया था कि वे स्वयं अपने स्तर से मेरे पत्रों का जवाब दे दिया करें। लाल बहादुर शास्त्री सदैव अपने कार्यो के उत्तरदायित्व को समझते थे और लगन से कार्य करते थे। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं "वह कभी एक क्षण को भी दल के निष्ठावान कार्यकर्ता और मित्र के कर्तव्य से डिगे नहीं और न उन्होंने ऐसे अवसरों पर कभी धैर्य, संयम या विवेक गंवाया।"[10]

लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेसी कार्यकर्ता की हैसियत से दिसम्बर 1929 ई. में रावी नदी तट पर लाहौर में कांग्रेस सम्मेलन में भाग लिया था तथा अपने देश की सेवा और मातृभूमि की स्वतन्त्रता का संकल्प लेकर इलाहाबाद वापस लौटे थे। इलाहाबाद वापस लौटने के पश्चात लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के पदाधिकारी बना दिये गये और उन्होंने महात्मा गांधी द्वारा किये

जाने वाले सविनय अवज्ञा आन्दोलन को सभी लोगों में प्रचारित करने का प्रयास किया। डी.आर. मनकेकर को अपने साक्षात्कार में बताते हुये लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि "देश के अन्य भागों की तरह इलाहाबाद में भी कांग्रेस जन सैकड़ों की संख्या में पकड़े जा रहे थे। ताकि वे सविनय आन्दोलन में शामिल न हो सकें। कोई निश्चित नहीं कह सकता था कि वह अगले दिन क्या अगले घंटे भी जेल से बाहर होगा।"[11]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन भारत मे तेजी के साथ चल रहा था। लाल बहादुर शास्त्री भी इस संघर्ष में भाग ले रहे थे। उन्हें कांग्रेस के कार्य से इलाहाबाद की तहसील मेजा जाना पड़ा। घर पर सूचना भी देकर गये थे कि वे आवश्यक कार्य हेतु मेजा तक जा रहे हैं। लेकिन उसी दिन शास्त्री को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रात 11 बजे शास्त्री के गिरफ्तारी की सूचना कांग्रेसी कार्यकर्ता ने उनके घर पर दे दी थी। सात माह तक जेल में रहने के बाद लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद पुनः लौट आये तथा जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव पद पर काम करने लगे।

महात्मा गांधी द्वारा लार्ड इरविन से समझौता कर लेने के पश्चात सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर दिया था तथा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भाग लेना था। लन्दन की गोलमेज सम्मेलन द्वितीय में महात्मा गांधी ने भाग लिया, किन्तु उचित हल नहीं ढूंढा जा सका। अतः भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पुनः सत्याग्रह आन्दोलन 1932 ई. में प्रारम्भ कर दिया।

महात्मा गांधी का विचार था कि कांग्रेस को चाहिये कि वह निचले स्तर तक कार्यकर्ताओं के माध्यम से स्वराज और सत्याग्रह का अर्थ एवं संदेश गांव-गांव तक पहुंचाया जाये और कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता इस पर विशेष ध्यान दें। इस आन्दोलन में महत्वपूर्ण बात यह थी कि गिरफ्तार होने से पहले जनता तक संदेश पहुंचाना कि शासन का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। अतः इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी होने के कारण लाल

बहादुर शास्त्री पर यह उत्तरदायित्व आ पड़ा कि वे गांव-गांव जाकर जनता तक सत्याग्रह आन्दोलन एवं शासन के बहिष्कार का कारण समझायें। शास्त्री ने इलाहाबाद के आस-पास के गांव में जाने का प्रयास किया और उन्हें सफलता भी मिली। लाल बहादुर में वाकपटुता तो पहले से ही थी, अतः उनका प्रभाव गांव-गांव में पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस का एक दल बना लिया था जिसका कार्य गांव-गांव में लोगों को समझाना था। इस दल का नेतृत्व शास्त्री जी स्वयं किया करते थे। कांग्रेसी दल गांव-गांव पैदल ही जाता था और गांव में सभी कांग्रेसी जन अलग-अलग सबको समझाते थे। कभी-कभी सामूहिक रूप से लोगों से वार्तालाप करते थे। रात किसी बाग या चौपाल में बिताते थे। पत्थर-ईंटों से चूल्हा बनाकर खाना बनाते और अगले दिन दूसरे गांव के लिये चल पड़ते थे। इस प्रकार के कार्य में व्यस्त रहने के आदी हो गये थे लाल बहादुर शास्त्री। इसी कम में उनके साथ एक महत्वपूर्ण घटना हुयी।

शास्त्री एक गांव में सत्याग्रह का ज्ञान कराने व शासन का बहिष्कार का अर्थ समझाने पहुंचे वहां उस दिन बाजार लगने वाला था। अतः निश्चय किया गया कि सभा करके गांववासियों को बताया जाये। अतः शास्त्री एवं कार्यकर्ता गांव के बाहर आमों के बाग में ठहरे। ज्वार की रोटी और दाल का भोजन किया। गर्मी का मौसम था, सभी लोग बाजार चलने को थे, एक लड़के ने सूचना दी कि पुलिस को मालूम हो गया है। लाल बहादुर शास्त्री बाजार में सभा करेंगे। थोड़े समय के बाद ही दरोगा दो सिपाहियों के साथ बाग में पहुंच गया और उसने शास्त्री एवं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को सचेत किया कि यदि आप लोगों द्वारा बाजार में सभा एवं भाषण कार्यक्रम किया जायेगा तो पुलिस धारा 144 के अनुसार सभी को गिरफ्तार कर लेगी। कार्यकर्ताओं में निराशा के भाव दिखायी दिये, उन्हें अपनी मेहनत पर असफलता दिखायी देने लगी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने नम्रतापूर्वक दरोगा से बात की। वार्तालाप के दौरान शास्त्री ने यह भी पूँछ लिया कि यदि मेरे द्वारा सभा या भाषण न देने के बजाय

गांव के लोगों से व्यक्तिगत रूप से अलग-अलग बात की जाय तो क्या पुलिस को इस पर भी आपत्ति होगी। शास्त्री ने अपनी बात में वजन पैदा करते हुये कहा कि जिस दूसरे व्यक्ति से बात की जायेगी वह कांग्रेसी कार्यकर्ता होगा। इस दृष्टिकोण से दूसरे व्यक्ति से बात करने की मनाही तो नहीं है।

दरोगा ने विचार करने के बाद शास्त्री की बात मान ली और कहा कि उसे इस प्रकार बात करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। शास्त्री ने पुनः दरोगा से कहा कि आप अपने सिपाही भी बाजार से हटा ले मैं कोई सभा या भाषण नहीं करूंगा। वादे के अनुसार शास्त्री पक्के निकले। उन्होंने वैसा ही किया जैसा दरोगा से वादा किया था। अब लाल बहादुर ने गांव के प्रभावी लोगों से बातें की और कहा कि वे प्रत्येक व्यक्ति को असहयोग एवं सत्याग्रह का अर्थ गांव में समझायें। शास्त्री ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को समझाया कि कार्य पूरा किये बिना गिरफ्तार होने से कोई लाभ नहीं है। गांव वालों से सम्पर्क कर उन्हें समझाया जाये उनमें जोश एवं राजनैतिक चेतना का संचार किया जाये। इस घटना से यह बात स्पष्ट होकर सामने आती है कि शास्त्री अपने वादे के पक्के थे। दरोगा से जो कहा वही किया। दूसरी बात यह कि शास्त्री में अदभुत विलक्षणता थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में समस्या का समाधान निकाल लेते थे। सभा या भाषण न करके, गिरफ्तारी से बचकर, कानून का उल्लंघन किये बिना, अपना कार्य पूरा कर लिया और सभा जैसा ही कार्य किया प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर।

इस घटना के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। उच्च कांग्रेसी नेताओं में उनकी साख बन गई। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं ''इस प्रकार राजनीतिक जीवन के शुरू में ही समझौता कराने और दो विरोधी दृष्टिकोणों में मतैक्य की गुंजाइश निकालने के सम्बन्ध में दल में उनकी प्रतिभा की धाक जम गई।''[12]

कुछ समय पश्चात लाल बहादुर गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये।

जेल जीवन काटने के बाद शास्त्री पुनः इलाहाबाद आकर कांग्रेस में आ गये और पुर्नसंगठन का कार्य करने लगे। शास्त्री को कांग्रेस की ओर से भूमि सुधार समिति का संयोजक बनाया गया। इस कार्य को गम्भीरता पूर्वक पूरा करने के पश्चात शास्त्री कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया। शास्त्री सन 1935 ई. से 1938 ई. तक प्रान्तीय महासचिव कांग्रेस के पद पर भी रहे थे।

लाल बहादुर शास्त्री ने तन-मन से कांग्रेस की सेवा की। अतः कांग्रेसियों एवं उच्च नेताओं की नजर में कृपा के पात्र हो गये थे। एक बार शास्त्री कांग्रेस के कार्य से बनारस गये हुये थे। बनारस में कार्य पूरा करने के पश्चात विचार मन में आया कि पुश्तैनी घर रामनगर भी हो आयें, जो नदी पार था, अतः घाट पर पहुंचे तो सीने में थोड़ा दर्द हुआ और बेहोश हो गये। आस-पास के लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। बनारस जिला कांग्रेस कमेटी को सूचना दी गयी। यहां से इलाहाबाद जिला कांग्रेस के कार्यकर्ता कृष्णा को सूचित किया जो बनारस तुरन्त पहुंच गया। किसी प्रकार परिवार को इलाहाबाद से बनारस भेजा गया। शास्त्री तब तक अच्छे इलाज हेतु कमलापति त्रिपाठी के घर पहुंच गये थे। शास्त्री को गम्भीर बीमारी थी। वे प्लूरिसी से पीड़ित थे। एक माह में शास्त्री ठीक हो गये और परिवार सहित इलाहाबाद वापस आ गये। पुनः कांग्रेस के कार्य में जुट गये। लेकिन गर्मी आ जाने से अधिक कार्य करने से शास्त्री का स्वास्थ्य फिर खराब होने लगा। अतः डाक्टर ने सलाह दी कि गर्मियां किसी ठंडे स्थान पर व्यतीत करें। शास्त्री आर्थिक संकट के बाद किसी प्रकार व्यवस्था कर 1938 ई. की गर्मियों में रानीखेत चले गये। स्वास्थ्य लाभ के बाद लाल बहादुर शास्त्री वापस इलाहाबाद आ गये।

वास्तव में शास्त्री घरेलू परिस्थितियों से जूझने के बाद भी किसी भी कार्य को करना अपना कर्तव्य समझते थे। इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव एवं अध्यक्ष रहकर उन्होंने इस प्रकार के कार्य किये कि वे उच्च नेताओं

की श्रेणी में गिने जाने लगे। नेहरू परिवार, पुरुषोत्तम दास टण्डन के काफी नजदीक हो गये थे। कमलापति त्रिपाठी का भी विशेष स्नेह उन्हें आरम्भ से ही मिला था। कालान्तर में तो अनेक बड़े नेताओं के स्नेह पात्र बन गये थे। इसका कारण मात्र एक था, अपने कार्य के प्रति गम्भीर होना और उसे जिम्मेदारी से पूरा करना। यह सब उन्हें सफलता समन्वयवादी दृष्टिकोण के कारण ही मिलती थी। हरिराम मित्तल लिखते हैं "सन 1930 ई. से 1935 ई. तकप्रयाग जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तथा मंत्री के रूप मे उन्होंने जिस योग्यता से संगठन कार्य को संभाला उसकी नेताओं द्वारा बहुत प्रशंसा की गई।"[13] शास्त्री की निष्ठा, लगन एवं कर्मठता को देखते हुये बड़े कांग्रेसी नेताओं ने कालान्तर में कांग्रेस में उच्च पद प्रदान किये। जिसमें शास्त्री ने उन पदों पर रहकर अपने उत्तरदायित्व को पूरा किया।

लाल बहादुर शास्त्री ने सदैव विवादों से बचने का प्रयास किया और कार्य को प्राथमिकता देने का प्रयास किया। शास्त्री जी की भूमिका कांग्रेस में आने के प्रारम्भ से ही सराहनीय रही थी। यदि कभी पुरुषोत्तम दास टण्डन और जवाहर लाल नेहरू के बीच किसी विचारों एवं कार्य के प्रति अन्तर्विरोध पनपने लगता तो शास्त्री ही मध्यस्थता की भूमिका निभाते और उनमे सुलह करा देते थे। शास्त्री की कांग्रेस के प्रति निष्ठा, लगन एवं कार्यो को देखते हुये उन्हें 1936 ई. में कांग्रेस, उ.प्र. का प्रान्तीय महासचिव बना दिया गया। इसी अवधि में उन्हें महत्वपूर्ण कार्य सौंपे गये। इसी समय भूमि सुधार समिति का संयोजक बनाया गया। शास्त्री ने मेहनत से रिपोर्ट तैयार की। यही रिपोर्ट 1939 ई. में उ.प्र. की कांग्रेस सरकार के लिये भूमि सुधार हेतु कानून का आधार बनी। इस रिपोर्ट ने शास्त्री की योग्यता से बड़े कांग्रेसियों को प्रभावित किया।

प्रान्तीय महासचिव बनने तक शास्त्री राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे थे। सम्भवतः उन्होंने इसी को अपना जीवन समझ लिया था। किन्तु उनमें देश सेवा व समाज सेवा की भावना तथा कार्य के प्रति निष्ठा बराबर

बनी रही। शास्त्री इलाहाबाद नगर पालिका के सदस्य बने तो नगर का उत्थान एवं विकास हेतु ईमानदारी के साथ कार्य करते रहे। साथ ही निम्न वर्ग के विकास के लिये प्रयत्न शील रहे। इसके अलावा शिक्षा एवं साहित्य की उन्नति की दिशा में प्रयास किया। शास्त्री ने अपने जीवन में संघर्षरत रहने कार्य के प्रति सजग रहने, ईमानदारी से कार्य करने पर विशेष ध्यान दिया। यही कारण था कि प्रत्येक व्यक्ति उनसे प्रभावित हुये बिना नहीं रहता था। और इससे दोनों के बीच निकट्ता बन जाती थी।

लाल बहादुर शास्त्री स्वयं ऐसे परिवार के व्यक्ति थे कि उन्होंने प्रारम्भ से ही अनेक समस्याओं एवं कष्टों का सामना किया था। अतः वह सदैव ऐसे वर्ग को आगे बढ़ाने उसके विकास के लिये कार्य करने को तैयार रहते थे। सामाजिक संस्था से जुड़े रहकर, कांग्रेस में तथा नगर पालिका में रहते हुये निर्बल वर्ग की सेवा एवं उत्थान की दिशा में भरसक प्रयास किया। भूमि सुधार रिपोर्ट तैयार करना इस बात का प्रमाण है कि वह छोटे किसानों की दशा सुधारना चाहते थे और निम्न वर्ग के प्रति उनकी विशेष सहानुभूति रहती थी।

लाल बहादुर शास्त्री संघर्षशील एवं मेहनती व्यक्ति थे। इलाहाबाद कांग्रेस में सचिव का पदभार ग्रहण करने के पश्चात कांग्रेस के विकास के लिये भरसक प्रयास किया। संयोग से सन 1930 ई. में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। इस आन्दोलन में महात्मा गांधी ने जन–जन तक कांग्रेस के कार्यक्रम को प्रचार–प्रसार करने को कहा था। जिससे अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों का सबको पता चल जाये। लाल बहादुर शास्त्री ने महात्मा गांधी के सन्देश एवं कांग्रेस के कार्यक्रम को गांव गांव तक फैलाने का प्रयास किया। शास्त्री को गांव पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। गांव के लोगों का आतिथ्य स्वीकार कर भोजन कर लेते थे। कभी स्वयं गांव के बाहर भोजन अपने साथियों के साथ बनाना पड़ता था। कभी–कभी ऐसा अवसर भी आता

था कि भूखा भी रहना पड़ता था किन्तु शास्त्री को अपनी बात लोगों तक पहुंचाने एवं उन्हें समझाने में सफलता मिली थी। गांव-गांव तक प्रचार-प्रसार करने के कारण इलाहाबाद जनपद में ख्याति भी प्राप्त कर ली थी परन्तु शास्त्री प्रशंसा का पात्र बनने की अपेक्षा कार्य को महत्व देना पसंद करते थे।

लाल बहादुर शास्त्री ने शैक्षिक जीवन से समन्यवाद तथा समझौतावादी दृष्टिकोंण अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। शास्त्री का यह ऐसा मूलमंत्र रहा कि अन्त तक उन्हें सफलता मिलती रही। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय की एक घटना है जब लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव थे। उन्होंने गांव जाने का कार्यक्रम बनाया ताकि गांव जाकर सभी लोगों को सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कार्यक्रम की उचित जानकारी दी जा सके जिससे जनता भ्रम में न रहे। क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत दुष्प्रचार एवं दमनात्मक तरीकों द्वारा सन 1930 ई. के आन्दोलन को गांव-गांव नहीं पहुंचने देना चाहती थी। शास्त्री ने कुछ साथी अपने साथ ले लिये। गांव के बाजार में पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर ने शास्त्री को सभा करने से मना कर दिया तथा परिणामों से भी अवगत करा दिया लेकिन शास्त्री ने इंस्पेक्टर को राजी कर लिया कि वह सभा नहीं करेंगे बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को अलग-अलग बुलाकर उसे आन्दोलन के कार्यक्रम को समझा देंगे। इस प्रकार शास्त्री ने प्रारम्भिक जीवन से कठिन परिश्रम को अपना साधन बनाया। जिसने शास्त्री को उँचाईयों तक पहुंचा दिया। राजनीतिज्ञों तक तो क्या? स्वयं लाल बहादुर शास्त्री ने भी नहीं सोचा होगा कि वह देश का सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लेंगें। जबकि एक समय कुछ महिलाओं ने ललिता देवी को यह कहकर व्यंग किया था कि इसका पति जो साधारण व्यक्ति है, संसद सदस्य कैसे हो सकता है। यह तो सपनों वाली बात है। लेकिन शास्त्री के कार्यों ने शास्त्री को संसद सदस्य तो बनाया ही साथ ही में मंत्री एवं प्रधानमंत्री भी।

वस्तुतः लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी नींव को मजबूत करने व उसे स्थायित्व देने का प्रयास किया ताकि प्रतिपक्ष की चोट से किसी प्रकार की हानि न हो। नगर पालिका इलाहाबाद के सदस्य के रूप में यही बात देखने को मिलती है। उन्होंने रचनात्मक व विकासात्मक कार्यों का पूरा सहयोग दिया। यही कारण था कि वह आगे बढ़ते चले गये।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मनकेकर, डी.आर., – लाल बहादुर शास्त्री, प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1996, पृष्ठ 10 ।
2. वही –
3. मजूमदार, आर.सी., राय चौधरी, हेमचन्द्र, दत्त, कालिकिंकर, – भारत का वृहत इतिहास, आधुनिक भारत, मेकमिलन इण्डिया लि०, मद्रास, तृतीय संस्करण, 1990, पृष्ठ- 227 ।
4. अवस्थी, अमरेश्वर, अवस्थी, आनन्द प्रकाश, – भारतीय प्रशासन, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, हास्पीटल रोड, आगरा, द्वितीय संस्करण 1996, पृष्ठ-439
5. मजूमदार, आर.सी, राय चौधरी, हेमचन्द्र, दत्त, कालिकिंकर, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ- 227 ।
6. व्यास, सुनीति, – कर्म में आकाशीय ऊँचाईयां रखते थे शास्त्री जी, न्यूज लीड दैनिक समाचार पत्र, वर्ष–3, अंक 288, 1 अक्टूबर 1998, इलाहाबाद
7. मित्तल, हरिराम, – शास्त्री जी एक दृष्टि में, सम्पादक– एस. के. पाठक व जी.पी.श्रीवास्तव, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि० रामनगर, नई दिल्ली, संस्करण 1996, पृष्ठ–7 ।
8. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–57 ।
9. व्यास, सुनीति, – पूर्वोद्धृत, वर्ष–3 अंक 288।
10. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–47 ।

11. वही, – पृष्ठ–54 ।

12. वही, – पृष्ठ–47–48 ।

13. मित्तल, हरिराम – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–7 ।

चतुर्थ अध्याय

आन्दोलनकर्ता के रूप में लाल बहादुर शास्त्री

अ. असहयोग आन्दोलन में सहभागिता

ब. आन्दोलन के समय हुयी कठिनाईयां

स. 1921 ई. का कारावास

द. सामाजिक संस्था से जुड़ना

किसी भी कार्य को करने के लिये उस प्रकार की परिस्थियितों एवं वातावरण की आवश्यकता होती है। लाल बहादुर शास्त्री को आन्दोलन में भाग लेने के लिये पहले से तैयार वातावरण मिला था। देश में 1885 ई. में कांग्रेस की स्थापना के भारतीय नेता उदारवादी विचारधाराओं के द्वारा सुधार करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन राष्ट्रवादियों की एक मांग मानने में ब्रिट्रिश सरकार की असफलता ने राजनीतिक चेतना प्राप्त लोगों में नरमपंथी सिद्धान्तों के प्रति असन्तोष पैदा कर दिया था। 20वीं सदी के आरम्भ में उग्र राष्ट्रवादियों को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। इसका नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक, विपिन चन्द्र पाल, अरविन्द घोष तथा लाला लाजपतराय कर रहे थे। उनका विचार था कि स्वतन्त्रता, भारतीयों को अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। इसके लिये बलिदान, संघर्ष एवं अनेक तकलीफों को सहना होगा। इन लोगों ने भाषण-लेख के द्वारा लोगों में यह विश्वास पैदा कर दिया था कि भारत को स्वतन्त्रता संघर्ष से ही मिल सकती है। और आन्दोलनकारियों ने जनता में पूरा विश्वास भी पैदा किया। अत: इन्होंने जनता को सीधी राजनीतिक कार्यवाही पर जोर दिया।

जनता में 1915 ई. तक उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा अच्छी तरह फैल चुकी थी जगह-जगह इन नेताओं ने दौरा कर लोगों को ब्रिटिश शासक व विदेशी शासन की हकीकत से अवगत कराया था। लाल बहादुर शास्त्री भी छात्र जीवन में इस तरह के विचारों से प्रभावित होने लगे थे। लाल बहादुर शास्त्री उत्सकुतापूर्वक समाचार एवं साहित्य पढ़ा करते थे। विशेषकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्याखयानों प्रतिवेदन और उस समय के महान राजनैतिक नेताओं के बयानों को बड़ी गम्भीरता से पढ़ते थे। गोपाल कृष्ण गोखले, विपिन चन्द्र पाल, सुरेन्द्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक के विचार शास्त्री की आत्मा को स्फूर्ति पैदा करते थे।

लाल बहादुर शास्त्री अभी अध्ययनरत ही थे कि लोकमान्य बाल

गंगाधर तिलक राजनैतिक दौरे में बनारस भी आये। जिस स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री निवास करते थे। वहां से बाल गंगाधर तिलक के राजनैतिक कार्यक्रम आयोजन स्थल की दूरी लगभग 80 किमी. पड़ती थी। लाल बहादुर इस महान देशभक्त के भाषण को सुनने व उन्हें देखने को बहुत अधिक उत्सुक थे। लेकिन उनके पास रेल यात्रा के लिये किराया पास में नहीं था। वह निराशा से अपने हाथ मलने एवं दांत पीसने लगे थे। लाल बहादुर किसी तरह से यह अवसर भी नहीं छोड़ना चाहते थे। अतः उन्होंने लोकमान्य तिलक के भाषणों को सुनने के लिये किराया उधार लिया और भाषण सुनने पहुंच गये। वहां लाल बहादुर ने तिलक के भाषणों को ध्यान पूर्वक सुना लेकिन सम्पूर्ण भाषण में एक वाक्य ने उनको अधिक प्रभावित किया कि "जब हमारे विदेशी शासक कठिनाई एवं परेशानियों में फंसे हैं तो हमको विचार करना चाहिये कि हमें क्या करना चाहिये।" युवा लाल बहादुर उनके भाषणों को सुनकर घर वापस आ गया लेकिन उसके दिमाग में यही वाक्य बार-बार चोट कर रहा था। महत्वपूर्ण नेताओं के भाषणों को सुनकर लाल बहादुर शास्त्री देश-प्रेमी व आन्दोलनकर्ता बनने लगे। वे अपने साथियों से भारत की स्थिति एवं विदेशी शासन से मुक्ति प्राप्त करने के उपायों की चर्चा करने लगे। विचारों के आदान-प्रदान से उनमें देशभक्ति की भावना में दृढता पैदा होती जा रही थी।

लाल बहादुर शास्त्री ने कभी न भूलने वाला महात्मा गांधी का भाषण भी सुना था, जब वे लगभग 11 वर्ष के थे। 1918 ई. में महात्मा गांधी बनारस आये थे, उन्होंने बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के शिलान्यास सम्मेलन में भाग लिया था। वायसराय लार्ड हार्डिगं ने इस विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया था। अपने भाषणों में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का विरोध एवं परित्याग करने को कहा तथा साथ ही भारतीय राजाओं का ब्रिटिश शासकों का पक्ष लेने का विरोध करते हुये कड़ी आलोचना की, महात्मा गांधी का भाषण जब कुछ आगे बढ़ा तो सरकारी लोग एक-एक करके वहां से उठकर जाने लगे,

उसमें अनेक राजाओं ने भी ऐसा ही किया। दरभंगा के महाराजा इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। वे भी अन्तिम रूप से कुर्सी से उठकर हाल से चले गये। इसके पश्चात गांधी जी ने अपना भाषण समाप्त किया और कहा 'अब चेयरमैन (अध्यक्ष) कुर्सी छोड़कर चले गये हैं मुझे रुकना चाहिये।'

भारत में अब ऐसा वातावरण पैदा हो चुका था कि अधिकांश लोग देशप्रेम एवं आन्दोलनों से सम्बन्धित वार्तालाप करने लगे थे। साथ ही आयरिश क्रान्तिकारियों की ब्रिटिश शासन विरोधी गतिविधियों के बारे में भी चर्चा करते थे। लाल बहादुर एवं उनके सहयोगी छात्र बड़ी उत्सुकतापूर्वक आई.आर.ए. के वीरतापूर्ण कार्यो की चर्चा करते थे एवं उनके द्वारा किये गये कार्यो को भी समाचार में पढ़ते थे। विशेष रूप से चर्चा का बिन्दु डी वेला एवं मिकाईल कालिन्स के ब्रिटिश शासन विरोधी साहसी कारनामों के बारे में वार्तालाप करते थे। इस प्रकार विश्व में ब्रिटिश विरोधी गतिविधियां जहां कहीं पर होती थीं वह लाल बहादुर एवं सहयोगी, मित्रों के बीच वार्तालाप में अवश्य सम्मिलित रहती थी। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन के साथियों में त्रिभुवन नारायण सिंह थे, जो अधिक समय तक उनके अच्छे मित्र एवं सहयोगी रहे हैं। ये लाल बहादुर के साथ बहुधा भारतीय समस्याओं एवं आन्दोलनों के सम्बन्ध में तर्क–वितर्क करते थे।

लाल बहादुर शास्त्री को निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जैसा गुरू मिला था, जिसने इनके जीवन में एक नया संचार किया। गुरू मिश्रा की शिक्षा एवं प्रेरणा से ही शास्त्री ईमानदार देशभक्त, कर्मठ व्यक्ति बने। मिश्रा अपने वादन के समय पाठय पुस्तक पढ़ाने के साथ राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का ज्ञान छात्रों को कराते थे। देशभक्त के गीत सुनाते थे। अतः अनेक छात्र उनसे प्रभावित रहते थे। मिश्रा अपने छात्रों को पाठय सहगामी क्रियाओं द्वारा इस प्रकार की शिक्षा–दीक्षा देते थे जिससे छात्र भावी जीवन में देश की सेवा करने में पीछे न रहे। ऐसे गुरू की शिक्षा ग्रहण कर लाल बहादुर शास्त्री पहले आन्दोलनकारी

बाद को राजनीति के क्षेत्र में उतर आये। राजनीति में भी आने का लाल बहादुर का उद्देश्य देश सेवा करना व भारत को स्वतन्त्र कराना था।

अ. असहयोग आन्दोलन में सहभागिता

सन् 1920 ई. के आते-आते भारतीय जनता में आक्रोश की भावना ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पैदा हो गयी थी। जनता को उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश भारत सरकार उनके लिये कुछ न कुछ अवश्य करेगी लेकिन मांट-फोर्ड के सुधारों की घोषणा से उनकी आशाओं में पानी फिर गया। अमृतसर की घटना को लेकर हंटर समिति ने भी अपनी रिपोर्ट 28 मई 1920 ई. को दे दी थी जिससे भारतीय राजनीतिज्ञों को निराशा हाथ लगी थी। इस समिति ने पूरी तरह से लीपा-पोती की थी और लंदन में जनरल डायर को सम्मान और इनाम दिया गया था। इस रिपोर्ट का सार जब जवाहर लाल नेहरू ने अपने पिता को 27 जून 1920 के पत्र में लिखा तो उन्होंने कहा "जब से मैंने तुम्हारा भेजा हुआ हंटर रिपोर्ट का सार पढ़ा है मेरा खून खौल रहा है। हमें कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाकर इन बदमाशों का जीना हराम कर देना चाहिये।"[2] इस सम्बन्ध में महात्मा गांधी ने क्रुद्ध होकर पन्ने दर पन्ने निर्लज्ज सरकारी लीपा-पोती कहा था। इसके अतिरिक्त कांग्रेस के नेताओं ने मांट-फोर्ड रिपोर्ट को निराशा एवं असंतोषजनक कहकर निन्दा की थी।

ब्रिटिश भारत सरकार ने भाारतीय मुसलमानों को भी निराश किया था क्योंकि तुर्की के खलीफा को साधारण मुसलमान आध्यात्मिक गुरू मानते थे और तुर्की साम्राज्य के नष्ट होने से भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से सशंकित हो गये। जैसा हुआ भी कि 14 मई 1920 को तुर्की के साथ हुई संधि के साथ ही तुर्की साम्राज्य के कई टुकड़े कर दिये गये। अतः भारतीय मुसलमान ब्रिटिश भारत शासन के विरुद्ध एकत्र हुये और उन्होंने खिलाफत कमेटी का गठन किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, शौकत अली और मुहम्मद अली दिसम्बर 1919 ई. में जेल से रिहा हुये तो खिलाफत आन्दोलन को गति मिलने

की आशा बंधी। सैन्ट्रल खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में 1920 ई. में जून के प्रथम सप्ताह में हुयी। इसने असहयोग का 4 चरणों वाला कार्यक्रम घोषित किया। उपाधियों सिविल सेवा, सेना और पुलिस का बहिष्कार कार्यक्रम था। इसे महात्मा गांधी का समर्थन मिला और गांधी ने कांग्रेस पर भी ऐसा ही कार्यक्रम बनाने के लिये जोर डाला।

देश की जनता अंग्रेजी सरकार से परेशान तो थी ही। उसे भी विरोधा करने का सुअवसर प्राप्त हो सकता था। इसके साथ प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक समस्यायें पैदा हो चली थी। कीमतें आसमान छू रही थीं। मजदूर, दस्तकार के सामने रोजगार की समस्या पैदा हो गई थी। मुद्रा स्फीति लगातार बढ़ती जा रही थी। अतः कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने एवं सफल बनाने के लिये एक उप समिति बनाई गई इसके अध्यक्ष स्वयं गांधी थे।

असहयोग आन्दोलन 1 अगस्त 1920 ई. को प्रारम्भ हो गया लेकिन इससे पहले आन्दोलन प्रारम्भ करने की सूचना महात्मा गांधी ने वाइसराय को दे दी थी। उसमें लिखा था कि "कुशासन करने वाले शासक को सहयोग देने से इन्कार करने का अधिकार हर आदमी को है।"[3] सितम्बर 1920 ई. को कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इसमें सी.आर. दास जैसे कई वरिष्ठ नेताओं ने विरोध किया था। लेकिन प्रस्ताव पारित हुआ और कांग्रेस ने आन्दोलन की स्वीकृति प्रदान कर दी। राजेन्द्र प्रसाद लिखते हैं कि "गांधी के व्यक्तित्व के प्रभाव में असहयोग का प्रस्ताव 804 के विरुद्ध 1826 मतों से पारित हो गया।"[4] दिसम्बर में नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, इसमें कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गयी। सी.आर. दास ने ही इस सम्मेलन में असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव रखा था। स्वरूप आन्दोलन का था कि उपाधि त्याग, विद्यालय, न्यायालय और काउंसिल तथा विदेशी सामान का बहिष्कार किया जाये।

महात्मा गांधी ने कांग्रेस के संगठन में परिवर्तन किये। दैनिक कार्य

देखने के लिये 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति बनाई। प्रदेश, जिला, कस्बा एवं गांव स्तर तक कांग्रेस समिति बनाई गई। सदस्यता शुल्क 25 पैसे (चार आना) रखा गया। असहयोग आन्दोलन को सफलता प्रारम्भ में मिलने लगी। काउंसिल चुनाव में वोटरों ने बहुत कम संख्या में भाग लिया। "नवम्बर 1920 ई. में काउंसिलों के लिये जो चुनाव हुआ, उसमें करीब दो तिहाई वोटरों ने भाग नहीं लिया।"[5] वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया था।, जिसमें सी. राजगोपालचारी, आसफ अली, टी. प्रकाशम, सी.आर. दास आदि थे। छात्रों ने विद्यालयों का बहिष्कार किया था। एक आंकड़े के अनुसार आन्दोलन के प्रथम महीने में ही 90,000 छात्रों ने सरकारी स्कूलों और कालेजों को छोड़ दिया था और राष्ट्रीय स्कूलों एवं कालेजों में प्रवेश लिया था।

असहयोग आन्दोलन लगभग सभी प्रान्तों में फैल गया था सभी जगह उपाधि त्यागने, नौकरी से इस्तीफा देने बहिष्कार करने का कार्यक्रम जारी था। एक मास के बाद बनारस में भी इस आन्दोलन ने द्रुत गति पकड़ी और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के राष्ट्रवादी अध्यापकों ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इसमें आचार्य जे.बी. कृपलानी जैसे महान पुरुष भी थे। इन अध्यापकों ने शहर में भ्रमण कर स्कूल के विद्यार्थियों को समझाया कि वह स्कूल और कालेज छोड़ दें,साथ ही देश की आजादी के लिये अहिंसात्मक आन्दोलन में सम्मिलित हो। एक दिन जब लाल बहादुर शास्त्री स्कूल जा रहे थे तो रास्ते में धरना दिये हुये छात्रों ने देखा जो जमीन पर लेटकर उन्हें जाने से रोक रहे थे। डी. आर. मनकेकर लिखते है कि उन छात्रों का यह कहना था कि "जाना चाहो जाओ, लेकिन हमें पावों तले कुचल कर जाओ।"[6] यह बात सुनकर लाल बहादुर अचम्भे में पड़ गये कि उन्हें क्या करना चाहिये। थोड़ा सोचने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि देश की आजादी के लिये विद्यालय का बहिष्कार करना सर्वोत्तम है।

इसके बाद स्कूल का बहिष्कार उनके साथियों ने भी किया जो लाल

बहादुर के स्कूल में सहपाठी एवं मित्र थे। ये त्रिभुवन नारायण सिंह और अलगूराय शास्त्री थे। इसमें त्रिभुवन नारायण सिंह लाल बहादुर शास्त्री के घनिष्ठ मित्र थे। स्कूल का बहिष्कार करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री असहयोग आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने अनेक जुलूस एवं सभा में भाग लिया था। इस समय लाल बहादुर की उम्र लगभग 16 वर्ष रही होगी। अभी लड़कपन ही था। घर की जिम्मेदारियां थीं लेकिन देश के लिये सब कुछ करने को तैयार हो गये। लाल बहादुर संवेदनशील बचपन से ही रहे थे, अतः उन्होंने असहयोग आन्दोलन में भाग लेने का निर्णय उचित समझा।

ब. आन्दोलन के समय हुयी कठिनाईयां-

लाल बहादुर ने जब स्कूल का बहिष्कार किया और जुलूस में भाग लिया। तत्पश्चात जब वे घर वापस लौटने लगे तो उनके मस्तिष्क में अनेक विचार उत्पन्न होने लगे कि परिवार के लोग क्या उनके इस निर्णय को उचित ठहरायेंगे। लाल बहादुर को यह भी ध्यान था कि उनका परिवार आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है। सबकी निगाहें लाल बहादुर पर टिकी हुई हैं कि बड़ा होकर वह परिवार की आकांक्षाओं को पूरा करने में खरा उतरेगा। लेकिन आन्दोलन में भाग लेने से भविष्य की सारी योजनाओं पर पानी फिरता दिखाई दिया फिर भी लाल बहादुर ने घर और परिवार की अपेक्षा देशभक्ति को अधिक महत्व दिया।

घर पहुंचने पर जब लाल बहादुर ने अपने कार्यो से अवगत कराया तो उनके चाचा एवं परिवार के बुजुर्ग उन पर काफी बिगड़े और कहा कि यह सब कार्य, आन्दोलन में भाग लेना, तुम्हारा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि लड़का नालायक है। पढ़ाई का एक साल बिना सोचे समझे गंवा दिया। मां इस आशा में बैठी है कि उसका लाड़ला पढ़ लिख कर परिवार के दायित्वों को पूरा करेगा। अत्यधिक डाँट के उपरान्त लाल बहादुर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उन्हें इस बात का पहले से ही अनुमान था कि घर के लोग एवं सगे सम्बन्धी

उनसे क्या कहेंगे। लाल बहादुर के इस फैसले की जानकारी जब उनके गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा को मिली तो उन्होंने समय निकालकर लाल बहादुर से घर आने को कहा। घर पर पहुंचने के बाद गुरू ने कहा कि तुम अपने विचार बदल दो। लेकिन गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा की सलाह को लाल बहादुर ने मानने से अस्वीकार कर दिया। वह किसी की सलाह मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी थी कि देशभक्ति के सामने यहां सब कुछ गौण है। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं कि "मास्टर जी ने कहा, तुम्हारी मां मुसीबत की जिन्दगी बिता रही हैं फिर भी तुम पर अपनी बहनों की शादी का भी भार है। पूरे परिवार की जिम्मेदारियों का भी ख्याल रखना चाहिये।"[7] लाल बहादुर ने गुरू के बहुत कुछ समझाने के बाद भी उनकी सलाह को स्वीकार नहीं किया। इस घटना से यह स्पष्ट पता चलता है कि लाल बहादुर अपने मन में जो बात ठान लेते थे, उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। पीछे कदम वापस रखने का प्रयास नहीं करते थे। यह उनके जीवन में दृढ प्रतिज्ञा की पहली घटना थी।

इसके बाद लाल बहादुर अपनी मां को देखने रामनगर गये और अवसर पाकर मां से अकेले में वार्तालाप की। उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। तुम जो चाहती हो वह मैं करने को तैयार हूँ। यदि तुम कहती हो कि मैंने आन्दोलन में भाग लेकर गलत कदम उठाया है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। मुझे स्पष्ट बताओ कि जो मैंने कार्य किया है वह तुम्हारी नजर में भी गलत है। रिश्तेदार एवं अन्य लोग मेरे इस कार्य को तो गलत ठहराते ही हैं। तुम अपनी बात कहो। एक पल को लाल बहादुर की मां ने विचार किया और अपने पुत्र को सांत्वना देते हुये कहा कि "मुझे तुम पर विश्वास है बेटा! मुझे यह भी भरोसा है कि तुमने जल्दबाजी में नहीं, बहुत सोच विचार कर कदम उठाया होगा। मैं तो बस यह कहूंगी कि कुछ भी करने से पहले ठीक से सोच समझ लो, लेकिन कदम आगे बढ़ाकर

कभी पीछे न हटना।"[8] मां के विचारों से लाल बहादुर को सन्तोष हुआ, उनके मन में जो बोझ था, वह उतर गया।

जब चारों ओर से किसी व्यक्ति के कार्य को गलत ठहराया जा रहा हो तथा पुरातन व नवीन विचारों का टकराव हो तो ऐसी स्थिति में किसी भी व्यंक्ति का मानसिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक बात है। यही लाल बहादुर के साथ असहयोग आन्दोलन में भाग लेने और विद्यालय छोड़ने के निर्णय को लेकर हुआ था। किन्तु मां के द्वारा उनके कार्य को उचित ठहराने से उनमें एक नयी स्फूर्ति का संचार हुआ।

लाल बहादुर वापस रामनगर से बनारस आ गये और असहयोग आन्दोलन में होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। वे सभा एवं जुलूसों में बढ़-चढ़ कर भाग लेते थे। उस समय लाल बहादुर का बाल्यकाल ही था, अतः नेतृत्व का तो प्रश्न ही नहीं उठता लेकिन उन्होंने इस आन्दोलन से बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया। यह उनकी आन्दोलन के लिये प्रथम सीढ़ी थी फिर भी अपने मित्रों एवं छात्रों में लाल बहादुर काफी लोकप्रिय हो गये थे, वे अपने मित्रों से अक्सर देश सेवा, देशहित के वार्तालाप किया करते थे। योग्य एवं उत्तम दर्जे के विद्यार्थी तो पहले से ही थे। अतः अपनी वाकपटुता से सभी को असाधारण ढंग से प्रभावित कर लेने की कला उनमें थी।

स. 1921 ई. का कारावास-

देश में असहयोग आन्दोलन तेजी से चलाया जा रहा था। भारत के प्रत्येक क्षेत्र में महात्मा गांधी को जनता का अपेक्षित सहयोग प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश भारत सरकार आश्चर्य में पड़ गई थी कि इस प्रकार की एकता पहले कभी देखने को नहीं मिली थी। अतः अंग्रेजी हुकूमत ने आन्दोलन को कुचलने के लिये दमनात्मक कार्यवाही अपनाना प्रारम्भ कर दी। मजदूरों पर गोली चलाई गई, स्वयंसेवी संगठनों को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। जुलाई 1921 ई. तक लगभग 30 हजार भारतीय आन्दोलनकारियों को जेल भेज दिया गया।

जुलूसों एवं सभाओं पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। लेकिन इसके उपरान्त भी जुलूस एवं सभायें आयोजित की जा रही थी।

लाल बहादुर जुलूसों एवं सभा में छात्रों के साथ भाग ले रहे थे। कि वे भी 1921 ई. में ही गिरफ्तार कर लिये गये। जुलूस को निकालने की मनाही थी फिर भी छात्रों के साथ लाल बहादुर ने जुलूस निकाला और पुलिस ने हिरासत में ले लिया तथा विद्यार्थियों के साथ जेल भेज दिया गया। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं कि "उन्हें बिना किसी आरोप और मुकदमा के छोड़ दिया गया।"[9] इस सम्बन्ध में शशि अहलूवालिया भी लिखती हैं कि "1921 ई. में अवैधानिक सभा करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और अगले दिन छोड़ दिया गया।"[10] इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि लाल बहादुर को चेतावनी देकर छोड़ दिया था और उन पर किसी प्रकार मुकदमा नहीं चलाया गया था।

लेकिन हरिराम मित्तल लिखते हैं कि "विदेशी सरकार ने शास्त्री जी के लिये बाहर रहना ठीक नहीं समझा और उनको न्याय का नाटक रचकर ढाई बरस के लिये कारागृह में डाल दिया गया।"[11] इसी तरह वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं कि "पुलिस ने शास्त्री जी को जेल में बन्द कर दिया। वह ढाई वर्ष तक जेल में रहे।"[12]

किन्तु रतूड़ी एवं मित्तल का कथन विश्वसनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि लाल बहादुर ने 1922-23 के सत्र में विद्यापीठ में प्रवेश पा लिया था और 1926 ई. में 4 वर्ष के अध्ययन के बाद शास्त्री की उपाधि प्राप्त की थी। अतः मनकेकर व अहलूवालिया का कथन उचित है कि उन्हें बिना मुकदमा चलाये छोड़ दिया था। अहलूवालिया ने यह भी बताया है कि लाल बहादुर को छोड़ देने के बाद आन्दोलन में पुनः भाग लेना उन्होंने आरम्भ कर दिया था जब तक कि चौरी-चौरा काण्ड के बाद 12 फरवरी 1922 ई. को गांधी ने आन्दोलन वापस नहीं ले लिया।

द. सामाजिक संस्था से जुड़ना-

लाल बहादुर शास्त्री के बाल जीवन में अनेक ऐसी घटनायें हुयी थी जिससे उन्होंने प्रेरणा ली और आदर्श पुरुष बनने का प्रयास किया। स्कूल से घर आते समय सहपाठियों के साथ बाग में चले जाना और माली द्वारा डांटने व अच्छा व्यक्ति बनने की सलाह देना उनके जीवन में घर कर गई। घर आकर उन्होंने इस पर अच्छी तरह विचार किया जबकि अभी लाल बहादुर का बचपन ही था। लेकिन उनमें सोंचने समझने की शक्ति बहुत तीव्र थी।

जब वे हाईस्कूल की शिक्षा प्राप्त करने आये तो अपने मौसा रघुनाथ प्रसाद से भी बहुत प्रभावित हुये तथा उनके अच्छे आचरणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। लाल बहादुर का सौभाग्य ही कहा जायेगा कि स्कूल में उन्हें निष्कामेश्वर मिश्रा, डा. भगवानदास, आचार्य नरेन्द्र देव, डा. सम्पूर्णानन्द, आचार्य जे.बी. कृपलानी जैसे गुरूओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। लाल बहादुर ने इन गुरूओं के निकट रहकर उनके अच्छे गुणों को अपनाकर अपने व्यक्तित्व को और अधिक निखारने का प्रयास किया। ये सभी गुण छात्रों को देशसेवा एवं समाज सेवा के नैतिक उदाहरण देते रहते थे इनमें लाल बहादुर को निष्कामेश्वर मिश्रा ने सबसे अधिक प्रभावित किया ही साथ में लाल बहादुर गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा के परिवार के एक सदस्य भी हो गये। अतः लाल बहादुर में देश सेवा एवं समाज सेवा भावना कूट-कूट कर भर गई थी।

इसके उपरान्त लाल बहादुर ने कठिनाईयों एवं परिस्थितियों के प्रतिकूल होने की स्थिति में शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने सामाजिक भिन्नता, अन्ध विश्वास, रूढ़िवादिता तथा गरीबी को बहुत निकट से देखा और समझा था। प्रारम्भ से ही लाल बहादुर के मन में यह विचार कोलाहल मचाता रहता था कि शिक्षा प्राप्त किये बिना इन सामाजिक कुरीतियों को समाप्त नहीं किया जा सकता इसीलिये उन्होंने यह सोच लिया था कि शिक्षा पूरी करने के बाद समाज सेवा द्वारा ही बुरे रीति-रिवाज को समाप्त करने हेतु स्वयं प्रयास करना

होगा।

लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ से 'शास्त्री' की उपाधि सन 1926 ई. में प्राप्त की थी। स्नातक होने के पश्चात उनके मन में यह विचार आया कि भविष्य के लिये उन्हें अब क्या करना चाहिये लेकिन उनका अन्तर्मन निर्णय न ले सका।। लाला लाजपतराय ने 'सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी' की स्थापना 1925 ई. में की थी और महात्मा गांधी ने इसका उदघाटन किया था। इसका कार्य देश सेवा और जन सेवा करना था। इसका सदस्य बनने के लिये कठिन शर्तो का पालन करना होता था। अनुशासनबद्ध देशभक्तों को ही सदस्य बनाया जाता था। जनता को सेवाभाव, राष्ट्रभक्ति के कार्य करने की प्रेरणा दी जाती थी।

सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी का सदस्य बनने के लिये कड़ी परीक्षा देनी होती थी। आध्यात्मिक एवं बौद्धिक स्तर ऊँचा हो, ईमानदार एवं कर्मठ हो। इसके लिये आजीवन सदस्य भी बनाये जाते थे। अतः लाल बहादुर शास्त्री ने इस संस्था का सदस्य बनना स्वीकार किया वह भी आजीवन सदस्य। लाल बहादुर की उम्र इस समय 22 वर्ष की थी। युवा काल में ही आजीवन सदस्य बनना महत्वपूर्ण बात थी। लाल बहादुर ने लाला लाजपतराय से भेंट की थी। और वह लाल बहादुर की ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा से प्रभावित हुये थे। इसीलिये उन्हें सदस्य बना लिया गया। उनको बताया गया कि सोसाईटी के नियम अनुसार 20 वर्ष तक शुद्ध जीवन बिताना होगा। सरलता एवं साधारण जीवन भी साथ में जुड़ा होना आवश्यक है।

इस सोसाइटी के सदस्यों को पूरे समय तक कार्य करना होता था अतः 60 रुपये प्रतिमास गुजारा भत्ता के लिये मिलता था। बच्चा होने पर 10 रुपये प्रति बच्चा अलग मिलता था और साथ में विवाहित का 20 रुपये प्रतिमास मकान किराया भत्ता दिया जाता था। प्रत्येक आजीवन सदस्यों को एक समान गुजारा भत्ता दिया जाता था। इसके साथ सोसाईटी के सदस्यों से

यह भी अपेक्षा की जाती थी कि किसी सदस्य की निजी आय के साधन सुलभ हैं तो उसे चाहिये कि वह अपनी निजी आय को सोसाइटी के लिये दान कर देगा और गुजारा भत्ता पर ही अपना जीवन यापन करेगा। सदस्य सोसाइटी के उद्देश्यों के लिये कार्य करता था। साथ ही वह राजनीतिक चेतना जनता में पैदा करने का कार्य करता था। लेकिन उसको व्यवस्थापिका सभा में चुनाव लड़ने या अन्य किसी चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं था। सोसाइटी का सदस्य बने हुये 10 वर्ष बीत जाने के बाद ही वह चुनाव लड़ सकता था। इस प्रकार की अनेक कठोर शर्तों का पालन करने के कारण बहुत लोग सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी का सदस्य बनना पसन्द नहीं करते थे, जो सात्विक प्रवृत्ति के विचार वाले व्यक्ति होते थे, उन्हें इसकी सदस्यता ग्रहण करने में देर नहीं लगती थी।

सोसाइटी का सदस्य बनने के बाद लाल बहादुर को अलगूराय शास्त्री के अधीन कर दिया और हरिजन सेवा के लिये मुजफ्फर नगर भेजा गया। अलगूराय शास्त्री एक वर्ष पूर्व सन् 1925 ई. में सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी के सदस्य बन गये थे। जो काशीविद्यापीठ में लाल बहादुर के सहपाठी थे।

मुजफ्फरनगर पहुंचकर लाल बहादुर शास्त्री हरिजन (दलित) सेवा के कल्याणकारी कार्यों में लग गये। उन्होंने कहा कि दलित वर्ग का विकास करना अनिवार्य है जिसे लम्बे समय से दबाये रखा गया था। लाल बहादुर ने सवर्ण हिन्दुओं को अपने विचारों के माध्यम से समझाया एवं दबाव भी डालने का प्रयास किया कि इस वर्ग को शिक्षित करने का प्रयास करें। बच्चों को स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्रदान करें, जिससे वे पढ़-लिखकर समझदार बने। देश प्रेमी व देश के विकास में भागीदार बने। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं, ''वह केवल नारेबाजी में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने गांव-गांव में घूमकर हरिजनों के उत्थान का प्रचार किया।''[13]

कुछ समय तक मुजफ्फरनगर में हरिजन सेवा करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री का तबादला मेरठ कर दिया गया। लाल बहादुर ने मेरठ में रहकर हरिजन सेवा के लिये ईमानदारी एवं कर्मठता से कार्य किया। उस समय दलितों का स्तर आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ था। इस समुदाय के बच्चे शिक्षा से वंचित थे, अतः इनकी दशा को देखकर सभी ने स्तर ऊँचा करने हेतु प्रयास किया। लाल बहादुर की कठिन मेहनत लगन एवं प्रयासों को देखते हुये सन 1929 ई. में सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी का आजीवन सदस्य बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। जबकि इसके पूर्व इस संस्था के संस्थापक का 17 नवम्बर 1928 ई. में निधन हो गया। अतः लाला लाजपतराय के बाद पुरुषोत्तम दास टण्डन को सोसाईटी का अध्यक्ष बनाया गया। यह इलाहाबाद में रहते थे। टण्डन ने इलाहाबाद रहकर संस्था का कार्यभार संभाला। पुरुषोत्तम दास टण्डन लाल बहादुर शास्त्री के विचारों एवं कार्यो से पहले से ही अवगत थे, अतः उन्होंने शास्त्री को अपना सहयोगी बनाकर इलाहाबाद बुला लिया। लाल बहादुर शास्त्री पत्नी सहित मेरठ से इलाहाबाद में आकर रहने लगे और समाज व देश सेवा के कार्य में जुट गये। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं कि "प्रयाग आते ही उन्होंने अपना जीवन देश को अर्पित कर दिया।"[14]

लाल बहादुर टण्डन के अधीन काम करते थे, अतः कुछ ही समय में लाल बहादुर उनके स्नेह पात्र बन गये। टण्डन को प्रभावित करने वाली बात सबसे अधिक लाल बहादुर की राष्ट्रभक्ति की भावना थी। जबकि लाल बहादुर युवा थे लेकिन जो भी कार्य उन्हें सौंपे जाते वे उन्हें कुशलतापूर्वक करते थे। इसके उपरान्त इलाहाबाद में रहकर लाल बहादुर को वरिष्ठ नेताओं का सानिध्य तो प्राप्त हुआ ही, साथ में उनके साथ कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ। तथा सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी में कार्य करते हुये लाल बहादुर को जवाहर लाल नेहरू का सानिध्य भी प्राप्त हुआ।

वे नेहरू के घर आनन्द भवन आने-जाने लगे। पुरुषोत्तम दास टण्डन और जवाहर लाल नेहरू के मध्य बहुधा विवाद हो जाया करता था, वे दोनों किसी एकमत से निर्णय नहीं ले पाते थे। इलाहाबाद में उस समय इन दोनों के मत-भेदों की आम चर्चा का विषय बनी हुई थी लेकिन लाल बहादुर अपने विवेक से दोनों में मतभेद समाप्त कर सुलह कराने में सफल हो जाते थे।

शशि अहलूवालिया लिखती हैं ''लाल बहादुर हमेशा टण्डन और नेहरू के बीच समझौता कराते थे तथा दोनों नेताओं का उनमें पूरा विश्वास भी था।''[15] इस प्रकार लाल बहादुर दोनों नेताओं के बहुत निकट आ गये थे। कांग्रेस के कार्य भी लाल बहादुर को दोनों नेता सौंप देते थे। इसके बाद लाल बहादुर कांग्रेस जिला कमेटी के सचिव बना दिये गये। लाल बहादुर ने सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी से जुड़कर समाज की बहुत सेवा की। समाज को चेतन अवस्था में लाने एवं निम्न वर्ग को आगे बढ़ाने का सराहनीय कार्य किया था। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं "जब वह देश के प्रधानमंत्री बने, लाल बहादुर ने लेखक के आगे स्वीकार किया था, ''सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी की आजीवन सदस्यता की बदौलत मुझे अपने देश की सेवा करने का भरपूर अवसर मिला। सोसाइटी को ही इसका श्रेय है कि मैं जनता का सेवक इस शब्दावली का सही अर्थ समझ सका।''[16]

लाल बहादुर शास्त्री सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी के तृतीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टण्डन के बाद बने और मृत्यु पर्यन्त सन 1966 ई. तक बने रहे। अन्तिम समय तक लाल बहादुर शास्त्री सोसाइटी को अनुदान देते रहे थे। लाल बहादुर की ईमानदारी एवं सोसाइटी के प्रति निष्ठा का प्रमाण था कि आत्म निर्भर होने के बाद अपनी आय का एक भाग अनुदान के रूप में देते रहे। उन्हें इस बात का अहसास था कि इसी सोसाइटी के सहारे उन्होंने अपना जीवन-यापन प्रारम्भ किया था।

लाल बहादुर शास्त्री ने जिस समय असहयोग आन्दोलन के लिये

स्कूल छोड़ा था, उस समय उनका भविष्य अन्धकारमय था तथा सगे-सम्बन्धी एवं गुरू ने भी लाल बहादुर के इस निर्णय की आलोचना की थीं लेकिन लाल बहादुर अपने निर्णय पर अडिग रहे। असहयोग आन्दोलन के स्थगन के पश्चात उन्होंने काशी विद्यापीठ में प्रवेश लेकर सन 1925 ई. में स्नातक की शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। उसी वर्ष सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी के सदस्य बन गये और समाज सेवा के लिये मुजफ्फरनगर एवं मेरठ में रहे। वहां लाल बहादुर ने हरिजंन (दलित) के उत्थान के लिये मेहनत एवं लगन से काम किया। हरिराम मित्तल लिखते हैं "शास्त्री जी का बचपन आर्थिक कठिनाइयों और संघर्ष में बीता और यही कारण है कि उनके हृदय में पिछड़े हुये वर्गो एवं उपेक्षित और दीन-हीन व्यक्तियों के प्रति करुणा का सागर लहराया करता था। बचपन से ही उनके मन में यह लालसा थी कि दलित जनसमूह और अस्पृश्य लोगों की समान स्तर पर लाया जाय।"[17]

लाल बहादुर शास्त्री को स्कूल छोड़ देने व आन्दोलन में भाग लेने के कारण चाचा व परिवार के लोगों ने नालायक कहकर सम्बोधित किया था। लेकिन शीघ्र ही शास्त्री ने उसकी क्षतिपूर्ति करते हुये स्नातक की उपाधि व सोसाइटी से जुड़कर सगे सम्बन्धियों में आलोचना करने वालों में यह एहसास करा दिया था कि उनके विचार एवं धारणा अलग है जिन्हें साधारण नहीं कहा जा सकता। लाल बहादुर का जिम्मेदार व्यक्ति बनने पर आलोचना करने वालों का मुँह तो बन्द हो ही गया होगा साथ ही यह भी अनुभूति हुई होगी कि लाल बहादुर को नालायक कहना निरर्थक था।

लाल बहादुर का बाल्यकाल कठिनाईयों भरा रहा था। उन्हें इसकी अच्छी तरह अनुभूति रही थी। वे यह भी जानते थे कि पिता का देहावसान हो गया है और वह एक मात्र पुत्र है। माँ की दृष्टि एवं आशा यह है कि उनका पुत्र घर की जिम्मेदारी संभाल लेगा, अतः किसी प्रकार से कष्टों का निवारण हो जायेगा। लेकिन असहयोग आन्दोलन में भाग लेने के कारण माँ को

आघात लगना स्वाभाविक ही था। फिर भी शास्त्री की माँ ने शास्त्री के कार्य को अनुचित नहीं कहा। माँ का विश्वास पाकर शास्त्री ने शिक्षा पूरी की, सामाजिक संस्था से जुड़ गये तथा शीघ्र ही यह अनुभव करा दिया कि उनके बारे में लोगों की धारणायें जिस प्रकार बनी हुई हैं वह गलत है। बल्कि सच यह है कि वह घर के दायित्व को भली भाँति समझते है, साथ ही देश प्रेम को भी बराबर से महत्व देते है। काशी विद्यापीठ में अध्ययनरत रहते हुये उन्होंने पार्ट टाइम काम भी किया, जिससे घर पर शिक्षा एवं आवश्यक खर्चो का बोझ न पड़े। पैसा बच रहने पर वह अपनी माँ को दे देते थे। शास्त्री बाल्यकाल से ही मेहनती थे। इसके अतिरिक्त उनमें देशसेवा करने तथा कमजोर वर्ग की सेवा करने की भावना थी। अत: उनके जीवन का आरम्भ भी इन्ही कार्यो से हुआ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मनकेकर, डी.आर., - लाल बहादुर- ए पोलिटिकल बायोग्राफी, बाम्बे पापुलर प्रकाशन, 1954, पृष्ठ-62 ।

2. सरकार, सुमित, - आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1992, पृष्ठ 232 ।

3. विपिन चन्द्र, - भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वितीय संस्करण, 1998, पृष्ठ-135 ।

4. सिंह, राजेन्द्र प्रसाद, - आधुनिक भारत का इतिहास, संपादक रामलखन शुक्ल, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, प्रथम संस्करण, 1990, पृष्ठ-481 ।

5. मजूमदार, आर.सी., राय-चौधरी, हेमचन्द्र, दत्त, कालिकिंकर, भारत का वृहत इतिहास, आधुनिक भारत खण्ड-3, मेकमिलन इंडिया लि. मद्रास, तृतीय संस्करण, 1990, पृष्ठ 349 ।

6. मनकेकर, डी.आर., - लाल बहादुर शास्त्री, अनु.-अखिलेश मिश्र प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1996, पृष्ठ-20

7. वही, - पृष्ठ-21 ।

8. वही, - पृष्ठ-21 ।

9. मनकेकर, डी.आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-69 ।

10. अहलूवालिया, शशि, - फाउन्डर्स आफ न्यू इंडिया, एस चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, 1995, पृष्ठ-416 ।

11. मित्तल, हरिराम, – लाल बहादुर शास्त्री, व्यक्ति और विचार, संपादक एस.सी. पाठक व जी.पी. श्रीवास्तव, एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ–7 ।

12. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – लाल बहादुर शास्त्री, किरण प्रकाशन 37, दरियागंज, दिल्ली प्रथम संस्करण, 1964, पृष्ठ–8 ।

13. वही, – पृष्ठ–9।

14. वही, – पृष्ठ–12 ।

15. अहलूवालिया, शशि, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–417 ।

16. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–45 ।

17. मित्तल, हरिराम, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–7 ।

पंचम अध्याय

सन् 1930 ई. का आन्दोलन और शास्त्री

अ. सविनय अवज्ञा आन्दोलन का कार्यक्रम

ब. आन्दोलन की घटनाएं

स. ललिता देवी का आन्दोलन में भाग लेना

द. किसान नेता के रूप में शास्त्री

य. आन्दोलन के परिणाम

लाल बहादुर शास्त्री ने 1921 ई. में असहयोग आन्दोलन में भाग लेकर स्कूल का बहिष्कार किया था। इसके बाद इस आन्दोलन के अनेक कार्यक्रमों में भाग लिया था। असहयोग आन्दोलन के कारण कांग्रेस को सबसे बड़ी सफलता भारतीय जनता में एकता स्थापित करने की मिली थी। आन्दोलन स्थगित होने के पश्चात कांग्रेस ने विभिन्न माध्यमों से अंग्रेजों का विरोध जारी रखा, अतः प्रारम्भ से ही प्रभावित होने के कारण लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता बन गये।

1926 ई. में शास्त्री की उपाधि प्राप्त करने के उपरान्त लाल बहादुर सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण कर जनता की सेवा कर ही रहे थे, इसके अतिरिक्त कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस के कार्यक्रमों में भी भाग लेते थे। सन् 1923 ई. में गया के कांग्रेस अधिवेशन में लाल बहादुर शास्त्री ने भाग लिया था। वहां इन्होंने कांग्रेस के पण्डाल बनाने के लिये फावड़ा चलाया और मिट्टी भी ढोयी। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री ने छोटे से छोटे कार्य को करने में शर्म महसूस नहीं की बल्कि सदैव उनका दृष्टिकोण सेवाभाव रहा।

सर्वेण्टस आफ द पीपुल सोसाइटी के सदस्य बनने एवं मुजफ्फर नगर व मेरठ में कार्य करने के पश्चात उन्हें अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया था। 1929 ई. में लाल बहादुर इलाहाबाद आ गये तब जवाहर लाल नेहरू एवं पुरुषोत्तम दास टण्डन के साथ कांग्रेस के कार्यों में सहयोग करने लगे। इस समय देश का वातावरण पुनः आन्दोलन की मांग हेतु जोर पकड़ रहा था। क्योंकि साईमन आयोग से भारतीय राजनेताओं को क़ाफी निराशा हाथ लगी थी। अतः अगला कार्यक्रम निश्चित किया जाना शेष था। इधर लाल बहादुर शास्त्री एवं अनेक राजनीतिज्ञ किसी भी प्रकार के आन्दोलन में भाग लेने हेतु पूर्णतया तैयार थे।

अ. सविनय अवज्ञा आन्दोलन का कार्यक्रम-

1928 ई. में कलकत्ता के वार्षिक अधिवेशन में जवाहर लाल नेहरू,

सुभाष चन्द्र बोस और सत्यमूर्ति के प्रयासों से कांग्रेस पर 'पूर्ण स्वराज्य' का लक्ष्य घोषित करने का दबाव पड़ा। जबकि गांधी एवं मोती लाल नेहरू 2 वर्ष बाद ऐसा प्रस्ताव रखना चाहते थे। लेकिन दबाव अधिक पड़ने पर एक साल का समय और बढ़ा दिया गया। कांग्रेस इसके लिये प्रतिबद्ध हुयी कि यदि 'डोमिनियन स्टेटस' पर आधारित संविधान को यदि सरकार ने स्वीकार नहीं किया तो वर्ष के अन्त में कांग्रेस अपना लक्ष्य 'पूर्ण स्वराज्य तो घोषित करेगी ही साथ ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी चलायेगी।'

31 दिसम्बर 1929 ई. को लाहौर में रावी नदी तट के किनारे कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। "कांग्रेस ने अपना अन्तिम लक्ष्य देश को स्वतन्त्र कराना घोषित कर दिया था।"[1] जवाहर लाल नेहरूको अध्यक्ष बनाया गया। नेहरू ने अपना पहला प्रभावपूर्ण एवं प्रेरक अध्यक्षीय भाषण दिया। विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त करने के लिये अब हमें खुला विद्रोह करना है और कामरेड आप लोग और देश के सभी लोग इसमें हाथ बटांने के लिये सादर आमंत्रित है। 'नेहरू ने मुक्ति का स्वरूप स्पष्ट करते हुये कहा कि "मुझे साफ-साफ स्वीकार कर लेना चाहिये कि मैं एक समाजवादी हूँ, रिपब्लिक हूँ। मेरा राजाओं और महाराजाओं में विश्वास नहीं है न ही मैं उस उद्योग में विश्वास करता हूँ जो आधुनिक राजे-महाराजे पैदा करते है और जो पुराने राजों-महाराजों से भी अधिक जनता की जिन्दगी और तकदीर को नियन्त्रित करते हैं। और जो पुराने राजा-रजवाड़ों और सामन्तों के लूटपाट का तरीका अख्तियार करते है।"[2] इस भाषण के बाद आधी रात को रावी नदी तट पर भारतीय स्वतन्त्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। साथ ही नये वर्ष की बेला में शपथ लेने एवं सभी जगह स्वतन्त्रता हेतु सभायें करने का आयोजन किये जाने पर बल दिया गया।

लाहौर अधिवेशन एक दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण रहा था। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति भावी प्रधानमंत्री था तो इसी

अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकर्ता की हैसियत से भाग लेने वाला व्यक्ति भावी द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री था। इस अधिवेशन से लाल बहादुर शास्त्री के मन में देश की जनता के प्रति विश्वास एवं प्रेरणा मिली। डी.आर. मनकेकर लिखते है कि "वह अपने देश की सेवा और मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिये अहिंसात्मक संघर्ष का द्विगुणित संकल्प लेकर इलाहाबाद लौटे।"[3]

लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस कार्यकारिणी को यह अधिकार दिया था कि वह देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का स्वरूप तैयार करे। स्पष्ट था कि कार्यक्रम महात्मा गांधी तैयार करेंगे। फरवरी 1930 ई. में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। गांधी जी आंदोलन की रणनीति के तरीके खोजने लगे। लार्ड इरविन ने महात्मा गांधी के 11 सूत्रीय मांगों को अस्वीकार कर दिया था। अतः 2 मार्च को गांधी जी ने अपने कार्यक्रम की घोषणा कर ब्रिटिश राज को अभिशाप मानते हुये वायसराय को पत्र लिखा। कार्यक्रम में नमक कानून भंग करने, विधान सभा के सदस्यों से त्याग पत्र देने, स्वराज्य पाने हेतु शांतिपूर्ण ढंग से अहिंसात्मक आन्दोलन किया जाना तय हुआ। साथ ही कर न अदा करना भी सम्मिलित था। लेकिन लाहौर अधिवेशन में सुभाष चन्द्र बोस द्वारा रखा गया प्रस्ताव करो की अदायगी तुरंत रोक देना जहां और जब भी संभव हो आम हड़तालें की जायें और समानान्तर सरकार बनाई जायें अस्वीकृत हो गया, क्योंकि अभी तक महात्मा गांधी का कांग्रेस में अच्छा प्रभाव बना हुआ था।

नमक कानून तोड़ने को लेकर यह स्वरूप सभी को विचित्र लगा था। नेहरू लिखते है "किस प्रकार पहले-पहल इस प्रस्ताव से वे भौचक्कें रह गये थे।"[4] 20 फरवरी 1930 ई. को इरविन ने सचिव वेजवुड बेन को प्रफुल्लित होकर लिखा- "इस समय नमक आंदोलन की सम्भावनायें मुझे रात को जगाये नहीं रखती।"[5]

महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा 12 मार्च को प्रारम्भ की। साबरमती आश्रम से 71 सदस्य एवं अन्य 7 सदस्य के साथ 78 सदस्यों को लेकर 240 मील (385 किमी.) यात्रा पूरी की। 6 अप्रैल को नमक कानून तोड़ने के साथ ही सारे देश में आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। आन्दोलन के आरम्भ से ही गांधी जी दांडी यात्रा के दौरान जहां से गुजरते थे वहां के ग्राम अधिकारी अपने पदों से त्याग पत्र दे देते थे। यहां तक कि 19 मार्च को खेड़ा जिले के बरसाड़ ताल्लुके के पाटीदारों ने मालगुजारी की न अदायगी का आन्दोलन प्रारम्भ करने की मांग को गांधी ने ठुकरा दिया था बाद में इसी कार्यक्रम को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद मई के मध्य में स्वीकार कर लिया था।

ब. आन्दोलन की घटनायें-

महात्मा गांधी 78 व्यक्तियों को साथ लेकर दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल 1930 ई. को सुबह एक मुट्ठी नमक लेकर सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। आन्दोलन प्रारम्भ होने से पूर्व गांधी जी ने जिस तरह के निर्देश कांग्रेस कार्यकर्ताओं और देश की जनता को दिये थे उसी के अनुरूप कांग्रेसी कार्य करने में लगे हुये थे। जब महात्मा गांधी दांडी यात्रा पर थे कांग्रेस नेता स्वयं सेवकों की भर्ती कर रहे थे। निम्न स्तर तक कांग्रेस समितियां बनाई जा रही थीं, कोष एकत्र किया जा रहा था। गांव-गांव संदेश पहुंचाया जा रहा था।

महात्मा गांधी के नमक कानून तोड़ने के साथ ही देश के सभी जगहों में नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह आरम्भ हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्र तट पर सी.आर. गोपालाचारी ने 30 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मालाबार में बैकम सत्याग्रह हुआ। असम से कुछ लोग सिलहट में एकत्र होकर नोआखाली समुद्र तट तक नमक कानून भंग करने पहुंचे थे। आन्ध्र प्रदेश से भी 'शिविरम' जत्थे नमक कानून तोड़ कर सत्याग्रह

करने समुद्र तट तक गये थे। आन्दोलन तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा और सरकार महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने में असफल हुयी। स्थानीय लोगों ने प्रचार किया कि सरकार हमसे भयभीत है, और गांधी जी की सरकार कायम हो गयी है। आन्दोलन के प्रारम्भ में ही 14 अप्रैल को जवाहर लाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया। इसका विरोध भारत के अनेक नगरों–मद्रास, करांची एवं कलकत्ता आदि में हुआ। पुलिस का एक बड़े जन समूह के बीच टकराव भी हुआ महात्मा गांधी ने धरासना नमक निर्माण शाला में नमक कानून तोड़ने की घोषणा की थी। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुये वाइसराय ने 4 मई 1930 ई. को महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने का आदेश जारी कर दिया। उसी दिन गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामस्वरूप करांची, कलकत्ता, मुम्बई एवं शोलापुर में जनसमूह ने विरोध कर प्रदर्शन किया। दिल्ली और कलकत्ता में पुलिस का टकराव हुआ। महाराष्ट्र के औद्योगिक नगर शोलापुर मे गांधी जी की गिरफ्तारी को लेकर 7 मई को सूती मिल मजदूरों ने हड़ताल कर दी। शहर के व्यक्तियों के साथ मिलकर शराब की दुकानें जला डाली। नगर पालिका और रेलवे स्टेशन में जाकर हमला किया। 16 मई 1930 ई. को मार्शल लॉ लगाकर स्थिति को नियंत्रण में किया गया। 8 मई को 3 मुसलमान सिपाहियों को जिन्दा जला दिया गया था। फिर भी 10 मई को बकरीद (ईद–उल–अज़हा)का पर्व शान्ति के साथ मनाया गया। इस घटना को लेकर ब्रिटिश अधिकारी बड़े क्षुब्ध हुये थे। उन्हें इस बात की आशा थी कि साम्प्रदायिक दंगा हो जायेगा और हिन्दू–मुस्लिम विवाद उत्पन्न होने से सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्वयं समाप्त हो जायेगा। सुमित सरकार लिखते है कि ''शोलापुर के डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट ने 13 मई को भेजी गयी रिपोर्ट होम पोलिटिकल 512/1930 में स्वीकार किया कि कांग्रेस के स्वयं सेवक यातायात का संचालन कर रहे थे और मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक मजिस्ट्रेट से लेकर नीचे तक अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। ऐसा लगता है कि कुछ दिनों तक के लिये समानान्तर सरकार जैसी कोई

चीज ही स्थापित हो गयी थी।[6]

शोलापुर की घटना से लाल बहादुर शास्त्री ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया। लाल बहादुर स्वयंसेवी के रूप में आन्दोलन में भाग लेने शोलापुर जाना चाहते थे। भारत के विभिन्न क्षेत्रों से स्वयं सेवी शोलापुर भेजे जा रहे थे, अतः लाल बहादुर ने इस सूची में अपना नाम लिखा दिया, पुरुषोत्तम दास टण्डन को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने शास्त्री को बहुत समझाया किन्तु शास्त्री ने अपना फैसला न बदला और शोलापुर जाने की प्रतीक्षा करने लगे। लाल बहादुर की यह विशेषता रही है जब वह किसी कार्य को करने हेतु अपना कदम उठा लेते थे तो फिर पीछे मुड़कर देखना उनके सम्मान के खिलाफ था।

जब कोई रास्ता नहीं निकल पाया तो पुरुषोत्तम दास टण्डन ने शास्त्री की पत्नी को सूचना भेजी कि वह अपने पति को शोलापुर जाने का कार्यक्रम किसी प्रकार स्थगित करवा दें। ललिता देवी ने इसे कुछ देर के लिये सामान्य बात समझी। क्योंकि लाल बहादुर आन्दोलन में भाग लेने एवं कांग्रेस के कार्य से बाहर जाते रहते थे। लेकिन गहराई से विचार करने तथा शोलापुर की घटना की जानकारी पाने के बाद ललिता देवी की स्थिति चिन्तनीय हो गयी। तुरन्त इस घटना की जानकारी उन्होंने अपनी सास को दी, जिन्हें वे अम्मा जी कहकर पुकारती थी। शास्त्री की माँ को जब पता चला तो उनकी हालत खराब हो गयी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि उसने अच्छी तरह सोच विचार कर ही निश्चय किया होगा। मुझे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिये। तुम चाहो तो खुद ही उनसे बात करो।"[7]

लाल बहादुर शास्त्री जब शाम को घर वापस आये तो रात को विश्राम के समय शोलापुर जाने के बारे में पूंछा। शास्त्री ने उत्तर हाँ में दिया और यह भी बता दिया कि शोलापुर जाने की तिथि की प्रतीक्षा भर शेष है। अचानक ललिता देवी ने अपने पति को सूचित करते हुये कहा कि मैं भी तुम्हारे

साथ चलूंगी, घर पर नहीं बैठूंगी। शास्त्री ने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उनकी पत्नी इस तरह से उत्तर देंगी। शास्त्री ने क्रोध में अनेक प्रश्न कर डाले तथा साथ नहीं ले जाने को कहा। इसके पश्चात भी दोनों में एक-दूसरे को शोलापुर नहीं जाने देने का प्रयास चलता रहा। काफी परिश्रम करने के बाद लाल बहादुर ने अपनी पत्नी ललिता देवी से कहा कि तुम्हारे दुखी होने से मैंने शोलापुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर दिया है। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आज के बाद फिर कभी मेरे द्वारा किये जा रहे देश सेवा एवं कर्तव्यपालन में बाधक नहीं बनोगी।

वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं कि ''लाला लाजपतराय की मृत्यु के बाद पंजाब भर में मार्शल लॉ लगा हुआ था, देश से स्वयंसेवक भेजे जा रहे थे, शास्त्री भी तैयार हो गये। किन्तु पत्नी ने बहुत रोका। शास्त्री अडिग रहे, सूचना मिली कि स्वयंसेवक पंजाब न जायें। किन्तु शास्त्री ने अपनी पत्नी से वचन ले लिया कि वह स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लेने से नहीं रोकेंगीं।''[8] इसी प्रकार श्रीमती दमयन्ती लिखती हैं कि ''पंजाब केसरी लाल लाजपतराय शहीद हो चुके थे। पंजाब में मार्शल लॉ लगा था। शास्त्री जी ने पंजाब जाने के लिये अपना नाम स्वयंसेवको में लिखा लिया। टण्डन और नेहरू ने समझाया किन्तु वे दृढ रहे। उनकी पत्नी भी जाने को तैयार हो गई कि इतने में पंजाब से समाचार मिला कि जाने की जरूरत नहीं है। शास्त्री ने इसी समय अपनी ध र्मपत्नी से यह वचन लिया कि वे कभी देश सेवा के कार्यों में बाधा न बने और उन्होंने उस वचन को सदा निभाया।''[9]

वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी और श्रीमती दमयन्ती के यह कथन सत्य है कि लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी से देश सेवा में बाधा नहीं बनने का वचन ले लिया किन्तु पंजाब वाली घटना दोनों लेखकों की सत्य प्रतीत नहीं होती। लाल बहादुर शास्त्री शोलापुर की 7 मई 1930 ई. वाली घटना को लेकर स्वयंसेवी के रूप में शोलापुर जाना चाहते थे न कि पंजाब। ललिता देवी के

शास्त्री से वायदा करने के बाद उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ऐसा समय भी आया कि परिवार को बहुत अधिक मुसीबतें उठानी पड़ी, फिर भी पत्नी ने अपना वादा पूरा किया।

देश के वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था और ब्रिटिश सरकार द्वारा संयुक्त प्रांत में जेल में जाने का कार्यक्रम जारी था जिससे अधिकांश लोग सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग न ले सके। यही स्थिति इलाहाबाद की बनी हुई थी। बड़ी संख्या में कांग्रेसियों को पकड़कर जेल भेजा गया, फिर भी अभी तक लाल बहादुर शास्त्री जेल जाने से बचे हुये थे। लेकिन शास्त्री जब तक गिरफ्तार नहीं हुये वे पूरी तरह व्यस्त रहकर आन्दोलन की गतिविधियों में लिप्त रहे। जो कांग्रेसी साथी गिरफ्तार हुये तो उनका सहयोग करने में लगे रहे। अब वे परिवार को बिल्कुल भी समय नहीं दे पा रहे थे। परिवार में बता भी दिया था कि किसी भी दिन वह गिरफ्तार हो सकते हैं। कुछ समय पश्चात लाल बहादुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। वह सात माह तक जेल में रहे। जब महात्मा गांधी रिहा हुये तथा 5 मार्च 1931 ई. को गांधी–इरविन समझौता (दिल्ली समझौता) हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री भी जेल से छूट गये। लाल बहादुर ने जिला कांग्रेस सचिव के रूप में एक अच्छा किरदार निभाया उन्होंने असंख्य सभाओं को सम्बोधित किया। शशि अहलूवालिया का विचार है कि ''उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनके द्वारा किसानों को लगान अदा करने से अस्वीकार करने के भड़काने के आरोप में ढाई वर्ष की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया।''[10]

आन्दोलन स्थगित होने के बाद जवाहर लाल नेहरू ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में जेल जाने वालों की संख्या का आंकलन किया जो ए.आई.सी.सी, जी.आई/1931 में अंकित है संयुक्त प्रांत से जेल जाने वालों की संख्या 12652 थी। इसी प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन में 1930 से 1933 ई. के बीच इलाहाबाद से 679 व्यक्ति गिरफ्तार हुये थे।

लगान की ना अदायगी को लेकर किया गया सविनय अवज्ञा आन्दोलन संयुक्त प्रान्त में अधिक सफल रहा था। इससे सरकार घबराई भी थी। क्योंकि असहयोग आन्दोलन के समय हुये किसान-विद्रोह को ब्रिटिश सरकार भूली नहीं थी। दूसरे फरवरी 1930 ई. में लखनऊ में जमींदारों ने सम्मेलन बुलाकर स्वतन्त्रता के प्रस्ताव का विरोध किया था। संयुक्त प्रान्त में रायबरेली और इलाहाबाद में इस आन्दोलन को सफलता मिली थी। फिर भी कांग्रेस ने इलाहाबाद के कुछ क्षेत्रों में सतर्कता से काम लिया था जहां मुसलमान जमींदार थे, उन्हें डर था कि कहीं साम्प्रदायिक दंगा न उठ खड़ा हो।

जनवरी 1930 में दोबारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना दिया जाने लगा। लगान और मालगुजारी की अदायगी का विरोध किया गया, कांग्रेस का अधिवेशन कर उसकी गतिविधियों को चलाये रखने का प्रयास किया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने अबकी बार दमनात्मक कार्यवाही तेज कर दी। 4 जनवरी 1932 से ही गवर्नर विलिंगटन ने आन्दोलन पर हमला बोल दिया। जनवरी 1932 से मार्च 1933 तक भारत में 120,200 गिरफ्तारियां हुई।

पुनः सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने पर लाल बहादुर शास्त्री सक्रिय हो गये। कांग्रेस के कार्यों को सम्पादित करने के लिये उन्हें गांव-गांव जाना पड़ा। उन्होंने अपनी वाकपटुता एवं व्यवहार कुशलता से ग्रामीण लोगों को समझाया कि ब्रिटिश सरकार का विरोध एवं बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। अतः लोगों में राजनैतिक चेतना उत्पन्न हुई और बहुत से अनपढ़ व्यक्तियों ने आन्दोलन में भाग लिया तथा जेल भी गये। यह शास्त्री की कार्य शैली का अदभुत तरीका था कि वह अपने सामने वाले को प्रत्येक दृष्टि से सन्तुष्ट करने में सफल होते थे।

लाल बहादुर शास्त्री की विशेषता थी कि कार्य को पूरा किये बिना गिरफ्तार होने से कोई लाभ नहीं। अतः जब तक सम्भव हो गिरफ्तारी से

बचकर आन्दोलन को अधिक तीव्र बनाना चाहिये। कई बार ऐसी समस्या उत्पन्न हुयी कि शास्त्री अधिकारियों से झगड़ा कर बैठेंगे। लेकिन अपने व्यवहार से समस्या का निदान खोज लेते थे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय शास्त्री एवं उनके सहयोगी कई दिनों तक गांव-गांव भ्रमण करते थे। कहीं बस्ती बाहर विश्राम कर लेते थे। कहीं चूल्हा बनाकर रोटी दाल या सब्जी बनाकर खाना खा लेते थे। यदि गाँव वालों का आतिथ्य मिला तो वहीं पर भोजन कर लेते थे। गिरफ्तारी से बचने के लिये बहुधा भूखा-प्यासा भी रहना पड़ता था। शास्त्री ने किसानों को समझाया कि वह लगान अदा नहीं करें। ब्रिटिश सरकार दमनात्मक नीति अपना रही थी। अतः शास्त्री का काफी समय तक बचे रहना सम्भव नहीं था। लाल बहादुर शास्त्री अपने पड़ोसी मोहन लाल गौतम के साथ गिरफ्तार कर लिये गये। शास्त्री को मलाका जेल में रखा गया और मुकदमा चलाया गया। सजा सुनाये जाने के बाद मलाका जेल से फैजाबाद जेल भेज दिया गया।

स. ललिता देवी का आन्दोलन में भाग लेना-

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में विदेशी कपड़े तथा शराब के बहिष्कार का कार्यक्रम भी रखा गया था। इसमें भाग लेने वाले को शपथ लेनी होती थी और स्थानीय राजनेता की बात माननी पड़ती थी। कांग्रेस कार्यकर्ता देखभाल करते थे कि कोई व्यापारी इस नियम का उल्लंघन न करें। उल्लंघन करने वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। कई मिल मालिकों ने विदेशी धागा प्रयोग करना बन्द कर दिया। शराब के बहिष्कार के कारण आबकारी शुल्क में कमी आ गयी। विदेशी कपड़ा भी बाजार में कम बिकने लगा। सुमित सरकार का मत है कि "इसका समग्र प्रभाव यह हुआ कि ब्रिटिश कपड़े के आयात में पर्याप्त कमी आयी। 1929 में जो आयात 260 लाख पाउंड का था वही 1930 में घटकर 137 लाख पाउंड का रह गया था। मात्रा की दृष्टि से देखें तो 1929-30 में जहां 12480 लाख गज कपड़े का आयात होता था, वहीं

1930 में यह घटकर 5230 लाख गज रह गया था।''[11]

शराब की दुकानों के सामने धरना देने और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार में महिलाओं ने भी भाग लिया था। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के प्रारम्भ से ही महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही थी। आन्दोलन में भाग लेने के साथ गिरफ्तारियां भी दी थी। सरोजनी नायडू एवं जवाहर लाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू पहले से ही सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं।

लाल बहादुर शास्त्री का आनन्द भवन आना जाना होता रहता था। एक बार जब शास्त्री आनन्द भवन गये तो कमला नेहरू ने लाल बहादुर से पूंछ लिया कि विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में तुम्हारी पत्नी भाग क्यों नही लेतीं। उन्हें चाहिये कि अन्य महिलाओं के साथ दुकानों के सामने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार में सहयोग करें। ''लाल बहादुर परेशानी में पड़ गये। वह अपना सिर खुजाते हुये बोले, इस काम के लिये तो आप ही उनको राजी कर सकती हैं। मुझको यकीन है कि यदि आप उनसे आन्दोलन में भाग लेने को कहेंगी तो इन्कार नहीं कर सकेंगी।''[12]

शास्त्री ने कमला नेहरू के सामने अपनी पत्नी को आन्दोलन में भाग लेने के लिये अपनी ओर से सकारात्मक उत्तर तो दे दिया, लेकिन उनके मन में यह बात कचोट रही थी कि उनकी माता जी द्वारा अनुमति प्राप्त होना सम्भव नहीं लगता। शास्त्री की माता जी पुरातनपंथी विचारधारा की थी और महिला को बाहर निकलने अपरिचित व्यक्तियों से बात करने में क्रोधित होती थीं। बड़ों के सामने घूंघट निकाल कर जाना उनकी परम्परा में था। इलाहाबाद में शास्त्री परिवार जहां निवास करता था वहीं पास में रहने वाला परिवार राष्ट्रभक्त था। इस परिवार की महिला सभाओं, जुलूसों और सत्याग्रह में भाग लेती थीं और इनके पति घर में बच्चों की देखभाल करते थे। इस परिवार की महिला से शास्त्री की माँ रुष्ट रहती थीं, उनका विचार था कि नारी का पहला कर्तव्य घर को संभालना है।

कुछ दिन बाद सायंकाल के समय शास्त्री के घर के सामने इक्का रुका तथा कमला नेहरू उतरकर लाल बहादुर के घर में आयीं। कमला नेहरू अच्छी तरह जानती थीं कि ललिता देवी को धरना मे तैयार करने से पहले शास्त्री की माँ को समझाना ठीक रहेगा। अतः उन्होंने शास्त्री की माँ से सबसे पहले बात की। शास्त्री का कहना है कि अम्मा जी कमला नेहरू से इन्कार न कर सकीं और इस प्रकार ललिता देवी ने भी राजनीतिक क्षेत्र में पैर रखा। इस तरह शास्त्री की पत्नी ललिता देवी को आन्दोलन में उतारने का श्रेय कमला नेहरू को जाता है।

विदेशी कपड़ों के बहिष्कार के लिये ललिता देवी ने अपने साथ मोहन लाल गौतम की पत्नी को लिया। इनका कार्य था दुकानों पर पुरुषों और स्त्रियों को समझाकर विदेशी कपड़े तथा वस्तु खरीदने से मना करना। पहले दिन दोनों स्त्रियां संकोच के कारण किसी से बात भी न कर सकी। इसके बाद शर्म और हिचक समाप्त हुई तो बहुत से पुरुषों व स्त्रियों को समझाकर विदेशी समान खरीदने से बचा लिया। लेकिन इसी आन्दोलन में ललिता देवी के साथ एक महत्वपूर्ण घटना हो गयी। दुकान में ललिता देवी ने एक महिला को विदेशी सामान खरीदने से मना किया। जिसने अधिक कपड़ा खरीद लिया था। दुकानदार ने ललिता देवी पर आरोप लगाया कि दूसरों को विदेशी सामान खरीदने से रोकती हो। स्वयं चूड़ियां विदेशी पहने हो। गौतम की पत्नी ने दुकानदार की हाथ घड़ी को विदेशी बताया। बहस में तय हुआ कि ललिता देवी अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ डाले, वह अपनी घड़ी तोड़ डालेगा। ललिता देवी ने दो चूड़ियां छुपा ली और बाकी सब चूड़ियां दुकानदार के गज को लेकर तोड़ डाली। दुकानदार अब अपनी घड़ी तोड़ने को तैयार न हुआ। उसने कहा मैंने ऐसा कोई वायदा नहीं किया था। इस समय तक काफी भीड़ एकत्र हो चुकी थी। साथ ही शास्त्री और गौतम अपनी-अपनी पत्नियों को लेने वहां पहुंचकर यह घटना देख रहे थे।

कार्यक्रम यह तय हुआ था कि दोनों महिलायें 11 बजे से 2 बजे तक धरना देना एवं विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्य किया करेंगी और वापस घर आ जाया करेंगी। उनके स्थान पर अन्य कांग्रेसी तैनात हो जाया करेंगे। अतः समयानुसार शास्त्री वहां पहुंच गये थे किन्तु इस घटना को शान्तिपूर्वक देख रहे थे। दुकानदार से खरीद करने वाली महिला बिगड़ी और खरीदे हुये कपड़े की होली जला दी। दुकान पर भीड़ के एकत्र होने से शास्त्री एवं गौतम दोनों खिसक लिये। भीड़ ने आक्रोश में आकर एवं दुकानदार की बेईमानी एवं झूठी नियत को देखकर दुकान में आग लगा दी। दुकान में आग लगने के पश्चात दोनों महिलायें घर वापस आ गयी। इस प्रकार ललिता देवी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार में सक्रिय कार्य किया। यह कार्य किसी भी ऐसी महिला के लिये अभिभूत करने वाली हो सकती है जिसने घर से बाहर कदन न रखा हो, घूंघट में रहती हो, प्राचीन परम्पराओं का निर्वाह करती हो।

द. किसान नेता के रूप मे शास्त्री-

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय लगान और मालगुजारी की अदायगी से मना करने से किसान आन्दोलन को अत्यधिक बल मिला था। इसका महत्व इस बात में भी निहित है कि कर न देने वाले आन्दोलन से युवा राजनीतिक कार्यकताओं की एक नयी पीढ़ी तैयार हो गयी। इनमें जवाहर लाल नेहरू, सुभाष चन्द्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता उभरकर आये। धीरे-ध ीरे ये राजनेता समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में आ गये। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कमजोर पड़ने पर कुछ नेता किसानों को संगठित कर आन्दोलन में जान डालने का प्रयास करते रहे। सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समाप्ति के पश्चात किसान आन्दोलन होते रहे। कांग्रेस ने किसानों से सम्बन्धित कार्यक्रम को फैजपुर के सम्मेलन में उठाया और प्रस्ताव पारित किया था। किसानों मे चेतना उत्पन्न करने हेतु कांग्रेसी गांव-गांव जाकर समझाते थे। चन्दे के रूप में

नकद या अनाज जमा करते थे।

उत्तर प्रदेश में किसान की स्थिति दयनीय थी, वह जमींदारों के दबाव में बना रहता था। उनकी दशा को सुधारने की आवश्यकता थी। जवाहर लाल नेहरू ने सिरे से ही जमींदारी व्यवस्था और जमींदारों को नकार दिया था। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री की भी सहानुभूति किसानों के साथ थी। किसानों की हीन दशा सुधारने का अवसर लाल बहादुर शास्त्री को 1936 ई. में प्राप्त हुआ। कांग्रेस ने भूमि सुधार के लिये एक गैर सरकारी समिति नियुक्त की। इस समिति के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टण्डन और संयोजक लाल बहादुर थे। अतः सबसे अधिक कार्य लाल बहादुर ने किया। शास्त्री ने इस विषय पर महत्वपूर्ण कागजात प्राप्त कर अध्ययन किया। देर रात तक फाइलें पढ़ते रहते थे। किसानों की स्थिति सुधारने हेतु कहीं से भी सामग्री उपलब्ध होने की आशा होती थी, वह प्राप्त करते थे। लगभग एक वर्ष के अन्तराल में लाल बहादुर शास्त्री ने किसान सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार कर कांग्रेस को प्रस्तुत कर दी। यही रिपोर्ट 1937 ई. में कांग्रेस की प्रांतीय सरकार बनने पर किसान सुधार कानून का आधार बनी थी। इस रिपोर्ट को तैयार करने के बाद शास्त्री अधिक प्रख्यात हो गये। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं कि ''लाल बहादुर की योग्यता का एक नया पक्ष सामने आया जिसने कांग्रेस के शीर्षस्थ नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया।''[13] इस सम्बन्ध में सुनीति व्यास ने लिखा है कि ''किसान बुरी तरह जमींदार और महाजनों के चंगुल में फंसा था। किसानों की स्थिति का अध्ययन कर रिपोर्ट देनी थी। भूमि सुधार के लिये सुझाव देना कोई आसान काम नहीं था। सदियों से चली आ रही जमींदारी और सामंती प्रथा देहाती जीवन में गहरे जमी हुई थी। शास्त्री की इस रिपोर्ट से बहुत सराहना हुयी।''[14]

लाल बहादुर अन्तिम समय तक किसानों के हितैषी रहे थे। इसी कारण उन्होंने 'जय जवान और जय किसान' का नारा दिया था। जब वह प्रधानमंत्री बने तो खाद्यान्न संकट भारत में था। उन्होंने खाद्यान्न संकट को दूर

करने के उपाय ढूंढ़े और किसानों को अनाज उत्पादन को बढ़ाने का नया रास्ता भी सुझाया। लाल बहादुर शास्त्री सदैव सामन्त विरोधी रहे। इस प्रथा को समाप्त करने का भरसक प्रयास किया। लाल बहादुर शास्त्री ने भाषण में कहा था। कि "जमींदारों को शान्तिपूर्वक मिटाना, समाज की आमदनी और बंटवारे की व्यवस्था को बिना संघर्ष बदलना, कुछ धीरे ही सही पर एक नये पथ पर चलना समाज के लिये एक नया आदर्श उपस्थित करना है।"[15] लाल बहादुर नियम और संयम का पालन अवश्य करते थे। इसका एक उदाहरण कृषि के सम्बन्ध में दिया जा सकता है। शास्त्री चुनाव के दौरान जब कार से इलाहाबाद क्षेत्र के जसरा से ग्रामीण क्षेत्र को जाने लगी तब चने के हरे पौधों से चना खाने की इच्छा हुई। किसान से कहा उसने चने का पूरा पौधा उखाड़ना चाहा। शास्त्री ने उसे डाँट दिया और कहा, "पूरा पौधा मत बरबाद करो, कुछ चने की फलियां तोड़ लो।" यह उदाहरण किसान हितैषी एवं अनावश्यक रूप से खाद्यान्न नष्ट करने को रोकता है। लाल बहादुर शास्त्री इस तरह किसान नेता के रूप मे पहचाने जाने लगे। यह स्वरूप उन्हें बड़ी सरलता से प्राप्त नहीं हो गया था। शास्त्री ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय से किसानों का पक्ष लेते हुये लगान तथा मालगुजारी अदा नहीं करने की वकालत की, तथा इसके लिये गांव-गांव गये। यहां से आगे वह जब भी सम्भव हुआ, किसानों के हित में कार्य करने से कभी पीछे नहीं हटे।

य. आन्दोलन के परिणाम-

सविनय अवज्ञा आन्दोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींद हराम कर दी थी। भारत के अधिकांश भागों में नमक कानून तोड़ा गया। जहां इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती थी वहां लगान की ना अदायगी का आन्दोलन चलाया गया। लगभग एक लाख से ऊपर व्यक्तियों को जेल में डाल दिया गया। इससे ब्रिटिश सरकार की घोर दमनात्मक नीति का पता चलता है। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया जिससे ब्रिटिश आयातित कपड़ा एक तिहाई ही रह

गया। शराब की दुकानों पर धरना देने से आबकारी कर में बहुत कमी आई। ब्रिटिश सरकार ने लोगों को समझाया कि इसे महान व्यक्तियों ने प्रयोग किया था जैसे नेपोलियन, सीजर आदि। लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कर ना अदायगी ने भी आन्दोलन को प्रभावित किया था। नैनी जेल में जवाहर लाल नेहरू ने इससे सन्तोष व्यक्त किया था, लेकिन नेहरू ने अक्टूबर 1930 ई. में आठ दिन के लिये जेल से रिहा होने पर यह अनुभव किया था। ''सविनय अवज्ञा आन्दोलन की गतिविधियां यद्यपि सभी स्थानों पर चल रही थीं, पर वे थोड़ी बासी हो गयी थी। शहरों के और मध्य वर्गीय लोग हड़तालों और जुलूसों से कुछ थक गये थे।''[16]

आन्दोलन समाप्त होने पर गांधी ने वायसराय से भेंट की, तब वायसराय ने कहा था। कि आपने नमक को लेकर अच्छी रणनीति की योजना बनाई थी जिससे सामाजिक आधार पर फूट डालने वाली सम्भावनायें नहीं थी। महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आन्दोलन समाप्त हो गया। आन्दोलन को स्थगित कर देने के कारण जेल में कारावासीय जीवन बिता रहे सुभाष चन्द्र बोस ने महात्मा गांधी के इस कदम की तीव्र आलोचना की थी।

लाल बहादुर शास्त्री भी इस आन्दोलन में गिरफ्तार हुये थे। पहले उन्हे मलाका जेल भेजा गया, जो इलाहाबाद के निकट थी, किन्तु कुछ समय बाद ब्रिटिश सरकार ने शास्त्री एवं इलाहाबाद के अन्य कैदियों को फैजाबाद की जेल में भेज दिया गया। आर्थिक समस्या से जूझते रहने के कारण परिवार के सदस्य सरलता से फैजाबाद भी नहीं पहुंच सकते थे। फिर भी शास्त्री और उनका परिवार आशावादी बना रहा।

शास्त्री ने आन्दोलन में अच्छी भूमिका का निर्वाह किया था। असहयोग आन्दोलन में वह छात्र थे अतः उस समय उनका कार्य करने का अनुभव भी कम ही था, सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने से पहले उन्होंने सामाजिक संस्था में कार्य किया अतः उन्हें कार्य का अनुभव हो गया था।

लाहौर अधिवेशन में भाग लिया जिसमें सारी रूप रेखा तय कर बता दिया गया था कि आगामी किसी भी समय महात्मा गांधी आन्दोलन आरम्भ कर सकते हैं। अतः शास्त्री को राजनीतिक अनुभव हो गया था। दूसरे सन् 1930 ई. में लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के सचिव बना दिये गये थे। इसलिये उनका कार्य क्षेत्र भी बढ़ गया था।

आन्दोलन जब सविनय अवज्ञा का आरम्भ हुआ तो शास्त्री ने जुलूस सभा का सम्मेलन करने के स्वरूप को अस्वीकार करते हुये गिरफ्तारी से बचते रहने का प्रयास जो किया वह उचित किया था, क्योंकि तुरन्त गिरफ्तार होने से कोई लाभ नहीं था। आन्दोलन को सम्पूर्ण जिले में प्रचार प्रसार गांव-गांव में जाकर किया। यह अच्छा कदम था इससे जनता महात्मा गांधी के कार्यो एवं योजनाओं का ज्ञान सभी लोगों को हुआ। शास्त्री युवा थे, विवाह हाल ही में हुआ था इस दृष्टि से नव विवाहिता को कम समय देते थे फिर भी ललिता देवी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं हुयी। बल्कि ऐसा अवसर भी आया कि जवाहर लाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के कहने पर ललिता देवी ने इलाहाबाद में सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेकर सफल आन्दोलन कियाजबकि वह गृहणी थीं और राजनीति के बारे में पूरी तरह शून्य थीं। उन्हें स्त्रियों को लेकर विदेशी वस्तु के बहिष्कार को लेकर सफलता अर्जित की थी। शास्त्री स्वयं उनके इस कार्यो से बड़े प्रसन्न रहते थे। शास्त्री की माँ रामदुलारी देवी ने भी बहू के इन कार्यो पर कभी आपत्तिजनक बात नहीं की। जबकि शास्त्री की माँ घोर पुरातन पंथी विचारधारा की थीं। शास्त्री ने इलाहाबाद के किसानों को लेकर लगान अदायगी से अस्वीकार करने का आन्दोलन भी चलाया था। अतः किसानों के नेता के रूप में वह उभरकर आये। शास्त्री इस आन्दोलन से राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की दृष्टि में चढ़ गये। बाद को उनके कार्यो को देखते हुये ही किसानों के सुधार हेतु समिति का संयोजक बना दिया था। इस प्रकार शास्त्री ने प्रारम्भ से ही लगन और मेहनत से कार्य करते हुये बड़े

राजनेताओं को प्रभावित कर लिया था, साथ ही राजनीति के प्रथम चरण में ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कार्य करते हुये अच्छी भूमिका का निर्वाह किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. सिन्हा, एन.के., – दि गजेटियर आफ इंडिया– इंडियन यूनयिन, वाल्यूम–2, हिस्ट्री एण्ड कल्चर, सं.–चोपड़ा, पी.एन.,गजेटियर यूनिट डिपार्टमेण्ट आफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ एजूकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर चतुर्थ संस्करण, नवम्बर 1992, पृष्ठ–542 ।
2. विपिन चन्द्र, – 'भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष' हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1998, पृष्ठ–207 ।
3. मनकेकर, डी.आर., – 'लाल बहादुर शास्त्री' प्रकाशन विभाग और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार पटियाला हाऊस, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1996, पृष्ठ–49 ।
4. नेहरू, जवाहर लाल, – 'एन आटोबायोग्राफी' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1982, पृष्ठ-250 ।
5. सरकार, सुमित, – भारतीय राष्ट्रवाद और गांधी, सविनय अवज्ञा तथा इरविन समझौता, द्वारा उद्धत, सं.– शुक्ल, रामलखन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1990, पृष्ठ–422
6. सरकार सुमित, – 'आधुनिक भारत (1885–1947)' राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., नई दिल्ली, प्रथम संस्करण,

1992, पृष्ठ–329–30 ।

7. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–50 ।

8. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – 'लाल बहादुर शास्त्री' किरण प्रकाशन दरियागंज, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1964, पृष्ठ–12–13 ।

9. श्रीमती दमयन्ती, – 'पांच मर्मस्पर्शी चित्र' सं.– एस.के. पाठक एवं जी.पी. श्रीवास्तव, 'लाल बहादुर शास्त्री व्यक्ति और विचार एस. चन्द्र एण्ड कम्पी लि., नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ–35 ।

10. अहलूवालिया, शशि, – फाउन्डर ऑफ न्यू इण्डिया' एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ–417 ।

11. सरकार, सुमित, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–334 ।

12. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–67 ।

13. वही, – पृष्ठ–76 ।

14. व्यास, सुनीत, – 'न्यूज लीड' समाचार पत्र दैनिक, वर्ष–3, अंक–288, 1 अक्टूबर 1998, इलाहाबाद

15. शास्त्री, लाल बहादुर, – 30 जनवरी 1950 ई. को आकाशवाणी द्वारा गांधी बलिदान दिवस पर प्रसारित, 'हमें रास्ता चुनना है' द्वारा उद्धत सं.– एस.के. पाठक व जी.पी. श्रीवास्तव, 'लाल बहादुर शास्त्री–व्यक्ति और विचार' एस. चन्द्र एण्ड कम्पनी लि., नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ–99 ।

16. सरकार, सुमित, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–426 ।

षष्टम अध्याय

शास्त्री के कारावास अवधि के कार्य

अ. नौ वर्षीय कारावास की यातनाऐं एवं समस्याऐं

ब. आदर्शवादी एवं अनुशासनप्रिय कैदी

स. कारावास में पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन

द. कारावास में लेखन कार्य

किसी भी शासन अथवा सरकार का विराध करने पर विरोधियों या विद्रोहियों को कुचलने का प्रयास करना शासन का एक साधरण कार्य है। इसी तरह भारतीय राजनीतिकों, आन्दोलनकारियों द्वारा ब्रिटिश विरोधी आन्दोलन करने पर उनका दमन करना, जेल भेज देना, साधारण बात थी।

भारत में 19 वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आन्दोलन उदारवादियों के हाथ में था, और उस समय अंग्रेज शासन विरोधी आन्दोलन के लिए एक मजबूत मंच कांग्रेस ही था। फिर भी अंग्रेज शासकों ने 1894 ई. में भारतीय जेल कानून बनाया। इसके अन्तर्गत भारत सरकार और प्रान्तीय सरकार द्वारा जारी किये नियमों के अनुसार जेल प्रशासन को नियमित किया गया। इसमें तीन तरह की जेलें स्थापित की गई। केन्द्रीय, मण्डलीय और सहायक। प्रत्येक प्रान्त में जेल विभाग इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स के अधीन रखा गया जिसे जेल का अनुभव हो तथा इण्डियन मेडिकल सर्विस का सदस्य हो। बड़ी केन्द्रीय जेलों में अधीक्षक एवं उप-अधीक्षक होते थे। जिला जेल में सर्विस सर्जन होता था इसके आधीन जेलर, डिप्टी जेलर, असिस्टेंट जेलर तथा वार्डर होते थे। बड़े शहरों में सुधारक स्कूल खोले गये। इसका प्रशासन 1899 ई. से शिक्षा विभाग के हाथ आ गया।

जेल प्रशासन को सुधारने हेतु ब्रिटिश भारत सरकार ने 1919 ई. में जेल समिति द्वारा सर्वेक्षण कराया। इस समिति ने रिपोर्ट में कहा कि ''मौजूदा कैदियों की शिक्षा की व्यवस्था करने और खर्च करने सरकारी विभागों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए जेल उद्योगों को विकसित करने की जरूरत है।''[1] इसके साथ ही 1919 ई. के भारतीय अधिनियम के तहत जेल शासन प्रान्तीय सरकारों के आधीन आ गया। तथा 1 अप्रैल 1937 ई. से प्रान्तीय सरकार को कानून निर्माण का अधिकार भी प्राप्त हो गया।'' केन्द्रीय सरकार ने कैदियों और अपराधियों के एक इकाई से दूसरी में बदलने के सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार के साथ केवल सहगामी कानून निर्माण अधिकार रखे।''[2] जेल नियमों में सुधार

करने के उपरान्त अनेक पुराने कानूनों का सहारा बिट्रिश सरकार लेती थी। आन्दोलन को दबाने हेतु लोगों पर मुकदमा चलाकर जेल भेज देती थी, कभी-कभी 1818 ई. के पुराने नियम का सहारा लेकर अनेक राजनीतिज्ञों को बिना मुकदमा चलाये निर्वासित कर देती थी। बिट्रिश सरकार ने आन्दोलनों को समाप्त करने एवं दमनात्मक कार्यवाही करने हेतु 20 वीं शताब्दी के प्रथम दशक में अनेक एक्ट् पारित किये। ''मई और नवम्बर 1907ई.के एक्ट द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों में राजद्रोहात्मक सभाओं पर प्रतिबन्ध और न्यूजपेपर्स एक्ट के अनुसार प्रेसों को जब्त किया जा सकता था। दिसम्बर 1808ई.का क्रिमिनल ला अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अन्तर्गत बंगाल की प्रमुख समितियों पर प्रतिबन्ध लगाया जा सकता था, और देश निकाला दिया जा सकता था।''[3]

जेल में कैदियों का जीवन एवं जेल का प्रशासन भी सामान्य जीवन व प्रशासन से अलग हटकर होता है। जेल की ऊँची चहारदीवारी में कैदियों के बन्द रहने, उनके साथ जेल प्रशासन का सख्ती से पेश आने,सामान्य जीवन की आवश्यकताओं का अपलब्ध न हो पाने से कैदी का स्वभाव चिढ़चिड़ा हो जाता है और आपस में अनावश्यक रूप से लड़ने भी लगता है। कैदी के जीवन का अनुभव गिरीश नारायण अवस्थी जो राजनीतिक बन्दी थे, बताते हुए लिखते हैं कि ''स्वतन्त्रता समानता और विश्व बन्धुत्व के उच्च आदर्शो से प्रेरित होकर स्वदेश पर अपना संपूर्ण जीवन उत्सर्ग करके हथेली पर जान रख कर जेल जाने वाले, ज्यादा काल तक कारागार की ऊँची-ऊँची दीवालों के पीछे बन्द रहने वाले राजबन्दियों के उच्च आदर्श भी कभी-कभी धूमिल पड़कर आधा सेर दूध, एक छटाक घी, आध पाव शक्कर, पाव भर फल, कच्ची या अधपकी रोटी, सी क्लास की दाल में तेल कम या ज्यादा, किसी साथी को आधी छटांक से ज्यादा गुड़ मिल सकता है या नहीं, सुबह नाश्ते में सी क्लास के चलत पुर्जे साथियों को दो नमकीन चपाती तिकड़म से मिल सकती है या नहीं, जो धूम्रपान करने वाले है उन्हें दिन में चार बीड़ियाँ वार्डन से मिल जाती है या

नहीं आदि चीजों पर टकराने लगते हैं जिन्होंने ज्यादा अपनी बुद्धि पर भरोसा रक्खा वे बाहर की राजनीति, दलबन्दी के डर, रिफ्रूटमेंट का काम, आपस में तोड़-फोड़ का काम करके अपनी बाहर की दुनिया के वास्ते विस्तृत गिरोह बनाने के चक्कर में रहते हैं। इससे भी ज्यादा अपने दिमाग पर नियन्त्रण रखने वाले तो ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के कारिन्दों (जेल अधिकारियों) से जूझने और नित्य नवीन प्रश्नों को लेकर रणदुन्दभी बजाने में अपने शैतानी या खुराफाती दिमागों को राजनीतिक खुराक देने में अपनी सफलता समझते थे।''[4]

जेल की घटनाओं को लेकर डी. आर. मनकेकर भी उपरोक्त बातों की पुष्टि करते हुए लिखते हैं कि ''कैदी बीड़ी, तेल आदि आवश्यतओं को लेकर उत्पात मचाते थे।''[5] लेकिन लाल बहादुर में कैदी जीवन में रहते हुए किसी भी तरह के बुरे आचरण नहीं पैदा हुए थे। लाल बहादुर युवा में ही आदर्शवादी विचारधारा के थे। अन्य राजनेता कैदियों की भाँति भी लड़ना नहीं सीखा था। यह उनकी कैदी जीवन की अनेक घटनाओं से प्रमाणित होता है।

लाल बहादुर संवेदनशील व्यक्ति थे। भारत के बड़े नेताओं के भाषणों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और शनैःशनै आन्दोलनकारी बनने की स्थिति में आते जा रहे थे। 1920 ई. के असहयोग आन्दोलन की घोषणा की जा चुकी थी। बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय के राष्ट्रवादी अध्यापकों ने महात्मागांधी के आहवान पर अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इन्हीं अध्यापकों में महत्वपूर्ण व्यक्ति आचार्य जीवतराम भगवानदास कृपलानी भी थे। इन सब ने विद्यार्थियों को स्कूल और कालेज छोड़ देने के लिए समझाया। उन्हीं दिनों हरिश्चन्द्र, हाईस्कूल बनारस में परीक्षाएं चल रही थी। जब लाल बहादुर परीक्षा देने स्कूल गये तो रास्ते में छात्र धरना दिये थे। और स्कूल जाने वालों को रोक रहे थे। लाल बहादुर वापस आ गये तो घर के बुजुर्गों ने नालायक और साल बरबाद करने वाल कहा।

कुछ दिनों बाद 1921 ई. में लाल बहादुर असहयोग आन्दोलन से जुड़

गये। वे छात्रों के साथ जुलूस में शामिल हुए जिसे निकालने की मनाही थी। पुलिस ने हिरासत में लेकर इन सबको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की और चेतावनी देकर छोड़ दिया। शशि अहलूवालिया लिखती हैं कि "1921 में अवैधानिक जुलूस में भाग लेने पर लाल बहादुर को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन छोड़ दिया।"[6]

लाल बहादुर शास्त्री असहयोग आन्दोलन के पूरे समय तक आन्दोलन करते रहे थे और इस प्रकार उनमें परिपक्वता भी आती जा रही थी। प्रारम्भिक अवस्था से ही उन्हें अनेक संकटों का सामना करना पड़ा था। सगे-सम्बन्धी भी उनके आन्दोलनकारी बनने की आलोचना करने लगे थे। क्योंकि परिवार ने लाल बहादुर से आशाऐं बहुत अधिक बाँध रखी थी। पारिवारिक स्थिति दयनीय थी और यह समझा जा रहा रहा था कि लाल बहादुर इस उत्तरदयित्व को अंजाम देंगे। लेकिन उन पर देश सेवा करने व देश को आजाद कराने का जुनून सवार हो चुका था। जिसे महात्मा गाँधी, तिलक एवं आचार्य कृपलानी ने अपने भाषणों द्वारा उनके ह्रदय में भर दिया था।

अ. नौवर्षीय कारावास की यातनाऐं एवं समस्याऐं-

लाल बहादुर शास्त्री का कारावासीय जीवन सन् 1930 से प्रारम्भ हुआ। जब सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और उन्होंने नो रेण्ट मूवमेण्ट बड़ी द्रुतगति से इलाहाबाद में चलाया था। 1926 ई. में 'सर्वेण्टस ऑफ दि पीपुल सोसाइटी' के सदस्य लाल बहादुर शास्त्री हो गये थे। साथ ही देश सेवा भावना, लगन और मेहनत के कारण कांग्रेस कमेटी के सचिव भी बना दिये गये, अतः इन्हें पुरूषोत्मदास टण्डन ने इलाहाबाद बुला लिया।

1929 ई. में लाहौर अधिवेशन हुआ जिसमें लालबहादुर शास्त्री ने भाग लिया। इस अधिवेशन में कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन करने का प्रस्ताव पारित किया। डी. आर. मनकेकर के अनुसार "लालबहादुर भी उन हजारों युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में से एक थे, जो इस अवसर पर रावी तट

पर एकत्र हुए और वह अपने देश की सेवा और मातृभूमि की स्वतन्त्रता के लिए अहिंसात्मक संघर्ष का दिवगुणित संकलप लेकर इलाहाबाद लौटे।''[7] सविनय अवज्ञा आन्दोलन के शोलापुर घटना से कर्फ्यू लागू हो गया। और देशसेवक वहां जाने लगे। लालबहादुर भी शोलापूर जाना चाहते थे किन्तु पत्नी ललिता देवी से काफी बहस हुई। परिणमतः ललिता देवी ने शीघ्र समझ लिया कि वे अपने पति के साथ हमेशा नहीं रह पायेंगीं।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन की शोलापुर घटना, जो 5 मई 1930 को हुई थी, के कुछ महीने बाद लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद में ही जेल गये। इसके बाद ''अगले 15 वर्षों में वह 7 बार जेल गये और कुल मिलाकर 9 वर्ष जेल में काटे।''[8] सुरेन्द्र मोहन तरूण भी इसकी पुष्टि करते हैं कि ''1930 से 1945 की अवधि में उन्होंने ब्रिटिश राज्य की जेलों में 9 वर्ष बिताये।''[9] हरिराम मित्तल लिखते हैं कि ''सन् 1935 से सन् 1945 ई. तक शास्त्री जी का जेल जीवन बड़े कठिन संघर्षों और परीक्षा का काल रहा। परिवार भयानक आर्थिक संकट से ग्रस्त रहा तथा कई निकट के सम्बन्धियों का विद्रोह भी उन्हें सहना पड़ा।''[10]

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय इलाहाबाद में लगान बंदी आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भ में बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। अभी लाल बहादुर शास्त्री बच रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री ने इलाहाबाद क्षेत्र के गाँव-गाँव जाकर लगान बन्दी आन्दोलन के लिए लोगों को तरह-तरह से समझाकर प्रेरित किया कि उन्हें लगान नहीं अदा करना है। शास्त्री अपने उत्तरदायित्व को पूर्णरूपेण अंजाम दे रहे थे। एक दिन परिवार में खाना खाते समय माँ एवं पत्नी को बता दिया कि वह अब किसी भी दिन गिरफ्तार हो सकते हैं। डी.आर. मनकेकर को अपने साक्षात्कार में लाल बहादुर शास्त्री ने बताया कि उन्होंने पत्नी एवं बहनों को उपदेश देते हुए कहा। ''जो लोग मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं, वह अपना प्रेम इस तरह दिखायें कि आई हुई मुसीबत

को मुस्करा कर झेलें न कि गंवारों की तरह छाती पीटें।''[11]

एक दिन लाल बहादुर शास्त्री घर में बताकर गये कि वे जरूरी काम से मेजा (इलाहबाद की एक तहसील) जा रहे हैं। लेकिन सायंकाल के बाद उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। जेल गाड़ी उनके घर के सामने से गुजरी, जिसे उनकी पत्नी ने देखा था। आंखों में आंसू आये, किन्तु लाल बहादुर की बात याद कर दांत पीसकर आंसू पोंछ डाले। रात को ही उनकी माता पूड़ी तैयार कराकर रात को एक कांग्रेसी के साथ कोतवाली ले गयी। जिसने लाल बहादुर के घर उनकी गिरफ्तारी की सूचना रात 11 बजे दी थी। शशि अहलूवालिया लिखती हैं कि " उन्होंने अनगिनत सभाओं को सम्बोधित किया और अन्त में गिरफ्तार कर लिए। तथा किसानों को लगान के भुगतान से अस्वीकार करने हेतु षडयन्त्र के आरोप में ढाई वर्ष की सजा सुनायी गयी। और लाल बहादुर को जेल भेज दिया गया।''[12] इसकी पुष्टि डी.आर.मनकेकर भी करते हैं।'धरती का लाल' ग्रंथ से ज्ञात होता है कि लालबहादुर को पहली कारावासीय सजा सन् 1930 ई. में सुनायी गयी थी। शास्त्री ने पहली जेल यात्रा 19 दिसम्बर 1930ई.को फैजाबाद के लिए प्रारम्भ की। यह सजा डेढ़ वर्ष जेल में रहने की थी। साथ ही 50 रु0 जुर्माना किया गया था। किन्तु शास्त्री ने जुर्माना देना अस्वीकार कर दिया, अतः कारावासीय अवधि बढ़ी, जो 18 जून 1932 से दिसम्बर 1932 कर दी गयी। लेकिन सभी कैदियों की रिहाई के साथ 10 दिसम्बर 1935 ई. को लाल बहादुर शास्त्री को भी रिहा कर दिया गया।

लाल बहादुर शास्त्री को इलाहाबाद के उपनगर मलाका जेल में रखा गया था। तमाम राजनीतिक बंदियों से मुलाकात परिवार के लोग कर सकते थे। इसके लिए सरकारी आदेश प्राप्त करना होता था। अतः कुछ समय बाद इजाजत लेकर लाल बहादुर की माँ अपनी दो बेटियों व बहू के साथ जेल मिलने गईं। यह लाल बहादुर की पहली जेल यात्रा थी और सभी लोग चिन्तित एवं उदास थे। आवश्यक वार्तालाप के बाद परिवार के लोग वापस आने लगे तो जेल

अधिकारी से एक मिनट का समय पत्नी से बात करने को माँगा, और पत्नी से बातों के दौरान अनेक नैतिक निर्देश दिये। साथ ही अपनी बड़ी बहिन से कहा कि ''बच्चे के जन्म लेने तक ललिता देवी के पास ही रहना। ससुराल बाद में जाना।''[13] इस समय ललिता देवी पहले बच्चे को जन्म देने वाली थीं, जब लाल बहादुर सविनय अवज्ञा आन्दोलन में किसानों को लगान न देने के षंडयन्त्र के आरोप में जेल की सजा काट रहे थे।

लेकिन महात्मा गांधी की 25 जनवरी 1931 ई. को रिहाई हुई, गांधी इरविन समझौते के बाद लगभग 10 माह जेल में रहने के पश्चात दिसम्बर 1931 ई. को लाल बहादुर शास्त्री रामनगर गये, जहां उनका पूर्वजों का घर था और वहीं पर पत्नी ललिता देवी ने अपनी प्रथम सन्तान को जन्म दिया था जिसका नाम कुसुम रखा गया। कुछ समय रामनगर में बिताने के बाद लाल बहादुर पत्नी एवं मां के साथ इलाहाबाद वापस आ गये। यहाँ सर्वेण्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी को तथा जिला कांग्रेस के सचिव पद पर काम करने लगे।

29 दिसम्बर 1931 ई. को गांधी जी के इंगलैण्ड से लौटने के एक दिन बाद कांग्रेस कार्यकारिणी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का निर्णय ले लिया। 4 जनवरी 1932 को 'बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया।' ''पहले महीने में ही 80 हजार सत्याग्रही जिसमें ज्यादातर गांवों और शहरों के गरीब लोग थे जेल गये।[14]'' गांधी जी के पुनः आन्दोलन छेड़ने पर शास्त्री ने भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया। इलाहाबाद पार्क में सभा आयोजित करने के कारण पुलिस ने गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट सोहन लाल श्रीवास्तव ने अध्यादेश 12,1931 धारा 5 के कारावास की सजा 2 जनवरी 1932 को सुनायी। लाल बहादुर शास्त्री को 29 दिसम्बर 1932 को फैजाबाद जेल से रिहाकर दिया। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री को व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए 9 अगस्त 1941 को इलाहाबाद में गिरफ्तार कर नैनी जेल भेज दिया।

गाँधी जी चाहते थे कि सत्याग्रह करने एवं असहयोग करने का

सन्देश देहातों तक पहुंचाया जाय। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गाँव-गाँव जाकर समझाया। और गिरफ्तार होने से पहले जगह-जगह सन्देश दिये। लाल बहादुर लगभग एक वर्ष जेल से बाहर रहें होंगे कि पुनः 1932 ई. में उन्हें जेल भेज दिया। इससे पहले किसानों को लगान न देने के लिए किसानों को प्रेरित किया था। किसान पूर्ण तैयारी के साथ कर नहीं देना चाहते थे।

लाल बहादुर के साथ उनके पड़ौसी मोहनलाल गौतम भी जेल भेजे गये। मोहन लाल गौतम को पहले गिरफ्तार किया गया था। जब लाल बहादुर मोहन लाल के मुकदमे की सुनवाई में अदालत गये हुए थे, उसी दिन लाल बहादुर को पुलिस इंस्पेक्टर ने वारंट दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन पर भी मुकदमा आरम्भ हो गया। और मुकदमें के फैसले की तारीख भी निश्चित कर दी गयी। जेल नियमों के अनुसार आखिरी पेशी के बाद जेल में सम्बन्धित व्यक्ति से मुलाकात की जा सकती थी। अतः लालबहादुर की माँ ने लाल बहादुर से भेंट करने हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उस पर अनुमति प्रदान कर दी गयी। नियमानुसार तीन से अधिक व्यक्ति एक जेल कैदी से नहीं मिल सकते थे। जेल में भेंट करने के लिए लाल बहादुर की पत्नी ललिता देवी,उनकी माँ एवं लाल बहादुर के बहनोई एवं चाची थीं। सभी लोग मिलने को आतुर थे। निर्णय लिया गया कि ललिता देवी बाहर ही बैठी रहें। बहनोई, चाची एवं माँ लाल बहादुर से भेंट करेंगे क्योंकि ये सभी विशेष रूप से बाहर से मिलने आये थे। जिन्हें निकट भविष्य में मुलाकात का अवसर भी प्राप्त नहीं हो सकता था। ''ललिता देवी जेलर के कमरे के सामने बैठी चुपचाप रोती हुई आँसू पोछतीं रहीं। जेलर ने उन्हें देखा और दया उमड़ पड़ने के कारण उन्हें भी भीतर आने की इजाजत दे दी।''[15]

लाल बहादुर शास्त्री को इलाहाबाद के निकट मलाका जेल में रखा गया था। लेकिन बाद में फैजाबाद जेल में भेजने की व्यवस्था की गई। फैजाबाद जेल में भेजे जाने की तिथि निर्धारित कर दी गई। इसकी सूचना लाल

बहादुर ने घर भेजी। फैजाबाद जेल स्थानान्तरित होने के दिन पत्नी ललिता देवी को पूड़ी-कचौड़ी साथ लाकर आने को भी लिख दिया।

जेल के नियमों के अन्तर्गत परिवार सम्बन्धियों द्वारा भेंट के अवसर पर खाने पीने की वस्तुएं सम्बन्धित कैदियां को प्रदान करने की अनुमति भी दी जाती थी। जिसे जेलर के द्वारा जाँच के उपरान्त कैदी को दे दिया जाता था।

लाल बहादुर को पूडी-कचौड़ी बहुत पसन्द थी और उन्हें आशा थी कि उनकी पत्नी किसी न किसी तरह से व्यवस्था करके पूड़ी-कचौड़ी अवश्य लाएगी। जबकि वह भली भाँति जानते थे कि परिवार का गुजारा उनके कैदी जीवन की अवधि में बड़ी कठिनाई से चल पा रहा होगा। ललिता देवी ने अपने पड़ोसी श्रीमती गौतम से मद्द माँगी किन्तु कठिनाई के साथ उन्होंने मात्र दो रूपया की व्यवस्था की। क्योंकि उनके पति भी जेल में थे और वह भी परेशानी की हालत में थीं। ललिता देवी निश्चित तिथि को अपनी ननद के साथ जेल पहुँच गई। जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि कैदी थोड़ी देर में जायें गे। उस सिपाही की बात में आकर प्रतीक्षा करने लगीं। लेकिन उस सिपाही ने धोखा दिया था। कैदी रेल्वे स्टेशन जा चुके थे। अचानक ललिता देवी को याद आया कि यह वही सिपाही है जो वारंट कुड़की लेकर घर आया था और सही पता ललिता देवी ने नहीं बताया था। इस प्रकार कुड़की से बच गयी थीं। दूसरे सिपाही ने कैदियों के चले जाने की बात कहीं। और दोनों लोग रेल्वे स्टेशन पहुँची जहाँ कैदी वाहन खड़ा था। उसी समय पुरूषोत्तम दास टण्डन स्टेशन से बाहर निकले और लाल बहादुर की पत्नी को पहचान लिया।

पुरूषोत्तम दास टण्डन द्वारा लाल बहादुर से भेंट करने की बात पूंछने पर ललिता देवी ने नहीं में उत्तर दिया। टण्डन ने तुरन्त मिलने को कहा जहाँ ट्रेन छूटने वाली थी। लाल बहादुर प्रतीक्षा में थे कि उनकी पत्नी पूड़ियां के साथ अवश्य भेंट करेंगी।

देखते ही ट्रेन चलदी और टण्डन, ललिता देवी, तथा उनकी ननद ट्रेन में लाल बहादुर के साथ बैठ गयीं।

पुरूषोत्तम दास टण्डन स्थिति को भाँप चुके थे, अत: उन्होंने अगले स्टेशन पर खाने पीने की व्यवस्था की।

इलाहाबाद वापसी के दो टिकट दिये जो कांग्रेसी कार्यकर्ता था। पुरूषोत्तम दास टण्डन ने इसकी व्यवस्था कर दी थी। लाल बहादुर से वार्तालाप करने के बाद ललिता देवी तथा ननद (लाल बहादुर की बहिन) वापस इलाहाबाद आ गयीं।

लाल बहादुर शास्त्री को फैजाबाद जेल पहुँचा दिया गया। वहाँ उन्होंने कारावासीय जीवन की अवधि में पुस्तकों का अध्ययन किया, उनका जीवन आदर्शो से प्रेरित था। कभी उन्होंने जेल नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास नहीं किया बल्कि साथी कैदियों को भी अनेक अच्छे कार्यों की प्रेरणा भी दी। जिससे राजनीतिक बन्दियों की स्थिति में सुधार हुआ।

फैजाबाद जेल के समय घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। साथ ही ललिता देवी पति के स्वास्थ के प्रति चिन्तित भी रहने लगी थीं। जेल के नियमों के अनुसार कई महीनों के उपरान्त एक बार परिवार को सम्बन्धित कैदी से भेंट करने की अनुमति मिलती थी। अत: ललिता देवी ने घर को अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया ताकि कुछ धन की बचत हो सके और वह पति से फैजाबाद जेल में मुलाकात कर सकें। उन्होंने भोजन खर्च में कटौती प्रारम्भ कर दी। तेल मसाले का प्रयोग भी कम कर दिया। लाल बहादुर शास्त्री की माँ के लिए सिर्फ दाल सब्जी व रोटी बना दिया करतीं। स्वयं अपने व बच्चों के लिए खिचड़ी या चावल बनाकर काम चला लेती थीं। लगभग छ: माह तक इस तरह प्रक्रिया अपनाने के बाद ललिता देवी फैजाबाद यात्रा का किराया बचा पाईं। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं। ''दो अन्य कांग्रेसी कार्यकर्ताओं मोहन लाल गौतम और केशवदेव मालवीय की पत्नियां भी अपने

पतियों से भेंट की योजना बना रही थीं, क्योंकि उनके पति भी फैजाबाद जेल में ही नजरबंद थे। ललिता देवी ने सोचा कि यह मौका बहुत अच्छा है और उन्होंने भी उनके साथ जाने की तैयारी शुरू कर दी।''[16]

ललिता देवी की लाल बहादुर शास्त्री से फैजाबाद जेल में हुई भेंट से यह स्पष्ट होता कि लाल बहादुर शास्त्री प्रत्येक नियम, सिद्धातों एवं आदर्शों से बहुत अधिक बंधे हुए थे। उन्होंनेइसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास हर सम्भव किया था। ललिता देवी जब फैजाबाद जेल गईं तो चोरी से छुपाकर अपनी साड़ी में दो आम ले गईं। जो उन्होंने लाल बहादुर को दिये। देखते ही लाल बहादुर शास्त्री पत्नी से बिगड़ गये। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि ''तुम्हारे धोखा धड़ी के आचरण से मैं शर्मिन्दा हूँ। मेरा इरादा है कि इस मामले की शिकायत मैं जेल अधिकारियों से करूँ।''[17]

इसके बाद लाल बहादुर ने पत्नी पर आरोप लगाया कि शायद आम मुझे खिलाकर मौसम भर बेहिचक आम तुम खाना चाहती हो। पत्नी ललिता देवी अब रोने की स्थिति में आ चुकी थीं क्योंकि यह आरोप उनसे बरदाश्त नहीं हुआ। भेंट के दौरान परिवार की समस्या एवं जानकारी देने के बाद ललिता देवी लौट आयीं। इस घटना ने उनको हिला दिया था, चोरी से आम ले जाते समय उन्हें कोई गलती नहीं दिखाई दी क्योंकि उनके साथ आयी महिलाएं भी इसी तरह सामान अपने पति को ले जाती थीं जो उन्होंने देखा था। जबकि जेल नियम के अनुसार किसी वस्तु की जांच होना आवश्यक था।

किसी भी कैदी की दुनिया चारदीवारी के अन्दर होती हैं, बाहरी लोगों से सम्पर्क टूट जाता है। अधिक समय तक जेल में रहने से कैदी चिड़चिड़ा हो जाता है। जरा सी बात में जेल के कर्मचारियों व अधिकारियों से लड़ जाना या साथी कैदी से उलझ पड़ना एक साधारण बात हो जाती है, घर और परिवार से सम्पर्क नहीं हो पाने से हताश और निराश हो जाते हैं यदि कोई बीमारी आ गई तो शीघ्र ही व्याकुल और घबराहट उनमें पैदा हो जाती है।

लेकिन उपरोक्त किसी भी प्रकार की कमियां लाल बहादुर शास्त्री में नहीं थीं। वह किसी भी तरह के संकट से घबराते भी नहीं थे। सर्वप्रथम तो वह अपनी दिनचर्या निर्धारित कर लेते थे कि उन्हें उस दिन क्या और कितने कार्य करना है। वे खाली बैठना पसन्द नहीं करते थे। साथी कैदियों से मिलना तथा आवश्यकता पड़ने पर उनकी सहायता करने को तत्पर तैयार रहते थे।

एक बार लाल बहादुर शास्त्री के साथी कैदियों में एक सत्याग्रही कैदी बीमार पड़ गया। लाल बहादुर उसे काशी विद्यापीठ के समय से ही जानते थे। कुछ दिनों तक तो यह लगा कि उसे बुखार है जो ठीक नहीं हो पा रहा है। डाक्टर द्वारा दो बार चेकअप करने पर प्रतीत हुआ कि उसे मियादी बुखार है। उस जमाने में मियादी बुखार बड़ी खराब बीमारी समझी जाती थी, अतः जेल अस्पताल से उसे ले जाया गया। वह कैदी अस्पाताल में डरता था क्योंकि वहां का गन्दा वातावरण व कर्मचरियों की लपारवाही सही ढंग से देखभाल न होना था। अतः दूसरे दिन ही लाल बहादुर ने जेल अधिकारियों से कहकर एक बैरक को रोगी बैरक बनवा दिया। जिससे रोगी कैदियों के बीच में रहेगा तथा कैदी भी उसकी देखभाल करते रहेंगे। इसके पश्चात उसको जेल अस्पताल लेने चले गये, डी. आर. मनकेकर लिखते है कि ''लाल बहादुर ने मुस्कुराकर कहा, तुम वहीं लौट चलोगे, हम लोगों के बीच तुम्हारे लिये जेल में ही इंतजाम किया जा रहा है।''[18] मरीज के देखभाल की जिम्मेदारी लाल बहादुर ने स्वयं अपने ऊपर ले ली, आवश्यकता पड़ने पर जेल के कर्मचारियों व अधिकारियों की सहायता मिल जाती थी। लाल बहादुर शास्त्री मरीज का बुखार लेते, दवा खिलाते, शौच के लिये सहारा देकर ले जाते थे। उसकी नीरसता को समाप्त करने के लिए किताबें पढ़ कर सुनाते थे। लाल बहादुर सदैव साथियों की समस्याओं का हल करने के लिये तैयार रहते थे उनके सुख-दुख में भागी होते थे।

लाल बहादुर शास्त्री अपने लिए कभी भी न तो रियायतें मांगते थे

और न ही आवश्यक वस्तुओं की मांग करते थे। जैसा कि अन्य कैदियों ने छोटी-छोटी वस्तुओं की माँग करना तथा प्राप्त नहीं होने पर लड़ना एक स्वभाव सा बना लिया था। शास्त्री इन सब से कोसों दूर थे। यहाँ तक कि जेल अधिकारियों और राजनैतिक कैदियों के बीच झगड़ा हो जाने पर मध्यस्थता कर के समस्या को हल करा देते थे। अतः लाल बहादुर शास्त्री जेल अधिकारियों के लिए प्रिय हो गये थे। उनके अन्दर अनुशासन एवं सज्जनता तो थी ही।

शास्त्री के बार-बार जेल जाने और जेल के बाहर रहने पर भी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण, उन्हें अच्छा भोजन नसीब नहीं हो पाता था। इस पर भी वह कमर्ठता से कार्य करते रहते थे। अतः स्वास्थ्य का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ना अवश्य सम्भावी था। एक दिन वह बनारस कांग्रेस के कार्य से गये हुए थे, लौटते समय पुश्तैनी घर राम नगर जाने की इच्छा हुई। अतः नदी पार के लिए जैसे ही नदी किनारे पहुँचे, तब सीने में तेज दर्द हुआ और वह बेहोश हो गये। अस्पताल पहुँचने पर बनारस कांग्रेस कमेटी के द्वारा इलाहाबद सूचना आ गयी। इलाहाबाद से कृष्णा नाम के कांग्रेसी कार्यकर्ता बनारस पहुँचा। स्थिति को देखकर घर सूचना भेजी गयी, अतः बनारस जाने के लिए पैसे की समस्या आ गई, ललिता देवी पुरूषोत्तम दास टण्डन के पास गईं। उन्होंने बनारस भेजने का प्रबन्ध कर दिया।

लाल बहादुर शास्त्री की बीमारी काफी गम्भीर थी उन्हें 'प्लूरिसी' हो गया था। दौरा इतना तेज पड़ता था कि प्रथम तीन दिन तक तो उनके मुँह से आवाज भी नहीं निकल पाती थी। लाल बहादुर शास्त्री को अस्पताल से छुट्टी देदी गई थी और इलाज की अच्छी व्यवस्था के लिए कमलापति त्रिपाठी के घर पहुँचा दिया गया था। शरीर पीला पड़ चुका था, जैसे सारा खून निकल गया हो। परिवार लाल बहादुर शास्त्री के चाची के घर ठहरा हुआ था। यहाँ से प्रतिदिन सुबह ललिता देवी सेवा सुश्रुषा के लिए लाल बहादुर शास्त्री के पास कमला-पति त्रिपाठी के घर पहुँच जाती थीं और शाम को घर वापस आ

जाती थीं। एक माह के इलाज के बाद शास्त्री ठीक हो गये और परिवार सहित इलाहाबाद लौट आये। लाकिन पुनः कांग्रेस के कार्यों में जुट जाने से स्वास्थ्य फिर गिरने लगा, अतः डाक्टर ने सलाह दी कि लाल बहादुर शास्त्री गर्मियां किसी ठण्डे स्थान पर गुजारें हो, सके तो पहाड़ी क्षेत्र पर कहीं चले जाये ताकि स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

डाक्टर की सलाह पर अमल करना अधिक खर्च करना था। शास्त्री की इतनी आमंदनी भी न थी। परिवार का खर्च बड़ी मुश्किल से चल पाता था। स्वास्थ्य लाभ के लिए पहाड़ जाना एक कठिन कार्य था। उन्होंने कर्ज लेने की पत्नी की प्रार्थना भी ठुकरा दी। स्वास्थ्य फिर गिरने लगा। अतः रानीखेत निवासी एक मित्र ने रानीखेत के लिए व्यवस्था कि और धन की व्यवस्था भी कर दी गई। ललिता देवी से डाक्टर ने कहा था कि ''इन्हें पौष्टिक आहार मिलना चाहिए''। किन्तु इतना धन कहां था कि परिवार के भोजन के साथ पौष्टिक आहार की व्यवस्था हो सके, वैसे भी घर की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। अतः ललिता देवी ने पुराना तरीका अपनाया परिवार के लिए रूखा सूखा भोजन मिलता तथा शास्त्री को पौष्टिक भोजन दिया जाता। इसके लिए लाल बहादुर के दोपहर के आराम के समय पास के मैदान से बच्चों के साथ जाकर ललिता देवी इमली बटोर लातीं, उसी को आटे में नमक मिर्च मिलाकर भोजन बनातीं। स्वयं एवं बच्चों को यही भोजन मिलता था। एक माह की काफी तंगी से गुजारा करने के बाद परिवार इलाहाबाद लौट आया। इस समय तक लाल बहादुर का स्वास्थ्य काफी अच्छा हो चला था।।

भारत छोड़ो आन्दोलन के समय लाल बहादुर शास्त्री बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में गये थे। 9 अगस्त 1942ई. की सुबह ही अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। लाल बहादुर शास्त्री चुपचाप इलाहाबादी कांग्रेसियों के साथ बम्बई से रवाना हो लिये। इलाहाबाद आकर कई स्थानों पर छुपकर आन्दोलन का कार्य करते रहे। अन्त में स्वयं लाल बहादुर शास्त्री गिरफ्तारी के

उद्देश्य से बाहर निकल आये। उनको घंटाघर चौराहे के पास गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें अज्ञात स्थान ले जाया गया। किसी को पता नहीं चला कि लाल बहादुर शास्त्री किस जेल में हैं। 1942 ई. के भारत छोड़ो आन्दोलन के समय बिट्रिश भारत सरकार की यह विशेषता रही थी कि गिरफ्तार करने के बाद सम्बन्धित परिवार को भी जानकारी नहीं दी जाती थी। पत्नी ललिता देवी अपने बच्चों के साथ मिर्जापुर चली गयीं। साथ में लाल बहादुर की माँ भी थीं।

शास्त्री के जेल जाने से घर की आर्थिक स्थिति पुनः हीन दशा को पहुँच गई, किन्तु ललिता देवी इस समय तक परिवार को संकट में भी चलाने की अनुभवी हो चली थीं। फिर भी पहले कांग्रेसी कार्यकर्ता मदद करते थे तथा ''सर्वेष्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी'' से गुजारे की रकम मिलती थी। अब यह सब संगठन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा अवैध घोषित हो चुके थे। अतः पिछली समस्याओं की तुलना में अब अधिक आर्थिक कठिनाई झेलनी पड़ रही थी। शास्त्री के जेल जाने के बाद शीघ्र ही यह नहीं पता लगाया जा सका कि लाल बहादुर किस जेल में हैं। ललिता देवी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। बच्चों की शिक्षा में रूकावट पैदा हो गई थी। पुत्री कुसुम और पुत्र हरी को मियादी बुखार आ गया। किसी तरह इस से छुटकारा मिला। मानसिक और शारीरिक कष्ट से ललिता देवी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा। खाँसी और बुखार रहने लगा। किसी प्रकार सात माह गुजरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उनके नैनी जेल में होने के बारे में लिखा था। पत्रोत्तर में ललिता देवी ने परिवार एवं बच्चों की कुशलता का समाचार लिख भेजा। इससे लालबहादुर शास्त्री निश्चिन्त हो गये।

सरजू प्रसाद नाम के एक व्यक्ति नैनी जेल से रिहा हुए थे जो शास्त्री के पुराने पड़ोसी थे। वे मिर्जापुर गये तो ललिता देवी से भेंट हो गई। ललिता देवी की हालत देखकर वे आश्चर्य चकित रह गये। सरजू प्रसाद पुनः

आन्दोलन में सक्रिय हो गये। अतः इन्हें पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री से भेंट होने पर उन्होंने ललिता देवी की बीमारी का समाचार सुनाया। लाल बहादुर ने तुरन्त पत्र लिखकर बीमारी छिपाने का कारण पूँछा। वास्तव में ललिता देवी अपने पति को जेल में रहते हुए और कष्ट नहीं देना चाहती थीं। अतः पति को झूठी दिलासा दे दीगई कि वे स्वस्थ हैं। पहले जरूर बीमार रही थीं। लेकिन स्वास्थ्य दिन-प्रतिदिन गिरता जा रहा था। भाई ललिता देवी के बहुत चिन्तित थे। मगर ललिता देवी कष्ट भोगती रहीं।

ललिता देवी द्वारा पति को पत्र लिखने के बाद पुत्री कुसुम से डाक में डालने को कहा गया। तब ललिता देवी की भाभी ने पत्र में बढ़वा दिया कि ललिता देवी की तबियत ज्यादा खराब है। किन्तु वे सूचना देने से मना करती हैं। सरकार द्वारा अधिक पत्र परिवार वालों को लिखने की छूट प्राप्त हो चुकी थी। अतः एक सप्ताह के अन्दर शास्त्री का पत्र ललिता देवी को क्रोध एवं चेतावनी की भाषा में प्राप्त हुआ। जिसमें आदेश था कि वे इलाहाबाद जाकर डॉक्टर मित्र से अपना इलाज करायें। डी. आर. मनकेकर को अपने साक्षात्कार में बताते हुए लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि ''उन्होंने अरूण आसफ अली की बहन पूर्णिमा बनर्जी को भी, जो उनके साथ राजनीतिक काम करती थीं, अपनी पत्नी की देखभाल के लिए लिखा।''[19] पूर्णिमा ने लाल बहादुर के एक सम्बन्धी द्वारा मिर्जापुर से ललिता देवी को बुलवा लिया। परिवार इलाहाबाद में आकर रहने लगा। और ललिता देवी का इलाज होने लगा। ललिता देवी को डॉक्टर ने क्षय रोग बताया था। कई महीने इलाज के बाद उनकी दशा सुधर नहीं पा रही थी। शास्त्री भी काफी चिन्तित थे। 1943 ई. की गर्मी के मौसम में ललिता देवी बुरी तरह बीमार पड़ी थीं। जाड़ा आने पर स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। लेकिन शरीर अभी भी बहुत अधिक कमजोर एवं शिथिल था।

दो वर्ष बीत जाने के बाद परिवार वालों को अपने सम्बन्धी कैदियों

से मिलने की अनुमति प्राप्त हुई। अतः ललिता देवी ने प्रार्थना पत्र देकर भेंट की व्यवस्था की। अपने बच्चों के साथ वह मुट्ठीगंज, इलाहाबाद से नैनी जेल पहुँची। पति लाल बहादुर से मुलाकात होने पर उनके स्वास्थ्य में और भी अधिक सुधार होने लगा था लेकिन शास्त्री का शरीर जेल में रहते हुए काफी जीर्ण-शीर्ण हो गया था। जेल में शास्त्री के रहते हुए उनके तमाम सहयोगी एवं हितैषी मद्द करते थे। गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र, भी कुछ पैसा भेज देते थे।

लाल बहादुर शास्त्री का परिवार बड़े कष्टों के दौर से गुजरा था,जब वे स्वयं जेल जीवन बिताते रहे। बच्चों के पालन-पोषण में एवं शिक्षा-दीक्षा में बड़ी कठिनाईयां आई थीं, फिर भी उनकी पत्नी ने इन कष्टों को सहन किया था और बाराम्बार ऐसा होने पर शास्त्री का परिवार उसी व्यवहार में ढल चुका था।

ब- आदर्शवादी एवं अनुशासन प्रिय कैदी-

लाल बहादुर शास्त्री आदर्शवादी कैदी एवं अनुशासन प्रिय थे। यह उनके जेल जीवन की कई घटनाओं से ज्ञात होता है। सर्वप्रथम फैजाबाद जेल में जब ललिता देवी आम छुपाकर ले गयीं तो लाल बहादुर ने इस कार्य के लिए अपनी पत्नी को डाँटा और जेल अधिकारियों से इस घटना की शिकायत करने की बात कही थीं। वे नियमों एवं सिद्धान्तों के पक्के थे।

शास्त्री जब नैनी जेल में थे तब उनकी पुत्री पुष्पा बीमार पड़ी। स्वास्थ्य बराबर खराब होता जा रहा था। हालत चिन्तनीय हो गई। अतः पुत्री को देखने हेतु पैरोल पर अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया गया। जिलाधीश के द्वारा पैरोल स्वीकृत कर दी गयी, किन्तु इलाहाबाद के जिलाधिकारी ने लाल बहादुर शास्त्री के सामने एक शर्त रख दी कि 'पैरोल अवकाश अवधि में वह आन्दोलन के कार्य नहीं करेंगे। शास्त्री ने लिखकर देने से इन्कार कर दिया। अन्त में जिलाधिकारी को उनके आदर्श एवं स्वाभिमान के आगे झुकना पड़ा

और पैरोल पर छोड़ दिया। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं कि ''आखिर जिलाधीश को ही झुकना पड़ा। उसने बिना किसी शर्त पर शास्त्री जी को 15 दिन के पैरोल पर छोड़ दिया।''[20]

पैरोल के अवकाश पर घर पहुँचे तो पुत्री पुष्पा का देहान्त हो गया। उन्होंने अपनी पुत्री का अन्तिम संस्कार सम्पन्न किया। इसके पश्चात वापस नैनी जेल को चल दिये, अनेक लोगों और परिवार वालों ने कहा कि अभी पैरोल अवकाश का समय बाकी है। शास्त्री यह कहते हुए वापस जेल चले गये कि जिस कार्य के लिए मैं जेल से छूटा था, वह कार्य अब पूरा हो चुका हैं। सिद्धान्त के अनुसार मुझे जेल ही वापस जाना होगा। श्रीमती दमयन्ती लिखती हैं कि ''यह शास्त्री जी के चरित्र का वह उज्जवल पहलू है, जिसका एक उदाहरण क्रान्तिकारियों को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता। यह शास्त्री जी की नैतिकता, सिद्धान्त और दृढ़ता की कानून पर विजय थी।''[21]

एक वर्ष पश्चात लाल बहादुर शास्त्री का पुत्र हरी कृष्ण बीमार हो गया, उसे मियादी बुखार था। हरी कृष्ण की उम्र लगभग 4 वर्ष रही होगी। पैरोल पर छूटने के लिए पुनः वही शर्त लादी गई कि शास्त्री राजनीतिक कार्यो में भाग नहीं लेंगे। शास्त्री अपनी बात पर अड़े रहे। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं कि ''लाल बहादुर ने यह शर्त मानने से इंकार कर दिया क्योंकि ऐसा करना उनके विचार से उनकी प्रतिष्ठा के विरूद्ध तथा देश की आजादी के लिए लड़ते रहने की प्रतिज्ञा का उल्लघंन था।''[22] अतः जिलाधिकारी द्वारा शर्त की बात छोड़ दी गई। एक सप्ताह की पैरोल पर लाल बहादुर शास्त्री घर आ गये। हरी कृष्ण के स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ बल्कि बुखार तेज होकर 104 डिग्री पहुंच गया। पैरोल की अवधि समाप्त होने लगी। शास्त्री को वापस पुनः जेल आना पड़ा, जबकि पुत्र हरीकृष्ण ने पिता से विनयपूर्वक कहा कि 'बाबू जी आप न जाईये।' लेकिन लाल बहादुर बच्चे की चारपाई के पास चुपचाप खड़े थे और आंसू बह रहे थे। माथा छूकर आशीर्वाद दिया और पीछे

मुड़कर देखे बिना घर से निकल आये। श्रीमती दमयन्ती लिखती हैं कि ''उस समय शास्त्री के मन पर क्या बीत रही थी, इसे किसी पिता का हृदय ही अनुभव कर सकता है''[23] इन घटनाओं से उनके स्वाभिमान और आदर्शवादी सिद्धात की झलक देखने को मिलती है।

लाल बहादुर शास्त्री भारत छोड़ो आन्दोलन में गिरफ्तारी के बाद उन्नाव की जेल में बहुत दिनों तक कैद रहे थे। वहाँ भी वह आदर्श एवं अनुशासित ढंग से रहने का प्रयास करते रहे थे। गिरीश नारायण अवस्थी नाम के व्यक्ति इटावा निवासी भी उसी जेल में थे, उन्होंने पहली बार उन्नाव जेल में लाल बहादुर शास्त्री के दर्शन किये थे। कहा जाता है कि इटावा वाले बहुधा लड़ने वालों में से एक थे। बात बात पर जेल अधिकारियों से लड़ने लगते थे। अनावश्यक मांगो को लेकर बहस हो जाया करती थी। यदि जेल अधिकारियों से पटरी बैठने लगती थी तो आपस में ही लड़ने लगते थे। दूसरी ओर कानपुर वाले कैदियों का विचार था कि खाओ पियो, मौज करो, मुहर्रमी सूरत से नफरत करो। अतः इन लोगों के दिन बड़ी सरलता से गुजर जाते थे।

गिरीश नारायण अवस्थी लिखते हैं कि ''एक दिन जेल में सनसनी फैल गयी कि कोई बड़े नेता आ रहे हैं। अतः हम लोग भी जो छुटभइऐ नेता थे, बड़े नेता का आना सुनकर कुछ सावधान से हो गए। बड़े नेता का आगमन सुनकर अपने-अपने दिमाग में बड़े नेता की तस्वीर खींच रक्खी थी।''[24] कुछ दिनों बाद बड़े नेता लाल बहादुर शास्त्री का उन्नाव जेल में आगमन हुआ। इन्हें देखकर अनेक नये कैदियों को आश्चर्य हुआ क्योंकि शास्त्री बहुत ही साधरण स्वभाव के व्यक्ति निकले। मृदु एवं अल्पभाषी होने के कारण और भी अधिक कैदियों पर प्रभाव पड़ा। नये कैदियों के अन्तर्मन में जो डर, आतंक, तेज-तर्रारी के हाव-भाव थे, वह सब लुप्त हो गये। लाल बहादुर शास्त्री जिससे भी बात करते, बड़े ही स्नेहपूर्ण ढंग से निश्चलता के साथ करते थे। शास्त्री के उन्नाव जेल पहुंचते ही कैदियों के जीवन में कुछ परिवर्तन आ गया। वे सब

शान्त एवं उद्ण्डता के साथ जोड़-तोड़ में रहने की आदत भी समाप्त होने लगी।

लाल बहादुर शास्त्री उन्नाव जेल में अधिक भाषण भी नहीं देते थे। मौन एवं तल्लीनता के साथ अपना कार्य करते थे। कैदियों के आग्रह करने पर ही विशेष सुझाव देते थे। शास्त्री ने उन्नाव जेल में रहकर कांग्रेस कमेटी के कार्यो के अनुभव एवं इलाहाबाद के गाँव में किये गये भ्रमण के अनुभव भी कैदियों को सुनाये थे। जो उनके साथ रहते थे। गिरीश नारायण अवस्थी लिखते हैं कि ''शास्त्री जी से जब-जब मैं मिला, मुझे उनके नेत्रों में स्नेह, प्यार तथा आत्मीयता की भावना की शीतल बूँदे टपकती हुई मिली।''[25]

लाल बहादुर शास्त्री ने जेल में रहते हुए सदैव आदर्शवादी सिद्धात पर अमल किया। और हर सम्भव यह प्रयास किया कि वे अनुशासित ढंग से रहें। बात-बात पर जेल में लोगों के लड़ने पर उन्हें समझा-बुझाकर शान्त करा देते थे। बहुधा रात को लालटेन की व्यवस्था को लेकर झगड़ा हो जाया करता था। वे अपनी लालटेन साथी को देते थे, और स्वयं चिराग से काम चला लिया करते थे।

इन बातों से अंग्रेज अधिकारी भी बहुत प्रभावित हो गये थे। 1940 ई. में व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारम्भ होने पर विनोबा भावे जेल गये थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने के कारण शास्त्री कठिनाईयों का सामना करते हुए तथा परिवार की समस्या से जूझते हुए नौ वर्ष तक जेल में रहे। अन्तिम रूप से लाल बहादुर शास्त्री जून 1945 में जेल से छोड़ दिये गये थे। शास्त्री का स्वास्थ्य इस समय तक पुनः बिगड़ गया था, गाल पिचक गये थे, दाँत भी खराब हो गये थे। इसका मूल कारण लगातार कर्मठता के साथ कार्य करना, आन्दोलन में बढ़चढ़ कर भाग लेना, नौ वर्षों तक जेल में रहना साथ ही जेल में बराबर अध्ययन करना एवं लेखन कार्य करना था। आर्थिक कठिनाईयों के कारण अच्छा भोजन भी नसीब नहीं हो पाता था। अतः लाल बहादुर शास्त्री

40 वर्ष की उम्र में ही अधिक कमजोर अधेड़ उम्र से अधिक के दिखायी देने लगे थे। इतने कष्ट में रहने के बाद भी उन्होंने देश सेवा से कभी मुँह नहीं मोड़ा। सदैव कार्य करने के लिये तत्पर तैयार रहते थे।

स. कारावास में पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन-

लाल बहादुर शास्त्री छात्र-जीवन काल से ही शिक्षा के प्रति गम्भीर रहे थे। उन्होंने 1926 में काशी विद्यापीठ जीवन के चार वर्ष बिताकर दर्शन शास्त्र (तत्व ज्ञान) की परीक्षा प्रथम श्रैणी से पास कर शास्त्री की उपाधि ग्रहण की थी।

लाल बहादुर शास्त्री की अध्ययन करने में अधिक रूचि थी। अत: जब भी उन्हें समय मिलता, वे अनेक प्रकार के ग्रथों का अध्ययन करते थे। जेल में रहकर भी कभी उन्होंने अपना समय फालतू बरबाद नहीं किया। वे अध्ययन करते थे या फिर लेखन कार्य में लग जाते थे। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं कि''लाल बहादुर शास्त्री अपने पुराने दिनों की याद कर कहते हैं कि एक दृष्टिकोण से मेरा जेल जीवन बहुत ही दिलचस्प रहा है, मैं जब भी जेल गया तो ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़ने का प्रयास किया है।''[26] लाल बहादुर शास्त्री जब नैनी जेल में थे तब उन्होंने पोलेण्ड की वैज्ञानिक मादाम क्यूरी की जीवनी का अनुवाद किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि लाल बहादुर शास्त्री मादाम क्यूरी के जीवन से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। मादाम क्यूरी का जीवन साधारण था और वह गरीब परिवार से थीं। उनमें पढ़ाई के प्रति महत्वाकांक्षा एवं लगन थी। दूसरों की सेवा कर उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। लगातार अध्ययनरत रहने से शरीर जीर्ण-शीर्ण हो गया था, यहां तक कि वह कांपने लगती थीं। यही स्थिति लगभग लाल बहादुर शास्त्री की भी हो चुकी थी। जब वे अध्ययनरत रहते जेल में कैदी होते थे।

लाल बहादुर शास्त्री जेल में ही अनेक पाश्चात्य लेखकों के ग्रंथ आधी रात जाने के बाद भी पढ़ते रहते थे। इसमें कोट, हेरल्ड, लासकी,

टालस्टॉय, मार्क्स और लेनिन थे। 'अन्ना करेनिना' तो शास्त्री ने एक ही रात में बैठ कर पढ़ डाला था। इससे स्पष्ट होता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय निकले नये-नये प्रकाशित ग्रंथों का अध्ययन किया था।

मार्क्स का एक उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह जीवन भर प्रयत्नशील रहा और संघर्ष करता रहा। इसी प्रकार लेनिन का विचार था वर्ग हीन समाज बनाना। उसका नारा था "दुनियां के मजदूरो एक हो" लास्की ने भी समाजवादी विचार धाराएं प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री ने जो भी ग्रंथ पढ़े, उसमें समाजवादी विचारधाराएं अधिक देखने को मिलती है। यही कारण है कि कालान्तर में शास्त्री समाजवाद के हितैषी रहे, और देश में समाजवाद को अधिक प्रोत्साहन दिया।

शास्त्री ने फैजाबाद जेल में मार्क्सवाद पर बहस की थी सुमंगल प्रकाश से। ये वही व्यक्ति एवं शास्त्री के मित्र थे, जो फैजाबाद जेल में बीमार हो गये थे। जेल का वार्ड गन्दा होने के कारण वहाँ नहीं रहना चाहते थे। अतः शास्त्री के प्रयासों से जेलर की सहमति से एक अलग वार्ड जेल में बनाया गया। शास्त्री ने इनकी बीमारी में काफी सेवा की थी।

शास्त्री जेल में ग्रंथों का अध्ययन करते, तो बहुधा लैम्प को लेकर कैदियों में झगड़ा हो जाया करता था। अतः स्वयं दीपक से काम चलाकर अध्ययन करते थे। डी.आर.मनकेकर लिखते हैं कि "रात में पढ़ने के लिए हर दो राजबंदियों के बीच एक लालटेन मिलती थी। लाल बहादुर अपने हिस्सेदार को अपनी बारी में भी लैंप देकर स्वयं दीपक से काम चला लेते थे।"[27] शास्त्री के इन आचरणों से तथा अध्ययन के प्रति रूचि होने से सभी कैदी उन्हें आदर व सम्मान देते थे तथा उनसे प्राप्त नैतिक आचरणों से अनेक लोग उन्हें उच्च कोटि का नेता मानने लगे थे।

द- कारावास में लेखन कार्य-

लाल बहादुर शास्त्री कभी भी खाली बैठना पसन्द नहीं करते थे। किसी न किसी कार्य में लिप्त रहना उनकी आदत थी।

अतः जेल जीवन में रात को पुस्तकों का अध्ययन करते ही थे, इसके साथ लेखन कार्य भी करते रहते थे। लाल बहादुर शास्त्री ने पाश्चात्य साहित्य का अध्ययन किया था। जिसमें समाजवादी विचारधारा के लेखक थे। इन्होंने लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता और मार्क्सवादी समाज पर लिखा है।

लाल बहादुर शास्त्री ने मादाम क्यूरी की जीवनी का अनुवाद हिन्दी में किया था। इसका अंग्रेजी अनुवाद क्यूरी की छोटी पुत्री ईव क्यूरी ने किया था। वास्तव में शास्त्री मादाम क्यूरी के आदर्शों एवं उनके कठिन परिश्रम से अधिक प्रभावित हुए थे। कालान्तर में उसी प्रकार की छाप लाल बहादुर शास्त्री ने जेल में रहते हुए 1942 ई० का 'भारत छोड़ो आन्दोलन' पर ग्रंथ लिखने का प्रयास किया किन्तु वह इसे पूरा नहीं कर सके। उन्हें इतना समय कालान्तर में नहीं प्राप्त हो सका कि इसे पूरा कर लेते, देश सेवा में लगने एवं शासन में हिस्सेदारी के कारण यह ग्रंथ अधूरा रह गया। फिर भी उन्होंने 'भारत छोडो आन्दोलन' पर 300 पृष्ठ लिखकर तैयार कर लिया था। यह महत्वपूर्ण अभिलेख है क्योंकि उन्हें आन्दोलन की घटनाओं को, जो स्वयं देखा था, सही ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया।

लाल बहादुर शास्त्री उर्दू के जानकार भी थे। गजलों को पढ़ने को शौक था। लखनऊ के प्रसिद्ध शायर पं. दयाकृष्ण 'मंजूर' ने मिर्जा गालिब पर ग्रंथ लिखा था। इसकी भूमिका लाल बहादुर शास्त्री ने 1949 ई. में लिखी थी। वीरेन्द्र मोहन रतूड़ी लिखते हैं कि "इस भूमिका से पता चलता है कि शास्त्री जी को उर्दू के श्रेष्ठ कवि गालिब और उनकी कविता का कितना अधिक ज्ञान है।"[28]

लाल बहादुर शास्त्री का जेल जीवन आदर्श, अनुशासित एवं

योजनाबद्ध था। वह जब भी कोई कार्य करते पहले से ही उसकी योजना एवं प्रारूप मस्तिष्क में बसा लेते। स्वयं के अच्छे गुणों एवं आचरणों से अपने सामने वाले हर कैदी को प्रभावित कर लेते थे।

लाल बहादुर शास्त्री अपने छात्र जीवन में भी खेल के प्रति रूचि रखते थे। अत: जेल में भी खेल का आनन्द लेते थे और स्वयं खेलों में भाग लेते थे। नैनी जेल में शास्त्री बेडमिन्टन और बालीबाल खेला करते थे। उन्होंने कई मैच भी खेले थे। कई बार बेडमिन्टन मैच में विरोधी टीम को पराजित भी किया था। एक बार बेडमिन्टन मैच में लाल बहादुर शास्त्री और एक एंग्लो-इंडियन कैदी एक पक्ष में थे, दूसरे पक्ष में जवाहर लाल नेहरू और नैनी जेल का जेलर था। इस मैच में शास्त्री ने अपने विरोधी को भी हरा दिया था। शास्त्री बालीबाल भी बहुत अच्छा खेला करते थे।

इस प्रकार शास्त्री ने आन्दोलन करते हुए जेल में रहकर बहुत कुछ सीखा और अपने सिद्धान्तों पर अडिग रहने के पश्चात जेल अधिकारियों व कैदियों को प्रभावित किया था। शास्त्री ने कैदियों एवं सामान्य लोगों में इतनी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी कि बहुधा लोग यह कहते थे कि शास्त्री दो पक्षों में बड़ी सरलता के साथ मेल-मिलाप कराने वाले व्यक्ति हैं। अपने अनुशासन एवं आदर्श आचरणों के कारण लाल बहादुर शास्त्री के सम्बन्ध जेल अधिकारियों से बहुत अच्छे रहे थे। शास्त्री ने जेल के जीवन की कठिनाईयां शांति एवं संयम के साथ बरदाश्त की । वह मृदुभाषी एवं सहनशील थे। डी. आर.मनकेकर लिखते हैं कि "वह सचमुच अहिंसक थे, पर साथ ही दुर्लभ साहस वाले, पूर्ण आदर्शनिष्ठ, पुरूस्कार के विषय में विरक्त और किसी के प्रति दुर्भावना रखने में असमर्थ थे।"[29] वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री में लोगों को प्रभावित करने वाले लक्षण विद्यमान थे, इसी कारण शास्त्री एक आदर्श अनुशासनप्रिय कैदी के रूप में पहचाने जाते हैं।

शास्त्री जेल में रहते हुए पुस्तकों का अध्ययन करते थे। इसके साथ

अपने कारावासीय साथियों के साथ बैठकर राष्ट्रीय समस्याओं पर विचार-विमर्श किया करते थे। उनके दृष्टि-कोण से राष्ट्रीय समस्या देश को स्वतन्त्र कराना एवं आर्थिक कठिनाईयों से देश को छुटकारा दिलाना था। एक ओर भारत में जमींदारी एवं सामन्ती व्यवस्था थी तो दूसरी ओर अंग्रेजों का वर्चस्व था। जो आर्थिक शोषण करने में लगा हुआ था। शास्त्री जेल में मार्क्सवाद से बहस किया करते थे। इस पर उन्होंने सुमंगल प्रकाश से बहस भी की थी। लाल बहादुर शास्त्री जेल में रहते हुए नियम व आचरणों को ध्यान में रखते थे। नियम का उन्ल्लंघन करने पर एक बार शास्त्री ने अपनी पत्नी को फटकारा भी था। पेरोल पर छूटने की शर्तों का पालन भी उन्होंने किया। इस प्रकार शास्त्री ने समस्याओं और दुःखों को झेलने के बाद भी नियम एवं आदर्शो को दृढ़ता प्रदान की।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. मजूमदार, आर.सी., राय चौधरी, एच. सी., दत्त, कालिकिंर, – 'भारत का वृहत इतिहास' आधुनिक भारत, मेक्मिलन इंडिया लिमिटेड मद्रास, तृतीय संस्करण–1970, पृष्ठ–301
2. वही, – पृष्ठ–302,
3. सरकार, सुमित, – 'आधुनिक भारत,' राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1992, पृष्ठ–166
4. अवस्थी, गिरीश नारायण, – 'लाल बहादुर शास्त्री-व्यक्ति और विचार-सं. पाठक, एस. के., एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली 1996, पृष्ठ–27–28
5. मनकेकर, डी. आर., – 'लाल बहादुर-ए पोलिटिकल बायोग्राफी,' बाम्बे पापुलर प्रकाशन 1964, पृष्ठ–71
6. अहलूवालिया, शशि, – 'फाऊन्डर आफ न्यू इण्डिया,' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ–416
7. मनकेकर, डी. आर., – 'लाल बहादुर शास्त्री,' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण,1996 पृष्ठ–49
8. वही, पृष्ठ–53
9. तरूण, सुरेन्द्र मोहन, – 'लाल बहादुर शास्त्री- व्यक्ति और विचार पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–41
10. मित्तल, हरिराम, – 'लाल बहादुर शास्त्री- व्यक्ति और विचार पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–8
11. मनकेकर,डी. आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–54

12. अहलूवालिया, शशि, - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-417

13. मनकेकर, डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-56

14. बिपिन चन्द्र, - भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, पृष्ठ-226

15. मनकेकर, डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-61

16. वही, - पृष्ठ-64

17. वही, - पृष्ठ-65

18. वही, - पृष्ठ-73

19. वही, - पृष्ठ-96

20. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, - 'लाल बहादुर शास्त्री,' किरण प्रकाशन 37, दरिया गंज, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1964, पृष्ठ-38

21. श्रीमती दमयन्ती, - 'लाल बहादुर शास्त्री- व्यक्ति और विचार, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-37

22. मनकेकर, डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-74

23. श्रीमती दमयन्ती, - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-38

24. अवस्थी, गिरीश नरायण, - 'लाल बहादुर शास्त्री- व्यक्ति और विचार, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-29

25. वही, - पृष्ठ-30

26. मनकेकर, डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-70

27. वही, - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-74

28. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-42

29. मनकेकर, डी. आर., - पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-75

सप्तम अध्याय

कांग्रेसी सेवाऐं एवं आन्दोलनकर्ता के रूप में शास्त्री

अ. 1940 ई. के आन्दोलन में सहभागिता

ब. भारत छोड़ो आन्दोलन में सहभागिता

स. लाल बहादुर शास्त्री का अज्ञातवास

द. इलाहाबाद घंटा घर में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम

य. उ.प्र. कांग्रेस कमेटी व संसदीय बोर्ड के सचिव

र. संयुक्त प्रान्त में मंत्री

लाल बहादुर शास्त्री के प्रारम्भ में एक साधारण कार्यकर्ता की हैसियत से कांग्रेस की सेवा करने के बाद पर इन्हें जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव बना दिया गया। जब लाल बहादुर शास्त्री को इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया तब शास्त्री ने कांग्रेस की सेवा करते हुए सविनय अवज्ञा आन्दोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कांग्रेस कार्यसमिति ने जो निर्देश दिये थे, उसी के अनुरूप कार्य करते हुए गाँव-गाँव तक स्वयं जाकर सन्देश दिया। लोगों को अलग-अलग समझाया कि आन्दोलन में भाग लेना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है, क्योंकि ब्रिटिश-भारत सरकार भारतीय नेता एवं जनसमूह को कुचल रही है, अमानवीय कार्य कर रही है। अतः विरोध करते हुए आन्दोलन में भाग लेकर देश को स्वतन्त्र कराना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन में शास्त्री के कार्यो का मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि शास्त्री जुझारू, कर्मठ व्यक्ति साबित हुए, अतः सन् 1936 ई. में कांग्रेस ने उ.प्र. कांग्रेस कमेटी की तरफ से किसानों की समस्याओं की जाँच हेतु समिति गठित कर लाल बहादुर शास्त्री को इसका संयोजक बनाया। शास्त्री ने अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज एकत्र कर किसानों की समस्याओं का अध यन किया। इस कार्य में लाल बहादुर दिन-रात जुटे रहे, इसके बाद किसानों की जाँच रिर्पोट कांग्रेस को सौंप दी। इसी समय से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय नेताओं की दृष्टि में महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गये। साथ ही गोविन्द बल्लभ पन्त के विशेष कृपापात्र भी हो गये।

लाल बहादुर शास्त्री ने छात्र जीवन से ही आन्दोलन में भाग लियाथा। वे बालगंगाधर तिलक एवं महात्मा गाँधी के विचारों से अधिक प्रभावित थे। असहयोग आन्दोलन, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, सत्याग्रह आन्दोलन में शास्त्रीने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

ब्रिटिश भारत सरकार ने 1935 ई0 का अधिनियम पारित किया था,

इसके बाद सन् 1937 ई. में धारा-सभा के लिए चुनाव हुए। संयुक्त प्रांत से प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य शास्त्री चुने गये। एक वर्ष से कुछ अधिक समय तक प्रान्तीय सरकारों के कार्य करने के पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन ने भारत को भी सम्मिलित कर लिया। अत: विरोध करने की दृष्टि से कांग्रेस की सभी प्रान्तीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। इसके कुछ समय बाद कांग्रेस ने ब्रिट्शि सरकार के खिलाफ आन्दोलन चलाने की रणनीति अपनायी।

महात्मा गांधी एवं नेहरू तुरन्त आन्दोलन प्रारम्भ करने के पक्ष में नहीं थे। जबकि सुभाष बोस, जय प्रकाश नारायण, राजेन्द्र प्रसाद तथा सरदार पटेल शीघ्र ही साम्राज्यवदी दृष्टिकोण वाले ब्रिटिश के विरूद्ध आन्दोलन करने के पक्ष में थे, तथा इन लोगों का दृढ़ तर्क यह भी था कि यही सबसे उपयुक्त समय है कि ब्रिटेन से भारत को स्वतन्त्र कराया जा सकता है। जबकि गाँधी और नेहरू का विचार था कि ब्रिटेन की कठिनाईयों का लाभ उठाकर कोई भी आन्दोलन छेड़ना उचित नहीं होगा। बाद को कांग्रेस कार्यसमिति ने सत्याग्रह आन्दोलन करने का निर्णय ले ही लिया।

अ- 1940 ई. के आन्दोलन में सहभागिता-

द्वितीय विश्व युद्ध की घोषणा के साथ ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी मित्र-राष्ट्रों की ओर से सम्मिलित करने की घोषणा कर दी। जवाब में कांग्रेस ने प्रान्तीय सरकारों से त्याग-पत्र दे दिया। अक्टूबर 1939 ई. को कांग्रेस मंत्रिमण्डल से दिया गया इस्तीफा उस समय भारत के गवर्नर-जनरल लार्ड लिनलिथगो के विवेकहीन निर्णय का उत्तर था।

कांग्रेस मंत्रिमण्डल द्वारा दिये गये त्याग-पत्र के बाद महात्मा गाँधी ने बताया कि शीघ्र ही कोई बड़े कदम उठाये जाने की सम्भावना है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने मांग रखी कि युद्ध समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार भारत को स्वतन्त्रता देने का वादा करे, तथा शीघ्र ही राष्ट्रीय सरकार प्रदान की जाय तो अंग्रेजों का युद्ध में सहयोग किया जा सकता है। किन्तु अंग्रेज

सरकार ने अड़ियल रवैया अपनाये रखा, अतः मजबूर होकर रामगढ़ कांग्रेस सम्मेलन में सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेड़ने की बात कही गई। सन् 1940 ई. के अक्टूबर माह में 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' आन्दोलन प्रारम्भ किया गया। बिपिन चन्द्र का मत है कि "गाँधी जी ने ऐसे कदम उठाने शुरू कर दिये, जिनसे उनकी व्यापक रणनीति के दायरे में जनसंघर्ष की भूमिका बनती।"[1] महात्मा गाँधी ने निश्चित किया कि सभी स्थानों पर विशेष लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करें। सत्याग्रही मजिस्ट्रेट को सूचना देता था कि वह एक निश्चित तिथि एवं स्थान पर सत्याग्रह करेगा। वह व्यक्ति सत्याग्रह के माध्यम से युद्ध के विरोध में प्रचार करता था। यह विरोध अहिंसक होता था। सत्याग्रही मंच पर आता, और लोग उस सत्याग्रही को घेर लेते थे, वह अंग्रेज सरकार के विरोध में भाषण देता, जब तक कि उसे गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। इस प्रकार सत्याग्रह जगह-जगह किया जाने लगा और नेताओं को गिरफ्तार किया जाने लगा। जो लोग बच रहते थे, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत गिरफ्तार नहीं करती थी, वे सब अपने गाँव चले जाते थे। गाँव जाकर 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' का सन्देश सुनाते थे। भारत के प्रत्येक कोने में सत्याग्रह आन्दोलन फैला तो इलाहाबाद भी इस आन्दोलन से बच नहीं सका। जवाहर लाल नेहरू ने भी व्यक्तिगत सत्याग्रह किया अतः नेहरू को भी जेल भेज दिया। नेहरू जेल जाने वालों में दूसरे नम्बर के व्यक्ति थे। सर्वप्रथम जेल जाने वाले 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' में बिनोबा भावे थे, जो 17 अक्टूबर 1940 को अंग्रेजों द्वारा जेल भेज दिये गये। इलाहबाद में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सत्याग्रह किया था। लाल बहादुर शास्त्री भी इस आन्दोलन में कूद पड़े उन्हें 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' करने की अनुमति प्राप्त हो गई। लाल बहादुर शास्त्री ने सत्याग्रह करने के पहले गाँव-गाँव जाकर सत्याग्रह का प्रचार-प्रसार किया। अनेक गाँवों की पैदल यात्रा की। लोगों को समझाया कि किस प्रकार अंग्रेज सरकार ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया और किन कारणों से मंत्रिमण्डल से कांग्रेस को त्याग-पत्र देना पड़ा। लाल

बहादुर शास्त्री ने व्यक्तिगत सत्याग्रह करते समय अंग्रेज सरकार के खिलाफ जोशीले भाषण दिये। अतः लाल बहादुर को जेल भेज दिया गया। शास्त्री लगभग एक वर्ष तक जेल में रहे। जब दिसम्बर 1941 ई. में सभी राजनेता बंदी रिहा हुए तो लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ दिया गया।

15 मई 1941 तक लगभग 25 हजार से अधिक सत्याग्राहियों को दंडित कर जेल भेजा गया था। इस सत्याग्रह का उद्देश्य राजनीतिक चेतना पैदा करना, ब्रिटिश सरकार पर मांगे मनवाने हेतु दबाव डालना, तथा भारतीयों की सहमति के बिना लड़े जा रहे युद्ध के प्रति विरोध दर्ज कराना था। सुमित सरकार का विचार है कि " गांधीवादी राष्ट्रीय आन्दोलनों में यही सबसे कमजोर और प्रभावहीन आन्दोलन था और यह उस आन्दोलन से ठीक उल्टा था जो एक वर्ष पश्चात अगस्त 1942 ई. में होने वाला था।"[2] किन्तु गाँधी के सत्याग्रह सम्बन्धी जो निर्देश थे, उनका अनुपालन कर लाल बहादुर शास्त्री ने सत्याग्रह किया था, और आंशिक रूप में अपना प्रभाव दिखाने में सफलता भी शास्त्री ने प्राप्त की थी।

ब. भारत छोड़ो आन्दोलन में सहभागिता-

व्यक्तिगत सत्याग्रह का तात्पर्य जनता में राजनैतिक चेतना पैदा करना था। अतः भारतीय लोगों की आस्था ब्रिटिश शासन से समाप्त प्रायः सी होने लगी। लोग बैंक और डाकघर में पैसा नहीं जमाकर सोने, चाँदी के आभूषण बनवाने लगे। संयुक्त प्रान्त और बिहार में अनाज की जमाखोरी बढ़ गई। आन्दोलन की परिस्थितियां उत्पन्न होने लगी थी क्योंकि महात्मा गाँधी अगले चक्र में होने वाले संघर्ष व आन्दोलन की चर्चा एवं विचार लोगों में फैलने लगे थे। एक समय ऐसा भी आया कि महात्मा गाँधी को प्रतीत होने लगा कि कांग्रेस उन्हें आन्दोलन करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगी तो उन्होंने कांग्रेस को धमकी दे डाली कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आन्दोलन खड़ा कर दूंगा।

महात्मा गांधी ने मई 1942 ई. में 'हरिजन' पत्रिका में लिखा कि "भारत को ईश्वर के हाथों में अथवा अराजकता में छोड़ दो। तब सभी दल कुत्तों की भाँति लड़ेंगे और जब वास्तविक उत्तरदायित्व सिर पर पड़ेगा तो स्वयं वास्तविक समझौता कर लेंगे।"[3] यह कथन महात्मा गांधी का ब्रिटिश शासन को सन्देश था जो वर्षो से कहते आ रहे थे कि शनैः-शनैः भारतीय लोगों को उत्तरदायित्व सरकार प्रदान करने की ओर अंग्रेज हुकूमत बढ़ रही है। परिणाम स्वरूप कांग्रेस कार्य समिति ने वर्धा में 14 जुलाई 1942 को बैठक बुलाई, जिसमें निर्णय लिया गया कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में आन्दोलन उचित अवसर आने पर प्रारम्भ कर दिया जाय।

इस सम्बन्ध में वार्तालाप हेतु महात्मा गाँधी ने वायसराय से मिलने का प्रयास किया कि वे भारत को आजाद कर दें। इससे कम किसी भी कीमत पर गाँधी कोई समझौता करने को तैयार नहीं थे। लेकिन आशाजनक परिणाम नहीं निकल सके। 8 अगस्त 1942 ई0 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक बम्बई के ग्वालिया टैंक के मैदान में हुई। जनसमूह अधिक संख्या में एकत्र था। महात्मा गाँधी ने अपने भाषण में कहा कि यदि कांग्रेस के सभी नेता गिरफ्तार हो जाय तो स्वाधीनता की इच्छा करने एवं प्रयास करने वाला प्रत्येक भारतीय स्वयं अपना मार्गदर्शक बने। प्रत्येक भारतीय अपने आपको स्वाधीन समझे, केवल जेल जाने से ही काम नहीं चलेगा। उसी दिन महात्मा गाँधी ने करो या मरो का नारा दिया।

9 अगस्त 1942 ई. को भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ किया जाना था, लेकिन 9 अगस्त की सुबह 4 बजे कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा गुप्त स्थानों में भेज दिया ताकि जनता को इस बात की भी खबर न हो सके कि कौन नेता कहां गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया गया स्थानीय स्तर के नेता गिरफ्तारी से बचकर गाँव पहुँचने लगे और उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो

आन्दोलन का सन्देश सुनाया अत: गाँव-गाँव में विद्रोह होने लगे। कोई निश्चित संगठन नहीं रहा। जनसमूह पुलिस थानों, डाकघरों, रेल्वेस्टेशनों में तोड़-फोड़ करने लगा। रेल की पटरिया उखाड़ी जाने लगी। जबकि आन्दोलन के पहले कुछ दिनों में आन्दोलन ने गति नहीं पकड़ी थी अत: वायसराय लार्ड लिनलिथगो ने सचिव एमरी को लिखा था कि ''स्थिति बहुत खराब नहीं है।'' यह सूचना 11 अगस्त को भेजी गयी थी। लेकिन एक सप्ताह बाद वायसराय का विचार बदल गया और उन्हें यह मानना पड़ा कि आन्दोलन पूरे वेग से एक साथ भड़क उठा, जिसे दबाना कठिन हो रहा है। यहाँ तक कि 31 अगस्त को लार्ड लिनलिथगो ने चर्चिल को भेजे तार में लिखा''यह 1857 के बाद का सबसे गम्भीर विद्रोह है, जिसकी गंभीरता एवं विस्तार को हम अब तक सैन्य सुरक्षा की दृष्टि से दुनिया से छिपाये हुए हैं।''[4] जबकि भारत छोड़ो आन्दोलन प्रारम्भ होने के समय ही यह अनुमान यू.पी. (संयुक्त प्रान्त) के गवर्नर हैलेट ने लगा लिया था कि आन्दोलन साधारण नहीं होगा। उन्होंने लिखा था कि ''अधिकारियों की यह गलती थी कि उन्होंने यह मान लिया था कि आन्दोलन पुराने तरीके से चलेगा।''[5] अगस्त के बाद आन्दोलन ने गति पकड़ी। प्रत्येक स्थानों पर जन-विद्रोह हुए। अहमदाबाद, जमशेदपुर तथा बम्बई के मिल मजदूरों ने हड़ताल की। बम्बई में सतारा, बंगाल में मिदनापुर का तामलुक तथा संयुक्त प्रान्त में बलिया में कुछ समय के लिए लोकतन्त्र की स्थापना की गयी। थाना जलाने, स्टेशन जलाने, टेलीफोन तारों को काटने, तथा रेलगाड़ियों पर तिरंगा फहराने की घटनाऐं बढ़ती जा रही थी। आन्दोलनकारी भूमिगत होकर कार्य कर रहे थे और जनता का उन्हें पूरा सहयोग मिल रहा था। भूमिगत आन्दोलन की बागडोर अच्युत पटवर्धन, अरूण आसफ अली, राम मनाहर लोहिया सुचेताकृपलानी, बीजूपटनायक, जय प्रकाश नारायण, विजय लक्ष्मी पंडित, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों के हाथ में थी। सभी भूमिगत आन्दोलनकारियों का क्षेत्र अलग-अलग था। सरकार ने आन्दोलन को कुचलने के लिए दमनात्मक कदम

उठाये। निहथी भीड़ ने 532 अवसरों पर पुलिस व सेना की गोलीबारी का सामना किया, हवाई जहाजों से मशीनगन चलाई गई। गाँव से भागे हुए व्यक्तियों के घरों में आग लगा दी गयी। "सरकारी हिसाब के अनुसार 1942 ई0 के अन्तिम पाँच महीनों में साठ हजार से अधिक आदमी गिरफ्तार हुए, अठारह हजार, बिना मुकदमे चलाये हवालात में रखे गये, तथा पुलिस या मिलिटरी की फायरिंग (गोली चलाने) से 940 मारे गये एवं 1630 घायल हुए।।"[6] ब्रिटिश शासन की क्रूर दमन नीति के उपरान्त भारत छोड़ो आन्दोलन लगातार जारी रहा। भूमिगत होकर महाराष्ट्र में ऊषा मेहता तथा राममनोहर लोहिया का प्रसारण नियमित रूप से होता रहता था। 10 फरवरी 1943 ई. से महात्मा गाँधी ने 21 दिन का उपवास रखना प्रारम्भ कर दिया। फिर भी भारत छोड़ो आन्दोलन में निरन्तरता बनी रही।

भारत छोड़ो आन्दोलन के आरम्भ होते ही जब सभी बड़े कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तब वहाँ पर देश के विभन्न स्थानों से आए हुए कांग्रेसी कार्यकर्ता महात्मा गाँधी का सन्देश लेकर वापस अपने गाँव की ओर चल दिये ताकि ब्रिटिश शासन के कारनामों को गाँव के सभी लोगों को अवगत कराया जाय तथा सभी लोग एक होकर संघर्ष करें और देश को स्वतन्त्र कराया जाय। इस आशा से सभी कार्यकर्ता रास्ते भर संकट एवं ब्रिटिश शासन के क्रूर तानाशाही का सामना करते आ रहे थे।

बम्बई में कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर पुलिस की गाड़ियों से यर्वदा सेन्ट्रल जेल पहुंचाया गया। कई कांग्रेसी कार्यसमिति के सदस्य अहमदनगर किले की जेल में भेज दिये गये। पुलिस बम्बई में ही छापे मार कर आन्दोलन को पूरी तरह कुचल देना चाहती थी। इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए साधारण व्यक्तित्व वाले लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ चुपके से इलाहाबाद की ओर रेलगाड़ी में सवार होकर चल दिये। कांग्रेसी-सभी कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास हो चला था कि पुलिस कहीं भी सन्देह की

स्थिति में गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन ऐसा संकट सामने नहीं आया। इलाहाबाद पहुंचने से पहले नैनी रेल्वे स्टेशन में लाल बहादुर शास्त्री उतर गये। साथ में कई कार्यकर्ता भी उतर गये। प्रमुख द्वार से न निकलकर प्लेटफार्म की रेलिंग से दूसरी ओर चले गये तथा रात के अंधेरे में छुपकर इलाहाबाद शहर पहुँच गये। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री गिरफ्तारी से बच गये। लाल बहादुर शास्त्री अब तक उ.प्र. में जाने पहचाने आन्दोलनकारी राजनेता हो गये थे। सभी लोग उन्हें महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जुझारू कार्यकर्ता मानने लगे थे। अतः पुलिस की निगाह में चढ़ना भी आसान था। ब्रिटिश पुलिस ऐसे लोगों को तत्पर गिरफ्तार कर लेने पर आमादा थी। ताकि इस क्षेत्र में आन्दोलन गति न पकड़ सके।

स. लाल बहादुर शास्त्री का अज्ञातवास-

लाल बहादुर शास्त्री किसी प्रकार पुलिस की निगाह से बचते हुए आनन्द भवन पहुँच गये। और वहीं पर छुपकर रहते हुए भारत छोड़ो आन्दोलन की गति—विधियों में संलिप्त हो गये।

इलाहाबाद पहुँचने पर लगभग सभी कांग्रेसियों को यह पता चल चुका था कि शास्त्री आनन्द भवन में रूके हुए हैं, अतः कांग्रेसी कार्यकर्ता आनन्द भवन में मिलते और उनसे भारत छोड़ो आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु दिशा निर्देश मांगते थे। आन्दोलन को अधिक प्रभावी स्वरूप देने के लिए विजय लक्ष्मी पंडित का महत्वपूर्ण सहयोग मिलता रहा। कुछ समय पश्चात शास्त्री की पत्नी ललिता देवी को भी ज्ञात हो गया कि लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद वापस आ चुके हैं, जो आनन्द भवन में गुप्त रूप से निवास कर रहे हैं। लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी ललिता देवी से मिलने का प्रयास किया। वे स्वयं अपनी पत्नी से मिलने नहीं जा सकते थे। शास्त्री को पूर्ण विश्वास था कि ललिता देवी से मिलने जाने पर पुलिस गिरफ्तार कर सकती हैं शास्त्री आन्दोलन को दिशाहीन नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि अधिकांश बड़े राजनेता गिरफ्तार

किये जा चुके थे। अत: एक मित्र की मध्यस्थता करने पर पत्नी से मुलाकात आनन्द भवन में ही हो गई। यह भेंट आनन्द भवन के ऊपरी मंजिल में हुई थी ।

भारत छोड़ो आन्दोलन के लिए सभा करना या जुलूस निकालना अवैध था। सभी संगठन अवैध घोषित कर दिये गये थे। जो लोग गिरफ्तारी से बचे हुऐ थे, उन्हें बराबर गाँधी के विचारों 'करो या मरो' द्वारा देश को स्वतन्त्र कराने की प्रेरणा दी जा रही थी। आन्दोलन में गाँव-गाँव के लोग भाग ले रहे थे, ताकि उन्हें जेल भेजा जा सके। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के मध्य समाचार का आदान-प्रदान बराबर बना था। लाल बहादुर शास्त्री आनन्द भवन में रहते हुए अनेक प्रकार की गश्ती पत्रों, पर्चो एवं आन्दोलन से सम्बन्धित नवीन समाचारों को तैयार कर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के माध्यम से गाँव-गाँव तक पहुँचाते थे। इसके लिए प्रतिलिपियां तैयार करने में काफी मेहनत करना पड़ी थी। आज की तरह मशीनीकरण नहीं था। मात्र साइक्लोस्टाइल के सहयोग से कार्यकरना पड़ता था। बहुधा क्षेत्रों में हस्तलिपि द्वारा सन्देश तैयार किये जाते थे। बड़े गोपनीय ढंग से लोगों तक समाचार पहुँचाये जाते थे, फिर भी गाँव की बहुत सी जनता नवीन समाचारों से अनभिज्ञ रह जाती थी। ब्रिटिश शासन समाचारों पर सख्ती से सेंसर लगाये हुई थी।''पूर्वी संयुक्त प्रान्त और बिहार के अनेक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें आन्दोलन के बारे में सर्वप्रथम स्पष्ट जानकारी एमरी के भाषण से मिली जिसका व्यापक रूप से प्रसारण किया गया था।''[7]

इलाहाबाद के आस-पास के गाँवों में आन्दोलन का विस्तार होने लगा था। जैसे-जैसे लोगों को भारत छोड़ो आन्दोलन की गतिविधियां मालूम होती जाती, लोग शामिल होते जाते थे। वाराणसी में सम्पूर्णानन्द नेतृत्व कर रहे थे। बलिया में आजमगढ़, गोरखपुर एवं बिहार में आन्दोलन बढ़ता चला गया। आन्दोलन में वारदातें भी होने लगी थी। ट्रेनों में आग लगाना, विद्यालयों का

बहिष्कार सरकारी दफ्तरों का घेराव, डाक व तार घरों की तोड़-फोड़ एकत्र भीड़ द्वारा रेल्वे स्टेशनों पर आग लगा देना, मालगाड़ी लूटना, आम बात हो गई थी। लोगों द्वारा अफवाह फैलाना कि स्वराज प्राप्त हो चुका है यह घटनाऐं बलिया, सतारा आदि जगहों पर हुई। इलाहाबाद से ट्रेनों में भर कर विद्यार्थी जगह-जगह भाषण देते और भीड़ एकत्र होने पर स्टेशन की तोड़-फोड़ कर आग के हवाले कर देते। इलाहाबाद से जाने वाली रसद की ट्रेनों को बिलथारा स्टेशन पर खूब लूटा गया। आन्दोलन का काफी विस्तार हो चुका था। अतः पुलिस तथा ट्रेनों के ड्राईवर भारतीय आन्दोलनकारियों की पूरी सेवा एवं सहयेाग कर रहे थे। काशी विश्व विद्यालय के छात्रों को भारत छोड़ो आन्दोलन में अधिक संलिप्त पाने पर उ.प्र. के गवर्नर सर मॉरिस हेलेट ने तत्कालीन वाइस-चांसलर सर्वपल्ली डॉ. राधा कृष्णन को गवर्नर जनरल लार्ड लिनलिथगो से भेंट करनी पड़ी। बड़ी कठिनाईयों एवं समस्याओं से जूझने के पश्चात काशी विश्व विद्यालय के लिए सर मॉरिस हेलेट को अपने विचारों पर ध्यान देना पड़ा तथा दमनात्मक तरीकों में परिवर्तन लाना पडा।

भारत छोड़ो आन्दोलन पूर्णतया नेतृत्वहीन तो नहीं कहा जा सकता किन्तु अधिकांश नेता जेल में थे, अतः वे पुलिस से बचने का प्रयास करते थे और सभी जगह आन्दोलन में तीव्रता लाने हेतु जाते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार शान्त नहीं बैठी थी। वह जगह-जगह छापे डालकर राजनेताओं को गिरफ्तार कर रही थी तथा उनके हाथ जो भी सामग्री हाथ लगती उसे अपने अधिकार में ले लेती थी।

विजय लक्ष्मी पंडित अपने आवास आनन्द भवन में थीं। वहीं पर लाल बहादुर शास्त्री अज्ञातवास में निवास कर रहे थे, साथ ही समाचारों को पर्चो में तैयार कर लोगों तक पहुँचाने का कार्य कर रहे थे। अचानक पुलिस श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित की गिरफ्तारी का वारंट लेकर आनन्द भवन पहुँची। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को सिपाहियों के आने की सूचना मिल गई। उन्होंने तुरन्त

ही अपने निकट के व्यक्ति के द्वारा आनन्द भवन के ऊपरी भाग में सूचना भेज दी, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री मौजूद थे और आन्दोलन के कार्यो में लगे हुऐ थे। अतः शास्त्री सूचना पाकर सतर्क हो गये कि पुलिस की गिरफ्तारी से प्रत्येक दशा में बच कर रहना है। साथ ही उन्होंने पिछली रात में कठोर परिश्रम करके साइक्लोस्टाइल से पर्चे तैयार किये थे। यह पर्चे अज्ञातवास में रह रहे कार्यकर्ताओं के लिए अगले कार्यक्रम की रूप रेखा थे। साथ ही अज्ञातवासी नेताओं को प्रदान करने हेतु उनके पते भी लिखे थे। निश्चित ही यह ऐसी सामग्री थी कि यदि पुलिस के हाथ पड़ जाती तो सभी अज्ञातवासी नेता बड़ी सरलता से गिरफ्तार हो सकते थे। अतः इस संदेश सामग्री को समाप्त करना अनिवार्य था,जबकि पुलिस आनन्द भवन में मौजूद थी। आग लगाने पर धुँआ पैदा होता, अतः यह रास्ता भी कठिनाई पैदा करने वाला था। उन्होंने सामग्री को शौचालय में डाल दिया। जिससे उस समय आये संकट से बचा जा सके।

पुलिस आनन्द भवन के नीचे वाले भग पर सघन तलाशी ले रही थी लेकिन उसे कोई भी सामग्री ऐसी प्राप्त नहीं हो सकी, जिसे रखना कानून के खिलाफ हो। अतः पुलिस ने भवन के ऊपरी मंजिल में तलाशी लेना आवश्यक नहीं समझा। श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित जान-बूझ कर पुलिस के साथ जाने में विलम्ब कर रही थीं ताकि ऊपरी मंजिल में छुपे लाल बहादुर शास्त्री को स्वयं बचने एवं पिछली रात में तैयार की गई सामग्री को हटाने का अवसर मिल जाय। पुलिस श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित को लेकर चली गई। लेकिन पुलिस की दृष्टि आनन्द भवन में विशेष रूप से रहने लगी और वहाँ प्रति दिन आने लगी। सम्भवतः उसे यह आभास हो गया था कि यह कांग्रेसियों के आन्दोलन का केन्द्र है, अतः कई भूमिगत नेता यहां छिपे हो सकते हैं, और उन्हें गिरफ्तार करने से आन्दोलन को अधिक दबाया जा सकता है।

जब ऐसी परिस्थितियां सामने आने लगी तब लाल बहादुर शास्त्री ने

विचार किया कि आनन्द भवन में रहकर आन्दोलन को गति देना अधिक हानिकारक होगा। अतः यहां से निकल जाना ही श्रेयष्कर होगा। अतः अवसर पाकर शास्त्री पुलिस की निगाह से बचते हुए सहयोगी कांग्रेसी कार्यकर्ता केशवदेव मालवीय के घर पहुँच गये। केशवदेव मालवीय के परिवार वालों ने शास्त्री के ठहरने की व्यवस्था की तथा पूरा सहयोग प्रदान किया ताकि पुलिस की निगाह से बचे रहें। विडम्बना की बात यह है कि स्वयं केशवदेव मालवीय अपने मकान में नहीं थे। वह दूसरे के मकान में अज्ञातवास की स्थिति में रह रहे थे, उन्हें सन्देह था कि घर पर पुलिस आयेगी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जायगा। इस प्रकार अधिकांश राजनेता गिरफ्तारी से बचकर भारत छोड़ो आन्दोलन द्वारा संघर्षशील एवं चुनौती भरा संकट ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत कर रहे थे ताकि परेशान होकर अंग्रेज सरकार भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने की दिशा में कदम उठाये ब्रिटिश सरकार ने अधिक संख्या में आन्दोलनकारियों को जेल मे डाल दिया था। अतः बचे हुए आन्दोलनकारियों का यह विचार रहता था कि जितना भी सम्भव हो गिरफ्तारी से बचा जाय। अन्यथा सभी नेताओं के जेल में जाने से भारत छोड़ो आन्दोलन ठप पड़ जायगा और यह अंग्रेज सरकार की जीत होगी। लेकिन आन्दोलन को जितना दबाया कुचला जाता था, उतना ही उत्साह एवं स्फूर्ति गाँव-गाँव के कार्यकर्ताओं में भर जाती थी। जबकि पूर्व में हुए आन्दोलनों में यह विशेषता देखने में नहीं आती।

लाल बाहादुर शास्त्री मालवीय जी के घर में रहकर वहीं पर अन्य अज्ञातवासी कार्यकर्ताओं से मिलते थे। यह काम जोखिम भरा होता था, सन्देह होने पर पुलिस सभी को पकड़ सकती थी। अतः अज्ञातवासी कार्यकर्ता भी सतर्क होकर पुलिस से बचकर शास्त्री से मिलने आते थे। शास्त्री अपने साथियों का मनोबल बढ़ाते थे तथा आन्दोलन में निरन्तरता बनाये रखने पर जोर देते, गाँव-गाँव सन्देश भिजवाते । सन्देश गाँव-गाँव तक पहुँचाने हेतु कार्यकर्ताओं को भिन्न-भिन्न भेष धारण करने की सलाह देते थे। कभी-कभी किसान की

वेश-भूषा पहना करते थे। यही स्थिति अनेक कार्यकर्ताओं की थी।डी. आर. मनकेकर ने भी अन्य कार्यकर्ताओं की वेष-भूषा के सम्बन्ध में लिखा है कि "शास्त्री अलगूराय शास्त्री प्रायः अस्पताल अथवा स्कूल में काम करने वाली मेट्रन के वेश में इधर उधर आया जाया करते थे।"[8]

कांग्रेसी कार्यकर्ता अज्ञातवास में एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं ठहरते थे, इससे उन्हें पुलिस द्वारा पकड़ लिये जाने का भय रहता था। अतः लाल बहादुर शास्त्री भी केशवदेव मालवीय के मकान से चले गये। अधिक समय तक भारत छोड़ो आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद शास्त्री को लगा कि अब जनता के सामने आकर तीव्र आन्दोलन छेड़ दिया जाय तथा गिरफ्तारी से भी बचने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपने परिवार वालों से मुलाकात करना उचित समझा । अभी तक शास्त्री परिवार से भेंट नहीं कर सके थे। अतः शास्त्री ने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को अपनी पत्नी ललिता देवी के पास भेजा कि शास्त्री से भेंट कर लें। कार्यकर्ता ने पत्नी से साथ चलने को भी कहा लेकिन उनके सामने जीवन में ऐसी भी घटनाऐं हुई थीं, जिससे उन्हें धोखा खाना पड़ा था और पति शास्त्री से भेंट करने से रह गई थीं। अतः उसी विश्वास के अनुसार उन्होंने स्पष्ट इंकार करते हुए कहा कि वह पहले शास्त्री से पत्र लिखा लाएं। कार्यकर्ता उसी समय वापस पत्र लिखवाने चला गया और कुछ समय बाद उसी दिन पत्र ले आया। अतः ललिता देवी शास्त्री से मिलने चली गयीं। संयोग की बात उस समय लाल बहादुर शास्त्री एक पुलिस वाले के यहां ठहरे हुए थे। आन्दोलन ने इतना अधिक प्रभाव डाला कि भारतीय लोग जो ब्रिटिश सरकार के मातहत नौकर थे, उन्होंने राजनेताओं व अज्ञातवासियों की मदद की। बिपिन चन्द्र लिखते हैं कि "बहुत से लोगों ने भूमिगत नेताओं को छिपने की जगह दीं। छात्र खबर और परचे ले जाने का काम करते थे। पाइलट और रेल ड्राइवर बम तथा अन्य सामान इधर से उधर पहुँचाते थे। सरकारी अधिकारी और पुलिस वाले तक

गिरफ्तारियों की अग्रिम सूची दे दिया करते थे।''[7]

लाल बहादुर शास्त्री की मुलाकात जब पत्नी से हुई तो उन्हें बीमार पाया। शास्त्री ने रात को रूकने को कहा ताकि डाक्टर को दिखाया जा सके। निर्धनता के कारण उनकी पत्नी यह सब मजबूरी में सहन कर रही थी। शास्त्री ने रात्रि में बात करते समय बताया कि उन्हें गुप्त ढंग से मिर्जापुर एक विशेष व्यक्ति के पास पत्र पहुँचाना है। किसी को सन्देह भी नहीं होना चाहिए कि तुमको इस कार्य के लिए लगाया गया है । बातों-बातों में शास्त्री ने अपनी पत्नी को यह भी समझा दिया कि अब वे जल्दी ही गिरफ्तार हो सकते हैं। अतः उन्हें परिवार का ध्यान रखना होगा। अनेक कठिनाईयों एवं संकटो का सामना करना पड़ सकता है लेकिन उन्हें पहले की भाँति दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना चाहिए। शास्त्री भी अपनी पत्नी के व्यवहार से परिचित थे कि उनमें अदम्य साहस एवं धैर्य कूट-कूट कर भरा है। फिर भी पत्नी ललिता देवी ने यह आग्रह कर ही दिया कि एक बार घर आकर बच्चों व परिवार के अन्य सदस्यों से भेंट कर लें तो अच्छा ही होगा। शास्त्री ने उनकी बात मान ली। एक दिन पश्चात शास्त्री ने अपने परिवार वालों से मुलाकात की। उन्हें इस बात का आभास हो चुका था कि वे शीघ्र ही गिरफ्तार हो सकते हैं। वह जानते थे कि उनके कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की गई है। उसके अनुसार ब्रिटिश सरकार उनको किसी भी दशा में नहीं छोड़ेगी। अब शास्त्री के लिए जेल जाना कोई नई बात नहीं थी। वे इलाहाबाद में रहकर भारत छोड़ो आन्दोलन को अच्छी गति दे चुके थे, उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने भी जनता में उत्साह एवं साहस पैदा किया। इसी कारण इलाहाबाद एवं आस-पास के रेलवे स्टेशनों में तोड़-फोड़ करना आग लगाना, टेलीफोन की लाईनों को काट देना, मालगाड़ी की रसद को लूट लेने की घटनाएं भी प्रचुरता में हो रही थीं और ब्रिटिश सरकार इससे परेशान हो चुकी थीं।

द- इलाहाबाद घंटाघर में तिरंगा फहराने का कार्यक्रम-

लालबहादुर शास्त्री ने घोषणा कर दी थी कि इलाहाबाद में सार्वजनिक स्थान पर झण्डा फहरायेंगे और भाषण भी देंगे। यह बात इलाहाबाद में सभी जगह फैल गई और शास्त्री के परिवार को भी यह ज्ञात हो गया। शास्त्री अपने वादे के अनुसार घर परिवार वालों से मिलकर वापस आ गये। शास्त्री ने जो कार्य मिर्जापुर में जाकर करने का भार पत्नी के ऊपर सौंपा था, उसकी याद पुनः कराई, और कहा कि उसे सतर्क एवं सावधानीपूर्वक करना है। घर की आर्थिक दशा भी खराब चल रही थी। सभी संगठन ब्रिटिश सरकार द्वारा अवैध घोषित हो चुके थे। अतः उनसे मिलने वाली सहायता राशि भी बन्द हो चुकी थी। शास्त्री ने इस सम्बन्ध में कुछ व्यवस्था करने को कहा।

नोटिस द्वारा सूचना दी गई थी कि लाल बहादुर शास्त्री जनसभा को मुहम्मद अली पार्क में सम्बोधित करेंगे। लेकिन गोपनीय ढंग से अधिकांश लोगों को यह सूचना दे दी गई थी कि शास्त्री का कार्यक्रम घंटाघर में होगा। सूचना के अनुसार पुलिस ने मुहम्मद अलीपार्क में अधिक संख्या में सिपाही तैनात कर रखे थे। पुलिस को सन्देह था कि शास्त्री के जोशीले भाषण से जनता किसी भी प्रकार का कदम उठा सकती है। अतः शास्त्री को भाषण देने का अवसर ही प्रदान नहीं किया जाय जिससे जनता विद्रोह न कर पाये। साथ ही आन्दोलन को दबाया कुचला जा सके। लेकिन पुलिस संशय की स्थिति में आ गई थीं। क्योंकि मुहम्मद अली पार्क में भीड़ एकत्र नहीं हो रही थी। सभी लोग घंटाघर की ओर भागे चले जा रहे थे। अभी तक सारे आन्दोलनकारी भूमिगत होकर भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग ले रहे थे, अतः लोगों में उत्सुकता भाषण सुनने की अधिक थीं।

पुलिस को धोखे में रखा गया था कि सभा के समय वहां न पहुँच पाये। इसके अलावा सभा करना सरकारी प्रतिबंधित आदेशों का उल्लघंन

करना था। निश्चित है कि पुलिस के हस्तक्षेप व जनता के आक्रोश के कारण लाठी चार्ज की घटना होना नितान्त अवश्यम्भावी था। लेकिन पुलिस का आकलन ठीक निकला कि वह धोखा खा गई। सभा मुहम्मद अली पार्क में न होकर घंटाघर में की जा रही थी, सारे सिपाही घंटाघर की ओर शीघ्र पहुंचे।

लाल बहादुर शास्त्री परिवार से मिलकर सीधे घंटाघर चौराहा सभा को सम्बोधित करने आये थे, साथ में परिवार के सभी लोग थे जबकि शास्त्री का यह विचार था कि उनके साथ सभा स्थल कोई न जायं, किसी भी प्रकार की घटना हो सकती है। यह भी सम्भव है कि आवेश में पुलिस परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार कर सकती है। बच्चों की देखभाल करने वाला कौन होगा। लेकिन इस बार परिवार में उनकी माँ एवं बहिन भी साथ आयी थीं, लालबहादुर शास्त्री तांगे पर आये। भीड़ घंटाघर में एकत्र थी। तांगे पर ही खड़े होकर उन्होंने भाषण दिया। जनता को सम्बोधित कर बताया कि किस प्रकार ब्रिटिश सरकार जनता एवं नेताओं का दमन कर रही है। उनके अधिकारों को कुचल रही है। भीड़ उत्तेजित थी। अभी शास्त्री ने कुछ क्षण भाषण दिये थे कि पुलिस ने गिरफ्तारी का वारण्ट उनके सामने कर दिया। और उन्हें हिरासत में ले लिया। लेकिन शास्त्री अपने साथ झोले में आन्दोलन से सम्बन्धित नवीन सूचानाऐं, नोटिस आदि लाये थे। उन्हें भीड़ में फैंक दिया और जनता ने उन कागजातों को उठाकर रख लिया। पुलिस ने किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया। उनके परिवार वालों से भी पुलिस ने किसी प्रकार का गलत व्यवहार नहीं किया। श्रीमती दमयन्ती ने लिखा है कि ''शास्त्री जी की धर्मपत्नी तथा परिवार के और व्यक्तियों ने भी अपने को गिरफ्तारी के लिए पेश किया पर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।''[10]

लाल बहादुर शास्त्री को पास में खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठाया गया और अज्ञात स्थान की जेल में ले जाया गया। परिवार भी मिर्जापुर चला

गया और वहां से कुछ समय पश्चात रामनगर जाकर निवास करने लगा। बाद को शास्त्री को नैनी जेल ले जाया गया। वहाँ से वह अपने परिवार के साथ पत्र-व्यवहार कर जानकारी प्राप्त करते रहते थे।

ख- उ. प्र. कांग्रेस कमेटी व संसदीय बोर्ड के सचिव-

लाल बहादुर शास्त्री को सन् 1930 ई. में इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया गया था। इसके बाद वे जिला कमेटी के अध्यक्ष बनाये गये। संन् 1930 ई. से 1935 ई. तक जिला कांग्रेस कमेटी में रहकर शास्त्री ने अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया था। इसी समय 1930 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन भी चल रहा था, अतः शास्त्री ने कांग्रेस के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी रखा और गाँव-गाँव जाकर काग्रेस के सिद्धातों एवं कार्यों से अवगत कराया। इलाहाबाद क्षेत्र के सभी गाँव एवं निवासी लाल बहादुर शास्त्री के आचरण से अच्छी तरह परिचित हो गये।

लाल बहादुर शास्त्री के प्रान्तीय कांग्रेस में पहुंचने की परिस्थितयां 1936 ई. से ही दिखाई देने लगी थी जब उन्हें इसी वर्ष कांग्रेस की ओर से सामन्ती-जमींदारी व्यवस्था तथा भूमि सुधार के सुझाव हेतु एक गैर सरकारी कांग्रेसी समिति गठित की गई। इसमें शास्त्री को कांग्रेस की इस समिति का संयोजक बनाया गया। किन्तु इसके बाद वे इलाहाबाद लौट आए और कांग्रेस के पुनर्सगंठन के लिए कार्य करने लगे थे। शास्त्री ने कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, यहां तक कि उन्होंने अपने स्वास्थ्य का भी कोई ध्यान नहीं दिया, परिणाम स्वरूप वह बीमार भी हुए और शास्त्री के स्वास्थ्य लाभ हेतु बनारस में कमलापति त्रिपाठी इलाहाबाद में पुरूषोत्तम दास टण्डन ने पूरा सहयोग दिया।

लाल बहादुर शास्त्री सन् 1922 ई. में एक साधारण कांग्रेसी कार्यकर्ता थे, जब उन्होंने बिहार प्रान्त के गया अधिवेशन मे भाग लिया था। वहाँ पर पण्डालों को लगाने हेतु गढडों की खुदाई की थी। सन् 1929 ई.

में भी लाहौर अधिवेशन में साधारण कांग्रेसी कार्यकर्ता की हैसियत से पहुँचे थे। सन् 1930 ई. में शास्त्री को कांग्रेस का महत्वपूर्ण पद दिया गया, जो उस समय साधारण व्यक्ति के लिए बड़े महत्व का था। तथा किसी भी व्यक्ति को सरलता से प्राप्त नहीं हो पाता था।

जून 1945 ई. के मध्य में कांग्रेसियों को जेल से छोड़ा गया तो उन्हें इस बात का एहसास था कि जनता का मनोबल पूर्णतया टूट चुका होगा, परन्तु कांग्रेसियों की धारणा निर्मूल साबित हुई। जनता में ब्रिटिश-विरोधी भावना अधिक मजबूत हुई थी, साथ ही लोग कुछ करने के लिए अधीर हो उठे थे। उन्हें आशा थी कि कांग्रेसी बड़े नेता कोई प्रभावकारी कदम पुनः उठायेंगे। जून 1945 ई. में आम चुनाव होने वाले थे। अतः कांग्रेस ऐसे व्यक्ति के ऊपर प्रदेशीय चुनाव समिति का कार्यभार सौंपना चाहती थी। जो कर्मठता के साथ कार्यकरे और चुनाव को पूरी तरह प्रभावित कर सके। चूंकि कांग्रेस यह चाहती थी। कि येन-केन प्रकारेण उसी की सरकार स्थापित हो, ऐसी परिस्थितियों में, जब ब्रिटिश सरकार विरोध कर रही थी। कांग्रेस की दृष्टि में संघर्षशील, कर्मप्रिय व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री को प्रादेशिक कांग्रेस समिति का सचिव बना दिया गया, साथ ही शास्त्री के ऊपर चुनाव प्रचार का कार्यभार सौंप दिया। शास्त्री ने पूर्ण जिम्मेदारी एवं लगन से कार्य किया, ऐसे सभी उचित मार्ग को शास्त्री ने अपनाया जिससे कांग्रेस को सफलता मिले। शास्त्री को संयुक्त प्रान्त के चुनाव के लिए बहुत अधिक मेहनत करना पड़ती थी। अतः शास्त्री कांग्रेस कार्यालय में ही कार्य करते-करते सो जाते थे, वहीं पर खाना खा लेते थे। एक प्रकार से कांग्रेस कार्यालय में ही उनका निवास बन गया था। वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री यह दोषारोपण सुनने को तैयार नहीं थे कि शास्त्री के सही ढंग से कार्य नहीं करने पर कांग्रेस को कम सीटें प्राप्त हुई। अतः शास्त्री की मेहनत रंग लायी और कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में अधिक संख्या में सीटें प्राप्त की, शास्त्री स्वयं इलाहाबाद की फूलपुर

विधान सभा से निर्वाचित हुए थे। सभी कांग्रेसियों ने शास्त्री के कार्यों की प्रशंसा की। हरिराम मित्तल लिखते हैं कि "शास्त्री जी की कार्यक्षमता एवं कुशलता ने कांग्रेस को बहुमत से जिताया। वे स्वयं भी बहुमत से विधान सभा के सदस्य चुने गये।"[11]

लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद के यमुना पार फूलपुर विधान सभा से निर्वाचित हुए थे। इस क्षेत्र मे नर्मदा प्रसाद सिंह का अच्छा प्रभाव था। यह भी कांग्रेसी नता थे, अतः इनका सहयोग भी लाल बहादुर शास्त्री को मिला था।

शास्त्री के इन कार्यों से पहले पं. गोविन्द बल्लभ पन्त शास्त्री के बारे में साधारण जानकारी रखते थे। यह अवश्य था कि इससे पहले शास्त्री के नाम से आन्दोलनों में भाग लेने के कारण परिचित हो गये थे। जब कांग्रेस की प्रादेशिक समिति के सचिव शास्त्री बने तो उनके कार्य एवं व्यवहार से पं. गोविन्द बल्लभ पन्त अच्छी तरह परिचित हो गये।

कांग्रेस ने पं. गोविन्द बल्लभ पन्त के नेतृत्व में सरकार बनाई। इस चुनाव में कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में एवं सम्पूर्ण भारत में चुनावी मुद्दा अपनाया था कि किस प्रकार भारत छोड़ो आन्दोलन में ब्रिटिश सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही की थी। पं. पन्त ने अपना मंत्रिमंण्डल भी बना लिया। कार्य को सही रूप देने जनता के हित एवं विकास सम्बन्धी कार्य करने के लिए प्रान्तीय संसदीय सलाहकार की आवश्यकता पं. गोविन्द बल्लभ पन्त को महसूस हुई। पं.पन्त की दृष्टि में चन्द्रभान गुप्त, केशव चन्द्र मालवीय व जगन प्रसाद रावत थे। जो उन्हें उचित सलाह दे सकते थे। इसके अलावा पं. पन्त लाल बहादुर शास्त्री को संसदीय सचिव बनाना चाहते थे। अतः पं. पन्त की इच्छानुसार शास्त्री संसदीय सचिव बना दिये गये।

कुछ समय के लिए शास्त्री इलाहाबाद आ गये थे। उन्हें प्रान्तीय संसदीय सचिव बनाया गया था। अतः शास्त्री ने यह बात अपनी पत्नी से

बताई कि पं. गोविन्द बल्लभ पन्त का आमन्त्रण है, उन्हें लखनऊ जाना है। पत्नी ललिता देवी ने इसे साधारण कार्य के रूप में समझा। लेकिन शास्त्री ने यह भी अवगत करा दिया कि सपरिवार उन्हें लखनऊ में निवास करना होगा। परिवार शास्त्री के साथ लखनऊ आ गया और प्रान्तीय सरकार के गठन के साथ शास्त्री ने अपने राजनैतिक जीवन के अगले चरण में प्रवेश किया।

पं. गोविन्द बल्लभ पन्त ने लाल बहादुर के अलावा सी. बी. गुप्त, के. सी. मालवीय और जे. पी. रावत को संसदीय सचिव बनाया था। शास्त्री के अलावा सभी संसदीय सचिव महत्वाकांक्षी एवं आरामतलब भी थे,जबकि शास्त्री शान्त, कुशल व्यवहार एवं कठोर परिश्रम वाले थे। इसी कारण 'कुमायुँ टाइगर' कहे जाने वाले पं. पन्त शास्त्री से प्रभावित थे। शशि अहलूवालिया ने लिखा है कि ''पन्त लाल बहादुर के बुद्धिमता एवं परिश्रम से अधिक प्रभावित थे।''[12]

पं. गोविन्द बल्लभ पन्त ऐसे व्यक्ति थे जो स्वयं कर्म पर विश्वास करते थे, और वह सामने वाले से यह अपेक्षा करते थे कि वह स्वयं कर्मठ व्यक्ति हो। ऐसे ही लोगों की देश को आवश्यकता थी। पंत इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि देश अभी स्वतन्त्री नहीं हुआ। संघर्ष लगातार बनाये रखना अनिवार्य है। ताकि देश स्वतन्त्र होकर एक अच्छे लोकतन्त्र के परिवेश में प्रवेश कर सके। फिर भी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहकर कार्य करते हुए शासन करने का ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होरहा है। जैसा कि अंग्रेजों ने इस बात की घोषणा कर ही दी थी कि निकट भविष्य में भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने की ओर एक कदम था, जिससे शासन करने का अनुभव हो। सलिल मिश्रा ने भी इस सम्बन्ध में कहा है कि ''स्वतन्त्र भारत के लोकतान्त्रिक विकास की शुरूआत 1947 के बाद नहीं हुई बल्कि उसका बीज 1920 के दशक में ही पड़ गया था। इससे भारतीयों को लोकतन्त्र और

संसदीय प्रणाली का प्रशिक्षण भी मिला।''[13]

शास्त्री आन्दोलन एवं जिला कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद के सचिव बनने के समय ही जवाहर लाल नेहरू एवं पुरूषोत्तम दास टण्डन के निकट आ गये थे। उसका एक मात्र कारण था कि जब नेहरू और टण्डन में तनाव पैदा हो जाता था। तब शास्त्री ही मध्यस्थता कर के उन दोनों में समझौता कराते थे। यह सब उनकी वाणी और व्यवहार कुशलता से ही सम्भव होता था। अतः इसी तरह अपने व्यवहार एवं कार्यों से पं. गोविन्द बल्लभ पन्त को भी शास्त्री ने प्रभावित कर लिया था।

र- *संयुक्त प्रान्त में मंत्री-*

जो व्यक्ति कार्य के प्रति निष्ठावान होता है, वह चाहता है कि उसी की भाँति अन्य व्यक्ति भी परिश्रमी एवं कर्तव्य परायण बने। इसी प्रकार के लक्षण पं. गोविन्द बल्लभ पन्त में भी थे। वह इच्छा भी रखते थे कि उन्हीं की तरह अन्य लोग कर्मठशील हों, पं. पन्त ने जिन लोगों को कार्य सौंपा, उन लोगों में से वह लाल बहादुर शास्त्री से सन्तुष्ट दिखायी देते थे। इसका मूल कारण शास्त्री का परिश्रमी, ईमानदार एवं कर्तव्यपरायण होना था। अतः समय बीतने के साथ लाल बहादुर शास्त्री मुख्यमंत्री पं. पंत के निकट आते गये। पं. पंत ने शास्त्री को पुलिस एवं यातायात मंत्री बना दिया। शास्त्री इन विभागों की व्यवस्था संभालने लगे और इनसे सम्बन्धित जो भी कार्य होते, उसे तुरन्त निपटाने का प्रयास करते थे। इसके लिए शास्त्री को देर रात कार्यालय में बैठ कर कार्य करना पड़ता था। देश की स्थिति विकास के मामले में शून्य थी। प्रारम्भिक चरण में विकास की रूपरेखा तैयार करना आवश्यक था। ब्रिटिश सरकार के नियम अभी भी प्रचलन में थे, उन नियमों को बदलकर भरतीय लोगों के अनुकूल बनाने की प्रक्रिया चल रही थी। अपने विभाग से सम्बन्धित सभी कार्यो-नियमों की गतिविधियों पर शास्त्री की पूरी दृष्टि रहती थी। वह प्रत्येक फाइल को अच्छी तरह पढ़ते एवं समझते थे,

इसके बाद ही उचित निर्णय लेते थे।

दूसरी ओर पं. पंत भी रात तक सचिवालय में बैठकर कार्य करते रहते थे। जब कभी शास्त्री पहले कार्य निपटा लेते तो अपने मुख्यमंत्री की प्रतीक्षा में बैठे रहते। पं. पंत में भी संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री होने के बाद भी व्यवहार में सहदयता एवं सरलता देखने को मिलती है। जब वे कार्य पूरा कर लेते तो शास्त्री के कमरे से होते हुए निकलते और उन्हें अपने साथ ले जाते। रास्ते में दोनों लोग राज्य की समस्याओं एवं कार्यो को प्रमुखता देने तथा निष्पादन करने सम्बन्धी वार्तालाप करते। शास्त्री भी पं. पंत की बातों को बड़े ध्यान से सुनते और मुख्यमंत्री द्वारा सलाह मांगने पर अपनी राय प्रकट करते। पं. पंत शास्त्री को क्वार्टर पर उतार देते तथा स्वयं घर चले जाते इस प्रकार शास्त्री राज्य की समस्याओं से अवगत होते गये, साथ ही पं. पंत के निकट भी आ गये।

लालबहादुर शास्त्री जब कांग्रेस सचिव थे तब उन्होंने विभिन्न विभागों की समस्याओं को अच्छी तरह समझा था। अत: अब उनमें परिवर्तन करने की आवश्यकता महसूस हुई। पुलिस विभाग का मंत्री होने के नाते उन्होंने रक्षक एवं नागरिकों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करने के कार्य किये। शास्त्री ने ऐसे नवयुवकों को पुलिस विभाग में भर्ती किया जो सन् 1942 ई0 के भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग ले चुके थे। इसका समाज पर अच्छा प्रभाव पड़ा, पुलिस मंत्री के रूप में लालबहादुर शास्त्री ने प्रांन्तीय रक्षा दल पी.आर.डी जवान की स्थापना की। इसमें गाँव-गाँव के नवयुवकों की भर्ती की गई। इनको देशभक्ति एवं अनुशासन की प्रेरणा दी गई। आवश्यकता पड़ने पर समय-समय पर इन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया।

लालबहादुर शास्त्री के पास यातायात का विभाग भी था, अत: इन्होंने संयुक्त प्रान्त, अब उत्तर प्रदेश, की सड़कों का राष्ट्रीयकरण किया। अत: राज्य की बस सेवा की भी व्यवस्था हो गई। शशि अहलूवालिया ने

भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है कि "लालबहादुर ने यातायात मंत्री के रूप में सड़क का राष्ट्रीकरण किया और उत्तर प्रदेश शासन सड़क परिवहन सेवा का प्रचलन भी करवाया, जिसका अनुसरण दूसरे राज्यों में किया गया।"[14] सड़क का राष्ट्रीयकरण करने से सुदूर क्षेत्रों तक सड़कों का निर्माण किया गया, इसका लाभ व्यापार पर भी पड़ा तथा प्रदेश के विकास को गति भी मिलने लगी।

लाल बहादुर शास्त्री संयुक्त प्रान्त के पुलिस मंत्री थे, अतः उन्होंने अपने पुलिस अधिकारियों को कठोर निर्देश जारी किये थे कि विशेष परिस्थितियों में आवश्यक होने पर ही शक्ति बल का प्रयोग किया जाय। शास्त्री के सामने कई घटनाएं ऐसी हुई भी जब उन्होंने पुलिस को शक्ति प्रदर्शन करने से रोका था। यहां तक कि पुलिस को चोटें भी आईं और सिपाहियों को अस्पताल में भरती भी होना पड़ा, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा आन्दोलन करने पर तथा कानपुर में खेल समारोह में पुलिस के साथ घटना हुई। शास्त्री अपनी बात पर दृढ़ता पूर्वक जमे रहे। लेकिन शास्त्री के अन्दर मानवता थी, वे अपने सिपाहियों को देखने के लिये अस्पताल गये और उन्हें दिलासा दी व उनके साथ साहनुभूति जतायी। वर्षों बाद लोकसभा में शास्त्री ने बताया कि किस प्रकार वह मजबूर थे और दुविधा में फंसे गये थे। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं कि "विपक्षी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य नाथपै ने कहा था, अफसोस यही है कि आप जैसे सिद्धान्त के पक्के और साहस वाले लोग हर जगह नहीं है।"[15]

लालबहादुर शास्त्री मंत्री पद पर रहते हुए भी साधारण वेश-भूषा में रहते थे जिससे जनता एवं कर्मचारियों को पहचानने में कठिनाई होती थी। शास्त्री साधारण परिवार से जुड़े व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें अपनी मां से परिश्रम एवं ईमानदारी पूर्वक कार्य करने की प्रेरणा मिली थी। अतः वह असहयोग आन्दोलन के समय से ही देश सेवा में जुड़ गये। 1922 ई0 में साधारण

कांग्रेसी कार्यकर्ता की तरह गया कांग्रेस अधिवेशन में पहुंचे थे। उनकी मेहनत रंग लायी और सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय जिला कांग्रेस कमेटी इलाहाबाद के सचिव एवं अध्यक्ष भी बने। इस समय शास्त्री ने गांव-गांव जाकर कांग्रेस के कार्यक्रमों की रुपरेखा को समझाया सभी लोगों पर शास्त्री का मृदु व्यवहार एवं मृदभाषिता का अच्छा प्रभाव पड़ा, इसके बाद लालबहादुर लगातार आगे बढ़ते गये। उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी में रहकर संयुक्त प्रान्त के विभिन्न समितियों के लिए कार्य किया, निर्वाचन के लिए रूप रेखा तैयार की, उसी आधार पर चुनाव लड़ा तथा प्रान्त में कांग्रेस की सरकार भी बनाई। शास्त्री के कर्मठता एवं उत्तर दायित्वपूर्ण कार्यों को करने का प्रभाव बड़े नेताओं पर पड़ा। अतः अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना दिया गया, लगातार आगे बढ़ते रहने के बाद शास्त्री एक दिन भारत के प्रधानमंत्री भी बने, जो किसी भी साधारण परिवार के लिए बड़े महत्व की बात है, जबकि अभी तक भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो साधारण परिवार का रहा हो।

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. चन्द्र, बिपिन, — भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, द्वितीय संस्करण 1998, पृष्ठ–362
2. सरकार, सुमित, — आधुनिक भारत, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण 1992, पृष्ठ–428
3. ग्रोवर, बी.एल. तथा यशपाल., — आधुनिक भारत का इतिहास, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर, नई दिल्ली, चौदहवा संस्करण 1999, पृष्ठ–428
4. सरकार, सुमित, — पूर्वोद्धत, पृष्ठ–438
5. मित्रा, चंदन, — जनविरोध भारत छोड़ो आन्दोलन, संपादक-शुक्ला, रामलखन, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रथम संस्करण 1990, पृष्ठ–587
6. मजूमदार, आरसी., रायचौधरी, हेमचन्द्र, दत्त, कालि किंकर, — भारत का वृहत इतिहास, भाग–3 मेकमिलन इंडिया लिमिटेड, मद्रास, तृतीय संस्करण 1990, पृष्ठ–355–356
7. मित्रा, चंदन, — जन–विरोध भारत छोड़ो आन्दोलन, संपादक-शुक्ल, रामलखन, आधुनिक भारत का इतिहास, हिन्दी माध्यम कार्यान्यिव निदेशालय, दिल्ली, विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रथम संस्करण 1990, पृष्ठ–503
8. मनकेकर, डी.आर., लालबहादुर शास्त्री, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार

पटियाला, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण 1996, पृष्ठ–90

9. चन्द्र, बिपिन, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–370

10. श्रीमती दमयन्ती, – पांच मर्म स्पर्शी चित्र, संपादक– शैलेन्द्र कुमार पाठक एवं गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव, लालबहादुर शास्त्री- व्यक्ति और विचार, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर, नई दिल्ली, 1996, पृष्ठ–36

11. मित्तल, हरिराम, – वही, पृष्ठ–8

12. अहलूवालिया, शशि, – फाउन्डर आफ न्यू इंडिया, एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि0 रामनगर, नई दिल्ली, 1991 पृष्ठ–417

13. मिश्रा, सलिल, – स्वराज पार्टी, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ए–5 ग्रीनपार्क, नयी दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1997, पृष्ठ–63

14. अहलूवालिया, शशि, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–417

15. मनकेकर, डी. आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–106

अष्टम अध्याय

उपसंहार

अ. आदर्श बालक के रूप में

ब. विद्यार्थी के रूप में

स. आदर्श गृहस्थ व्यक्ति के रूप में शास्त्री

द. राजनीतिज्ञ के रूप में

य. आन्दोलन कर्ता के रूप में

र. कांग्रेस सेवादल में योगदान

ल. आदर्श कैदी

व. लेखक के रूप में शास्त्री

प. विलक्षण चारत्रिक व्यक्तित्व के रूप में।

समाज यदि गलत दिशा अथवा निश्कृष्ट, अनुचित नीतियों को अपना लेता है तब उन बुराईयों को समाज से समाप्त होने में दीर्घकालिक समय लगता है। ऐसे में प्रकृति भी ऐसे पुरुषों को इस मैदान में लाती है जो इस दिशा में सत्त संघर्षरत रहते हैं। उनके जीवन का ध्येय बन जाता है कि सामाजिक बुराईयों को जड़-मूल से नष्ट कर डालें। ऐसे व्यक्ति संवेदनशील होते हैं, उनकी दृष्टि बहुत तेज होती है। समाज या देश में होने वाली गतिविधियों पर कड़ी निगाह रहती है। प्रत्येक दौर में समाज को इनकी आवश्यकता होती है। ऐसे लोग समाज की कुरीतियों को समाप्त करने के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर देते हैं। अपने आपको कठिनाईयों व संकटों में डालकर साहस और हिम्मत के साथ संघर्ष करते रहते हैं। ये लोग समाज के किसी वर्ग धनाढय, मध्यमवर्गीय अथवा गरीब परिवार के हो सकते हैं। यह अपने अच्छे कार्यो द्वारा समाज अथवा देश को प्रभावित कर, महानता की श्रेणी में गिने जाते हैं।

प्लेटो, सुकरात, गैलीलियो, मार्टिनलूथर किंग, अब्राहम लिंकन, रुसो, विश्व के महान व्यक्तियों में गिने जाते हैं। भारत ने भी समय समय पर महान पुरूषों को जन्म दिया है और इन महापरूषों की गाथा विश्व के प्रत्येक भाग तक फैली है। गौतम बुद्ध, महावीर जैन, अशोक महान, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, शंकराचार्य, रामानन्द, बल्लभाचार्य, अमीरखुसरो, कबीर, गुरूनानक, राजाराम मोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, दादू, श्रीमती एनीबेसेन्ट आदि ने देश एवं समाज को दिशा प्रदान की।

महात्मा गौतम बुद्ध व महावीर जैन ने समाज में फैली पशुबलि का विरोधकर अहिंसा पर जोर दिया तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा नीति पर ध्यान देते हुए महानता प्राप्त की, चन्द्रगुप्त विकमादित्य न्यायप्रिय राजा कहलाए तो हर्षवर्धन दानी राजा के नाम से प्रख्यात हुए। जब धर्म एवं

समाज में कुरीतियां बढ़ने लगी तब शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का सिद्धान्त समझाया तो रामानन्द व बल्लभाचार्य ने भक्ति भाव का पाठ साधारण भाषा में जनता से सम्पर्क कर पढ़ाया। मध्यकाल में इस प्रकार के अनेक महापुरूषों ने सामाजिक विषमताओं का अन्त करने का प्रयास किया। अमीर खुसरो एक फारसी एवं हिन्दी शायर हुए, उन्होंने प्रजा को साधारण भाषा में सूक्तियां कहावतें लिखकर, समाज को नई दिशा दीं, कबीर गुरूनानक सब उसी कड़ी के महापुरूष थे, जो फैलते हुए दूषित वातावरण को अपनी मीठीवाणी के द्वारा समाज में नयापन लाना चाहते थे। भारत में प्रत्येक काल एवं क्षेत्र में ऐसे महापुरूषों ने बिना किसी सहयोग के अपने व्यक्तिगत प्रयासों से नये-नये प्रयोग किये और समाज ने इनसे प्रेरणा भी प्राप्त की।

भारत में अंग्रेजों ने राज्य स्थापित कर शासन किया, किन्तु उनका प्रारम्भिक चरण व्यापार करने तक सीमित रहा। अतः भारत का धन यूरोप एवं अंग्रेज विशेष रूप से इंग्लैण्ड जाने लगा, क्योंकि शनैःशनैः इंग्लैण्ड ने पुर्तगाल फ्रैंच, डेनमार्क व डचों को व्यापारिक क्षेत्र से निकाल बाहर किया था, मात्र पुर्तगालियों व फ्रैंच का क्षणिक प्रभाव रहा। अंग्रेजों ने भारत में अपना सम्पूर्ण प्रभाव बनाने के लिए न्याय-अन्याय के रास्तों को अपनाया। उस समय मुगलों का पराभव हो रहा था, उनमें योग्य उत्तराधिकारियों का अभाव था, वे आपसे में राज्य के बंटवारे एवं बादशहत की प्राप्ति को लेकर लड़ रहे थे। उन्होंने कभी इसे गम्भीरता से नहीं लिया। बंगाल की ओर से किये गये अंग्रेजों के हमले व औरंगजेब की सेना से परास्त होने पर शीघ्र इन क्षेत्रों पर कब्जा करने का प्रयास छोड़ दिया। उन्होंने दक्षिण की तरफ ध्यान देते हुए उत्तर की ओर बढ़ने का प्रयास किया। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारतीय लोगों में अंग्रेजों के प्रति विरोध उभरकर सामने आ गया। क्योंकि अंग्रेजों ने प्लासी व बक्सर युद्ध विजय तथा भारत में पैर जमाने के बाद भारतीयों की दृष्टि से शिक्षा, धार्मिक एवं उनके रीति-रीवाजों में परिवर्तन किये थे। जो

उनके लिये अनुचित व अव्यावहारिक लगते थे, अतः सन 1857 ई0 को प्रथम स्वतन्त्रता संग्रम अंग्रेजों के विरूद्ध भारतीयों ने किया। अंग्रेजों ने भारतीयों के आर्थिक, धार्मिक राजनैतिक अधिकारों का शोषण किया था जिसकी परिणति 1857 ई0 के संघार्ष के रूप में हुई। इससे पहले दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा भारत का आर्थिक शोषण किये जाने का उल्लेख व प्रचार किया। राजनैतिक जागरूकता भारत में उत्पन्न करने का कार्य सुरेन्द्र नाथ बनर्जी डब्ल्यू.सी.बनर्जी, फिरोजशाह मेहता, कादम्बिनी गांगुली आदि ने की, तो सामाजिक जागरण का अभियान राजाराम मोहन राय, विद्यासागर आदि ने चलाया। भारतीय जनता को इस बात की अनुभूति करायी कि शिक्षित होना, राजनैतिक ज्ञान होना प्रत्येक भारतीय के लिए आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्यों में यह भी था कि वह जनता को अवगत कराये कि दल का कार्य देश की जनता को राजनैतिक शिक्षा प्रदान करना है तथा जब भारत की जनता राजनीतिक रुप से परिपक्व हो जायेगी तभी अंग्रेजों से देश को स्वतन्त्र कराने का संघार्ष एवं आन्दोलन किया जायेगा। इसी कारण प्रत्येक वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सम्मेलन विभिन्न स्थानों में होते थे। महात्मा गांधी ने भी देश को स्वतन्त्र कराने हेतु आन्दोलन करने से पहले एक वर्ष तक भारत भ्रमण कर राजनैतिक जागरुकता का अभियान चलाया था। महात्मा गांधी को यह प्रेरणा उनके राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। तात्पर्य यह कि देश को स्वतन्त्र कराने के लिए अभियान उनीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध से जोरदार ढ़ंग से प्रारम्भ हो गयी थी। इस धारा ने भी भारत को एक से बढ़कर एक रत्न प्रदान करना प्रारम्भ कर दिये थे। जो आगे-पीछे जन्म लेते हुए आन्दोलन की बागडोर थाम रहे थे। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में जन्म लेने वाले जवाहर लाल नेहरु, महात्मा गांधी, बालगंगा धर तिलक तथा फिरोज शाह मेहता आदि नेता थे, तो बीसवीं शताब्दीं के प्रथमार्द्ध में भी अनेक सपूतों ने जन्म लेकर आन्दोलन

से जुड़कर देश को स्वतन्त्र कराकर अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध की।

अ- आदर्श बालक के रुप में-

बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक का समय देश के आन्दोलन एवं अंग्रेजों का विरोध करने के लिए संक्रमण का दौर चल रहा था। कांगेस के लोगों में अन्तर्विरोध था। दो विचारधारा वाले राजनेता हो गये थे। गरम दल के लोगों का विश्वास था कि कांग्रेस को सीधे कार्यवाही देश को आजाद कराने की करनी चाहिए। जबकि नरमदल के नेता अपने पुराने तरीके पर चल रहे थे।परिणाम सन् 1907 ई. में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो विचारधाराओं में बंट गया। इस तरह देश में संक्रमण एवं परिवर्तन का दौर चल रहा था। किन्तु दोनों का लक्ष्य एक ही था, भारत को अंग्रेजो से स्वतन्त्र कराना। अतः देश की जनता देश भक्ति के वातावरण से ओत-प्रोत था। ऐसे ही वातावरण में लाल बहादुर शास्त्री का 2 अक्टूबर सन् 1904 ई. में जन्म हुआ। ऐसा लगता है कि लाल बहादुर पर देश के वातावरण का प्रभाव भी पड़ा होगा क्योंकि वह बाल्यकाल से चिन्तनशील एवं गम्भीर रहते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद का विचार है कि एक सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो महिलाऐं गर्भ धारण किये हुए थीं। उनमें युद्ध की घटनाऐं को लेकर जो महिलाऐं भयभीत रहीं। उन महिलाओं के बच्चे दृढ़ विचारों वाले नहीं निकले। इससे स्पष्ट होता है कि समाज एवं व्यक्ति पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है।

लाल बहादुर को बचपन में उनकी माता रामदुलारी देवी 'नन्हें' या बचवा कहकर पुकारती थीं। नन्हें का जीवन प्रारम्भ से ही कठिनाईयों एवं संकटों में बीतने से प्रारम्भ हुआ। डेढ़ वर्ष की उम्र में पिता शारदा प्रसाद का देहावसान हो गया। कुछ समय बीता होगा कि नाना हजारी लाल का निधन हो गया। नन्हें के हँसी-खुशी के दिन जो बीत रहे थे। उनमें परिवर्तन एवं अन्तर आना स्वाभाविक था। छोटी सी उम्र में तोतली बातों से प्रभावित

करना उनकी आदत थी। इन बातों से नन्हें की माता भी प्रभावित होती थी।

जब लाल बहादुर बड़े हुए तो उनकी माता ने पाठशाला पढ़ने हेतु भेजना प्रारम्भ किया। माँ ने अपने पुत्र को अनिवार्य शिष्टाचार के नियम भी सिखाये, अपने से बड़े उम्र के लोगों से किस प्रकार बात करना है। गुरू का सम्मान करना भी बताया। रामदुलारी देवी के मायका पक्ष व ससुराल पक्ष के लोग शिक्षित थे, अतः शिष्टाचार, विनम्रता एवं आदर्श उनमें व्यापत था ही। अच्छी शिक्षा प्रदान करने हेतु लाल बहादुर को बनारस में रहना पड़ा था। वहाँ पर विद्यालय से लौटने पर घर का काम करना पड़ता था। इसके बाद अपनी पढ़ाई का गृह कार्य पूरा करना होता था। प्रतिदिन घर का काम करने एवं अन्य बच्चों को घर के काम करने से छूट मिलने से कभी लाल बहादुर ने आपत्ति जनक सवाल नहीं उठाये।

लाल बहादुर खेल में बचपन से ही रूचि रखते थे। समाज के अन्य लोगो के बच्चों को फुटबाल या हॉकी खेलते देखते, तो लाल बहादुर का भी मन होता था किन्तु हॉकी या फुटबाल उनके पास नहीं था। खरीदने को इतना पैसा भी नहीं था। इसके लिये उन्होंने घर मे हठ करना भी उचित नहीं समझा। अतः पेड़ की मजबूत टहनियों को काटकर हाकी बनाकर खेलते थे। खेलने का समय घर के कार्यों से निपटने के बाद होता था।

लाल बहादुर बचपन में गुरू नानक की कविताओं का पाठ अधिक किया करते थे, जिनका तात्पर्य साधारण जीवन एवं गम्भीरता से होता है। यानी मनुष्य को घास की तरह रहना चाहिए। लम्बे-सूखे पेड़ की तरह नहीं, जो तूफान के आने से नष्ट हो जाते हैं जबकि घास पर तूफान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन गहराईयेां को लाल बहादुर बचपन से ही समझने लगे थे। लाल बहादुर बाल्य काल में ही धैर्यवान एवं उच्च विचार के थे। किसी भी परिवार में भोजन एवं पकवान बनने पर उस घर के बालक पहले खाते हैं किन्तु लाल बहादुर इसका अपवाद हैं। जिस परिवार में लाल बहादुर रहकर

पढ़ाई कर रहे थे, वहाँ त्यौहारों-पर्वों पर पकवान बनने पर लाल बहादुर को सबसे बाद में दिया जाता था, फिर भी लाल बहादुर को इस बात पर कभी शिकायत नहीं रही। वह प्रारम्भ से स्वाभिमानी थे, यह भी समझते थे कि दूसरों की दया पर निर्भर होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। एक बार परिवार में ही लाल बहादुर की बहन द्वारा बिना पूछे सिठौरा लाल बहादुर को खिला देने पर चोरी का आरोप लगा, किन्तु लाल बहादुर ने उस उम्र में अपने सम्बन्धियों को एहसास करा दिया कि जो विचार उनके मन में लाल बहादुर को लेकर हैं, वह अनुचित एवं मिथ्या हैं।

मौसा रघुनाथ प्रसाद के घर पर लाल बहादुर के अलावा रिश्तेदार का एक गरीब लड़का रहता था। उन दिनों हैजा फैला हुआ था। पुराने विचार के लोग इस छूत की बीमारी से बहुत दूर रहते थे। अतः उस बालक के पास भी कोई सेवा करना, दवा देना, गन्दे कपड़े धोना लाल बहादुर की जिम्मेदारी थी। इस बीमारी से बहुधा मरीज मर भी जाता था, क्योंकि उन दिनों चिकित्सा सुविधा इतनी अधिक विकसित नहीं थी। अतः एक दिन वह बालक बीमारी से संघर्ष करता हुआ मर गया। जिस रात उसकी मृत्यु हुई, उसी के पास लालबहादुर भी लेटे हुए थे। उन्होंने यह सब देखा था और अधिक भयभीत भी थे। उस रात घर के लोगों ने किसी प्रकार उस बालक का ध्यान दिया नहीं दिया, और मृत्यु हो जाने पर उसका अन्तिम संस्कार कर दिया। इन सब कार्यों से मुक्त हो जाने के पश्चात लाल बहादुर से उसके सारे कपड़े एवं उसके बिस्तर धो डालने को कहा। लाल बहादुर ने इस कार्य को करने से इन्कार नहीं किया और सारे कपड़े कुऐ पर ले जाकर धो डाले जबकि वह स्वयं बालक ही थे।उसी समय उनकी माँ भी आ गईं। माँ ने लाल बहादुर को जब इस दशा में देखा तो वह भी कुछ क्रोधित सी हुईं, किन्तु इन सब कठिनाईयों को सहन करना भी मजबूरी थी क्योंकि बच्चे को घर ले जाने पर शिक्षा से वंचित होना पड़ता और शिक्षा भी जरूरी थी। बालक

लाल बहादुर ने यह सब शान्त भाव से बरदाश्त किया और फिर कभी शिकायत नहीं की।

लाल बहादुर बचपन में साधारण स्वभाव वाले बालक थे, उनमें अन्य बच्चों की भांति चंचलता नहीं थी। एक बार साथियों के साथ बाग में चले गये। लड़के फल तोड़ने लगे। माली के आने पर सभी साथी लालबहादुर को छोड़कर भाग गये। माली के मारने पर लालबहादुर ने पितृहीन होने का जवाब दिया, अतः माली ने लालबहादुर से अच्छा व्यवहार करने की प्रेरणा दी। लालबहादुर को इस बात ने बहुत प्रभावित किया और सदैव उन्होंने लोगों के साथ अच्छा व्यवहार किया।

लालबहादुर बहुधा सांयकाल घूमने जाते थे, गर्मियों के दिनों में रास्ते में एक दिन आम वाला मिला। उसने एक रू0 के सौ आम देने को कहा। लालबहादुर ने एक रूपया में पचास आम खरीदे अतः मामा लल्लन, जो साथ में थे, ने इसका कारण पूंछा, लालबहादुर में उत्तर दिया कि गर्मी के दिन है आम सड़ जायेंगे। सौ आम लेने पर खाये भी नहीं जा सकते। इस प्रकार लालबहादुर ने बचपन से ही विवेकशीलता का परिचय दिया, वह भलीभांति समझते थे कि उनके पिता का देहावसान हो चुका है, अतः उन्हें किसी तरह ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये जिससे परविार एवं समाज के लोग उंगली उठाये। लालबहादुर से जो भी कार्य करने को कहा जाता था, वह तुरन्त करने को तैयार रहते थे, कार्य करने से कभी मना नहीं किया खेलने के समय भी कार्य की अनिवार्यता है तो खेल पर ध्यान नहीं देते थे। बड़ों के आदेशों का सदैव पालन किया लालबहादुर बचपन से ही स्वाभिमानी थे, सदैव मिथ्या आरोप का भी शान्त ढंग से प्रतिकार किया जिससे आदर्श भाव बना रहा।

ब. विद्यार्थी के रूप में-

लालबहादुर का जीवन सीखेन-समझने का तब से प्रारम्भ होता है,

जब उन्होंने हरिश्चन्द्र हाईस्कूल बनारस में प्रवेश लिया था। यह विद्यालय कालान्तर में इन्टरमीडिएट तक कर दिया गया। उस समय लालबहादुर की उम्र 10-11 वर्ष की हो चुकी थी। इससे पूर्व की शिक्षा अपनी माता रामदुलारी देवी के पास रहकर मुगलसराय में प्राप्त की थी। बनारस में मौसा रघुनाथ प्रसाद के घर आकर रहना पड़ा था। इतना पैसा भी नहीं था कि विद्यालय के छात्रावास में रहकर पढ़ाई की जा सके, तथा फीस का भुगतान किया जा सके, लालबहादुर को इस विद्यालय में अध्ययन करते हुए विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक तथा देशभक्त सम्बन्धी बातों का अनुभव हुआ।

लालबहादुर को इस विद्यालय में निश्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा जैसा गुरू मिला, जिसने लालबहादुर की उद्धात भावनाओं, आकांक्षाओं को उभार कर अच्छा स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया। उन्हें इस कार्य में सफलता भी मिली। वैसे भी निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा में यह गुण-विशेषता थी कि वह छात्र की समस्याओं का निराकरण करने,अच्छी शिक्षा प्रदान करने, छात्र को उचित एवं सही मार्ग प्रशस्त करने पर ध्यान देते थे। विद्यालय में वह आदर्श अध्यापक थे। छात्र उनका सम्मान करते थे। मनकेकर लिखते हैं "वह इसका भरसक प्रयत्न करते थे कि उनके छात्र न केवल पढ़ने-लिखने में ही उन्नति करें बल्कि चरित्रवान भी बनें।"[1]

निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा अपनी कक्षाओं में छात्रों को नैतिक एवं देशभक्ति की शिक्षा भी प्रदान करते थे। जो पाठ्यक्रम से अलग होता था। लालबहादुर के इस विद्यालय में प्रवेश लेने के बाद गुरू ने शनैःशनैः समझने का प्रयास किया। ऐसा भी अवसर आया, जब लालबहादुर का गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा एवं परिवार से अन्तरंग सम्बन्ध स्थापित हो गये। गुरू ने लालबहादुर की दक्षता, लक्षण एवं परिवार की पृष्ठ भूमि को समझ लिया था। एक बार गुरू जी लाल बहादुर को अपने घर ले गये। वहां पत्नी के सामने कर दिया। उनकी पत्नी ने इस बालक को घर का काम करने वाला

समझा लेकिन गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा के यह कहने पर कि हमारे तीन बेटे थे आज से यह चौथा हुआ, तब उनकी समझ में आया, गुरू ने अपनी पत्नी को वास्तविकता से अवगत कराया। लाल बहादुर का आना जाना भी गुरू के घर अधिक हो गया। निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा के पुत्र लालबहादुर को अपना बड़ा भाई समझकर सम्मान देते थे। पत्नी भावो भी लालबहादुर को लाड़-प्यार करती थीं और भोजन एवं पकवान खाने को देतीं। लालबहादुर अच्छे तैराक बचपन से ही थे। अतः अपनी पीठ पर गुरू के बच्चों को बैठाकर तैरते और पीठ पर बैठे बच्चों को बहुत आनन्द आता था। गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा के दो पुत्रियां भी थीं जिनका नाम विमला, कमला था। इनमें एक पुत्री की इलाहाबाद में ससुराल थी और यहीं पर निवास करती थीं। कालान्तर में जब लालबहादुर का परिवार इलाहाबाद आकर रहने लगा तो गुरू की पुत्री का आना-जाना भी होने लगा। ललिता देवी भी उन्हें ननद के रूप में (लालबहादुर की बहिन) सम्मान देती थीं। परिवार की आने-जाने की सूचना भी उन्हें प्राप्त होती थी।

लालबहादुर बाल्यकाल से ही कम बोलने, कार्य के प्रति रूचि रखने तथा स्वाभिमानी जैसे थे। अतः गुरू के घर प्रतिदिन जाने में कठिनाई का अनुभव किया यह सोचकर कि किसी की दया पर कब तक निर्भर रहा जा सकता है। लालबहादुर का जाना बंद हुआ तो गुरू ने अपने शिष्य के भावों को समझ लिया। अतः उन्होंने दूसरा मार्ग अपनाया और समय अभाव का बहाना कर अपने बच्चों को एक घण्टा ट्यूशन के रूप में पढ़ाने पर सहमति लालबहादुर व उनके परिवार के लोगों से प्राप्त कर ली, जिससे लालबहादुर का पुनः आना जाना बढ़ गया। ट्यूशन का महीना पूरा होने पर पढ़ाई का भुगतान पत्नी भावो द्वारा देने पर लालबहादुर ने बड़े भाई के रूप में पढ़ाते हुए पैसा लेने से अस्वीकार कर दिया। लालबहादुर ने यहां पर बड़प्पन, अच्छा शिष्य एवं विवेकशीलता का परिचय दिया, जिससे गुरू को भी अनुभव हुआ

कि किसी के स्वाभिमान को खरीदा नहीं जा सकता चाहे वह शिष्य ही क्यों न हो। गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा की पत्नी ने भी ईमानदारी से ट्यूशन का पैसा जमाकर लालबहादुर की बहिन के विवाह के समय रामदुलारी देवी को दे दिया। लालबहादुर स्वयं अपने एवं परिवार की आर्थिक स्थिति से परिचित थे, फिर भी उन्होंने सीधे ट्यूशन की फीस नहीं ली, जबकि ऐसी परिस्थितियों में विशेषकर बालकों में पैसा पाने का आकर्षण प्रबल होता है, उन्होंने अपनी अनावश्यक इच्छाओं का दमन करने का प्रयास किया और उसी वातावरण में अपना विद्यार्थी जीवन कठिनाईयों के साथ गुजार दिया। कभी-कभी उनके सामने ऐसी परिस्थितियां भी बनी कि नाव वाले को पैसा नहीं दे पाने के कारण नदी तैरकर पार करनी पड़ी, लेकिन यह उनका प्रतिदिन का कार्य नहीं था। जैसा कि इस सम्बन्ध में लोगों की धारणा है कि वे पाठशाला जाने हेतु नदी तैरकर जाते थे। लालबहादुर शास्त्री स्वयं इसका कड़ा विरोध करते हैं कि लोगों के विचार इस सम्बन्ध में पूर्णतया गलत है। लाल बहादुर खेल में रूचि रखते थे। विद्यालय से छुट्टी मिलने पर खेलते थे। यह रूचि उनकी बराबर बनी रही और अधिक समय तक खेले भी, यहां तक कि जेल में भी खेला करते थे। इस सम्बान्ध में सुनील शास्त्री का विचार है ''खेल उनके विचार से राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साधन था।''[2]

लालबहादुर ने हरिश्चन्द्र हाईस्कल में कक्षा 10 तक अध्ययन किया। यहां उन्हें ऐसे विद्यार्थी मित्र मिले, जो देश भावना से ओत-प्रोत थे। यह वह समय था जब सम्पूर्ण भारत में देश के बड़े नेता भ्रमण कर राजनैतिक जागरूकता एवं विदेशियों से देश को मुक्त कराने का अभियान चलाये हुए थे। साथ ही गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा छात्रों को नाटक, पाठ्य सहगामी क्रियाएं तथा स्काउट के द्वारा देशप्रेमी के सांचे में ढालने का प्रयास कर रहे थे। लाल बहादुर भी इसमें अपना योगदान देते थे। उन्हें महापुरूषों पर पुस्तकों

को पढ़ने का शौक था। उन ग्रंथों में जो अच्छी बातें होती थी, उसे आत्मसात कर लेते थे।

असहयोग आन्दोलन के समय लालबहादुर ने शिक्षा छोड़ दी थी। इसी समय राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान खुले थे। अतः आन्दोलन समाप्त होने पर लालबहादुर ने काशी विद्यापीठ में प्रवेश ले लिया और सन् 1926 ई0 में दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी की परीक्षा पास कर शास्त्री की उपाधि प्राप्त की। इसी के बाद लालबहादुर के नाम के अन्त में शास्त्री जुड़ गया। लालबहादुर यहां पर अध्ययन करने के बाद वापस पैदल घर चले जाते थे, लालबहादुर को इस शिक्षा केन्द्र में आचार्य कृपलानी आचार्य नरेन्द्र देव, डा0 सम्पूर्णानन्द तथा डा0 भगवानदास जैसे दर्शन शास्त्री मिले थे। जिनसे लालबहादुर ने राष्ट्रीय भावना की शिक्षा तथा जीवन में समन्वयवादी पथ अपनाने जैसे विचार ग्रहण किये थे। लालबहादुर ने बड़े परिश्रम से प्रतिदिन लगभग 8 किमी की पैदल यात्रा कर शिक्षा ग्रहण की थी। साथ ही विद्यालय के अवकाश के समय में लालबहादुर ने बनारस में एक खादी की दुकान में अस्थायी रूप से काम किया, जिससे आवश्यक खर्चे के लिए पैसा प्राप्त हो जाय और परिवार पर शिक्षा-व्यय का बोझ न पड़े। बहुधा वह शिक्षा व्यय एवं आवश्यक खर्च के उपरान्त अवशेष पैसा अपनी मां-रामदुलारी देवी को दे दिया करते थे। ऐसी प्रवृत्तियां जब लालबहादुर में पायी जाने लगीं तो परिवार के लोगों को अपनी धारणाएं बदलनी पड़ी और यह मानने पर बाध्य होना पड़ा कि लालबहादुर देशभक्त व आन्दोलन से प्रेरित तो है किन्तु परिवार के उत्तरदायित्व को भी वह बखूबी समझता है। लालबहादुर ने इस प्रकार शैक्षिक जीवन में अनेक कठिनाईयों एवं कष्टों को सामना करते हुए अपने चुने हुए मार्ग को कभी नहीं छोड़ा सदैव सहनशीलता व विवेक का परिचायक बनकर काम करने व समय की विशेषता पर बल दिया। डा. जाकिर हुसैन का विचार है ''विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने समय के सदुपयोग को समझ लिया था।''[3]

स. आदर्श गृहस्थ व्यक्ति के रूप में शास्त्री-

शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात शास्त्री ने दि सर्वेन्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी की सदस्यता ग्रहण की और मुजफ्फरनगर व मेरठ में रहकर गरीबों व दलितों (हरिजन) की सेवा हृदय से की। शास्त्री इस वर्ग की समस्या को भली-भांति समझाते थे क्योंकि स्वयं उनका बचपन कठिनाईयों में बीता। शिक्षा सम्बन्धियों के घर रहकर पूरी हुई, अतः इस वर्ग का अशिक्षित होने का कारण उन्हें ज्ञात था। इसलिए शास्त्री ने अपने जमीनी अनुभवों के आधार पर कहा था" गरीबी देश की सबसे बड़ी समस्या है हमें उससे लड़ना है। लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है।"[4]

जो लड़का परिवार व सम्बन्धियों के लिए नालायक था वह अब योग्य दिखाई देने लगा। अतः शास्त्री का विवाह करने हेतु मिर्जापुर रिश्ता पक्का कर दिया गया। दूसरा कारण माता रामदुलारी देवी का यह था कि विवाह हो जाने के पश्चात पुत्र आन्दोलनकरने, जेल जाने जैसी बातों से दूर रहेगा। जैसा कि असहयोग आन्दोलन के समय हुआ था। मिर्जापुर में जिस जगह शास्त्री का रिश्ता तय हुआ था, वहां रामदुलारी देवी का आना जाना पहले से ही था। शास्त्री का घराना अच्छा होने के कारण कौशल्या देवी अपनी किसी न किसी लड़की का विवाह शास्त्री के साथ करने को पहले से ही इच्छुक थीं, किन्तु छोटी पुत्री लालमणि का विवाह शास्त्री के साथ 16 मई 1928 ई0 को कर दिया गया। पुरानी परम्पराओं के अनुसार बहू लालमणि का सुसराल में आने के बाद नाम ललिता देवी रख दिया गया। कुछ समय बाद शास्त्री अपनी माँ एवं पत्नी के साथ इलाहाबाद आकर रहने लगे। शास्त्री दि सर्वेण्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, साथ में देश के आन्दोलन में भाग लेते रहते थे, अतः पत्नी को अधिक समय नहीं दे पाना उनकी मजबूरी थी। फिर भी शास्त्री का प्रयास यह रहता था कि जैसे भी सम्भव हो पत्नी को खुश रखा जाय तथा कार्यों

में सुविधा एवं सहयोग अपनी ओर से प्रदान किया जाय।

लाल बहादुर शास्त्री जब अपनी पत्नी को अधिक कार्य करते देखते तो उनसे विश्राम करने को कह देते। माँ के पूंछने पर स्वयं बहाना बनाकर कह देते कि कमरे में अन्दर वह मेरा आवश्यक कार्य कर रही थी। पानी भरने, कपड़े धोने में वह अपनी पत्नी की पूरी मदद करते थे। शास्त्री के परिवार में उनकी छोटी बहिन कैलाशपति भी आकर रहने लगी थीं, जो विधवा हो गई थीं। शास्त्री एवं उनकी पत्नी ललिता देवी उनसे किसी भी घरेलू कार्य को करने के लिए नहीं कहते थे। वह जानते थे कि बहिन का जीवन दु:खमय है। माँ रामदुलारी देवी से कार्य कराने का प्रश्न नहीं पैदा होता, अत: घर का सारा कार्य ललिता देवी को ही करना पड़ता था।

समय बीता, बच्चे भी हुए, तो कार्य एवं आवश्यक खर्च बढ़ना स्वाभाविक था। जब कभी मेहमान भी आकर ठहरते थे। इलाहाबाद नगर होने के कारण एवं कांग्रेसी मित्र लाल बहादुर के घर पर रूकते थे। अत: रात्रि विश्राम एवं भोजन की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। ऐसी स्थिति में लाल बहादुर को कभी-कभी बिना भोजन किये सोना पड़ता था। सीमित आमदनी थी, अतिरिक्त आय के साधन नहीं थे। परिवार का खर्चा किसी प्रकार चल पाता था। शास्त्री साधारण कपड़ों में रहते थे। यही स्थिति पत्नी ललिता देवी की थी। उनके पास भी कम साड़िया थी। इस प्रकार शास्त्री ने साधारण जीवन अपनाया। एक बार लाल बहादुर शास्त्री के सम्बन्ध में राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था " उनका रहन-सहन एक सच्चे भारतीय का जीवन है।"[5] शास्त्री धुली एवं प्रेस (इस्त्री) की हुई टोपी पहनते थे। उनके पास कई गाँधी टोपी थी जिसे विशेष अवसरों पर प्रयोग करते थे। घर पर उचित स्थान पर टोपी नहीं मिलने पर आफत कर देते थे।

लाल बहादुर शास्त्री देशभक्त थे, शोलापुर की घटना होने पर उन्होंने अपना नाम शोलापुर जाने की सूची में लिखवा दिया। किन्तु पत्नी की

हठ पर शोलापुर जाने का इरादा छोड़ दिया, पर शास्त्री ने वचन भी लिया कि वे उनकी देश सेवा में बाधा नहीं बनेंगी।

लाल बहादुर शास्त्री को आन्दोलनरत रहने के कारण कई बार जेल जाना पड़ा, अतः परिवार एवं बच्चों के लालन-पालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। हरी, कुसुम, सुमन के लिए अच्छी वस्तुऐं एवं अच्छे कपड़े खरीदकर देना भी शास्त्री ललिता के लिए दुष्कर कार्य तो था ही, किन्तु उन कठिनाईयों भरे जीवन में शास्त्री एवं ललिता देवी ने अपने बच्चों के लिए आवश्यक मांगों को पूरा करने का प्रयास किया। फेरी वालों से मिठाई, कुल्फी खिलौने आदि खरीदकर दिये, जबकि स्वयं अपने लिए तथा पत्नी के लिए इच्छाओं की पूर्ति हेतु सीमित एवं संयमित रहने का प्रयास किया। मेले में घूमकर लौट आना बिना कुछ खरीदे हुए एक प्रमाण प्रस्तुत करता है। एक बार पुत्री कुसुम द्वारा कुल्फी खरीदने की हठ व ललिता देवी द्वारा खरीदने से मना करने तथा पीटने की धमकी देने से शास्त्री ने फेरीवाले को प्रतिदिन बच्ची कुल्फी दे जाने को कहा। इससे पता चलता है कि शास्त्री अपने बच्चों को बेहद प्यार करते थे। जेल में रहते हुए हरि को लिखे पत्र से पता चलता है कि अपने बच्चों के पढ़ाई के प्रति भी गम्भीर रहते थे। बहुधा यह होता था कि स्कूल से लौटने पर बच्चों की ड्रेस अस्त-व्यस्त दिखाई देती, वे उन्हें उठाकर सही ढंग से रखते थे। ऐसा भी समय आया कि शास्त्री कई बार बीमार पड़े,रोग निदान होने के पश्चात आराम करने की बजाय काम करने पर ध्यान दिया ताकि पारिवारिक दायित्व पूरा करते रहें। डाक्टर की सलाह पर भी कम ध्यान दिया, लेकिन पत्नी ललिता देवी द्वारा दबाव डालने पर आराम कुछ दिनों तक किया। शास्त्री अपना उत्तरदायित्व खूब समझते थे, उन्हें यह अहसास रहता कि किसके प्रति उनके कौन से कर्तव्य है। माता के प्रति, बहिन के प्रति, पत्नी के प्रति, तथा बच्चों की जिम्मेदारी का एहसास था, जिसे शास्त्री ने अपनी ओर से इस कर्तव्य का

पूरा करने का प्रयास किया।

द. राजनीतिज्ञ के रूप में-

लाल बहादुर शास्त्री जब राजनीतिक शिखर पर पहुंचे तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि देश की राजनीतिक सीढ़ी का सर्वोच्च पायदान उन्हें प्राप्त होगा। क्योंकि उन्होंने शिक्षा ग्रहण करत समय जो वातावरण विद्यालय एवं देश का पाया, उसका परिणाम था कि वह देश को स्वतन्त्र कराने के लिए ब्रिटिश विरोधी अभियान में लगें। शिक्षा पूरी करने के उपरान्त दुर्बल कमजोर वर्ग की दशा सुधारने हेतु समाजसेवी संस्था ''दि सर्वेन्ट्स आफ दि पीपुल सोसाइटी'' से जुड़ गये। इसके बाद आन्दोलन से भी जुड़े रहे। इन सब बातों के उपरानत शास्त्री के व्यक्तिगत जीवन के सभी पहलुओं पर विचार किया जाय तो ज्ञात होता है कि उन्होंने पहले से कोई निर्णय नहीं लिया था कि वह राजनीति में भाग लेंगे या इसे अपने जीवन का एक अभिन्न अंग मानेंगे। यहां तक कि सन् 1922 ई. में गया अधिवेशन में साधारण कार्यकर्ता एवं सन् 1929 ई. के लाहौर अधिवेशन में भाग लेने पर यह निर्णय कर पाना कठिन होगा कि उनका विचार पहले से ही राजनीति में आने का था। इन दोनों सम्मेलनों में भाग लेने का उद्देश्य मात्र देश को स्वतन्त्र कराने सम्बन्धी गतिविधियों की जानकारी एवं दिशा प्राप्त करना रहा होगा। क्योंकि देशभक्त छात्रजीवन से ही होने से असहयोग आन्दोलन में भाग लेना तथा आन्दोलन स्थगित कर दिये जाने के बाद कांग्रेस का गया में पहला अधिवेशन होने से देश के सभी लोगों को जानने की उत्सुकता थी कि भविष्य में ब्रिटिश विरोधी अभियान एवं देश को स्वतन्त्र कराने के लिए किस प्रकार कांग्रेस नीति का निर्धारण करती है। इसी प्रकार लाहौर अधिवेशन में भी देश यह जानना चाहता था कि स्वतन्त्रता के लिए कैसी रणनीति अपनायी जायगी। सम्भवतः इन्हीं उद्देश्यों से प्रेरित होकर लालबहादुर शास्त्री ने इन सम्मेलनों में भाग लिया था। इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि

लाल बहादुर शास्त्री का प्रारम्भिक दौर शुद्ध आन्दोलनवादी था न कि राजनीतिक। राजनीति में शास्त्री न तो अचानक आ गये और न ही उन्होंने शीघ्र निर्णय लेकर इस दिशा में कदम रखा।

लालबहादुर शास्त्री परिवार के साथ इलाहाबाद आकर रहने लगे थे। वे पुरूषोत्तम दास टण्डन के अधीन रहकर 'दि सर्वेण्टस आफ दि पीपुल सोसाईटी' का कार्य देखते थे। टण्डन का आना-जाना आनन्द भवन नेहरू परिवार में था। कभी-कभी शास्त्री को भी टण्डन आनन्द भवन ले जाया करते थे, जहां मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कमला नेहरू, व विजय लक्ष्मी पण्डित आदि से भेंट एवं वार्ता होती थी। टण्डन इलाहाबाद जिला कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अतः सन् 1930 ई. में शास्त्री को इलाहाबाद जिला कांग्रेस का सचिव बना दिया गया। शास्त्री कांग्रेस का कार्य देखने लगे। सम्बन्धित जिलों का भ्रमण कर सभी जानकारी एकत्र करने का प्रयास करते एवं उनकी समस्याओं पर ध्यानदेते थें। इस तरह लालबहादुर शास्त्री में राजनैतिक जीवन में प्रवेश किया। शास्त्री का राजनीतिक जीवन अपनाने का ध्येय नहीं था, मात्र उनको कांग्रेस का दायित्व सौंपा गया था, जो उस समय शास्त्री जैसा कर्मठ व्यक्ति कांग्रेस की कार्ययोजना आन्दोलन प्रचार व प्रचार को पूरा कर सकता था। बाद को यही कार्य शास्त्री के जीवन का एक अंग बन गया। इस सम्बन्ध में हरिराम मित्तल एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं "अब कांग्रेस संगठन और शास्त्री जी दो शब्द नहीं रह गये थे। दोनों से लगभग एक ही बोध होता था।"[6]

महात्मा गांधी ने सन् 1930 ई. में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने आन्दोलन को समाप्त करने की दृष्टि से वीभत्स दमन चक्र चलाया किन्तु कांग्रेसी कार्यकर्ता अपना काम जारी रखे थे। शास्त्री ने इलाहाबाद क्षेत्र में गाँव-गाँव भ्रमण किया और कांग्रेस की नीति एवं कार्यों को जनता से अवगत कराया। इसके लिए शास्त्री को कठिन

परिश्रम करना पड़ा किन्तु शास्त्री को सफलता प्राप्त हुई। इसके बाद वे गिरफ्तार कर लिये गये और उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात् पुनः कांग्रेस के कार्यों में शास्त्री व्यस्त हो गये। शास्त्री को मेहनत से कार्य करते देख उनकी ख्यातिफैलने लगी। इस तरह वह बड़े नेताओं की दृष्टि से भी नहीं बच सके। अतः उनकी ईमानदारी एवं कर्मठता से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का महासचिव बना दिया गया। यह वह समय था जब ब्रिटिश सरकार तीन गोलमेज सम्मेलन लन्दन में कराने व साम्प्रदायिक पंचाग घोषणा के बाद भारत को राजनीतिक उदारता प्रदान करने का प्रयास कर रही थी। शास्त्री ने सदैव कार्य को गम्भीरता से लिया। मन्नूलाल द्विवेदी लिखते हैं ''शास्त्री जी की एक और विशेषता थी। वे कभी अपना महत्व जताने का प्रयत्न नहीं करते थे। अपने कार्यों पर ही विश्वास रखते थे। लालबहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व अपनी एक अलग विशिष्टता रखता है। वे न तो अधिक वाचाल थे और न चंचल।''[7]

शास्त्री प्रारम्भ से ही नेहरू परिवार के विश्वस्त व्यक्ति हो गये थे। नेहरू को इतना विश्वास था कि अपने पत्रों के उत्तर शास्त्री से लिखने को कह देते थे। यही कार्य-अनुभव आगे उनके काम आया। सन् 1935 ई. में उन्हें प्रान्तीय महासचिव बनाया गया और इस पद पर वह 1938 ई. तक कार्य करते रहे। अपने कार्यालय में बैठते, लोगों से भेंट करते, उनकी समस्याओं पर ध्यान देते थे। इसके साथ फाईलों को निपटाते, पत्रों के उत्तर देते, आवश्यक टिप्पणियां सुधार हेतु तैयार करते थे। बहुधा ऐसा होता था कि कांग्रेसी कार्यकर्ता यहां तक कि बड़े नेता विचारों में भिन्नता होने के कारण आपस में झगड़ा कर बैठते थे। शास्त्री हस्तक्षेप कर दोनों में समझौता करा देते थे, किसी का पक्षपात नहीं करते थे। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं ''अगर कोई पुरूष व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में व्यवहारतः निष्पक्ष रहा है तो वह लालबहादुर थे। तटस्थता ही उनके जीवन दर्शन का प्राण थी। अपनी

अंतः प्रेरणा से वह कांग्रेस में सिद्धान्तों या गुटों के झगड़ों से दूर तथा दलों की पैंतरेबाजी से अलग रहते थे।''[8] इस सम्बन्ध में सुनीत व्यास का विचार है कि ''शास्त्री जी के सम्बन्ध में एक बात विश्वास के साथ कही जा सकती है कि उनका निजी शत्रु कोई नहीं था। वे द्वेष और दुर्भावना से परे थे। उनका मनोहर एवं भोला सा चेहरा, कोमल स्वर सौम्य स्वभाव तथा उनकी निष्पकपट सत्यनिष्ठा ने उनके राजनैतिक व्यक्तित्व को मध्यस्थ एवं सेतुबन्ध के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया।''[9]

लालबहादुर शास्त्री प्रान्तीय स्तर पर प्रख्यात नेता हो गये थे। बड़े नेता भावी महत्वपूर्ण नेता के रूप में देख रहे थे, अतः कांग्रेस की महत्वपूर्ण कार्यवाहियों एवं योजनाओं को प्रारूप देने में उनका योगदान रहता था। एक समय ऐसा भी आया कि उन्हें लखनऊ में अन्तरिम सरकार में स्थान दिया गया। वह कार्य को महत्व देते थे। देश अभी स्वतन्त्र नहीं हुआ था। सभी देशवासियों की इन लोगों से बहुत आकांक्षाएं थी। शास्त्री इस बात को अच्छी तरह समझते थे। अतः पुलिस एवं यातायात का विभाग संभालने के बाद शास्त्री ने उसमें आवश्यक सुधार एवं संशोधन कर नया स्वरूप प्रदान किया पुलिस विभाग को जनता के प्रति जवाबदेह बनाने, पारदर्शी एवं सुरक्षित व्यवस्था प्रदान करने का प्रयास किया। पुलिस में पीआरडी की भर्ती उनका प्रयोग था। इसी प्रकार यातायात विभाग में सुधार किया। सड़कों का राष्ट्रीयकरण एवं परिवहन विभाग की स्थापना की। शास्त्री जी जो भी कार्य करते थे वह देश एवं समाज के हित में होते थे। शास्त्री ने पुलिस विभाग में रहकर जनता और पुलिस के बीच भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास किया जिससे समाज में स्वच्छ वातावरण उत्पन्न हो। शास्त्री अपने लेख 'अपराध-कारण और उपचार' में लिखते हैं।'' जीवन के कुछ ऐसे मूल्य हैं, जिनकी अवहेलना हम स्वयं खतरा उठा कर करते हैं। यदि वे विकसित और पल्लवित हों तो निश्चित रूप से सामाजिक वातावरण गंभीर बन सकेगा, मुझे

पूरा विश्वास है कि इससे व्यक्ति अधिक शान्तिमय अधिक संतुलित और कम से कम अपराधी बनेगा।''[10]

शास्त्री समाजवादी विचारधारा से प्रेरित थे, कभी-कभी लोगों में उनमें वामपंथी होने का सन्देह हो जाता था लेकिन उनके विचार से स्पष्ट हो जाता है कि वह समाजवादी थे। वह जातिप्रथा का विरोध करते हुए समाजवादी समाज की स्थापना का समर्थन करते हैं। घनश्याम दास बिड़ला ने भी उन्हें समाजवादी कहा है। शास्त्री ने इसी प्रकार के सुदृढ़ विचारों को अपनाते हुए राजनीतिक उंचाईयों को छुआ है जिससे विश्व पूर्णतया परिचित है।

य. आन्दोलन कर्ता के रूप में-

देश को अंग्रेजों से स्वतन्त्र कराने के लिए कांग्रेस आन्दोलन एवं जागरूकता अभियान चलाये हुयी थी तो अन्य संगठन भी जागृत कर समाज के लोगों को आन्दोलन के लिए तैयार कर रहे थे। शिक्षक समुदाय, वकील तथा डाक्टर आदि भी इस कार्य में योगदानदे रहे थे। कहने की आवश्यकता नहीं है जब किसी समाज या देश के लोगों का उत्पीड़न व अधिकारों को कुचल दिया जाता है तब जनता उस कुप्रवृत्तियों को समाप्त करने, अधिकरों को प्राप्त करने के लिए आन्दोलन करती है। इसी प्रकार अमेरिका, फ्रांस एवं रूस के लोगों ने अपने अधिकारों को प्राप्त किया था। भारत में भी अंग्रेजों ने भारतीयों का राजनैतिक अधिकार, सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक शोषण कर रखा था। देश का वातावरण आन्दोलन से प्रेरित था। महात्मा गांधी जगह-जगह पहुंचकर लोगों में उत्साह एवं स्फूर्ति उत्पन्न कर रहे थे। ऐसे में लालबहादुर को महात्मा गांधी के भाषणों ने अधिक स्फूर्ति प्रदान की जबकि वह पहले से ही गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा से देश प्रेम की भाषा सीख चुके थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1920 ई. में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ, जगह-जगह भारत भर में प्रदर्शन हुए वकीलों को कचहरी, कोर्ट,

शिक्षकों व छात्रों ने बहिष्कार कर आन्दोलन में भाग लिया। लालबाहदुर शास्त्री ने असहयोग आन्दोलन में सम्मिलित होकर सभाओं एवं जुलूसों में सक्रिय रूप से भाग लिया। अन्ततः लालबहादुर को भी अन्य नेताओं के साथ गिरफ्तार कर लिया, किन्तु उन्हें कारावास की सजा सुनाये बिना छात्र की स्थिति का लाभ देते हुए छोड़ दिया गया। जबकि अन्य लोगों को कारावास का दण्ड दिया गया। पहली बार शास्त्री के आन्दोलन में भाग लेने पर परिवार के लोगों ने बुरा भला कहा, किन्तु शास्त्री अपने रास्ते पर अडिग रहे। गुरू की बात को नजर अन्दाज कर दिया।

शास्त्री की शिक्षा में व्यवधान आयातो उसे काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर पूरा किया। इसके पश्चात सामाजिक संस्था से जुड़कर वैवाहिक जीवन अपना लिया। इस अवधि में कांग्रेस एवं अन्य संगठनों ने महत्वपूर्ण आन्दोलन नहीं किया था। साइमन बहिष्कार एवं नेहरू रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त रही कांग्रेस। इसके उपरान्त नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में 1929 ई. में पूर्ण स्वराज्य की मांग प्रारम्भ हुई। इस सम्मेलन में लालबहादुर शास्त्री भी थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हुआ। लालबहादुर शास्त्री का आन्दोलन का क्षेत्र इलाहाबाद बना। शास्त्री ने इलाहाबाद के आस-पास के गांव जाकर लोगों को महत्मा गांधी के कार्यक्रम से अवगम कराया। कड़ा परिश्रम के बाद सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारभ हुआ। इसमें किसानों से कहा गया था कि वे लगान अदा न करें। इस कार्यक्रम में बड़ी सफलता मिली। ब्रिटिश सरकार परेशान हो गयी। इलाहाबाद से बहुत लोग जेल भेजे गये। एक दिन लालबहादुर शास्त्री को जेल भेज दिया गया। इससे पहले वे शोलापुर आन्दोलन में जाना चाहते थे। गोलमेज सम्मेलन हेतु भारतीय नेताओं को रिहा किया गया, तब शास्त्री भी जेल से छूट गयेकिन्तु महात्मा गांधी के पुनः आन्दोलन प्रारम्भ करने पर शास्त्री को फिर से जेल में डाल दिया गया। ललिता देवी ने इस आन्दोलन

में भाग लिया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने को लोगों को कहा। ललिता देवी, जो घरेलू साधारण स्त्री थीं उन्होंने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए लोगों में विश्वास पैदा किया एवं सफलता अर्जित की। इस प्रकार लालबहादुर शास्त्री एवं ललिता देवी का आन्दोलन का प्रारम्भ इलाहाबाद से ही हुआ। यहां से कांग्रेसी जीवन की शुरूआत भी हुई और राजनैतिक महत्वपूर्ण लोगों से सम्बन्ध भी स्थापित हुए। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं " यहीं सत्याग्रही के रूप में तीन पहली गिरफ्तारियां हुईं। और इसी नगर में ललिता देवी को भी पहली बार राजनीतिक जीवन से परिचय प्राप्त हुआ"[11]

लालबहादुर शास्त्री सविनय अवज्ञा आन्दोलन के कारण जेल भेजे गये थे। वहां से सजा काटने के बाद इलाहाबाद वापस आ गये। सन् 1936 ई. में इलाहाबाद नगरपालिका के मेम्बर चुन लिए गये। शास्त्री ने इलाहाबाद के विकास के लिए नगरपालिका मेम्बर की हैसियत से अनेक कार्य किये। जब व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ई. में प्रारम्भ हुआ और विनोबा भावे जेल भेजे गये तो इलाहाबाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह करते हुए शास्त्री को जेल भेज दिया गया। शास्त्री लगातार संघर्षरत रहे, देश को स्वतन्त्र कराने के लिए जिस प्रकार देश के अन्य बड़े नेता अपने मोर्चे पर डटे रहे। ब्रिटिश सरकार की ढुलमुल नीति को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन् 1942 ई. में 'भारत छोड़ो आन्दोलन की घोषणा कर दी। जबकि इसी समय राष्ट्रकी सम्प्रभुता एवं स्वतन्त्रता को लेकर विश्वयुद्ध लड़ा जा रहा था। बम्बई में कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसमें महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, शास्त्री ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। शीघ्र गिरफ्तारी हुई तो शास्त्री ट्रेन से वापस बचते हुए इलाहाबाद आ गये। नैनी स्टेशन पर उतरकर रात्रि को इलाहाबाद पहुंचे। आनन्द भवन में भूमिगत होकर श्रीमती विजयलक्ष्मी के साथ आन्दोलन को गति देने लगे। पुलिस ने विजय लक्ष्मी पण्डित को गिरफ्तार किया तो वहां से हटकर मित्र के.डी. मालवीय के घर रहकर

आन्दोलन को बढ़ाते रहे। कभी-कभी लाल बहादुर शास्त्री किसान के भेष में गांव निकल जाते और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से वार्ता कर उन्हें आवश्यक छपी सामग्री बांटने हेतु देकर वापस लौट आते थे। एक दिन गिरफ्तारी के उद्देश्य से शास्त्री बाहर निकल आये। जनता को भाषणों द्वारा प्रेरित किया और पुलिस ने घंटाघर चौराहा पर गिरफ्तार कर लिया। शास्त्री को नैनी जेल रखा गया। इसके बाद सभी नेताओं की रिहाई के साथ जून 1945 ई. को शास्त्री को भी जेल से छोड़ दिया गया।

इस प्रकार शास्त्री ने 1920 ई. से 1942 ई. तक के सभी आन्दोलनों में भाग लिया। स्वयं कष्ट उठाते हुए परिवार को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने, बच्चों के लालन पालन में व्यवधान उत्पन्न होने के बाद सुफल परिणाम मिला। पं गोविन्द बल्लभ पन्त शास्त्री की कार्यशैली से प्रभावित थे ही, अतः उन्हें लखनऊ बुलाकर शासन का कार्यभार सौंपा। डी.आर. मनकेकर लिखते हैं ''परिवार लखनऊ चला गया। लालबहादुर ने अपने राजनीतिक जीवन के दूसरे दौर में प्रवेश किया। राजनीति और विधायक से अब सरकार के मंत्री बन गये।''[12]

र. कांग्रेस सेवा दल में योगदान-

कांग्रेस की स्थापना के समय से ही इस दल में उदारवादियों का वर्चस्व बना रहा। उनका अपना तरीका था, देश को स्वतन्त्र कराने का। कालान्तर में कांग्रेस की लगाम उदारवादियों के पास से उग्रपंथी विचार धारा के नेताओं के पास आ गयी। किन्तु इन्हें भी कांग्रेस के मूलभूत स्वरूप को अपनाना पड़ा। कांग्रेस अपने विचारों से ब्रिटिश सरकार पर दबाव डालकर अपनी मांगे पूरी कराना चाहती थी और इसी क्रम में वह देश को स्वतन्त्र कराना चाहती थीं। समय के अन्तराल में महात्मा गांधी ने भी अहिंसा वादी नीति अपनायी। जिस समय महात्मा गांधी भारत में देश को आजाद कराने हेतु संघर्ष प्रारम्भ कर रहे थे। उसी समय एक बालक लालबहादुर नाम का

देश भक्ति के सांचे में विद्यालय में ढल रहा था। उसने साधारण रूप से असहयोग आन्दोलन में भाग लिया। तत्पश्चात बिना किसी राजनीतिक इच्छा के सन् 1922 ई. में बिहार में गया स्थान पर कांग्रेस अधिवेशन में इलाहाबाद से भाग लेने पहुंचा, और वहां देश को स्वतन्त्र कराने वाली संस्था कांग्रेस के लिए पण्डाल बनाने एवं फावड़ा चलाने का कार्य किया। इस प्रकार शास्त्री ने कांग्रेस में जमीन से जुड़कर कार्य प्रारम्भ किया। सुरेन्द्र मोहन तरूण लिखते हैं "इस तथ्य की कल्पना कितनी कठिन है कि जिस नवयुवक को 1922 में गया कांग्रेस पण्डाल के लिए फावड़ा चलाना पड़ा और मिट्टी ढोनी पड़ी, वही 41 वर्ष बाद देश के प्रधानमंत्री के सर्वोच्च पद पर पहुंचा।"[13]

लाल बहादुर शास्त्री 1929 ई. के लाहौर अधिवेशन में भी स्वैच्छिक कार्यकर्ता की हैसियत से पहुंचे थे। क्योंकि वह अभी तक कांग्रेस के सक्रिय वैधानिक कार्यकर्ता नहीं बन पाये थे। सन् 1930 ई. में शास्त्री को कांग्रेस का जिला सचिव बना दिया गया। इलाहाबाद जिला कांग्रेस के अध यक्ष इस समय पुरूषोत्तम दास दण्डन थे। पुरूषोत्तम दास दण्डन ने शास्त्री के कार्यों, लगन, ईमानदारी को देखकर ही यह पद प्रदान किया था। उस समय देश के प्रत्येक भाग में कांग्रेस के लिए कर्मठ, संघर्षशील व्यक्ति की आवश्यकता थी। शास्त्री ने अपने उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास किया। ठीक समय सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हो गया था। लाल बहादुर शास्त्री ने कांग्रेस के साथी कार्यकर्ताओं को लेकर स्थान-स्थान, व्यक्ति-व्यक्ति को कांग्रेस के कार्यक्रम को समझाया। इसमें सफलता मिली। शास्त्री एक प्रख्यात व्यक्ति के रूप में उभरकर सामने आ गये।

लाल बहादुर शास्त्री की कार्य के प्रति रूचि व ईमानदारी को देखते हुए उन्हें सन् 1935 ई. में संयुक्त प्रान्त का महासचिव बना दिया। इस पद पर शास्त्री ने 1938 ई. तक कार्य किया। शास्त्री को जो भी कार्य सौंपा जाता था, उसे जिम्मेदारी एवं परिश्रम के साथ पूरा करते थे। बहुधा ऐसा हो जाता

था कि दो पक्षों में अनावश्यक विवाद उत्पन्न हो जाता था तो धैर्य के साथ लाल बहादुर शास्त्री समझौता उनमें करा देते थे। कई बार ऐसा भी हुआ कि जवाहर लाल नेहरू और पुरूषोत्तम दास दण्डन में बहस एवं विवाद उत्पन्न हुआ, तब शास्त्री ने मध्यस्थता कर दोनों में सुलह समझौता कराया। अनेक राजनीतिज्ञ उन्हें व्यवहारिक व कुशल नेता मानने लगे थे। सुरेन्द्र मोहन तरूण लिखते हैं "अपने विद्यार्थी जीवन में वह दर्शन शास्त्र के छात्र थे, किन्तु भावी जीवन में उन्होंने स्वयं को एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ प्रमाणित किया।"[14] डी. आर मनकेकर लिखते हैं कि संभवतः इसी प्रशिक्षण ने बाद में लाल बहादुर को कांग्रेस के भीतर झगड़े निपटाने वाला सर्वाधिक सफल नेता बना दिया।"[15]

शास्त्री जब कांग्रेस के पदाधिकारी हुए तो आनन्द भवन आना-जाना बढ़ा और नेहरू की निकटता भी शास्त्री को प्राप्त हुई। जवाहर लाल नेहरू ने शास्त्री को परिश्रमी और ईमानदारी से कार्य करते देख उनमें विश्वास पैदा किया और अपनी ओर से अनेक कांग्रेसी कार्यों को करने को कह दिया। शास्त्री ने उन कार्यों को पूरा कर अधिक विश्वास पैदा कर लिया। सन् 1936 ई. में कांग्रेस ने संयुक्त प्रान्त में एक समिति गठित की कि वह भूमि सुधार एवं सामन्ती-जमींदारी व्यवस्था के सम्बन्ध में सुझाव प्रस्तुत करे। लाल बहादुर शास्त्री को इस समिति का संयोजक बनाया गया और पुरूषोत्तम दास टण्डन अध्यक्ष बनाये गये। लाल बहादुर ने लगभग एक वर्ष तक कार्य किया और इससे सम्बन्धित सभी पक्षों एवं साक्ष्यों को जुटाया। कड़ी मेहनत के बाद भूमि सुधार रिपोर्ट तैयार की गयी। सन् 1937 ई. में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो संयुक्त प्रान्त में भूमि सुधार हेतु इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर कानून बनाया गया। इस रिपोर्ट के तैयार करने से लाल बहादुर शास्त्री ने प्रसिद्धि पाई। साथ ही उनको किसानों का हितैषी भी समझा जाने लगा। वर्षों बाद लाल बहादुर शास्त्री ने 'जय जवान, जय किसान' का नारा देकर किसान

के महत्व को समझाया। गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव लिखते हैं ''शास्त्री ने स्वाभिमान और आत्मसम्मान के लिए 'जय जवान जय किसान' का नारा देकर हमको स्वालम्बन का पाठ पढ़ाया।''[16]

भारत छोड़ो आन्दोलन के समय शास्त्री की भूमिका सराहनीय रही। वे जेल भेज दिये गये। 1945 ई. में रिहा हुए। केबिनट मिशन योजना के तहत केन्द्र एवं प्रान्तों में सरकारें बनी। मुख्यमंत्री पं. गोविन्द बल्लभ पन्त बनाये गये। पं. पन्त ने प्रान्त के विकास की योजना बनाई तो उन्हें योग्य, कर्मठ, ईमानदार लोगों की तलाश हुई। उनकी दृष्टि शास्त्री पर भी गई। अतः शास्त्री को अपना सभा सचिव बना लिया। पं. पन्त ने अनेक महत्वपूर्ण विषयों के लिये समिति बना ली थी और उसमें लाल बहादुर शास्त्री का सहयोग प्राप्त कर सही दिशा प्रदान की। इससे शास्त्री को राजनैतिक कार्यों में परिपक्वता आती गयी। पं. पन्त लाल बहादुर को कर्मठ, व्यक्ति मानते थे। कुछ समय पश्चात पं. पन्त ने शास्त्री को अपने मंत्रिमण्डल में सम्मिलित कर लिया और गृह, यातायात जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे। शास्त्री ने गम्भीरता पूर्वक अपना कार्य किया। रात देर तक फाईलों में जूझते रहना शास्त्री व पं. पन्त के लिए साधारण बात थी। शास्त्री शनैःशनैः इतने प्रख्यात हुए कि जवाहर लाल नेहरू ने शास्त्री को केन्द्र में बुलाकर महासचिव बनाया एवं 1962 ई. के चुनावों का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा। शास्त्री अपनी कर्मठता, ईमानदारी, एवं अध्यवसायी होने के कारण महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचते गये और कांग्रेस के एक साधारण कर्ता के रूप में कार्य करते हुए महत्वपूर्ण व बड़े पदों पर रहकर ~~कांग्रेलिए~~ कांग्रेस के लिए कार्य किया। कर्मठता, ईमानदारी सहनशीलता शास्त्री की सफलता का रहस्य था। सुरेन्द्र मोहन तरूण लिखते है ''वह विनम्रता, धैर्य और परिश्रम की साकार प्रतिमा थे। उनका सारा जीवन इन्हीं तीन गुणों की साधना है। उनमें कोई असाधारण बात नहीं थी तथा उन्होंने कभी साधारण की कोटि से ऊपर उठने का प्रत्यन किया। उनकी राजनीतिक उपलब्धियों के मूल में उनके

चरित्र के यही तीन गुण विद्यमान थे।''[17]

ल. आदर्श कैदी-

किसी भी देश को व्यवस्थित एवं उचित ढंग से चलाने के लिए संविधान अथवा नियमों-कानूनों की आवश्यकता होती है। राष्ट्र के सभी लोगों का कर्तव्य होता है कि उसी कानून के अनुसार अपने आपको व्यवस्थित रखें। यदि उन नियमों का उल्लंघन होता है तब सम्बन्धित व्यक्ति को नियमों का उल्लंघन करने अथवा अपराध के अनुसार दण्ड दिया जाता है। दण्ड किसी रुप में हो सकता है। आर्थिक दण्ड देकर धनराशि वसूल की जा सकती है अथवा कारावास भी भेजा जा सकता है। जब व्यक्ति दण्ड का भागीदार होता है तो उसकी छवि समाज में धूमिल पड़ जाती है वह समाज का निम्न व्यक्ति प्रतीत होने लगता है। लेकिन अनेक दण्ड एवं अपराध ऐसे होते हैं जिनसे व्यक्ति राष्ट्र-समाज का तारा बनकर उभरता है।

भारत में बिट्रिश सरकार को उखाड़ फैंकने के लिए उदारवादी क्रान्तिकारी आन्दोलन चलाये जा रहे थे। बिट्रिश सरकार के कानूनों का उल्लंघन खुलकर हो रहा था। अतः उन्हें आरोपितकर जेल भी भेजा जा रहा था। क्रान्तिकारी नेता जेल जाने से बचने का प्रयास करते थे ताकि आन्दोलन में तीव्रता लाई जा सके, किन्तु उदारवादी जेल जाते थे। जेल जाने वाले भारतीयों की संख्या लाखों में पहुँच जाती थी। जिसमें गोखले, बालगंगाधर तिलक, महात्मा गाँधी, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, राजेन्द्र लाहिणी, अशफाक उल्ला, श्रीमती सरोजनी नायडू, जवाहर लाल नेहरु, पं गोबिन्द बल्लभ पन्त, सी.आर.दास, सुभाष चन्द्र बोस आदि महत्वपूर्ण नेता जेल गये और जेल की यातनाओं को देश की स्वतन्त्रता के लिए बरदाश्त किया। लेकिन जेल जाने वाले वीरों की पूजा जनता करती थी, उन्हें सम्मान देती थी। ये समाज और देश के गौरव थे। जेल में रहते हुए इन्हें कठोर नियमों का पालन करना होता था। काल कोठरी में निवास सुविधा रहित होता था। ओढ़ने-बिछाने का साधन

सीमित, खाने-पीने की सुविधा मात्र जीने के लिए, जेल के बाहर से परिवार-रिश्तेदार द्वारा भेजा हुआ खाना की कई स्तर से जाँच, आदि के बाद भी सहनशीलता से रहना होता था। उपद्रव करने पर कठोर दण्ड दिया जाता था। बहुधा ऐसे भी होते थे, जो क्रोध- आवेश में आकर झगड़ाकर बैठते थे, किन्तु अनेक राज नेताओं में लालबहादुर भी एक ऐसे आन्दोलनकारी कैदी थे जो जेल के नियमों का पालन करते थे। यहाँ तक कि उनके आचरण पर जेल के अधिकारियों को उनकी प्रशंसा करनी पड़ती थी।

लाल बहादुर शास्त्री प्रथम बार जेल 19 दिसम्बर 1930 ई. को भेजे गये। जब उन्होंने सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय सभा करने, जुलूस निकालने तथा किसानों को लगान देने से मना किया। इसी समय शास्त्री पर रुपया पचास का जुर्माना किया था। किन्तु जुर्माना देने से अस्वीकार करने के कारण कारावास की अवधि छः माह और बढ़ा दी गयी। लाल बहादुर शास्त्री सन् 1930 ई. से 1945 ई. के मध्य लगभग 11 बार जेल गये। शास्त्री को इस अवधि में फैजाबाद, उन्नाव, इलाहाबाद, के निकट मलाका तथा नैनी की जेल में रखा गया। जेल में रहकर लाल बहादुर शास्त्री ने जेल के नियमों का पालन किया। फैजाबाद जेल में जब शास्त्री से मिलने ललिता देवी पहुँची, तब चुपके से जेल के कर्मचारियों से नजरें बचाकर आम साड़ी में छुपाकर ले गयीं और शास्त्री को खाने के लिए दे दिया। इस घटना पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी पत्नी को बुरी तरह डाँटा। उनके अनुसार जेल के नियमानुसार आम उन तक पहुँचना चाहिए न कि चोरी छिपे।

लाल बहादुर शास्त्री जहाँ भी रहे नियम एवं आचरण का पालन करते रहे। सदैव आर्दश कैदी बनकर रहे। जब शास्त्री उन्नाव जेल में थे, तब वहाँ भी कैदी का आदर्श स्वरूप प्रस्तुत किया। जबकि अनेक कैदी के लिए आपस में बात-बात पर लड़ना, खाने पर लड़ना, रात्रि को लालटेन नहीं मिलने पर लड़ बैठना, धूम्रपान के लिए जेल के कर्मचारियों से लड़ बैठना

साधारण बात थी। शास्त्री कैदियों के लड़ने पर उनमें सुलह-समझौता कराते थे। किसी वस्तु की मांग करने, लालटेन की मांग करने पर स्वयं अपने पास से दे देते थे और अपने लिये चिराग से काम चला लेते थें। उसी चिराग से पढ़ाई करते रहते थे। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। साथी कैदियों के बीमार पड़ने पर अपनी ओर से पूरी देखभाल करते थे। बीमार कैदी को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देते थे। ऐसे कार्यो से शास्त्री से सभी लोग प्रभावित थे।

शास्त्री के कैदी जीवन में ऐसी भी घटनाऐं हुई कि उन्हें अनुशासन एवं नियमों का पालन करने पर पीड़ादायिनी कष्टों का सामना करना पड़ा, किन्तु लाल बहादुर शास्त्री कभी भी अपने आचरणों, सिद्धातों से विचलित नहीं हुए।

शास्त्री जब कारावासीय जीवन बिता रहे थे, उसी समय टॉयफाइड का प्रकोप फैला हुआ था। उनकी पुत्री पुष्पा भी इस बीमारी के घेरे में आ गयी। शास्त्री को पैरोल इस शर्त पर छोड़ा जाना तय हुआ कि वह आन्दोलन की गतिविधियों में लिप्त नहीं रहेंगे, अतः उन्होंने शर्त के साथ पैरोल पर जाने से अस्वीकार कर दिया। उनका विचार था कि क्यों न वह अपनी पुत्री को देखने जाय और शांतिपूर्वक जेल वापस आ जाय, किसी भी आन्दोलन के कार्य में भाग न लें किन्तु सशर्त पैरोल पर नहीं जायेंगे। इसी प्रकार बड़े पुत्र की टॉफाईड की बीमारी के समय पैरोल पर जाने के लिए पुनः वही शर्त रखी गयी, शास्त्री ने तुरन्त इन्कार कर दिया। अन्ततः जेल अधिकारियों को झुकना पड़ा, और दोनों बार बिना शर्त पैरोल पर शास्त्री को छोड़ना पड़ा। शास्त्री अनुशासन के पक्के थे, यही कारण था कि जेल अधिकारियों ने उनकी बात को स्वीकार कर लिया। जबकि पैरोल का समय पूरा होने पर वह जेल वापस आ जाते थे, कितना ही कष्ट परिवार के लोगों को या उन्हें क्यों न हो। श्रीमती दमयन्ती लिखती हैं "यह शास्त्री जी के चरित्र का वह उज्जवल

पहलू है, जिसका एक उदाहरण क्रान्तिकारियों को छोड़कर और कहीं नहीं मिलता । यह शास्त्री जी की नैतिकता, सिद्धान्त और दृढ़ता की कानून पर विजय थी।''[18]

शास्त्री जेल में रहते हुए खाली बैठना पसन्द नहीं करते थे। वह प्रतिदिन कार्यों में व्यस्त रहना उचित समझते थे। व्यायाम करना, पढ़ना तथा साथी कैदियों का पूरा ध्यान रखते थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री ने कारावासीय जीवन बिताते हुए अनुशासन में रहने एवं सिद्धान्तों पर अडिग रहने का सफल प्रयास किया। उनके प्रत्येक कार्य दूसरे कैदियों से भिन्न आदर्श कैदी के थे। शास्त्री ने कभी जेल में अनावश्यक मांग नहीं की और न ही किसी प्रकार की रियायत का विचार मन में आया। यही कारण था कि लाल बहादुर शास्त्री के सम्बन्ध जेल अधिकारियों से अच्छे थे।

व. लेखक के रूप मे शास्त्री-

लाल बहादुर शास्त्री छात्र जीवन से ही अध्ययन के प्रति रूचि रखते थे। उन्हें गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा की निकटता प्राप्त थी, अत: उनसे जो भी ग्रंथ प्राप्त होते। उनको पूरा पढ़ते थे तथा महत्वपूर्ण भागों को आत्मसात कर लेते थे। शिक्षा ग्रहण करने के उपरान्त भी यह शौक शास्त्री में बना रहा, अत: आवश्यकतानुसार समय मिलने पर ग्रंथों का अध्ययन करते रहते थे। जब शास्त्री आन्दोलन व राजनीति से जुड़े तो अनेक बार जेल जाना पड़ा। जेल में शास्त्री अध्ययन एवं लेखन कार्य से जुड़ जाते थे। जेल में देर रात तक पुस्तक पढ़ते रहते थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि शास्त्री ने 'अन्ना केरनिना' एक बार में पढ़कर समाप्त किया था। 'भारत छोड़ो आन्दोलन पर अधूरा ग्रंथ लिखा था। जेल में मेडम क्यूरी का अनुवाद किया। शास्त्री का कहना है ''मेरी क्यूरी की जीवनी जो भी पढ़ेगा, प्रभावित होगा और उसका जीवन उसे असाधारण तथा महान प्रतीत होगा।''[19]

लाल बहादुर शास्त्री की लेखन में रूचि यथावत बनी रही, जब कि

उन्होंने मंत्री पद भी प्राप्त कर लिया था। शास्त्री ने 'सामाजिक और सांस्कृतिक नव-निर्माण की आवश्यकता' लेख में भारतीय संस्कृति के सभी पहलूओं पर विचार किया है। 'अपराधः कारण और उपचार' निबन्ध में आपराधिक पृष्ठ भूमि व निराकरण पर लिखा है। इसके अतिरिक्त तिलक जयन्ती सन् 1950 ई. में लेख तैयार कर उनसे सम्बन्धित सभी पहलूओं पर विचार किया। 30 जनवरी सन् 1950 ई. में महात्मा गाँधी के सत्य अहिंसा एवं शान्ति के प्रत्येक पहलू पर विचार किया है। शास्त्री उर्दू के ज्ञाता भी थे और वह बुद्धिजीवियों, लेखकों एवं साहित्यकारों का आदर सत्कार करना अपना कर्तव्य समझते थे। शास्त्री में नैतिक गुणों का समावेश था, जिसे व्यावहारिकता में लाने का प्रयास करते रहते थे। फिर भी शास्त्री पर एक दाग लग ही जाता है । सूर्य कान्त त्रिपाठी निराला की बीमारी की हालत में मृत्यु हो जाती है, तब शास्त्री द्वारा जीवित न मिलने पर नागार्जुन आरोप लगाते हैं। नागार्जुन कहते हैं, ''लाल बहादुर शास्त्री भी अपना शासकीय शान निभा ले गये, जीवित निराला से नहीं मिलने आए। मिले जब कि महाकवि का शरीर मात्र शेष था, प्राण-पखेरु उड़ चुके थे।''[20] लेकिन निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शास्त्री अध्यव-सायी, लेखन के प्रति रूचि रखने वाले, साहित्यकारों का सम्मान करने वाले व्यक्ति थे।

प. विलक्षण चारित्रिक व्यक्तित्व के रूप में शास्त्री-

संसार में चरित्रवान व्यक्ति ही महान होता है। जिसका चरित्र अच्छा होता है, उसका भविष्य उज्जवल होता है। मनुष्य के अन्दर अच्छा चरित्र नैतिकता का बड़ा गुण है। अच्छा चरित्र वाला व्यक्ति सदाचारी, संयमी,ईमानदार,दयालू प्रवृत्ति का होता है। सत्यवादी हरिश्चन्द्र इन्हीं गुणों से पोषित था। अनेक महात्मा भी सदाचरण का पालन करते थे, जिससे उनके व्यक्तितत्व ने ही उन्हें महान बना दिया। कबीर एवं नानक स्वयं आचरण व चरित्र के धनी थे। स्वामी विवेकानन्द, राजा राम मोहन राय, विद्या सागर,

दादा भाई नौरोजी, महात्मा गाँधी जैसे व्यक्ति योग्यता दयालुता तथा सदाचरण से ही महान हुए। अतः कठिन परिश्रम लगन ईमानदारी, उदारता जैसे चारित्रिक लक्ष्णों को कोई भी व्यक्ति अपना कर चलता है तो जीवन में उसे सफलता व महानता प्राप्त होगी। सफलता का रहस्य यहीं है। लाल बहादुर शास्त्री ने भी इन्ही पद चिन्हों पर चलकर सफलता की ऊँचाईयों को छुआ है।

लाल बहादुर शास्त्री जिस सर्वोच्च पद पर पहुँचे, उस स्थान पर पहुँचने पर उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का आकलन किया जाय तथा जिस प्रकार की परिस्थितियां लाल बहादुर ने प्रारम्भ में पायी। उससे ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए उच्च स्थान प्राप्त करना असम्भव यदि नहीं है, तो कठिन जरूर लगता है फिर भी आँधी और तूफान जैसे संकटों से अपनी नाव को नदी पार तक पहुँचा देना, उस साधारण परिवार में जन्मे बालक की महानता का परिचायक है। कम ही ऐसे होते हैं, जो सफल हो पाते हैं जो कष्टों व दुखों में जीवन गुजारते हैं। अधिकांशतः समय की क्रूरता के आगे नतमस्तक हो कर विलुप्त हो जाते हैं। शायद लाल बहादुर शास्त्री अपवाद थे, और बचपन से ही कष्टों एवं कठिनाईयों से खेल रहे थे। उसका कारण था परिवार से अच्छे आचरणों की प्राप्ति होना। गोविन्द प्रसाद श्रीवास्तव लिखते हैं, ''वे एक सामान्य परिवार में जन्मे। उनके पिता शिक्षक थे। अतः आनुवंशिकता में उन्हें अपने पिता से स्वाध्याय, सादगी और सदाचार का जीवन मिला। पिता की इस विरासत का उन्होंने अपने वैयक्तिक जीवन में विकास किया और राष्ट्रीय स्वातंत्रय आन्दोलन में प्रवेश के साथ ही उनके लिए यह उनके सार्वजनिक जीवन की धुरी बन गई।''[21]

लाल बहादुर शास्त्री ने जो परिवार पाया, वह सादगी और सदाचार वाला था। यह गुण महानता के द्योतक होते हैं। पिता पहले शिक्षक एवं बाद को राजस्व विभाग के लिपिक बने किन्तु आचरण सदैव शिक्षक जैसे रहे। शास्त्री की माता भी नियम संयम का पालन करने वाली थीं। इसी वातावरण

ने शास्त्री को आगे बढ़ाया जबकि जीवन कठिनाईयों भरा था। शास्त्री ने अपने परिवार एवं समाज के लोगों से अच्छे आचरण का पाठ सीखा। माली द्वारा बताई हुई बातें भी शास्त्री के लिए प्रेरणादायी साबित हुई। शास्त्री को मौसा रघुनाथ प्रसाद के आचरणों ने अधिक प्रभावित किया, जहाँ रहकर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। माता भी उनके लिए सबसे बड़ी शिक्षक एवं प्रेरणा स्रोत रहीं। शास्त्री का गम्भीर होना उनकी योग्यता का परिचायक है, वह बाल्यकाल से ही गम्भीर थे। गुरू निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्र ने पहचाना था। हरिश्चन्द्र हाई स्कूल बनारस के गुरू निष्कामेश्वर मिश्रा का उल्लेख न करना अनुचित होगा। क्योंकि शास्त्री ने इन्हीं से ही देश भक्ति व देश प्रेम का पाठ सीखा। इस प्रकार शास्त्री के व्यक्तित्व विकास करने एवं उसे निखारने में कई लोगों का योगदान रहा। कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति में उत्कृष्ट गुण छिपे रहते हैं, उन गुणों को प्रकट कर व्यक्ति के सामने रखना, उसे अपनाने की प्रेरणा देना एक बड़ी सफलता होती है। यही कार्य शास्त्री की माता रामदुलारी देवी व गुरू ने किया था।

संयोग की बात यह थी कि जिस विद्यालय में लाल बहादुर शास्त्री शिक्षा ग्रहण करते थे, उसमें अनेक छात्र एवं मित्र ऐसे थे जो शास्त्री की विचारधारा से साम्यता रखते थे, अतः उनसे सम्पर्क तथा मित्रवत व्यवहार होना स्वाभाविक बात थी। त्रिभुवन नारयण सिंह, अलगुराय शास्त्री, सुमंगल प्रकाश राजाराम शास्त्री साथ-साथ सामाजिक कार्यकर्ता आन्दोलनकारी रहे थे। यह सभी मित्र विभन्न आन्दोलनों में भाग लेते रहे। इन सब में उत्कट अभिलाषा थी कि उनका भारत देश ब्रिटिश हुकूमत से मुक्त हो। बन्धुत्व, स्वतन्त्रता, समानता का आचरण इन लोगों में विघमान था।

शास्त्री बचपन से सहनशील, गम्भीर एवं क्रोध को पीने वाले रहे थे। उन्होंने अपने सम्बन्धियों के यहाँ रह कर पढ़ाई की किन्तु कभी भी किसी प्रकार शिकायत नहीं की। जबकि उनके साथ स्त्रियों एवं सम्बन्धियों के

बालकों द्वारा घर के कार्य करने तथा खान-पान को लेकर भेदभाव बरता गया था। शास्त्री इस बात को भली-भाँति जानते थे कि वह दूसरों की दया पर निर्भर हैं। अतः जिस स्थिति में रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वही समय के अनुसार उचित और ठीक है।

शास्त्री ने गरीबी, कठिनाईयां व संकट को निकटता से देखा है। वे भली भाँति जानते थे कि यह सब क्या है। अतः उन्होंने सदैव इस बात काध्यान रखा कि किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की सहायता करना उचित होगा जो विपन्न है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनमें यही बातें सोचकर समाज सेवा की भावना पैदा हो गई। संयोग की बात यह रही कि शास्त्री की इच्छानुसार कार्य करने की सामाजिक संस्था 'दि सर्वेष्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी' मिल गई जिसकी स्थापना 1921 ई. में पंजाब में लाला लाजपत राय ने की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने इस संस्था की सदस्यता ग्रहण कर मुजफ्फरनगर व मेरठ फिर इलाहाबाद में रहकर कमजोर वर्ग की सेवा लगन और मेहनत के साथ की। इस संस्था में सादा जीवन उच्च विचार समाज सेवा तथा प्रारम्भिक दस वर्षों तक राजनीति से अलग रहने जैसी शर्तो का पालन करना होता था, इसी कारण कम लोग ही इसकी सदस्यता ग्रहण करते थे। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं, "सोसाइटी के कठोर नियमों और सदस्यों के उत्तरदायित्वों को देखते हुए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि बहुत कम युवक इसकी सदस्यता पाने को इच्छुक थे।"[22]

शास्त्री पर पारिवारिक बोझ सर्वाधिक रहा था। फिर भी उनका वैवाहिक जीवन सफल माना जा सकता है। आर्थिक साधन सीमित थे, आमदनी के स्त्रोत अधिक नहीं थे। परिवार में पत्नी, माता बच्चे एवं सगे-सम्बन्धियों का आये दिन बना रहना, विशेष रूप से बहिनों का बना रहना, मित्रों का ठहरना आना-जाना लगा रहता था। इस सब के उपरान्त साधन सीमित होते हुए पत्नी ललिता देवी ने गृहस्थी को चलाया। स्वयं कभी

इच्छाओं व कामनाओं पर ध्यान नहीं दिया। ऐसा भी समय आया कि आन्दोलन रत रहने के कारण शास्त्री लगातार जेल गये, बीमार भी हुए तो धन अर्जित करने का साधन भी नहीं, ऐसी परिस्थितियों में ललिता देवी ने पत्नी के दायित्व का निर्वाह किया, बहू, माता एवं ननद का दायित्व को पूरा किया।

किसी भी व्यक्ति पर किसी आदर्श पुरूष अथवा महापुरूष की छाप होती है। यही स्थिति लाल बहादुर शास्त्री की थी। शास्त्री पर महात्मा गाँधी के विचारों का सर्वाधिक प्रभाव था। शास्त्री छात्र जीवन से ही महात्मा गाँधी के भाषणों से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। यही कारण था कि असहयोग आन्दोलन हेतु महात्मा गाँधी द्वारा किये गये आहवान पर शास्त्री ने विद्यालय का बहिष्कार किया था। सक्रिय योगदान शास्त्री का सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय रहा। उन्होंने गाँव-गाँव भ्रमण कर लोगों को जागृत किया। जेल भी गये, यातानाऐं भी भोगी। भारत छोड़ो आन्दोलन के समय बम्बई कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर देश प्रेम का पक्का सबूत दिया। भूमिगत रहकर आन्दोलन को गति प्रदान की। शास्त्री अपने भाषण सरल ढंग से प्रस्तुत करते थे जिससे श्रोता प्रभावित हो सके। उनमें जोशीले एवं भड़काने वाली भाषा नहीं पायी जाती।

लाल बहादुर शास्त्री की विशेषता थी कार्य को प्राथमिकता देना तथा ईमानदारी से करना। क्यों न देर रात तक परिश्रम के साथ कार्य करना पड़े। प्रत्येक कार्य की समस्या एवं निदान हेतु गम्भीरता से विचार करते तथा गहन चिन्तन के बाद निर्णय लेते थे। यही कारण था कि वह निचले स्तर से बढ़ते हुए उच्च पद तक पहुँचे। उन्हें सन् 1930 ई. में जिला स्तर का कांग्रेस का साधारण पद प्राप्त हुआ था किन्तु शास्त्री के अथक परिश्रम से 1935 ई. में कांग्रेस का प्रान्तीय महासचिव पद मिला तो एक वर्ष बाद 1936 ई. में भूमि एवं जमींदारी व्यवस्था में सुधार हेतु समिति का संयोजक बनाया

गया। अभी एक दशक बीता होगा कि उनकी कार्य के प्रति रूचि, कर्मठता तथा ईमानदारी को देखते हुए संयुक्त प्रान्त के मंत्रिमण्डल में स्थान मिल गया। देश के स्वतन्त्र होने के पश्चात प्रथम आम चुनाव के समय जवाहर लाल नेहरू का केन्द्र में आमन्त्रण आ गया। इसके बाद अपनी कार्य शैली से आगे बढ़ते गये। गहन विचार तथा दोनों पक्ष को सुनकर निर्णय लेना उनकी विशेषता थी। सी.बी.आई. जैसी गुप्तचर संस्था के निर्माण में लाल बहादुर शास्त्री की विशेष भूमिका रही। के. विक्रम राव लिखते हैं, "सी.बी. आई. की स्थापना की पृष्ठ भूमि में अरसे तक चिन्तन और मंथन हुआ है। जवाहर लाल नेहरू के दो गृहमंत्रियों गोविन्द बल्लभ पन्त तथा लाल बहादुर शास्त्री का योगदान रहा है।"[23] एक बार शास्त्री के साथ ऐसी भी घटना हुई कि जब वह पुलिस मंत्री थे तब छात्र आन्दोलन को लेकर पुलिस के साथ झड़प हो गई, पथराव भी छात्र की तरफ से हुए किन्तु शास्त्री ने पुलिस को अनुमति लाठीचार्ज करने की नहीं दी। परिणाम पुलिस के जवान घायल हुए और अस्पताल में भर्ती हुए। लाल बहादुर शास्त्री सिपाहियों को देखने अस्पताल पहुँचे तो उन्हें देख कर बड़ी पीड़ा हुई किन्तु चुप रहे। वर्षों बाद संसद में इस पर बयान देते हुए कहा था कि मुझे उस घटना से बेहद कष्ट हुआ था लेकिन छात्रों के खिलाफ लाठी चार्ज का निर्णय न लेना उनकी मजबूरी थी। सम्भवतः शास्त्री इस परिणाम को जानते थे कि छात्रों पर पुलिस की लाठी पड़ने का बुरा प्रभाव पड़ सकता था। छात्र घायल तो होते ही उसमें कई छात्र की मृत्यु भी हो सकती थी, साथ ही शास्त्री को ब्रिटिश हुकूमत द्वारा किया गया उत्पीड़न भी याद था। लाल बहादुर शास्त्री कभी-कभी साधारण वेश-भूषा में थाने रिपोर्ट लिखाने पहुँच जाते थे। जिससे यह ज्ञात हो सके कि साधारण गरीब जनता की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज एवं उस पर कार्यवाही होती है या नहीं। इस प्रकार का नियम आज भी है कि उच्च पुलिस अधिकारी विभिन्न जनपदों में गोपनीय ढंग से प्राथमिकी दर्ज कराते

हैं, इस तरह की प्राथमिकी 'परीक्षण प्राथमिकी' कहलाती है।

लाल बहादुर शास्त्री ने लेखन उन बिन्दुओं पर किया था जिनका अनुभव अपने जीवन में किया था और समाज तथा देश में वह कमियां दिखाई देती थीं। उनमें आवश्यक सुधार करना भी उचित था। शास्त्री ने समाजवादी समाज की स्थापना तथा साम्प्रदायिकता समाप्ति के लिए अहिंसा का मार्ग बताया। जात-पांत, प्रान्तवाद अशिक्षा, गरीबी, अपराध समाप्त करने वाले लेख लिखे तो दूसरी और राष्ट्रीयता, मानव धर्म, नागरिकता, तिलक तथा महात्मा गाँधी पर महत्वपूर्ण विचार व्यक्त किये। शास्त्री गम्भीर एवं गहन चिन्तन वाले व्यक्ति थे, इसीलिए उनके लेख में अन्तः प्रेरणा, संस्कृति एवं मर्यादा से जुड़ी बातें दिखायी देती हैं। लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तितत्व के बारे में हरिराम मित्तल लिखते हैं, ''शास्त्री जी स्वभाव से संकोची, शान्त, गम्भीर तथा मृदुल स्वभाव के थे। जीवन में संयम और मर्यादा को उन्होंने सदैव पहला स्थान दिया।''[24]

लाल बहादुर शास्त्री ने साधारण, सभ्य, सुसंस्कृत परिवार में जन्म लिया। उत्तम पैत्रक गुणों को अपनाया, और उसी रास्ते पर चल पड़े। संघार्ष, कठिनाईयां, कष्ट, जेल, यातनाऐं सब कुछ मिला किन्तु कभी निराशा व हताशा को पास फटकने नहीं दिया और न ही अपना बढ़ाया हुआ कदम वापस लिया। माता राम दुलारी देवी से प्राप्त दृढ़ता एवं पिता से प्राप्त ईमानदारी को सदैव अपने साथ रखा। बढ़ते गये, शिक्षा प्राप्त की , सामाजिक सेवा की, आन्दोलन में भाग लिया, जेल गये, महत्वपूर्ण पद प्राप्त किये, मंत्री पद प्राप्त किया, देश स्वतन्त्र हुआ, केन्द्र सरकार में स्थान पाया, ईमानदारी, लगन तथा कर्मठता के साथ देश सेवा-जन सेवा की, आचरण एवं सिद्धान्त के पक्के समाजवादी विचारधारा, गरीबों के हितैषी, किसानों के हमदर्द, स्वच्छ छवि ऐसी कि सदन में विरोधी नेता द्वारा शास्त्री पर आरोप लगाना बड़े संकट को बुलावा देना तो था ही साथ ही उसे लज्जित होकर अपना आरोप वापस

लेना पड़ता था। बोलने में नम्र, क्रोध को पीने वाले, समन्यवादी दृष्टिकोण, तटस्थवादी सिद्धान्त, स्वाभिमानी आदि अनेक गुणों से पूर्ण विलक्षण प्रतिभा वाले व्यक्ति के रूप में लाल बहादुर शास्त्री देश व विश्व के पटल पर उभर कर आये। ऐसा व्यक्ति सदैव दर्पण की भाँति लोगों को ईमानदारी, कर्मठता तथा अन्य दृष्टि से प्रेरणा देने वाला साबित होगा। जबकि वर्तमान में राजनीति, समाज तथा विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्ट आचरण एवं वातावरण व्याप्त है। अनिल शास्त्री लिखते हैं, ''शास्त्री जी एक मध्यम परिवार में जन्म लेकर अथक परिश्रम, लगन, निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी और नैतिकता के बल पर जिस बुलन्दी पर पहुँचे, वह सदैव अनुकरणीय रहेगा।''[25]

जीवन भर संघर्ष करने वाले व्यक्ति का अन्त संघर्ष करते हुए ही हुआ। जो छोटे कद वाला व्यक्ति था किन्तु सम्मान व पद बड़ा, आचरण एवं सिद्धान्त पहाड़ की चोटी की तरह था। डी. आर. मनकेकर लिखते हैं,'इतना शानदार जीवन जिससे अपने राष्ट्र के लिये और स्वयं अपने लिये भी बड़ी आशाऐं थीं, ताशकंद में सहसा समाप्त हो गया।''[26]

10 जनवरी 1966 की शाम को लालबहादुर शास्त्री नें' ताशकंद समझौता' संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। रात दस बजे शास्त्री ने पुत्री कुसुम से बात की किन्तु टेलीफोन लाइन गड़बड़ी होने के कारण पत्नी ललिता देवी से बात नहीं हो सकी । उससे पहले पुत्र हरि कृष्ण से बात हो गई थी। अचानक एक बजे रात टेलीफोन की घंटी बजी, हरि कृष्ण ने फोन उठाया। ज्ञात हुआ कि शास्त्री की तबियत खराब हो गई है। थोड़ी देर बाद पुनः टेलीफोन पर सूचना मिली कि लाल बहादुर शास्त्री का देहावसान हो गया है। परिवार की स्थिति चिंतनीय व दयनीय हो गई । किसी भी पक्ष की तरफ से विचार शून्यता थी कि शास्त्री के साथ अचानक ऐसी घटना होगी। राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन को भी तुरन्त सूचना दी गई वह उस समय सो रहे थे। प्रमजोत कौर लिखती हैं,''समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए

लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गये । वहाँ से वह जीवित वापस न आए । वहीं उन्होंने प्राण त्याग दिये। रात का समय था। राष्ट्रपति सोए हुए थे, जब खबर आयी । अब उन्हें कौन जगाए । ऐसी खबर सुन कर यदि उनका दम निकल जाए तो ?...........उनका पुत्र एस. गोपाल उनके सामने खड़ा था और पैरों की ओर नरेन्द्र पाल । धीरे-धीरे नरेन्द्र पाल ने उनके पैरों को स्पर्श किया। धीरे-धीरे गोपाल ने उन्हें पुकारा.........फादर राष्ट्रपति जाग गए । खबर सुन ली । उठकर खड़े हो गए और भावी गति-विधियों के लिए तैयार हो गये।''[27]

लाल बहादुर शास्त्री के दो पुत्र सुनील शास्त्री और अशोक शास्त्री कम उम्र के थे। अशोक शास्त्री ने अपनी शिक्षा पूरी की और बैंक में नौकरी कर ली। शास्त्री के कार्यों का मूल्यांकन भी हुआ। परिणामस्वरूप लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरान्त भारत रत्न पुरुस्कार दिया गया। यह पुरूस्कार 26 जनवरी 1967 ई. को राष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉ. राधा कृष्णन से हरि कृष्ण शास्त्री ने प्राप्त किया। ललिता शास्त्री का भी निधन 13 अप्रैल 1993 ई. में हो गया यह सत्य है कि भारत में एक से बढ़कर एक महान विभूतियों ने जन्म लिया है किन्तु लाल बहादुर शास्त्री जैसी विलक्षण प्रतिमा वाला चरित्र का धनी व्यक्ति आसमान का तारा की भाँति समाज एवं देश में आलोकित होता रहेगा।

संदर्भ ग्रंथ

1. मनकेकर, डी.आर., – 'लालबहादुर शास्त्री, अनु. अखिलेश मिश्र, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1996 पृष्ठ–11
2. शास्त्री, सुनील, – 'धरती का लाल, संपादक. यशपाल जैन, श्री लालबहादुर शास्त्री सेवा निकेतन, फतेहपुर शाखा, 1, मोतीलाल नेहरू, प्लेस, द्वितीय संस्करण, 1988. पृष्ठ–289
3. हुसैन, डॉ॰ जाकिर, – 'धरती का लाल' पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–25
4. रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – 'लालबहादुर शास्त्री, किरण प्रकाशन, 37 दरियागंज दिल्ली, प्रथम संस्करण 1964, पृष्ठ–46 ।
5. प्रसाद, राजेन्द्र, – 'धरती का लाल' पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–23
6. मित्तल, हरिराम, – 'लालबहादुर शास्त्री',व्यक्ति और विचार सं.एस.के. पाठक व जी0पी0 श्रीवास्तव, एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली, 1996 पृष्ठ–12
7. द्विवेदी, मन्नूलाल, – 'लालबहादुर शास्त्री- व्यक्ति और विचार, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–22
8. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–23
9. व्यास, सुनीत, – 'कर्म में आकाशीय उंचाईयां रखते थे शास्त्री जी, वर्ष 3 अंक 288, 1 अक्टूबर 1998 न्यूजलीड, समाचार पत्र दैनिक, इलाहाबाद

10. शास्त्री, लाल बहादुर, – 'लालबहादुर शास्त्री, व्यक्ति और विचार, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–85

11. मनकेकर, डी॰ आर॰, – ~~डी.आर~~, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–45

12. वही, – पृष्ठ–101

13. तरूण, सुरेन्द्र मोहन, – 'लालबहादुर शास्त्री, व्यक्ति और विचार, पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–40

14. वही, पृष्ठ–41

15. मनकेकर, डी.आर॰, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–23

16. श्रीवास्तव, गोविन्द प्रसाद, – लालबहादुर शास्त्री, व्यक्ति और विचार पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–62

17. तरूण, सुरेन्द्र मोहन, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–40

18. श्रीमती दमयन्ती, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–37

19. पाठक, एस.के. व श्रीवास्तव, जी.पी., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ-107–108

20. नागार्जुन, – 'रविवासरीय, अमर उजाला, दैनिक कानपुर 10 अक्टूबर 1999

21. श्रीवास्तव, गोविन्द प्रसाद, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–53

22. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–44

23. विक्रमराव, के., – 'सियासी साये तले सी.बी.आई. की साख गिरी है, राष्ट्रीय सहारा, दैनिक समाचार पत्र रविवार, 19 दिसम्बर 1999

24. मित्तल, हरिराम, – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–12

25. शास्त्री, अनिल, – पत्र, सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी 24, अकबर रोड, नयी दिल्ली, 110011, दिनांक 14.6.99

26. मनकेकर, डी.आर., – पूर्वोद्धृत, पृष्ठ–225

27. कौर, प्रभजोत, – 'जीना भी एक कला है' अनु0 कुलदीप अविनाश भंडारी, दैनिक पंजाब केसरी, दिल्ली, समाचार पत्र 7.11.99

नवम अध्याय

परिशिष्टि

1. शास्त्री के सम्बन्ध में विचार
2. शास्त्री के कथन
3. महत्वपूर्ण तिथियां
4. वंश–वृक्ष

शास्त्री के सम्बन्ध में विचार-

उनका रहन-सहन सच्चे भारतीय का जीवन है। - डॉ. राजेन्द्र प्रसाद

विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने समय के सदुपयोग को समझ लिया था। - डॉ. जाकिर हुसैन

बाबू जी अपना पैर उतना ही फैलाना पसन्द करते थे। जितनी बड़ी चादर हो। - सुमन, शास्त्री की छोटी पुत्री।

खेल उनके विचार से राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के लिए महत्वपूर्ण साधन था। - सुनील शास्त्री

धन के पीछे मत दौड़ो, ईमानदार और मेहनती बनो, कठिन परिश्रम भी पूजा है। - लालबहादुर शास्त्री

वे कभी अपना महत्व जताने का प्रयत्न नहीं करते थे, - मन्नू लाल द्विवेदी, संसद सदस्य

वे किसी नाजायज या अन्यायपूर्ण बात को सहन नहीं करते थे। - डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन

उच्चतम व्यक्तित्व वाले निरन्तर सजग और कठोर श्रमशील व्यक्ति का नाम है लालबहादुर शास्त्री। - जवाहर लाल नेहरू

इतिहास में शास्त्री जी का नाम एक ईमानदार शान्ति स्थापक के रूप में याद किया जायेगा। - कन्हैयालाल मानिक लाल मुंशी

शास्त्री जी बड़े दृढ़ संकल्प के आदमी थे, उन्होंने अपना सम्पूर्ण जीवन देश सेवा में लगाया। - इन्दिरा गाँधी

उनकी राजनीतिक सूझ-बूझ और ईमानदारी को सदा महत्व दिया जायेगा। - ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरल्ड विल्सन

शास्त्री इस युग के महान व्यक्तियों में गिने जायेंगे। - रूस के प्रधानमंत्री कोसीगिन

मैं उन्हें अच्छा इन्सान मानता था। वे शान्ति के ईमानदार पुजारी थे। - राष्ट्रपति मार्शल टीटो

शास्त्री के कथन

- राष्ट्रीयता का अर्थ है देश के प्रति लगाव व निष्ठा।
- साम्प्रदायिकता के रोग का निदान करने के लिए हमें पुराने इतिहास को दृष्टिगत करना होगा।
- कारागारों का सुधार अत्यन्त आवश्यक है। सुधारवादी जेलों में खतरा कम होगा और भविष्य में होने वाले अपराधों की संख्या कम होगी।
- मस्तिष्क की थोड़ी सी शान्ति और प्रत्येक दिशाओं में जीत प्राप्त करने की तीव्र इच्छा मानव को अधिक चुस्त और सम्भवतः अधिक चंचल भी बनाती है।
- लड़ाई से समस्याएं कभी सुलझती नहीं है, समझौते में बाधा डालती हैं। यदि लड़ना ही है तो हम गरीबी, बीमारी और अभाव से लड़ें।
- शान्ति के वातावरण में आपसी बड़े मतभेद दूर किये जा सकते हैं।
- हमें दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिये।
- संकट के समय जब जवान अपना खून बहाता है तब किसान अपनी मेहनत और पसीना देता है।
- जो लोग मुझसे सचमुच प्रेम करते हैं, वह आई मुसीबत को मुस्कराकर झेलें न कि गवारों की तरह छाती पीटें।
- मेहमान का स्वागत करना तथा उन्हें आराम देना हमारा धर्म है।
- उधार लेकर खरीदना उचित नहीं, यदि हमारे पास पैसा न हो तो बिना कुछ खरीदे हमें सन्तुष्ट रहना चाहियें।
- भारत को व्यावहारिक समाजवाद की जरूरत है।

महत्वपूर्ण तिथियां

1883 ई0	रामदुलारी देवी का जन्म
2.10.1904 ई0	लाल बहादुर शास्त्री का जन्म
14.01.1905 ई0	मकर संक्रान्ति पर्व में लाल बहादुर का गंगा में खो जाना
1906 ई0	शारदा प्रसाद का निधन
1908 ई0	हजारी लाल का निधन
1911 ई0	लालमणि का जन्म
1916 ई0	कक्षा 7 में हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में लालबहादुर का प्रवेश
1921 ई0	लाल बहादुर का गया कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेना
1926 ई0	काशी विद्यापीठ बनारस से शास्त्री उपाधि लाल बहादुर को प्राप्त
1926 ई0	दि सर्वेण्टस आफ दि पीपुल सोसाइटी में सदस्यता लाल बहादुर द्वारा ग्रहण करना
1927-28 ई0	लाल बहादुर शास्त्री द्वारा मुजफ्फरनगर व मेरठ में दलित व गरीबों की सेवा करना
9.5.1928 ई0	लाल बहादुर शास्त्री का तिलक
16.5.1928 ई0	शास्त्री का विवाह लालमणि के साथ मिर्जापुर में
1929 ई0	लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेना
1930 ई0	इलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी के सचिव शास्त्री
1930 ई0	शास्त्री का सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेना
1930 ई0	ललिता देवी का सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लेना

19.12.1930 ई0	प्रथम बार शास्त्री की जेल यात्रा
10.12.1931ई0	फैजाबाद जेल से रिहा
2.1.1932 ई0	शास्त्री को पुनः कारावास
29.12.1932 ई0	फैजाबाद जेल से रिहा
1935-38 ई0	शास्त्री उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रान्तीय महासचिव
27.1.1936-26.1.1942 ई0	शास्त्री नगर विकास मंडल के सदस्य
1936-37 ई0	शास्त्री द्वारा बजट भाषण एवं हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना परनगरपालिका को सहमति प्रदान करना।
21.2.1938 ई0	शास्त्री के पुत्र हरिकृष्ण का इलाहाबाद में जन्म
1941 ई0	पुत्री पुष्पा का देहान्त
9.8.1941 ई0	व्यक्तिगत सत्याग्रह में शास्त्री इलाहाबाद में गिरफ्तार
2.12.1941 ई0	पुत्री पुष्पा की मृत्यु पर दुःखी परिवार को सान्तवना प्रदान करने हेतु हरि को सम्बोधित कर लिखा पत्र।
1942 ई0	भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेना
1942 ई0	पुत्र हरिकृष्ण का टायफाइड से सख्त बीमार पड़ना
1942 ई0	इलाहाबाद घंटाघर में शास्त्री का भाषण एवं गिरफ्तार
1943 ई0	ललिता देवी क्षय रोग से पीड़ित
1945 ई0	शास्त्री जेल से रिहा
1948 ई0	लखनऊ में अनिल शास्त्री का जन्म
नवम्बर 1956 ई0	अरियालूर रेल दुर्घटना 144 यात्रियों की मृत्यु होने पर शास्त्री का रेलमंत्री पद से त्याग पत्र

25.12.1964 ई0	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से डाक्टर आफ लॉ की उपाधि से सम्मानित शास्त्री
5.12.1965 ई0	रूड़की विश्वविद्यालय रूड़की से डाक्टर आफ इन्जीनियरिंग की उपाधि से सम्मानित शास्त्री
11.1.1966 ई0	लालबहादुर शास्त्री का ताशकंद में देहावसान
13.4.1993 ई0	ललिता देवी का देहावसान

वंश-वृक्ष

खेदूलाल
जयगोविन्द
काशीप्रसाद
ब्रजमोहन प्रसाद
अयोध्या प्रसाद
जागेश्वर प्रसाद
कौलेश्वर प्रसाद
लाल जी
बाबूनन्दन लाल
(प्रथम पत्नी)
शिवनन्दनलाल
रघुनन्दन लाल
मथुराप्रसाद
सत्यनारायण
जगत नारायण
किशोरीलाल
कालीप्रसाद
लल्ला देवी
मायादेवी
शारदाप्रसाद
लालताप्रसाद
रामप्रसाद
दूसरी पत्नी (बाबू नन्दन लाल)
देवी प्रसाद
राजेन्द्र प्रसाद
बालेश्वर प्रसाद
दयाल शरण
सतगुरूप्रसाद
कैलाशपति (पुत्री)
लालबहादुर शास्त्री
सुन्दरी देवी (पुत्री)
कुसुम (स्व.) पुत्री
सुमन (पुत्री)
हरिकृष्ण शास्त्री
अनिल शास्त्री
सुनील शास्त्री
अशोक शास्त्री
नीरजामाला (पुत्री)
संजय
विभाकर
आदर्श
विनम्र
महिमा (पुत्री)
बालेश्वर
वनिता (पुत्री)
दिवाकर
लगन
वैभव
मन्दिरा (पुत्री)
बालेश्वर
सिद्धार्थ
मुदित
विशाल
समीप

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अग्रवाल, आर.सी., – 'भारतीय संवधिान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन' एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर नई दिल्ली, 1989 ।

अहलूवालिया, शशि, – 'फाउन्डर आफ न्यू इण्डिया' एस.चन्द्र एण्ड कम्पनी लि. रामनगर नई दिल्ली, 1991 ।

अंतोनोकी, को.अ.,वोमर्द–लेविन, ग्रि.क., कोतोब्स्की, ग्रि.ग्रि., – 'भारत का इतिहास' मास्को प्रगति प्रकाशन, पीपुल पब्लिशिंग हाऊस (प्रा.)लि. नई दिल्ली, 1966 ।

भार्गव, जी.एस., – 'आफ्टर नेहरू इण्डियाज न्यू इमेज' एलायड पब्लिशर्स, दिल्ली, 1966 ।

विपिन चन्द्र, – 'भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष' हिन्दी माध्यम कार्यान्वियन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1998 ।

विपिन चन्द्र, वरुणडे, त्रिपाठी, अमलेश, – 'फ्रीडम स्ट्रगल' नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली 1972 ।

बोस, निमाई सदन, – 'इण्डियन नेशनल मूवमेण्ट एन आउट लाइन' फर्मा के एल एम, प्राईवेट लि., कलकत्ता, तृतीय संस्करण, 1982 ।

ब्रीचर, मिकाइल, – 'सक्सेशन इन इंडिया–स्टडी इन डिसीजन मेकिंग' आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, मुम्बई, 1966 ।

छाबड़ा, जी.एस., – 'आधुनिक भारतीय इतिहास, 1813–1919'

स्टर्लिंग पब्लिशिंग प्रा.लि., नई दिल्ली, 1985 ।

चोपड़ा, पी.एन., – 'द गजेटियर आफ इंडिया' इंडियन यूनियन वाल्यूम–2, हिस्टी एण्ड कल्चर, गजेटियर यूनिट, डिपार्टमेण्ट आफ कल्चर, मिनिस्ट्री आफ एजूकेशन एण्ड सोशल वेलफेयर, दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, नवम्बर 1992 ।

चोपड़ा, पी.एन., – 'क्वाइट इंडिया मूवमेंट' प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1998 ।

चोपड़ा, पी.एन., पुरी, बी.एन., दास, एम.एन., – 'भारत का सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास–आधुनिक भारत' खण्ड–3 मेक्मिलन इंडिया लि., मद्रास, प्रथम संस्करण, 1994 ।

डॉडवेल, एच.एच., – 'दि केम्ब्रिज शार्टर हिस्ट्री आफ इंडिया' (1919–1968) एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि. , नई दिल्ली, 1979 ।

ग्रोवर, बी.एल., यशपाल, – 'आधुनिक भारत का इतिहास' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि. रामनगर नई दिल्ली, 14वां संस्करण, 1999 ।

गुजराती, बी.एस., – 'ए स्टडी आफ लाल बहादुर शास्त्री' स्टर्लिंग पब्लिशर्स, जालन्धर, 1965 ।

गुप्ता, दुर्गा प्रसाद, – 'स्वतन्त्रता संग्राम' एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली ।

हार्डग्रेव, आर.एल., – 'द कांग्रेस इन इंडिया-क्राइसिस एण्ड स्पिलिट' एशियन सर्वे, वाल्यूम-10, मार्च 1970 ।

जैन, पुखराज, – 'स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' (1885-1947) एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1988 ।

जैन, पुखराज, – 'भारतीय प्रधानमंत्री' साहित्य भवन, हास्पीटल रोड, आगरा, 1981 ।

जैन, यशपाल, – 'धरती का लाल' श्री लाल बहादुर शास्त्री सेवा निकेतन फतेहपुर शाखा, 1 मोती लाल नेहरू प्लेस, नई दिल्ली, द्वितीय संस्करण, 1998 ।

जोशी, नवीन, – 'फ्रीडम फाइटर्स रिमेम्बर' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1998 ।

खां, मसूद अहमद, – 'स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' किताब घर, दरियागंज, नई दिल्ली, संस्करण, 1990 ।

लाल, सुन्दर, – 'भारत में अंग्रेजी राज' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली, चतुर्थ संस्करण, 1982 ।

लो, डी.ए., – 'कांग्रेस एण्ड द राज' (1917-1947) पी.सी. आस्ट्रेलियन नेशनल, यूनिवर्सिटी।

महाजन, वी.डी., – 'भारत का सांविधानिक इतिहास और

राष्ट्रीय आन्दोलन' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1989 ।

महाजन, वी.डी., – 'हिस्ट्री आफ माडर्न इण्डिया'(1919–1974) एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1983 ।

महाजन, वी.डी., – 'ब्रिटिश रूल इन इण्डिया एण्ड आफ्टर' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1978 ।

मजूमदार, आर.सी., राय, चौधरी, एच.सी., दत्त, के.के., – 'भारत का वृहत इतिहास–आधुनिक भारत' खण्ड–3, मेक्मिलन इंडिया लि. मद्रास, तृतीय संस्करण, 1990 ।

मजूमदार, आर.सी., – 'हिस्ट्री आफ द फ्रीडम मूवमेण्ट इन इंडिया' फर्मा के एल एम प्रा.लि., कलकत्ता, 1988 ।

मनकेकर, डी.आर., – 'लाल बहादुर शास्त्री' प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1996 ।

मनकेकर, डी.आर., – 'लाल बहादुर–ए पोलिटिकल बायोग्राफी' बाम्बे पापुलर प्रकाशन, 1964 ।

मेनन, विशालाक्षी, – 'द इण्डियन नेशनल कांग्रेस एण्ड मास मोबीलाइजेशन' ए स्टडी आफ यू.पी. 1937–39 स्टडीज इन हिस्ट्री, नई दिल्ली, वाल्यूम–2 नं.2, जुलाई-दिसम्बर 1980 ।

मिश्रा, सलिल, – 'स्वराज्य पाटी' नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया,

नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1997 ।

मित्तल, ए.के., – 'भारतीय इतिहास' साहितय पब्लिकेशन, आगरा, 1997 ।

मुखर्जी, जी.के., – हिस्ट्री आफ इंडियन नेशनल कांग्रेस' (1832–1947) मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ 1984 ।

नैयर, कुलदीप, – 'इण्डिया आफ्टर नेहरू' दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1975 ।

नेहरू, जवाहर लाल, – 'एन आटो बॉयोग्राफी' ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली, तृतीय संस्करण, 1982।

पाण्डेय, ए.पी., – 'इम्मोर्टल माटीर शास्त्री जी' भोला प्रकाशन, वाराणसी, 1966 ।

पाण्डेय, बी.एन., – 'ए सेन्टनरी हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस' (1935–1947) विकास पब्लिशिंग हाउस एवं ए.आई.सी.सी. (आई) संयुक्त प्रकाशन, नई दिल्ली, 1985 ।

पाण्डेय, धनपति, – 'आधुनिक भारत का इतिहास' मीनाक्षी प्रकाशन, नई दिल्ली, 1988 ।

पाण्डेय, सुधाकर, – 'गोविन्द बल्लभ पन्त' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, अगस्त, 1987 ।

पाठक, एस.के., श्रीवास्तव, जी.पी., – 'लाल बहादुर शास्त्री व्यक्ति और विचार'एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1996 ।

प्रसाद, ईश्वरी, – 'अर्वाचीन भारत का इतिहास'

(1740–1974) इण्डियन प्रेस (पब्लिकेशन) प्रा.लि., इलाहाबाद, 1991 ।

प्रसाद, एल., – 'आधुनिक भारत' (1757–1947) अर्चना पब्लिकेशन प्रा.लि. नई दिल्ली, 1985 ।

रस्तोगी, एम.के., – 'पं. गोविन्द बल्लभ पन्त' ज्ञानोदय प्रकाशन, नैनीताल, 1987 ।

रतूड़ी, वीरेन्द्र मोहन, – 'लाल बहादुर शास्त्री' किरण प्रकाशन, 37–दरियागंज नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1964 ।

रेड्डी, के.के., – 'भारतीय इतिहास' जवाहर लाल पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स, नई दिल्ली, 1997 ।

रॉबटर्स, पी.ई., – 'ब्रिटिश कालीन भारत का इतिहास' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1974 ।

रॉय, एम.पी., जैन, शशि, के., – 'भारतीय राष्ट्रवादी आन्दोलन' (सरकार एवं राजनीति) कालेज बुक डिपो जयपुर

साहनी, जे.एन., – 'द लिड आफ–फिफ्टी इयर्स आफ इण्डियन पोलिटिक्स' (1921–1971) दिल्ली एलायड पब्लिशर्स, दिल्ली, 1971 ।

साहनी, पी.आर., – 'आधुनिक भारतीय संस्कृति का इतिहास' प्रकाशन बुक डिपो, बरेली, द्वितीय संस्करण, 1992 ।

सैफी, सी.एम., – 'श्री लाल बहादुर शास्त्री बर्थ डे' एम. एस., एस.सी.गोय, के.एम.एन. मल्होत्रा

प्रा.लि. कनाट सर्कस, नई दिल्ली, 1964।

सरकार, सुमित, – 'आधुनिक भारत' (1885–1947) राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1992 ।

शर्मा, जगदीश शरण, – 'भारत का स्वतन्त्रता संघर्ष' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1992 ।

शर्मा, जगदीश शरण, – 'इण्डिया सिन्स द एडवेन्ट ऑफ द ब्रिटिश' (1600–अक्टू.2,1969) एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1979 ।

शर्मा, एल.पी., – 'आधुनिक भारतीय संस्कृति' लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, द्वितीय संस्करण,1984–85।

सक्सेना, चन्द्र कुमार, – 'आधुनिक भारत' जवाहर पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स 62/2, बरसराय, निकट जे. एन.यू. नई दिल्ली, 1991 ।

सीकरी, एस.एल., – 'भारत का संवैधानिक इतिहास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन' नगीन एण्ड संस कम्पनी लि. जालन्धर, द्वितीय संस्करण, 1969 ।

सिंह, अयोध्या, – 'भारत का मुक्ति संग्राम' प्रकाशन विभाग सूचना और प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली, 1977 ।

सिंह, जितेन्द्र प्रसाद, – 'लाल बहादुर शास्त्री जीवन और दर्शन' प्रगति प्रकाशन आगरा, 1965 ।

सिंह, के.एन., – 'भारतीय स्वातान्त्रय आन्दोलन में उत्तर प्रदेश का योगदान' (1920-1947) विशाल प्रकाशन, वाराणसी, 1992 ।

सीतारमैया, पट्टाभि, – 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1978 ।

शुक्ल, रामलखन, – 'आधुनिक भारत का इतिहास' हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1990 ।

सुरेश, – 'लाल बहादुर शास्त्री' हेमन्त पाकेट बुक्स, नई दिल्ली, 1969 ।

ताराचन्द, – 'भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास' प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, 1979।

ठाकुर जनार्दन, – 'आल द प्राइम मिनिस्टर्स' दिल्ली विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1977 ।

त्रिवेदी, विपिन बिहारी, – 'उत्तर-प्रदेश साहित्य संस्कृति कला' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1987 ।

यादव, जे.एन.एस., – 'लाल बहादुर शास्त्री' दिल्ली हरियाणा प्रकाशन, दिल्ली, 1971 ।

विद्यालंकार, विजय, – 'लाल बहादुर शास्त्री' राजपाल एण्ड संस, नई दिल्ली।

व्यथित, हृदय, – 'स्वाधीनता संग्राम के क्रान्तिकारी सेनानी' जगदीश भारद्वाज, सामयिक प्रकाशन, 3543, दरियागंज, नई दिल्ली, 1993 ।

जैदी, ए.एम., – 'द इन्साईक्लोपीडिया आफ द इण्डियन नेशनल कांग्रेस' एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि., रामनगर, नई दिल्ली, 1995 ।

पत्र-पत्रिका

अमर उजाला	कानपुर
आजकल	दिल्ली
हंस	वाराणसी
होम पोलिटिकल फाइल	एन॰ ए॰ आई॰, नई दिल्ली
नेशनल लाइब्रेरी	कलकत्ता
एन॰ एम॰ एम॰ एल॰	नई दिल्ली
नवनीत	इलाहाबाद
न्यूजलीड	इलाहाबाद
पंजाब केसरी	दिल्ली
पत्र, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी	दिल्ली
राष्ट्रीय सहारा	लखनऊ
श्रद्धा सुमन	हरिकृष्ण शास्त्री मेमोरियल ट्रस्ट, दिल्ली